द्वादश माला, खंड 7, अंक 15

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1998
27 अग्रहायण, 1920 (शक)

F.C

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 15, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1998/27 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 और 283 से 285	1–24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 282 और 286 से 300	25–57
अतारांकित प्रश्न संख्या 3173 से 3402	58–416
सभा पटल पर रखे गए पत्र	416–458
लोक लेखा समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	459
सभा का कार्य	460–466
कार्य मंत्रणा समिति	
आठवां प्रतिवेदन	466
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	467–468
संचार संबंधी स्थायी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	497
संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	510–522
श्री मदन लाल खुराना	510
श्री जी.एम. बनातवाला	512
श्री वी.वी. राघवन	513
श्री वारकला राधाकृष्णन	514
प्रो. अजित कुमार मेहता	516
श्री बी.एम. मेनसिंकाई	517
श्री पी.सी. चाक्को	517
श्री राजो सिंह	519
खंड 2 से 5 और 1	522
पारित करने के लिए प्रस्ताव	522

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुरःस्थापित	523
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 151क से 151ग तक का अंतःस्थापन)	
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	523
(दो) कीमत नियंत्रण विधेयक	
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	524
(तीन) प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक	
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	524
(चार) गो-वध पर पाबंदी विधेयक	
श्री आदित्यनाथ	525
महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों की संरक्षा विधेयक	
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	526
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 198 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
श्री के.सी. कोंडय्या	526
(सात) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक	
श्रीमती सुखदा मिश्र	527
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक (उद्देशिका का संशोधन आदि)	
श्री हरपाल सिंह साथी	527
(नौ) राष्ट्रीय उपवन विधेयक	
डा. उल्हास वासुदेव पाटील	528
(दस) पर्यटन संवर्धन विधेयक	
डा. उल्हास वासुदेव पाटील	528
(ग्यारह) अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक	
डा. उल्हास वासुदेव पाटील	529
(बारह) स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक	
डा. उल्हास वासुदेव पाटील	530

विषय | | कालम

(तेरह) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक
(निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक

श्री ई. अहमद 530

(चौदह) असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक

श्री ई. अहमद 531

(पन्द्रह) जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक

श्री ई. अहमद 531

(सोलह) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और रखने संबंधी विधेयक

श्री कृष्ण लाल शर्मा 552

(सत्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 553

(अठारह) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक

श्री कृष्ण लाल शर्मा 553

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(10वीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री कृष्णलाल शर्मा 554

(बीस) जनसंख्या नियंत्रण (विशेष उपबंध) विधेयक

श्री सत्य पाल जैन 579–580

(इक्कीस) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक – *वापस लिया गया*
(धारा 16 आदि के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन) 532

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री वारकला राधाकृष्णन 532

श्री हीरा लाल राय 534

श्री आदित्यनाथ 535

श्री पी.सी. चाक्को 536

श्री कल्पनाथ राय 541

श्री राजवीर सिंह 542

श्री बाबागौड़ा पाटील 546

श्री भगवान शंकर रावत 547

विषय — कालम

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 29क आदि का अंतःस्थापन) 554

विचार करने के लिए प्रस्ताव 554

श्री मोहन सिंह 554

श्री चन्द्रशेखर साहू 558

श्री वारकला राधाकृष्णन 560

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (ए.वी.एस.एम.) 563

श्री खगपति प्रधानी 566

श्री प्रभुनाथ सिंह 569

श्री हीरा लाल राय 573

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे 576

ी **चर्चा**

ाना के आयात शुल्क में वृद्धि 580–590

श्री के.एस. राव 580

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 584

श्री अमर पाल सिंह 586

श्री शैलैन्द्र कुमार 587

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण 588

श्री कल्पनाथ राय 588

श्री राजवीर सिंह 589

श्री के. पलानी स्वामी 589

श्री वारकला राधाकृष्णन 589

श्री शरद पवार 589

श्री सत्यपाल सिंह यादव 590

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-99 597

श्री माधवराव पाटील 597

श्री राजवीर सिंह 597

विषय	कालम

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 600

श्री कोनिजेटी रोसैया 602

श्री शैलेन्द्र कुमार 603

श्री अजय चक्रवर्ती 606

श्री सी. गोपाल 607

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम 608

श्री राम नगीना मिश्र 610

श्री वारकला राधाकृष्णन 612

प्रो. अजित कुमार मेहता 614

श्री के.एस. राव 616

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. 619

श्री भगवान शंकर रावत 620

श्री प्रभूदयाल कठेरिया 621

श्री मोहन रावले 621

श्री सत्य पाल जैन 622

श्री बाजू बन रियान 622

श्री एच.पी. सिंह 622

श्री नीतीश कुमार 623–632

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक 634

विचार करने के लिए प्रस्ताव 635

श्री नीतीश कुमार 634

खंड 2 से 5 और 1 636

पारित करने के लिए प्रस्ताव 636

लोक सभा

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1998/27 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रुग्ण वस्त्र मिलों को फिर से चालू करना

*281. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान वस्त्र मिलों की रुग्णता के कारण उनके बंद होने की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1996 से मई, 1998 तक की अवधि के दौरान, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, बंद हुई वस्त्र मिलों की वर्ष-वार, राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारत में कपड़े के उत्पादन हेतु प्रचुर मात्रा में कपास उपलब्ध है और यहां श्रमिक बल का भी अभाव नहीं है;

(घ) यदि हां, तो वस्त्र मिलों के लगातार बंद रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में ऐसी मिलों को फिर से चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कपड़े के उत्पादन के लिए कपास और श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता है।

(घ) वस्त्र मिलों के बंद होने के अनेक कारण माने जा सकते हैं जिनमें पुरानी प्रौद्योगिकी, अंतर्निविष्टयों की लागत में वृद्धि, समय पर अपर्याप्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां, कुप्रबंध, मंदी की परिस्थितियां आदि शामिल हैं।

(ङ) सरकार ने रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए रुग्ण औद्योगिक (विशेष उपबंध अधिनियम), 1985 के अंतर्गत औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है। सरकार ने मौजूदा वस्त्र नीति की नए सिरे से जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है। उक्त समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय वस्त्र उद्योग में रुग्णता से निपटने के लिए अभी तक किए गए उपायों की पुनरीक्षा करना है। सरकार प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को भी अंतिम रूप दे रही है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 1.4.96 से 31.5.98 तक बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की वर्षवार तथा राज्यवार संख्या नीचे दी गयी है:-

राज्य	1.4.96 से 31.3.97 तक	1.4.97 से 31.5.98	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	5	9
असम	–	1	1
गुजरात	14	5	19
हरियाणा	3	1	4
कर्नाटक	–	2	2
केरल	–	1	1
महाराष्ट्र	5	4	9

1	2	3	4
उड़ीसा	–	2	2
पंजाब	1	1	2
राजस्थान	2	3	5
तमिलनाडु	6	21	27
उत्तर प्रदेश	2	4	6
पं. बंगाल	2	4	6
	3	–	3
कुल	42	54	96

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सही उत्तर नहीं दिया है क्योंकि इन्होंने कारण बताया है कि "समय पर और पर्याप्त ऋण मिलने में कठिनाइयां, कुप्रबंध, मंदी की स्थिति।" मिसमैनेजमेंट उसका कारण है लेकिन किसी मालिक को सजा नहीं हुई, न ऐसा हमने सुना और न पढ़ा। इन्होंने खुद ही 10 जुलाई को प्रश्न संख्या 359 के उत्तर के दरम्यान कहा था। गत पांच वर्षों के दौरान कपड़ा उद्योग में कोई मंदी नहीं आई है।

पहले इन्होंने कहा था कि रिसेशन नहीं है लेकिन अब कहते हैं कि मिल रिसेशन के कारण बंद हैं। जब रिसेशन नहीं है तो मिल बंद क्यों हैं? वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि 220 मिलें बिल्कुल बंद हैं और 333 मिलों के केसेज बी.आई.एफ.आर. के पास भेजे है, जिनमें से 170 मिलों के चालू होने की गुंजाइश नहीं है। इन मिलों को चालू करने के लिए क्या कोई नये कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि पुराने कदम तो सब लोगों को पता हैं। इन्होंने नये कारण दिए हैं और लिखा है कि सरकार प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को भी अन्तिम रूप दे रही है। क्योंकि इनमें काम करने वाले काफी मजदूर बेकार हो गये हैं और उनकी रोजी-रोटी का सवाल पैदा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नये कदम कौन से उठाये गये हैं ताकि बंद मिलें फिर खुल सकें।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जब मिलें बंद हो रही हैं और पावर लूम आने वाले हैं, आप बंद मिलों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं या पावल-लूम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मिस-मैनेजमेंट के कारण क्या किसी को कोई सजा मिलने वाली है या नहीं। रिसेशन के बारे में हकीकत क्या है, रिसेशन है या नहीं?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, कपड़ा उद्योग में रिसेशन तो चल रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि रिसेशन नहीं है। रिसेशन से बहुत हद तक उद्योग को बाहर लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जहां तक मिस-मैनेजमेंट का सवाल है तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से समय-सीमा और सामंजस्य से मिल चलानी चाहिए, वैसा नहीं हुआ है, इसलिए मेरा कहना है कि मिस-मैनेजमेंट वाली बात सही है।

एक और भी मुद्दा उठाया गया है कि जो मिलें बंद हैं उनको चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 1505 स्पीनिंग मिलें बंद हैं और 279 कम्पोजिट मिलें बंद हैं। कुल 1784 मिलें हैं, जो बंद हैं। उनकी संख्या मैंने अपने उत्तर में दी है। मिल सैक्टर में जो स्पीनिंग या कम्पोजिट यूनिट बंद हो रही हैं उसके बाद भी कलॉथ की प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ रही है। पूरे सैक्टर का क्लॉथ प्रोडक्शन पिछले 1991-92 के क्लॉथ के प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ है। कॉटन टैक्सटाइल में 1678.62 मिलियन स्कायर मीटर हुआ है। डी-सैंट्रलाइज पावर लूम सैक्टर में 1992-93 में 13642 मिलियन स्कायर मीटर प्रोडक्शन था जबकि अभी 1997-98 में 20951 मिलियन स्कायर मीटर प्रोडक्शन हुआ है। इसी प्रकार हमारे स्पीन्डलों की संख्या भी बढ़ रही है। इनकी संख्या 1991-92 में 27.82 मिलियन थी जो 1996-97 में बढ़कर 33.50 मिलियन हुई है। डी-सैट्रलाइज सैक्टर में पावर लूम और स्पीन्डलों की संख्या बढ़ रही है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मिलों को रिवाईव करने या उनकी सिकनैस कम करने के लिए भारत सरकार और संबंधित सरकारें काफी समय से सोच रही हैं कि इनके पास जो ज्यादा जमीन है उसे बेचकर फिर इन मिलों को रिवाईव करें, जिससे मिलों के अपग्रेडेशन के लिए पैसा मिले और मजदूरों के रिहैबिलिटेशन के लिए भी पैसा मिले। इसलिए मैं मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि ऐसी कितने मिलों को जमीन बेचने की आपने पर्मीशन दी है या इसे राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। इसके कारण कितनी कपड़ा मिलों को दुबारा शुरू किया गया है और उनको कितना पैसा मिला। कितने मजदूरों का रीहैबिलिटेशन हो गया? आज मजदूरों की हालत बिल्कुल खराब है। उनके बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है, बेटियों की शादी नहीं हो रही है। जो पावरलूम डीसेन्ट्रलाइज्ड सेक्टर है, उसकी जमीन बेचकर आप मजदूरों को 50 प्रतिशत ऋण दे दें जिससे उनका काम भी चले और उस पैसे से कितनी मिलें चालू हो गईं, वह भी बता दें।

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक एन.टी.सी. को फिर से चालू करने का सवाल है, पिछले 20 साल में कई स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने बनाई लेकिन उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कई तो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। लेकिन अभी जो एन.टी.सी. की मिलें हैं, उनमें से जो भी चल सकें, जो भी वायबेल होंगी, उनको चलाने के लिए सरकार अभी एक नयी स्ट्रैटेजी बना रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक स्कीम हम सदन के सामने लाएंगे। जहां तक मिलें बंद नहीं होने का सवाल है, चाहे कपड़ा उद्योग में हों या स्पिनिंग मिलें हों, इसके लिए सरकार ने तीन-चार योजनाएं बनाई हैं जिसमें एक टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है। 25,000 करोड़ रुपये का टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूव कर दिया है और उनके निर्णय के अनुसार 1.4.99 से कैबिनेट अप्रूवल के बाद वह लागू होगा।

जहां तक जमीन का सवाल है, मैं कहूंगा जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी 1995 में बनी है, उसमें 2005.72 करोड़ रुपये की योजना सरकार ने बनाई। वह जो पैसा आना था, वह मुम्बई की बंद मिलों की जमीनों को बेचकर आना था, लेकिन उसमें से एक पाई भी हमारे पास नहीं आई। हमने स्टेट गवर्नमेंट की परमीशन मांगी थी, मैं भी खुद गया था, लेकिन अभी तक हमें परमीशन नहीं मिली है। सिर्फ जमीन की बिक्री करके उसके आधार पर हमने रिवाइवल प्लान बनाया था। अब जो प्लान बनेगा, उसमें हम फाइनेन्शियल एजेंन्सीज़ से बात करके नयी स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : पश्चिम बंगाल में, 12 एन.टी.सी. मिलों में से 10 मिलों के कर्मचारी खाली बैठकर मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। कच्चा माल तथा कार्य पूंजी उपलब्ध न होने के कारण कोई उत्पादन नहीं हुआ है। इसके कारण राजकोष में भारी घाटा हो रहा है। बिना उत्पादन किए खाली बिठा कर मजदूरी देने से काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन पश्चिम बंगाल में दस मिलों को कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जाती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन मिलों को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि इन्हें चलाया जा सके तथा अर्थक्षम बनाया जा सके।

श्री काशीराम राणा : जहां तक एन.टी.सी. मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति का संबंध है, जैसा कि सदस्य जानते हैं, आधी एन.टी.सी. मिले अब बंद हैं अथवा आंशिक रूप से बंद हैं। जहां तक चालू मिलों का संबंध है, इनमें कपास की आपूर्ति अथवा कार्य पूंजी के संबंध में कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मिसमैनेजमेंट को अगर छोड़ भी दें लेकिन यहां पर भूतपूर्व वस्त्र मंत्री वेंकटस्वामी जी ने मान लिया था कि भ्रष्टाचार की वजह से ये मिलें घाटे में जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार कपास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आज मुम्बई में एन.टी.सी. की कई मिलें बंद हो रही हैं। जैसे हन्नान मोल्लाह जी ने कहा था कि अगर आप रॉ मैटीरियल देंगे तो अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो सकता है। आपने कहा कि क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन वह बात गलत है। आज भी क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ सकता है अगर आप उनको रॉ मैटीरियल देंगे, वर्किंग कैपिटल देंगे और कपास देंगे। कॉटन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आपने करोड़ों रुपया देना है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप वह पैसा देने वाले हैं या नहीं जिससे मिलें चल सकें?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, मैंने जो क्लॉथ प्रोडक्शन का फिगर दिया, वह सही है, गलत नहीं है और ऑथेण्टिक फिगर है। जहां तक कॉटन सप्लाई का मामला उठाया, हमारी जो एन.टी.सी. मिलें सरकार की चल रही हैं, वहां हम कॉटन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं इस सदन को कहना चाहूंगा कि सिर्फ कॉटन सप्लाई की बात नहीं है, कई मिलें ऐसी हैं जिनमें ऑब्सलीट मशीनरी है। उसके कारण भी जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, वह नहीं हो पाता, इसलिए कई मिलें घाटे में जा रही हैं। सिर्फ एक कारण नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मंत्री जी की बात में अनावश्यक बाधा पहुंचा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : वह मेरी बात का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : जहां तक मजदूरों का सवाल है, सरकार ने यह कोशिश की है और अब भी हमारी कोशिश है कि जो मिलें जिस प्रकार से भी चल सकती हैं, उनको चलाने की कोशिश हम करें।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : महोदय, मैं गत तीन वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि इन सब मिलों का पुनरूद्धार किया गया है। लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अब मैं माननीय मंत्री से एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा। कपड़े के उत्पादन में कमी नहीं आ रही है। यह 14 मिलियन मीटर से बढ़कर 20 मिलियन मीटर हो गया है। अतः, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इन मिलों का इस प्रकार से पुनरूद्धार करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनका निजीकरण [illegible] यदि प्राइवेट पार्टियां इस प्रस्ताव के साथ आगे आ [illegible] जी की इन मिलों का निजीकरण करने में [illegible]के लिए वे तैयार हैं?

क्या कुछ प्राइवेट पार्टियों का इन मिलों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन मिलों का पूर्णतया बेचने के बारे में सोच रहे है।

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक एन.टी.सी. मिलों के पुनरूद्धार का संबंध है, सरकार कुछ एन.टी.सी. मिलों के पुनरूद्धार के बारे में सोच रही है।

जहां तक प्राइवेट पार्टियों का संबंध है, सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री सी. गोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए विवरण से पता चलता है कि तमिलनाडु में 27 मिलें बंद हो चुकी है। माननीय मंत्री ने यह भी बताया है कि सरकार ने रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए एक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। सरकार ने विद्यमान वस्त्र नीति पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप भी बनाया है महोदय, पहले रुग्ण मिलों की संख्या केवल 7 थी लेकिन इस वर्ष 20 मिलें रुग्ण हो गई है। अतः तमिलनाडु में कुल 27 मिलें रुग्ण हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से इस रुग्णता के कारण जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इनकी संख्या इतनी अधिक क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर रुग्ण नहीं होना चाहिए।

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को रुग्णता के कारणों के बारे में बता चुका हूं। उनमें पुरानी मशीनरी, मिलों के कुप्रबंध तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता अथवा कार्य पूंजी उपलब्ध न होना शामिल हैं।

श्री वी.वी. राघवन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के पास जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, यह सच है कि अभी भी पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पहले मैंने स्वयं माननीय मंत्री को लिखा था उन्होंने इस मामले पर विचार करने के लिए मुझसे वायदा किया था। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र, त्रिचूर में, एक श्री लक्ष्मी मिल कपास की कमी के कारण पूर्णतः कार्य नहीं कर रही है। इन इकाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है लेकिन उनके पास कार्य पूंजी नहीं है। सरकार उन्हें अपनी अतिरिक्त भूमि बेचने और कार्य पूंजी प्राप्त करने की अनुमति क्यों नहीं देती? यदि इन इकाइयों को अपनी अतिरिक्त भूमि बेचने की अनुमति दे दी जाए तो उनके पास कार्य पूंजी हो जायेगी। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री काशीराम राणा : धागे के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 1991 में सूती धागे का उत्पादन 1,569 मिलियन किलोग्राम था, जबकि 1997-98 में, कपास का उत्पादन 4,213 मिलियन किलोग्राम था। कपास की उपलब्धतता की समस्या नहीं है।

माननीय सदस्य ने बंद पड़ी मिलों की भूमि बेचने के बारे में एक अन्य मुद्दा उठाया है। सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और मैं कहूंगा कि सरकार यथाशीघ्र इस योजना को अन्तिम रूप देने जा रही है।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। मैं इस सभा में पिछले दो वर्ष नौ माह से हूं। संयुक्त मोर्चा सरकार के अधीन श्री जलप्पा ने भी तथा वर्तमान मंत्री जी ने यही उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाकर निर्णायक विचार-विमर्श करवाने और पुरानी मिलों आदि में कच्चे माल और किसी प्रौद्योगिकी आदि की कमी संबंधी पहलू के बारे में निर्णय लें।

आन्ध्र प्रदेश में हमने गत दो वर्ष में नौ मिलों को बंद किया है। मेरे विचार से, मंत्री जी को सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए और इन पहलुओं पर सविस्तार चर्चा करनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि प्राइवेट लोग भी इन मिलों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। हमें इसकी अनुमति देनी चाहिएं। हम उदारीकरण की नीति अपनाने जा रहे हैं और हम विदेशी निवेश को भी आमंत्रित कर रहे हैं इसमें क्या गलत है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर निर्णायक बहस कराने के लिए सभा के सभी नेताओं को आमंत्रित करने की इच्छुक है।

श्री काशीराम राणा : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विद्यमान सरकार पिछली सरकार की विभिन्न नीतियों की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा पिछली सरकार की विफलता के कारण हुआ है।

श्री बासवराज पाटील सेडाम : अध्यक्ष महोदय, कॉटन मिल्स के बारे में माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं, उस संबंध में मेरा कहना है कि तीन साल से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। 112 साल पुराना गुलबर्गा का ऐतिहासिक एम.एस.के. मिल बंद हो गया है। उस मिल की यहां तक दुर्दशा हो गई है कि आज तीन सौ करोड़ रुपये वाली प्रोपर्टी की मिल में एक बल्ब भी नहीं जलता। उसका करंट डिस्कनेक्ट हो गया है। वहां के हजारों वर्कर्स के घरों में बिजली नहीं है। यदि सरकार इसको रिवाइव करना चाहती है तो तुरंत उसे रिवाइव करना चाहिए। तीन साल से लाखों परिवार परेशान हैं। लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई। इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कितने समय में निर्णय लेगी?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है, वह कल मुझे मिले थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां भी एन.टी.सी. मिल्स हैं, चाहे वे कॉटन मिल है या जूट मिल है, इन सभी मिलों में वर्कर्स ने वैसे ही अपने घरों में बिजली के कनेक्शन ले लिये हैं, जो कई साल से चल रहे हैं। वैसे लीगली यह ठीक नहीं है, लेकिन वे हमारे मजदूर हैं, इसलिए यह सब चल रहा है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री बासवराज पाटील सेडाम : मंत्री जी रिवाइवल के बारे में क्या निर्णय होगा, यह बताइये? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे परम मित्र, श्री काशीराम राणा, माननीय वस्त्र मंत्री को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे कपास का निर्यात बंद करने, निधियों और कार्य पूंजी में वृद्धि करने, आधुनिकीकरण के उपाय करने तथा रुग्ण मिलों को पुन: लाभप्रद बनाने का अनुरोध किया था। मैं इस संबंध में माननीय वस्त्र मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री काशीराम राणा : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हो गया है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उन्हें पत्र प्राप्त हो गया है। लेकिन मैं उस पत्र के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने केवल यह पूछा है कि उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है अथवा नहीं।

श्री काशीराम राणा : सरकार मामले पर विचार कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास

10-15

***283. श्री था. चौबा सिंह** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों की बेरोकटोक आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग के विकास में बाधा पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में ''इनर लाइन'' परमिट प्रणाली तथा प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली को समाप्त करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परमिट प्रणालियों के कब तक पूरी तरह समाप्त किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में विदेशी (सुरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में 1873 के बंगाल पूर्व सीमा विनियमन के अधीन इनर लाइन परमिट के लागू करने से इन पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन उद्योग की वृद्धि में कुछ सीमा तक बाधा पहुंची है।

(ग) से (ङ) प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट प्रणाली किसी पूर्वोत्तर राज्य पर लागू नहीं हैं। मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में सुरक्षित क्षेत्र परमिट प्रणाली की छूट देना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जून/जुलाई, 1998 में पर्यटन के संवर्धन के लिए अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में सुरक्षित क्षेत्र परमिट में और छूट इन राज्यों के चुनिन्दा पर्यटक परिपथों/मार्गों को खोल कर दी गई थी। पर्यटन उद्योग के हितों के साथ-साथ संरक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति की पुनरीक्षा समय-समय पर की जाती है।

इनर लाइन परमिट प्रणाली उन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रचालित की जा रही है, जो इस प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री था. चौबा सिंह, आप मणिपुरी भाषा [illegible] भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध है।

[illegible] : मैं अनुपूरक प्रश्न मणिपुरी भाषा में पूछूंगा।

*महोदय, आज पर्यटन उद्योग संसार में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। महोदय, स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी, मणिपुर में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर में पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि यह प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है। अत: सरकार को इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। इस तथ्य के दृष्टिगत मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मणिपुर में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं?

अब मैं अपने अगले अनुपूरक प्रश्न अंग्रेजी में पूछूंगा।

[अनुवाद]

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या भारत से और विदेश से आने वाले पर्यटकों हेतु वर्तमान में लागू इनर लाइन (आन्तरिक रेखा) परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली को पूर्वोत्तर क्षेत्र से पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है ताकि पर्यटन उद्योग का विकास हो सके? महोदय, मुझे एक और प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मत पढ़िये। अब आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही पूछिए। क्या मंत्री महोदय भी मणिपुरी भाषा में ही उत्तर दे रहे है?

श्री ओमाक आपांग : महोदय, मेरा उत्तर अंग्रेजी में होगा।

पूर्वोत्तर-क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गये हैं। हमारे पास एक अंतर-मंत्रालयीय समिति है। कल नागर विमानन मंत्री की पहल पर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी संसद सदस्यों से मिले थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य समस्या आधारभूत सुविधाओं की है। रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय ने हमें पूरा सहयोग दिया है।

जहां तक आर.ए.पी. का प्रश्न है, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं है। इनर लाइन परमिट अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के संबंध में लागू है। संरक्षित क्षेत्र परमिट मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम के संबंध में लागू है। हमें इस संबंध में गृह मंत्रालय से आदेश प्राप्त हुआ है। विशेषरूप से मणिपुर का मार्ग इसमें दिया गया है। महोदय, इसके लिए वह सीधे ही विदेश स्थित कार्यालय से मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव को आवेदन कर सकता है। इस संबंध में वहां से रिपोर्ट प्राप्त करें।

हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की योजना बनायी है। हमने पाया है कि लोकटक झील को एक विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। हमने एशियाई राजमार्ग को खोलने हेतु बी.आई.एम.एस.टी.एच.ए.आई. अर्थात् बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैंड के साथ बैठक की थी।

अत: मेरे विचार से इससे धनराशि की बात भी सामने आएगी और मणिपुर पर्यटन सर्किल में सम्मिलित हो सकता है।

श्री था. चौबा सिंह : इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में और विशिष्ट परियोजना के संदर्भ में मणिपुर में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री ओमाक आपांग : हमने योजना बनाई है कि हम अपना क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता से विशेषतया पूर्वोत्तर हेतु गुवाहाटी ले

*मूलत: मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

जाने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक संसद सदस्य का भी सुझाव है। विशेषतया मणिपुर के संबंध में, हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे दिमापुर जाने के लिए लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। हमने गृह मंत्रालय और नागालैंड सरकार से कहा है कि वे सड़क मार्ग द्वारा इम्फाल जाने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी इनर लैंड परमिट दें। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र की मुख्य परियोजनाओं के बारे में संकेत किया है। मैंने उनके बारे में जिक्र किया है। ये नागालैंड में चुमुखडीमा और लोकटक झील, मणिपुर के विकास के बारे में हैं। यह पूरे देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मेनचुका का विकास करने और तत्पश्चात् असम में माजुली में पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाने की योजना हैं।

वर्ष 1998 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने और इसके बाद यदि आप 1997-98 की ओर देखें तो आप पायेंगे कि मणिपुर के लिए यह आवंटन 186.11 करोड़ रु. था और इस वर्ष हमने इसे बढ़ाकर 220 करोड़ कर दिया है।

श्री सुदीप बन्धोपाध्याय : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कुल मिलाकर इस देश में पर्यटन क्षेत्र विफल हो रहा है। एक तरफ तो जम्मू व कश्मीर समस्या है और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या है। देश में उग्रवादी दलों का लगातार बढ़ता प्रभाव, भारतीयों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है और इसके कारण वे इन स्थानों की यात्रा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग एक ऐसा स्थान है जो पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न मुख्यालयों में, कोई हवाई अड्डा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की दार्जिलिंग में ही कोई हवाई अड्डा बनाने की योजना है अथवा नागर विमानन मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे कि एक सम्बन्ध बनाया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दार्जिलिंग और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विश्व पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया है जिससे कि इन स्थानों पर और अधिक पर्यटक आ सकें। अत: मैं दार्जिलिंग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह दार्जिलिंग के बारे में है।

श्री ओमाक आपांग : महोदय, इसका संबंध मेरे प्रश्न से नहीं है। किन्तु मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा।

जम्मू-कश्मीर के संबंध में, इस वर्ष हमें तीर्थाटन के संबंध में अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है। लेकिन वहां पर्यटन संवर्धन के संबंध में हमारी गति अत्यंत मंद है। हम अपने पर्यटकों को ऐसे स्थान पर नहीं भेजना चाहते जहां अशांति हो। ऐसे क्षेत्रों हेतु कतिपय स्वीकृति को आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों हेतु संरक्षित क्षेत्र परमिट आवश्यक है।

जहां तक दार्जिलिंग की बात है, इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग स्वायत्त पर्वतीय समिति, और सिक्किम सरकार की पहल पर "विजिट हिमालयास 2000" नामक महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गयी है। पर्यटक, दार्जिलिंग पहाड़ियां सिक्किम तथा सिलीगुड़ी को देख सकते हैं। उन्होंने बागडोगरा हेतु एक प्रस्ताव रखा है। कल नागर विमानन मंत्री से सिक्किम में हवाई अड्डे की स्थापना के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था। अत: वहां एक सर्वेक्षण दल भेजा जायेगा और बागडोगरा हवाई अड्डे तक पहुंच को सुगम बनाया जायेगा क्योंकि वहां जनता को कुछ असुविधा हो रही है। हवाई अड्डे तक पहुंचने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। हम इस क्षेत्र को 'विजिट इंडिया इयर 2000' हेतु विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसे सम्मेलन के केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कल हमारी बैठक हुई थी। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और सिक्किम से एक प्रतिनिधिमंडल आया था ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्धोपाध्याय : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि दार्जिलिंग में हवाई अड्डे की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न, मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यद्यपि यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं, तब भी मंत्री ने इसका कुछ उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्यटन के क्षेत्र में प्रश्न पूछने का मौका मिला। इसके लिए धन्यवाद। पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश बहुत पीछे है। इसका कारण निस्संदेह उग्रवाद भी रहा है परन्तु हमारी पिछली सरकार की गलत नीतियां भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था का एक मामूली सा हिस्सा हमें टूरिज्म से प्राप्त होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय सोनकर शास्त्री, कृपया समझें कि यह प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास से संबंधित है।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिश्र में तीन पिरामिडों की वजह से टूरिज्म इतनी पुख्ता है कि वहां की सरकार को अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंश टूरिज्म से प्राप्त होता है। ऐसे ही स्विटजरलैंड में कुछ पहाड़ियां हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ियां हैं जहां की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करती है। हमारे देश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संसाधन हैं, स्थान है परन्तु हमारे यहां टूरिज्म की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, मैं आपको अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री : हमारे पास अपार सम्पदा है और हम टूरिज्म के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम [illegible] हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि [illegible] बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? यह मेरे प्रश्न का एक हिस्सा है।

दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या पर्यटन के क्षेत्र में जो उसके अन्य अंग हैं जैसे सामान्य पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और हैल्थ ऐकेडैमिक वगैरह, उनको जोड़कर पर्यटन का डेवलपमैंट किया जा सकता है? क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देंगे?

श्री ओमाक आपांग : महोदय, यह मेरे प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं उत्तर देना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है और फिर भी आप उत्तर दे रहे हैं। अध्यक्षपीठ आपको अनुमति नहीं देते हैं आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

16-2°

***284. श्री + मोहन सिंह :**
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के अधिकारी हाल ही में हड़ताल पर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) हड़ताल के कारण सरकार को कितनी हानि हुई?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) महोदय, आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के समूह ''ख'' एवं समूह ''ग'' के अधिकारी दिनांक 10 नवम्बर, 1998 से 12 नवम्बर, 1998 तक हड़ताल पर थे।

(ख) कर्मचारी बेहतर वेतनमानों एवं कुछ सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे थे।

(ग) जी, हां।

(घ) कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) शून्य।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आय कर, उत्पाद कर और आबकारी के ''बी'' और ''सी'' श्रेणी के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी की जानकारी के अनुसार तीन दिनों तक हड़ताल रखी लेकिन इसी प्रश्न के ''ई'' भाग के अनुसार इससे कोई हानि सरकार को नहीं हुई, यह बात अविश्वसनीय लगती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के कमाऊ विभाग के सभी अधिकारी तीन दिन तक हड़ताल पर रहे और अखबारों की सूचना के अनुसार थाईलैंड, सिंगापुर के रेलवे के टिकट ब्लैक में बिके, लोग वहां से जल्दी से जल्दी काफी सामान भारत में बिना उत्पाद कर, आयकर और सीमा शुल्क जमा किये लेकर

लाये। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि इन तीन दिनों में भारत सरकार को कोई हानि हुई। यह कैसे संभव है कि कमाऊ विभाग के अधिकारी तीन-चार दिन तक हड़ताल पर हों और भारत सरकार को कोई हानि न हो। मैं माननीय मंत्री जी से साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि हड़ताल के दौरान इन विभागों के अधिकारियों के हड़ताल पर रहने के कारण भारत सरकार को सीमा शुल्क, उत्पाद कर और आय कर के क्षेत्र में कितनी हानि हुई?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ग्रुप ''बी'' और ''सी'' श्रेणी के पदाधिकारी ही तीन दिन तक हड़ताल पर थे लेकिन हमने यह व्यवस्था की थी कि दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे, वे बंदरगाहों या हवाई अड्डों पर तैनात हो गये थे। उनकी मार्फत सारा काम उन तीन दिनों तक चला था। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि यदि क्षति नहीं हुई है और कुछ अखबारों ने कहा क्षति हुई, उसके लिए मैं सदन को गलत सूचना दे दूं, यही मेरी आपत्ति है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग के अधिकारियों की मांग क्या है? भारत सरकार ने उन मांगों पर अभी तक क्या विचार किया है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अभी तक सुनिश्चित और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, जुलाई में भी हड़ताल होने वाली थी लेकिन उस समय माननीय मंत्री जी की ओर से आश्वासन मिला कि उनकी मांगों के संबंध में अंतिम विचार कर लिया जायेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी मांगों के संबंध में भारत सरकार कब तक अपना फैसला कर लेगी जिससे भविष्य की हड़तालों और आंदोलनों से बचा जा सके।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमें भी इस बात की चिन्ता है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे अनावश्यक किसी हड़ताल पर जायें। इसलिए जुलाई महीने में जब हड़ताल की बात सामने आई तो मैंने उन श्रेणी के पदाधिकारियों को बुलाकर स्वयं उनसे बातचीत की थी और उन्होंने उस समय हड़ताल पर जाना मुअतिल कर दिया था। उनकी मांगे वेतन से संबंधित हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में जो फैसला हुआ, उससे बहुत सारी एनौमलीज पैदा हुई हैं। उसी संबंध में अनेक श्रेणियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मांगें सरकार के समक्ष आ रही हैं। मैंने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। उस समिति ने अपनी सिफारिशें भी दे दी हैं। सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और मैं आज के दिन कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि सरकार में फैसला होता है, कैसे कितने विभाग इसमें संबंधित हैं, उन फैसलों से कितनी तरह के असर दूसरी श्रेणियों पर पड़ते हैं, इन सारी बातों पर विचार के बाद ही फैसला किया जा सकता है। इसलिए आज के दिन मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई सीमा निर्धारण कर सकूं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें सूचना दी है कि उनकी शिकायतों पर ध्यान देने के लिये एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था और समिति ने पहले ही अपनी सिफारिशें भी दे दी थी। तब उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने में इतनी देर अथवा कठिनाई रही है। यह मान लेना उचित ही है कि उच्चाधिकार समिति ने सिफारिश देने से पहले दूसरे अधिकारियों पर उनके संभावित प्रभाव पर विचार किया होगा।

श्री यशवंत सिन्हा : दोनों बोर्डों के चेयरमैन और इन बोर्डों में कार्मिक प्रभारी सदस्यों वाली उच्चाधिकार समिति जिसका गठन मैंने किया था। इस उच्चाधिकार समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी मामला वही था। राजस्व विभाग ने उन सिफारिशें पर विचार करने के बाद कुछ सुझाव दिये हैं। मेरे अनुमोदन के पश्चात् उसे व्यय विभाग में भेज दिया गया था। अभी मामला व्ययविभाग में जांचाधीन है। महोदय हम सभी इस बात को जानते हैं। मुझे विश्वास है, माननीय सदस्य जो कि एक समय में सरकार का हिस्सा रह चुके है, इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं। वे उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशे लागू करने के संबंध में निर्णय लिया था। भारत सरकार की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि किसी एक श्रेणी में निर्णय लिये जाने पर उसका प्रभाव विभिन्न दूसरी श्रेणियों पर पड़ता है। चूंकि यह दो बोर्डों की समिति थी। समिति मामले को अपने दृष्टिकोण से देखेगी जैसा कि समिति ने किया है। अब व्यय विभाग, कार्मिक विभाग और सरकार को सम्मिलित रूप से एक दृष्टिकोण बनाना हैं, यह देखने के लिये कि कहां तक हम समायोजित कर सकते है और कहां तक हम समायोजित नहीं कर सकते।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय मंत्री महोदय ने सभा को अभी सूचित किया कि एक शिकायत आयकर विभाग के अधिकारियों की कार्य परिस्थितियों से संबंधित थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि स्वयं माननीय वित्त मंत्री महोदय के कहने पर दण्डस्वरूप किये गये स्थानांतरणों से भी शिकायत है? उदाहरण के तौर पर, श्री रोमेश शर्मा के मामले में, आयकर आयुक्त का स्थानान्तरण, माननीय वित्त मंत्री के आदेश पर

हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दण्ड स्वरूप किये गये स्थानांतरणों से अधिकारियों में व्याप्त असंतोष का एक कारण रहा है।

श्री यशवंत सिन्हा : अपनी समस्त शक्ति के साथ उस आरोप को नकारते हुए, मैं इस प्रश्न का बहुत ही सीधा उत्तर दूंगा कि ऐसा नहीं हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में, बहुत सी अनियमितताएं हैं, इन अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो कुछ उपाचारात्मक उपायों हेतु सरकार ने अनियमितता संबंधी समिति का गठन किया है। ऐसी स्थिति के बावजूद, वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के बहुत से कर्मचारी बहुत ही असंतुष्ट है। क्या ऐसा कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जो कम से कम इन लोगों को यह सूचना दें कि अनियमितता संबंधी समिति ने उनके मामले की जांच की है और तत्पश्चात् अगले बजट से पहले निर्णय लिया जायेगा?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ऐसा सिस्टम है, एक तंत्र है और जब कभी पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कोई मांगे की जाती हैं तो मामला समिति के पास भेज दिया जाता है और समिति पूरे मामले की जांच करती है। तब सरकार इन मामलों पर निर्णय लेती है। ऐसी [illegible] सीमा नहीं है क्योंकि ऐसी मांगे समय-समय पर उठती [illegible] मांगों का उठाने की कोई समय-सीमा नहीं है [illegible] है कि इन मांगों के समाधान की समय-सीमा निर्धारित की जा सके लेकिन समाधान मिलने पर, निर्णय संबंधित पार्टियों तक पहुंचा दिये जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाधान की तारीख बढ़ा दें क्योंकि हड़ताल के कारण, त्यौहार के कारण समय कम मिला है। आप 31 दिसम्बर से आगे बढ़ा देंगे तो आपको टैक्स और ज्यादा मिलेगा। ...*(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी कह दें कि इस पर विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : यह व्यापारियों की मांग है और इससे सरकार को लाभ होगा। वित्त मंत्री जी कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ...*(व्यवधान)* पूरा हाउस सहमत है ...*(व्यवधान)* श्री मुरली देवरा जी भी कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* प्लीज इसे करवा दीजिये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है और मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को निश्चय ही नोट कर लूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : यदि अभी डेट बढ़ा देंगे तो 31 तारीख तक कोई पैसा जमा नहीं करेगा।

लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के लिए बीमा योजना

***285. डा. वल्लभ भाई कथीरिया :**
श्री रामटहल चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की विशेषकर गुजरात की लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण तथा अलाभकारी इकाइयों के लिए विशेष बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को तभी अलाभकारी घोषित किया जाता है, जब कि उन्हें पुनर्जीवित करने के सभी संभव प्रयास विफल हो जाते हैं। अत: ऐसी अलाभकारी रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी बीमा-योजना का प्रचलन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त रुग्ण अथवा अलाभकारी होने वाली औद्योगिक इकाइयों के वाणिज्यिक खतरों को बीमे के उद्देश्य से पूर्ण खतरे के रूप में नहीं समझा जाता है। उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए सरकार की संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को भी पुनर्जीवित करने के लिए कोई बीमा योजना को चलाए जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

जहां तक संभावित जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने का संबंध है, सरकार ने इनको पुनर्जीवित करने के लिए अनेक उपायें किये है। इन उपायों में पुनर्वास किये जाने हेतु कम

दर पर ब्याज, अभिज्ञात रुग्ण इकाइयों के लिए त्वरित जीव्यक्षम अध्ययन। उपचारात्मक कार्यक्रम, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किये जाने हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों और बैंकों के प्रधान कार्यालयों में प्रकोष्ठ खोलना और तकनीकी पहलुओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञता प्राप्त कर्मचारियों की व्यवस्था किया जाना शामिल है। रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित किये जाने हेतु राज्य सरकारों के सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतरा-संस्थागत समितियां (एस.एल.आई.आई.सी.) विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इसलिए उपस्थित हुआ था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अभी-अभी देश में जो मल्टीनेशनल कम्पनीज़ आई हैं, उनका जो आक्रमण हुआ है, उससे पिछले पांच सालों में करीब-करीब दो लाख से ज्यादा एस.एस.आई. यूनिट्स बन्द पड़ी हैं, क्या यह बात सच है कि दो लाख एस.एस.आई. यूनिट्स करीब पांच साल में बन्द हो गई हैं? उसके कारण कितने वर्कर्स अनएम्पलायड हुए हैं और उनके रिवाइवल हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : ऑनरेबिल मैम्बर ने दुरुस्त कहा कि मार्च, 1998 तक 2,20,594 सिक एस.एस.आई. यूनिट्स थीं, लेकिन 1997 में 2,35,032 सिक यूनिट्स थीं और यह भी दुरुस्त है कि वर्कर्स को बेकारी के रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश जारी है कि सिक यूनिट्स को जहां तक उन्हें रिवाइव करने में मदद हो सके, वह की जाये।

डा. वल्लभभाई कथीरिया : माननीय मंत्री महोदय ने ठीक कहा कि 2,35,000 यूनिट्स सिक हुई हैं, लेकिन अभी जो मल्टीनेशनल कम्पनीज़ आ रही हैं और विदेशी कम्पनियों को यहां आने के लिए जो छूट दी जा रही है, उसकी वजह से और भी बहुत सी यूनिट्स बन्द होने जा रही हैं। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अभी तक वे कदम नहीं उठा रही है। उनके रिवाइवल को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या ठोस कदम उठाएगी?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा उलझ रहा हूं, इसलिए कि मल्टीनेशनल कम्पनीज़ बेश्तर जहां आ रही हैं, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिया है, जहां आ रही हैं, वह हाई टैक्नोलॉजी एरिया है, लेकिन इस एरिया में मल्टीनेशनल कम्पनीज़ का ज्यादा आगाज़ नहीं है। बल्कि दूसरी बात यह हो रही है कि मल्टीनेशनल कम्पनीज़ जहां आ रही हैं, उसमें जो वेंडर एक्टिविटीज़ चलती हैं, उससे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ को मदद मिल रही है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग काफी रुग्ण है कि इसी के सम्बन्ध में सवाल पूछा गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने एस.एस.आई. यूनिट्स सिक हुए हैं, गुजरात के अलावा बिहार एवम् अन्य राज्यों में कितने यूनिट्स सिक हुए हैं और उनमें कितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : प्रश्न का एक हिस्सा तो मैं दोहरा देता हूं, दूसरा देखता हूं कि वह इन्फोर्मेशन मेरे पास मौजूद है या नहीं। मैं जवाब दे चुका हूं कि मार्च, 1998 तक 2,20,594 एस.एस.आई. यूनिट्स सिक हुई हैं और मार्च, 1997 के आखिर तक 2,35,042 यूनिट्स सिक रहे। इसमें से बिहार का नाम मैं निकाल लेता हूं। बिहार का बताना थोड़ा मुश्किल था। बिहार में रुग्ण ईकाइयों की कुल संख्या 22,782 है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : अध्यक्ष महोदय पहले लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां जो उत्पाद बनाती थी वह केवल उनके लिए ही था। अब लघु इकाइयों के उत्पादों के डी-रिजर्वेशन के कारण यह इकाइयां सक्षम नहीं रह गई। लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के रुग्ण होने का यह एक कारण है। क्या सरकार यह देखने के लिये कुछ करेगी कि ऐसे उत्पाद जो लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिये आरक्षित थे वह उनके पास हो रहे?

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : प्रधान मंत्री का इस सम्बन्ध में ऐलान आ चुका है कि हम इस वक्त डी-रिजर्वेशन के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, क्या यह सच है कि बहुत सी लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां विभिन्न कारणो से रुग्ण हुई हैं?

अदायगी देर से होना इसका एक कारण है। हमने अदायगी में देर के संबंध में एक विधेयक पारित किया है। लेकिन इसके बावजूद इसे लागू नहीं किया जा रहा है। छोटे पैमाने के उत्पादकों को अपने बिलों की अदायगी देरी में होने के कारण बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से उन उपायों के बारे में पूछ सकता हूं कि सरकार छोटे पैमाने की इकाइयों के उद्यमियों को बिलों की अदायगी शीघ्र करवाने के लिये क्या विचार कर रही है।

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य ने उनके प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न में पहले ही सम्मिलित कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपाय कर रही है ताकि छोटे पैमाने के उद्योगों को अदायगी देर से न की जाये।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के अंदर पिछले नौ वर्षों में मिलीटेंसी के कारण कितने यूनिट सिक हुए हैं? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के अंदर जितने भी उद्योग चलते हैं, उनमें रॉ-मेटिरियल बाकी देश से लाना पड़ता है और फिर फिनिश्ड गुड्स भी बाकी देश में ले जाकर बेचनी पड़ती है. इन दोनों को लाने और ले जाने पर 18 रुपये प्रति क्विंटल [illegible] सरकार टोल को खत्म करने के लिये कोई [illegible] मैं साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि वहां का सरकार की तरफ से एक पैकेज मांगा गया है, फार दि रिवाइवल आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है?

श्री सिकन्दर बख्त : पहले सवाल का जवाब है, 761 उद्योग सिक हुए हैं। दूसरे सवाल का जहां तक ताल्लुक है कि क्या किया जाये। यह सवाल अन्य मंत्रालयों से सम्बंधित है। तीसरा सवाल फिर से दोहरा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री चमन लाल गुप्त : वहां की सरकार की तरफ से रिवाइवल आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये एक पैकेज मांगा गया है। क्या आप उसे देने को तैयार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. सुधाकर रेड्डी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने श्री सुधाकर रेड्डी को बोलने के लिये कहा है।

श्री एस. सुधाकर रेड्डी : महोदय, यह समझा जा सकता है कि रुग्ण इकाइयों का बीमा नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी इकाई को पुनर्जीवित करने के पश्चात् रुग्ण इकाइ सिक्योरिटी होनी चाहिये। क्या सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को जो रुग्ण नहीं है और उन इकाइयों को जिन्हें रुग्णता के पश्चात् पुनर्जीवित किया जाता है, का बीमा करने की कोई संभावना है?

श्री सिकन्दर बख्त : प्रश्न यह नहीं है कि सरकार तत्पर है या नहीं। मैंने बीमा तंत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम की चार अनुषंगी कंपनियां हैं जो आग, विस्फोट, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बीमा जोखिमों के कारण अपनी सम्पत्ति के नुकसान के विरुद्ध औद्योगिक इकाइयों के कई बीमे करती हैं। हालांकि इस समय में ऐसा कोई बीमा नहीं है जो अलाभकारी अथवा रुग्ण इकाइयों को व्यापार संबंधी जोखिम भी प्रदान करता हो चूंकि ऐसी आकस्मिकताओं को बीमा के असली जोखिमों के रूप में नहीं माना जाता है।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, बहुत से लघु उद्योग रुग्ण हो गये हैं क्योंकि वह मुख्यत: गौण उद्योग हैं जो कि बड़े उद्योगों और उपभोक्ताओं के उपभोग पर निर्भर करते है। इसलिये वह उद्योग जो कि रुग्ण हो गये हैं वह गौण उद्योगों पर निर्भर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप एक संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछते, आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री बिक्रम केशरी देव : क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना सकती है जिससे उन उद्योगों को संरक्षण मिले जो बड़े उद्योगों पर निर्भर हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों के साथ संबंध का है। मैं ऐसा समझता हूं लघु उद्योगों के लाभ के लिये यह संबंध जारी रहना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बीमा क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए खोलना

***282. श्री नरेन्द्र बुडानिया:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण का कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) इस आशय का एक विधेयक लोक सभा में दि. 15.12.98 को पेश किया गया है।

(ग) विधेयक के पारित होने के बाद तथा नई कम्पनियों के कारोबार में प्रविष्ट होने पर ही वित्तपोषण किया जा सकेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

***286. श्री विजय कुमार "विजय":**
प्रो. अजित कुमार मेहता:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों में प्रतिकूल भू-खनन स्थितियों के कारण निरंतर दुर्घटनाएं होती है;

(ख) क्या कोयले की मात्रा संबंधी भू-यांत्रिकी विशेषताओं का भू-विज्ञानियों द्वारा प्रमाणित अपर्याप्त अध्ययन इन दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले की मात्रा का गहन भू-गर्भीय अध्ययन कराने का है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन कब तक कराये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। स्ट्राटा नियंत्रण हेतु रूफ सपोर्ट व्यवस्था का ढांचा किसी खान के कोयला मापन स्ट्राटा की भूगर्भीय - इंजीनियरिंग विशेषताओं के पर्याप्त अध्ययन पर आधारित होता है। कोयला संस्तर चट्टान की विशेषताओं के पर्याप्त अध्ययन के बावजूद भी, कई बार छोटे-छोटे दोषों तथा अन्य छोटी भू-गर्भीय गड़बड़ियों का अनुमान लगाना तथा उनको दूर करना संभव नहीं होता है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

विकास केन्द्रों की प्रगति

287. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री सुरेश वरपुडकर:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण देश के विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ विकास केन्द्रों की प्रगति अत्यंत निराशाजनक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है तथा अब तक उनके पूरे न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिकीकरण की गति तेज करने की दृष्टि से इन विकास केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) अनुमोदित किए गए विकास केन्द्रों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों/उनके कार्यान्वयन अभिकरणों का है। केंद्रीय सहायता, राज्य सरकारों/उनके कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दर्ज की गयी भौतिक और वित्तीय प्रगति को ध्यान में रखकर जारी की जाती है।

सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक आधार पर निगरानी रखी जाती है और योजना में हुई प्रगति के अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

जहां तक गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के विकास केन्द्रों का संबंध है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा जारी की गयी निधियों, इस संबंध में किए गए कुल व्यय और हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य का नाम – गुजरात (लाख रुपए में)

विकास केन्द्र का नाम	जिस तारीख को अनुमोदित किया गया	जारी की गयी केन्द्रीय सहायता	जारी की गयी राज्य सहायता	कुल व्यय	भौतिक प्रगति
	4.6.92	100.00	400.00	16.00	शून्य
पालनपुर	4.6.92	100.00	400.00	16.00	शून्य
वागरा	4.6.92	1000.00	500.00	4940.00	विकासात्मक कार्यों के लिए 100 हेक्टेयर भूमि का रेखांकन किया गया है। विकसित किये गये भू-खंड : 353 । जल-आपूर्ति योजना पूरी की गयी है। टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण किया गया है।

राज्य का नाम – महाराष्ट्र (लाख रुपए में)

विकास केन्द्र का नाम	जिस तारीख को अनुमोदित किया गया	जारी की गयी केन्द्रीय सहायता	जारी की गयी राज्य सहायता	कुल व्यय	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6
अकोला	26.3.92	750.00	644.00	1360.01	अधिग्रहीत भूमि: 625 हेक्टेयर। विकसित भूखंड : 189, सड़क निर्माण : 9.5 कि.मी.।

1	2	3	4	5	6
चन्द्रपुर	26.3.92	400.00	494.00	1025.49	अधिग्रहीत भूमि : 630 हेक्टेयर
धुले	26.3.92	200.00	128.00	329.00	अधिग्रहीत भूमि : 707 हेक्टेयर
नांदेढ़	11.12.97	550.00	956.00	1030.46	अधिग्रहीत भूमि : 645 एकड़
रत्नागिरि	26.3.92	440.00	224.00	488.82	जलापूर्ति योजना को आरंभ कर दिया गया है।

विदेशी ऋण पर ब्याज

*288. **श्री मगंती बाबू:**
प्रो. पी.जे. कुरियन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को 30 जून, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों की पुनर्अदायगी और ब्याज प्रभार के रूप में उनसे प्राप्त ऋणों की तुलना में विश्व बैंक को 478 मिलियन डॉलर से अधिक धन का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों से यही प्रवृत्ति रही है:

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1993 से 1998 के दौरान कुल प्राप्त धन की तुलना में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तब तक कोई और विदेशी ऋण न लेने का निर्णय किया है जब तक कि वह इस ऋण जाल की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर लेती; और

(ङ) यदि हां, तो इस ऋण जाल की स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) राजकोषीय वर्ष 1998 (30 जून, 1998 को समाप्त) के दौरान विश्व बैंक से निवल प्राप्त धनराशि (ब्याज भुगतान सहित वापसी अदायगियों को घटाते हुए सकल संवितरण) (-)495.808 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) और (ग) विश्व बैंक से वर्ष 1993 से 1998 तक वर्षवार निवल प्राप्त धनराशि निम्न प्रकार है:

राजकोषीय वर्ष (30 जून को समाप्त)	निवल प्राप्त धनराशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1993	194.608
1994	(-) 2.236
1995	(-) 118.169
1996	(-) 719.097
1997	(-) 1058.403
1998	(-) 495.808

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार देश के कुल विदेशी ऋण के प्रबन्धन के लिए एक विवेकपूर्ण कार्य नीति का अनुसरण कर रही है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले विदेशी ऋण का अनुपात और चालू प्राप्तियों के मुकाबले ऋण अदायगी के अनुपात में वर्ष 1991-92 से काफी कमी आई है।

यूरोपीय संघ द्वारा पाटन रोधी शुल्क

*289. **श्री ई. अहमद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने अनेक भारतीय वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

[illegible]ों का भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित वस्तुओं से संबंधित भारतीय आयातों पर उनके सामने दर्शाए गए ब्यौरों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

	वस्तु	ब्यौरा
1.	ऑक्जैलिक एसिड	नवम्बर, 1991 में 4.4% का निश्चित शुल्क लगाया गया था जो नवम्बर, 1996 के अन्त तक समाप्त हो गया है।
2.	पोलियस्टर धागा	अप्रैल, 1992 में निश्चित शुल्क लगाया गया था जिसे दिसम्बर, 1994 में समीक्षा के बाद हटा लिया गया था।
3.	पॉलियस्टर के संश्लिष्ट रेशे	जनवरी, 1993 में 7.2% का निश्चित शुल्क लगाया गया था।
4.	पॉलीइंथीलिन और पॉली-प्रोपीलीन की बोरियां और थैलियां	अक्तूबर, 1997 में 36% तक का निश्चित शुल्क लगाया गया था
5.	अविरंजित सूती फेब्रिक	दिसम्बर, 1996 और अप्रैल, 1998 में अनन्तिम शुल्क लगाया गया था। दोनों अवसरों पर यूरोपीय आयोग के निश्चित शुल्क लगाने के प्रस्तावों को यूरोपीय परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
6.	सिंथेटिक फाइबर की रस्सियां	53% से 82% के बीच निश्चित शुल्क लगाया गया है।
7.	कॉटन टाइप बेड लिनेन	दिसम्बर, 1997 में 2.6% से 24.7% के बीच निश्चित शुल्क लगाया गया था।
8.	स्टेनलेस स्टील की रस्सी	फरवरी, 1998 में 11.2% से 54% के बीच निश्चित शुल्क लगाया गया था।
9.	पोटाशियम परमैंगनेट	जुलाई, 1998 में 5.6% निश्चित शुल्क लगाया गया था।
10.	स्टेनलेस स्टील की चमकीली छड़ें	मई, 1998 में 10.9% से 17.7% के बीच अनन्तिम शुल्क लगाया गया था। यूरोपीय आयोग ने नवम्बर, 1998 में निश्चयात्मक शुल्क न लगाने का निर्णय लिया।

(ग) भारतीय उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय निर्यात उन वस्तुओं के मामले में प्रभावित होगा जो यूरोपीय संघ को निर्यात होता है। तथापि, इस समय ऐसे उपायों का सही-सही प्रभाव पता लगाना कठिन होगा क्योंकि विभिन्न दूसरे कारक भी निर्यात की मात्रा निर्धारण करते हैं।

(घ) पाटनरोधी मामलों का बचाव करना मूलरूप से लक्षित भारतीय कंपनियों की जिम्मेवारी है। तथापि, भारत सरकार घरेलू उद्योग को विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों के जरिए और विभिन्न यूरोपीय देशों में अपने दूतावासों के ज़रिए भी आयोग में उनके केस लड़ने में सभी संभव मदद दे रही है।

आर्थिक प्रतिबंध

***290. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
डा. रवि मल्लू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान और जर्मनी ने परमाणु परीक्षणों के बाद भारत और पाकिस्तान पर लगे आर्थिक प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो जापान और जर्मनी से 1998-99 के दौरान कुल कितना ऋण/सहायता मांगी गई थी और कितनी मिलने की आशा है तथा उस राशि से कौन-कौन सी योजनाओं और परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। तथापि, जापान ने हाल ही में पाकिस्तान का विरोध न करने का निर्णय लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऐसे ऋण हेतु वार्ता कर रहा था जिसमें ए.डी.बी. और आई.बी.आर.डी. वित्त साधनों के घटक थे। 16-18 नवम्बर, 1998 के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री के जापान के दौरे पर, जापान के विदेशी मंत्री ने कहा था, "यदि पाकिस्तान विस्तृत परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करता है और उसका अनुसमर्थन करता है तथा परमाणु अस्त्रों के निर्यातों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाता है," तो जापान अपनी द्विपक्षीय सहायता का कुछ हिस्सा जारी रखने पर विचार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अभी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बहाल करना बाकी है और पाकिस्तान ने अभी विस्तृत परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

जर्मनी ने परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तथापि, उन्होंने द्विपक्षीय सहायता-वार्ताएं रद्द कर दीं थी जो मई, 1998 में आयोजित की जानी थीं।

(ख) जहां तक जापान का संबंध है, मई, 1998 में जापान द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इस वित्तीय वर्ष में किसी नए गैर-मानवीय ओ.ई.सी.एफ. ऋण तथा अनुदान के प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तथापि, चल रही परियोजनाओं के लिए, चालू वित्तीय वर्ष में 31.10.1998 तक 47361.6 मिलियन येन (1462.54 करोड़ रुपए) संवितरित किए जा चुके हैं। देय होने पर चल रही ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिक संवितरणों की संभावना है। सहायता वार्ताएं रद्द किए जाने की स्थिति को देखते हुए जर्मनी से फिलहाल किसी प्रकार की नई वचनबद्धताओं की संभावना नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार

***291. श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को समान सुविधाएं उपलब्ध न करा सकने के कारण 1991 के बाद देश के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में मुख्य रूप से अत्यंत कमी आयी है;

(ख) क्या उपलब्ध कराये गये अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 100 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश वाली इकाइयों में रोजगार के अवसरों में सर्वाधिक कमी आयी है;

(ग) क्या इन इकाइयों में से कुछ में तो 35 प्रतिशत तक रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(घ) क्या डा. के. तनेजा के इम्पैक्ट आफ लिबरेलाइजेशन आन द एम्पलायमेंट इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सैक्टर शीर्षक से किए गए अध्ययन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में लगी समस्त निर्धारित पूंजी अस्त-व्यस्त हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो रोजगार के अवसरों में कमी लाने वाली इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के अधीन संगठित क्षेत्र में रोजगार से संबंधित उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार वर्ष

1991 में 267.33 लाख से बढ़कर वर्ष 1996 में 279.41 लाख पहुंच गया है।

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	संगठित क्षेत्र (रोजगार लाख में)
1991	267.33
1992	270.56
1993	271.76
1994	273.75
[illegible]	279.86
[illegible]	279.41

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय उन इकाइयों के संबंध में जिनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश है, रोजगार के अलग से आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं करता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में नियत पूंजी में वृद्धि हो रही है।

वर्ष	नियत पूंजी (करोड़ रुपए में)
1991-92	151902.40
1992-93	192871.39
1993-94	224413.33
1994-95	277645.12
1995-96	348467.73

[हिन्दी]

रुग्ण सरकारी उपक्रमों को पुनः चालू करने के प्रस्ताव

***292. श्री रामपाल उपाध्याय:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने के प्रस्ताव अब भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण कई समस्याएं पैदा हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को नवीकरण/पुनर्स्थापन योजना तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जाता है। दिनांक 30.9.98 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 64 उपक्रम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 21 मामलों में नवीकरण योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उपक्रमों के संबंध में यह घोषित किया गया है कि वे उपक्रम रुग्ण नहीं रहे, एक उपक्रम की बिक्री की गई है तथा अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों को योजना का प्रारूप परिचालित किया है तथा 14 मामलों में जांच चल रही है। सरकार इन एककों के नवीकरण के लिए विशेष उपाय कर रही है, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं, जो प्रारूप योजना तथा जांच के चरण में है।

(ग) और (घ) नवीकरण योजना को अंतिम रूप देने में संवर्धकों/सह-संवर्धकों, वित्तीय संस्थानों/बैंकों, सरकारी अभिकरणों, कर्मचारियों इत्यादि जैसे अनेक प्राधिकारियों का योगदान होता है, जहां से राहतें तथा रियायतें/त्याग तथा धनराशि के संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को कार्यचालन पूंजी के अभाव, पुराने उत्पाद, उच्च श्रमिक लागत, प्राचीन प्रौद्योगिकी, वेतन/मजूरी की सांविधिक देयताओं के भुगतान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, संबंधित प्राधिकारियों/अभिकरणों द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है, फिर भी आकस्मिक व्यय को पूरा करने तथा साथ ही वेतन व मजूरी के भुगतान के लिए गुणों के आधार पर बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

ऋणों को बट्टे खाते डालने सम्बन्धी समिति

***293. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में समान दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी;

(घ) क्या भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष ने अप्रयोज्य आस्तियों संबंधी मानदण्डों में कोई छूट दिए जाने से मना किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते डालने/समझौता करने संबंधी मार्गनिर्देश बनाने के लिए एक अनौपचारिक कार्य दल का गठन किया है। इस दल के विचारार्थ विषय हैं निम्नलिखित की जांच करना और उन पर अपने सुझाव देना:–

1. अनन्तिम बट्टे खाते के लिए मानदंड
2. अन्तिम बट्टे खाते के लिए मानदंड
3. समझौता वार्ता द्वारा तथा मामलों के लिए मानदंड; और
4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समझौता करने में ऋण वसूली प्राधिकरणों का कोई स्वनिर्णय नहीं होता, ऋण समझौता अधिकरण की स्थापना करना। आशा है कि यह दल अगले तीन-चार महीनों के भीतर अपना कार्य पूरा कर लेगा।

(घ) और (ङ) आस्तियों के वर्गीकरण संबंधी मानदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम रूप देता है, न कि भारतीय बैंक संघ।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

***294. श्री चन्द्रशेखर साहू :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों से संबंधित चालू निवेश नीति के अनुसार, अनिवासी भारतीय निम्नलिखित अनुमोदन/सूचना प्रक्रिया तंत्रों के अधीन, प्रत्यावर्तन आधार पर अनुमोदित क्षेत्रों की गतिविधियों में लगी सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों कंपनियों में निवेश कर सकते हैं:–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रक्रिया तंत्र के अधीन, 1991 के औद्योगिक नति विवरण (यथा संशोधन) के अनुबंध-III में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी (सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों) कंपनियों में 100% तक;

(2) भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रक्रिया तंत्र के अधीन गैर-अनुबंध-III विनिर्माणकारी गतिविधियों में लगी असूचीबद्ध कंपनियों में 51% तक;

(3) सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एफ.आई.पी.बी. अनुमोदन तंत्र के माध्यम से गैर-अनुबंध-III उद्योगों में और एफ.आई.पी.बी. अनुमोदन तंत्र के माध्यम से प्रत्येक मामले के आधार पर असूचीबद्ध कंपनियों में 51% से अधिक निवेश।

(4) अनिवासी भारतीय निवेश के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों अथवा निर्यात-संसाधन क्षेत्र में यूनिट की स्थापना, आवास और स्थावर संपदा विकास क्षेत्र, हवाई टैक्सी प्रचालनों, अस्पताल और नैदानिक केन्द्रों, आदि जैसे क्षेत्रों में सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों कंपनियों में ही अनुमति दी गई है;

(5) उपर्युक्त के साथ-साथ जहां विनिर्दिष्ट विदेशी निवेश सीमाएं लागू हैं वहां प्रत्येक मामले के आधार पर एफ.आई.पी.बी. अनुमोदन के अधीन अनिवासी भारतीय दूरसंचार, बैंकिंग आदि जैसे क्षेत्रों में लगी सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों कंपनियों में भी निवेश कर सकेंगे।

यह उपाय समय-समय पर घोषित विनिर्दिष्ट क्षेत्रकीय नीतियों के अनुसार लागू किए गए हैं।

के विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं ३५.६०

***295. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हथकरघा उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा इनके लिए किए गए वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में मिली उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हथकरघों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा इनमें कितना उत्पादन हुआ;

(ग) हथकरघा बुनकरों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही/किए जाने का विचार है;

(घ) कार्यरत हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और इनके औसत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई वस्त्र नीति के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के कार्य निष्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) हथकरघा उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय प्रावधानों के आंकड़े संलग्न विवरण-I में दर्शाये गये हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के साथ-साथ हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ केन्द्र क्षेत्र स्कीमें हैं जो नीचे दर्शायी गई हैं:-

1. हथकरघा एक्सपो, जिला स्तर के मेले, हाट आदि।
2. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. द्वारा विपणन कम्पलैक्सों का विकास।
3. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम।

8वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई राशि के आंकड़े संलग्न विवरण-II पर दर्शाये गये हैं। विभिन्न राज्यों में कार्यरत हथकरघों की संख्या तथा उनका उत्पादन केन्द्र सरकार द्वारा नियमित आधार पर मॉनीटर नहीं किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्यरत करघों की संख्या तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादित हथकरघा कपड़ा संलग्न विवरण-III में दी गई है।

हथकरघा बुनकरों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता हैं तथा मुख्यत: उचित कीमत पर गुणता कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद विकास, विपणन तथा साख की सुविधा आदि से संबंधित होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित विकास कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं:-

1. प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम।
2. हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई।
3. कार्यशाला-सह-आवास।
4. निर्यात योग्य उत्पादों का विकास।

5. हथकरघा आरक्षण अधिनियम।

6. मिल गेट कीमत स्कीम।

7. हैंक यार्न बाध्यता।

8. विपणन विकास सहायता।

9. कल्याण स्कीम।

संलग्न विवरण-IV में दिये गये विवरण के अनुसार, विभिन्न राज्यों में उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों में कार्यरत लगभग 23115 सहकारी समितियां थी। यद्यपि, केन्द्र सरकार द्वारा कही भी कार्यरत समितियां के कार्य को मॉनीटर नहीं किया जाता है न ही प्रत्येक राज्य में सहकारी समितियों के उत्पादन के आंकड़े रखे जाते हैं।

सरकार ने वस्त्र नीति में आवश्यक संशोधनों के सुझावों हेतु विशेषज्ञ समूह स्थापित किया है जहां हथकरघा क्षेत्र के निष्पादन तथा उनकी मुख्य समस्याओं का समाधान होगा।

विवरण-I

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के साथ वित्तीय प्रावधानों का विवरण

1. प्रोजैक्ट पैकज स्कीम :- हथकरघा बुनकरों को एकीकृत और समन्वित तरीके से अपेक्षित साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह स्कीम वर्ष 1991-92 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण (अनुदान एवं ऋण घटक) दोनों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार/कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बराबर हिस्सा दिए जाने के आधार पर है। 8वीं योजना के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 8,215 लाख रु. के प्रावधान थे।

2. हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई:- यह स्कीम 7.5 लाख करघों और 30 लाख बुनकरों को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने हेतु वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई थी जिससे हथकरघा सहकारिता से विभिन्न स्कीमों से लाभ प्राप्त किया जा सके। उत्कर्ष रंगाई इकाईयों के अंतर्गत ग्राम स्तर पर हथकरघा क्षेत्र की रंगाई प्रक्रिया में सुधार की दृष्टि से माईक्रो यार्न रंगाई इकाईयां स्थापित की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 9,345 लाख रुपये का वत्तीय प्रावधान किाय गया था।

3. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम:- यह स्कीम बुनकरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवास तथा एक उपयुक्त कार्यशाला मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण कार्यशाला के लिए 7000 रु. तथा शहरी कार्यशाला के लिए 10,000 रु. की सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण कार्यशाला-सह-आवास के लिए 18,000 रु. तथा शहरी के लिए 20,000 रु. की सहायता दी जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4844 लाख रु. का बजट प्रावधान था।

4. निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम:- देश में हथकरघा कपड़े, तैयार माल तथा उन्हें हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यात योग्य उत्पादों के विकास के लिए यह स्कीम 1995-96 में आरंभ की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के लिए 750 लाख रु. का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

5. बाजार विकास सहायता:- हथकरघा क्षेत्र में रोजगार तथा लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने तथा बिक्री में छूट की सहायता से आवधिक भंडारण को एकत्रित होने से बचाने के उद्देश्य से बाजार विकास सहायता स्कीम आरम्भ की गई थी। 20% सीमा तक छूट केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 28,124 लाख रु. का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

6. समूह बीमा स्कीम:- समूह बीमा स्कीम बुनकरों के अपने परिवार के प्रति सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा वृद्धावस्था में कार्यकारी क्षमता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए आरम्भ की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 677.40 लाख रु. का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

विवरण-II

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत की गई उपलब्धियां

(आंकड़े लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रोजैक्ट पैकेज स्कीम	हथ.वि. केन्द्र	विपणन विकास	हथ. निर्यात	कार्यशाला-सह-आवास	समूह बीमा स्कीम	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरूणाचल प्रदेश	87.00	–	–	–	–	–	87.00
2.	आंध्र प्रदेश	1259.28	1550.53	3255.72	–	941.71	71.61	7078.85
3.	असम	1415.78	673.73	513.25	17.50	332.00	–	2952.26
4.	बिहार	133.84	192.89	178.73	–	269.00	5.28	779.74
5.	गुजरात	116.77	28.82	524.59	–	–	4.13	674.31
6.	हरियाणा	78.26	4.00	285.21	14.00	–	–	381.47
7.	हिमाचल प्रदेश	198.97	82.54	167.16	–	119.41	–	568.08
8.	जम्मू व कश्मीर	80.30	9.12	473.22	2.59	26.59	10.00	601.82
9.	कर्नाटक	232.19	141.40	1072.41	–	501.06	30.00	1977.06
10.	केरल	688.00	493.35	1757.56	6.50	294.44	–	3239.85
11.	मध्य प्रदेश	247.59	133.94	434.40	7.00	170.79	1.80	995.52
12.	महाराष्ट्र	212.81	85.87	680.11	–	60.08	–	1038.87
13.	मणिपुर	234.67	853.27	34.28	–	155.60	0.72	1278.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मिजोरम	16.00	–	–	–	14.00	–	30.00
15.	नागालैंड	514.79	247.91	–	–	164.78	–	927.48
16.	उड़ीसा	711.66	694.85	1878.61	–	255.64	38.80	3579.56
17.	पांडिचेरी	–	18.50	116.30	–	–	–	134.80
18.	पंजाब	63.52	–	104.55	–	–	–	168.07
19.	राजस्थान	429.16	5.28	331.33	–	71.76	–	837.53
20.	तमिलनाडू	539.33	1493.99	9230.11	–	541.50	137.87	11942.80
21.	त्रिपुरा	325.10	68.26	87.20	17.50	96.50	–	594.56
22.	उत्तर प्रदेश	437.55	649.85	2148.80	10.00	574.50	32.00	3852.70
23.	प. बंगाल	116.74	663.78	1728.72	–	153.97	7.06	2670.27
24.	दिल्ली	–	–	323.46	–	–	–	323.46
25.	मेघालय	6.37	–	0.46	–	2.60	–	9.43
26.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–
	योग	8145.68	8091.88	25326.18	75.09	4745.93	339.27	46724.03

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य का नाम	करघों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	213404
2.	अरूणाचल प्रदेश	45060
3	असम	1298731
4.	बिहार	72965
		21165
6.	हरियाणा	17378
7.	हिमाचल प्रदेश	30991
8.	जम्मू व कश्मीर	25253
9.	कर्नाटक	76719
10.	केरल	41904
11.	मध्य प्रदेश	31380
12	महाराष्ट्र	66437
13.	मणिपुर	266915
14.	मेघालय	7783
15.	मिजोरम	94388
16.	नागालैंड	71636
17.	उड़ीसा	92316
18.	पंजाब	11292
19.	राजस्थान	31694
20.	तमिलनाडू	402046
21.	त्रिपुरा	116659
22.	उत्तर प्रदेश	243675
23.	पश्चिम बंगाल	318514
24.	गोवा	41
25.	दिल्ली	8326
26.	पांडिचेरी	4841
	कुल	3611513

गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा कपड़े का कुल उत्पादन

1995-96	7202 मिलियन वर्ग मीटर
1996-97	7457 मिलियन वर्ग मीटर
1997-98	7867 मिलियन वर्ग मीटर

विवरण-IV

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा सहकारी समितियों की संख्या (अनंतिम)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	871
2.	असम	2931
3.	अरूणाचल प्रदेश	–
४.	बिहार	1492
5.	गुजरात	1314
6.	हरियाणा	454
7.	हिमाचल प्रदेश	188
8.	ज़म्मू व कश्मीर	327
9.	कर्नाटक	534
10.	केरल	682
11.	मध्य प्रदेश	828
12.	महाराष्ट्र	828
13.	मेघालय	38
14.	मणिपुर	1057
15.	मिजोरम	172
16.	नागालैंड	200
17.	पंजाब	755
18.	उड़ीसा	838
19.	राजस्थान	636
20.	तमिलनाडू	1521
21.	उत्तर प्रदेश	4817
22.	पश्चिम बंगाल	2001
23.	दिल्ली	437
24.	पांडिचेरी	14
25.	गोवा	3
26.	त्रिपुरा	174
27.	सिक्किम	3
	कुल	23115

[अनुवाद]

कपड़े का उत्पादन

***296. श्री टी.आर. बालू :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक वर्ष में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग संबंधी कोई मानदंड है और एक वर्ष में कपड़े का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़े का उत्पादन मांग से अधिक हुआ अथवा उसमें कोई कमी रही है; और

(ग) कपास के निर्यात/आयात संबंधी सरकार की नीति का

वस्त्र मंत्री (**श्री काशीराम राणा) :** (क) जबकि इस संबंध में कोई मानदंड निर्धारित करना कठिन है फिर भी कपड़े के उत्पादन के साथ-साथ उनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(ख) देश में कपड़े का उत्पादन पर्याप्त माना गया है।

(ग) कपास के निर्यात के संबंध में वस्त्र मंत्रालय अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले तथा बाद में आने वाले सितंबर को समाप्त होने वाले कपास वर्ष के लिए कोटा निर्धारित करता है। मात्रा का निर्णय घरेलू आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, उपजकर्ताओं के हितों तथा अन्य संबद्ध कारकों जैसे कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है। चालू वर्ष के लिए 5 लाख गांठों का कोटा रिलीज किया गया है।

आयात के संबंध में कपास को खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में निवेश

***297. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कोयला क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि इस क्षेत्र में अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा तथा विदेशी सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र में किए गए निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) राजमहल/लालमटिया कोयला परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष में कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्ष 1998-99 में कोयला क्षेत्र हेतु 4052.75 करोड़ रु. का कुल योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है। दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अब तक कुल 30279.48 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

(ख) वर्ष 1998-99 में संघ सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र हेतु बजटीय सहायता के रूप में 331 करोड़ रु. का कुल योजनागत बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बजट के माध्यम से विदेश से प्राप्त ऋण के रूप में 116.10 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई।

(ग) मई, 1989 में लालमटिया भूमिगत खान बंद कर दी गई और मार्च, 1986 में लालमटिया ओपनकास्ट (पायलट खदान) को बंद करके राजमहल ओपनकास्ट परियोजना के साथ मिला दिया गया। राजमहल/लालमटिया खान हेतु अलग से धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथापि विद्यमान खानों के अंतर्गत आवंटित पूंजी में से राजमहल/लालमटिया हेतु सिविल और खनन विकास कार्यों के लिए 2.09 करोड़ रु. की पूंजी आवंटित की गई है।

(घ) वर्ष 1998-99 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 306.50 मिलियन टन है और अक्तूबर, 1998 तक 154.68 मिलियन टन कोयला का कुल उत्पादन हुआ है।

[अनुवाद]

निर्यात वृद्धि

***298. श्री अजय मुखोपाध्याय :**
डा. असीम बाला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मेसर्स मेरिल लिन्च द्वारा किए गए इस आकलन की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत में 1998-99 के दौरान कोई निर्यात वृद्धि नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो इस आकलन के क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने के लिए इस मामले की समीक्षा की है कि भारत के रुपए के मूल्य में भारी गिरावट होने के बावजूद निर्यात में कोई वृद्धि क्यों नहीं हुई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले गए?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार अनुमान के लिए बताए गए कारणों में शामिल हैं- विश्व में आम मंदी होना और विशेषकर पश्चिमी अर्थव्यवस्था में गिरावट आना और चीनी मुद्रा का सम्भावित अवमूल्यन।

(ग) और (घ) जी, हां। जिन कारणों से निर्यात पर प्रभाव पड़ा, वे हैं- विश्व व्यापार में आम मंदी होना, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों और जापान में मंदी होना, कृषि वस्तुओं जैसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति कठिनाइयां होना, यूरोपीय संघ के बाजारों में रुकावट होना।

रुपए की कीमत में गिरावट अक्तूबर, 1997 की तुलना में अक्तूबर, 1998 में केवल 14.4% रही है।

अर्थव्यवस्था में मंदी

***299. श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी मंदी के कारणों का पता किया गया है और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) कृषि के वृद्धित मूल्य में 5.1 प्रतिशत की कमी होने तथा उद्योगों के वृद्धित मूल्य में 5.5 प्रतिशत की धीमी वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक संवृद्धि दर वर्ष 1996-97 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान 7.5 प्रतिशत के वार्षिक औसत से कम होकर 1997-98 में 5.1 प्रतिशत हो गई। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार, जैसाकि वर्ष 1998-99 के लिए उनकी अक्तूबर-अन्त की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि संवीक्षा में उल्लिखित है, वर्तमान चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक संवृद्धि दर 6 प्रतिशत के अन्दर होने की आशा है।

सरकार ने केन्द्रीय बजट के माध्यम से और इसके बाद कृषि क्षेत्र को पुनः तरक्की के रास्ते पर ले जाने, प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रकों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने, उद्योग, विशेषकर लघु उद्योगों को पुनः शक्ति प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक उपाय शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. को विश्व बैंक का ऋण

***300. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लि. को विश्व बैंक से मिले ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋणों की वापस अदायगी कब तक की जाएगी और इन ऋणों पर किस दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा;

(ग) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत और स्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋणों की शर्तें क्या हैं; और

(घ) पिछली तीन योजनावधियों के दौरान सरकार द्वारा भूमिगत खानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के लिए कोल इंडिया लि. ने अपनी 24 कोयला परियोजनाओं के लिए 1697.60 मिलियन अमरीकी डालर की कुल पूंजीगत लागत में से आई.बी.आर.डी. (विश्व बैंक) से 530 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किया है और जापान के आयात और निर्यात बैंक (जैक्सिम) बैंक से निवेश हेतु उतनी ही राशि प्राप्त की है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) दिनांक 17.6.1998 से लागू आई.बी.आर.डी. से प्राप्त ऋण की संवितरण अवधि 5 वर्ष है और इसके भुगतान किए जाने की अवधि वर्ष 2003 से शुरू होकर 15 वर्ष है। आई.बी.आर.डी. ऋण हेतु ब्याज की दर, एल.आई.बी.ओ.आर. आधारित दर के साथ कुल एल.आई.बी.ओ.आर. विस्तार के बराबर होगा और इसे ऋण की समग्र अवधि के दौरान अर्द्धवार्षिक रूप से पुनर्निधारित किया जाता है।

(ग) सी.एस.आर.पी. ऋण हेतु लागू मुख्य कारक निम्न हैं जिनका अनुपालन कोल इंडिया लि. द्वारा किया जाना है:-

(1) ऋण करार की अनुसूची 9 में निर्धारित शर्तें।

(2) अपनी और अनुषंगी कंपनियों के बीच सभी वित्तीय कारोबारों का निष्पादन करना और लिखित अनुबंधों के आधार पर अपने बीच हो रहे सभी वित्तीय कारोबारों अनुषंगी कंपनियों द्वारा निष्पादन करवाना।

(3) वित्तीय वर्ष 1998 से वर्ष 2000 की अवधि के दौरान 70% से कम कुल पूंजीगत (ऋण सहित निवल इक्विटी) अनुपात का ऋण, भा.को.को.लि. और ई.को.लि. से बनवाए रखना और वित्तीय वर्ष 2000 के बाद इसे 60% से अधिक न रहने देना।

(4) 60% से कम कुल पूंजीगत अनुपात का ऋण बनाए रखना और भा.को.को.लि. और ई.को.लि. से भिन्न प्रत्येक अनुषंगी कंपनी से उक्त स्तर बनवाए रखना।

(5) वित्तीय वर्ष 2001 से भा.को.को.लि. और ई.को.लि. से कम से कम 1.3 की ऋण सेवा अनुपात बनवाए रखना।

(6) भा.को.को.लि., ई.को.लि. और केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. से भिन्न प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के द्वारा कम से कम 1.3 की ऋण सेवा अनुपात बनवाए रखना।

(घ) पिछली तीन योजना अवधि के दौरान 191 भूमिगत पुनर्गठन और नई परियोजनाओं, जिसमें से प्रत्येक की लागत 2 करोड़ रु. से अधिक है, का क्रियान्वयन किया गया है अथवा यह क्रियान्वयनाधीन हैं। यह परियोजनाएं कोल इंडिया लि. की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत आती हैं जिनसे 72 मिलियन टन की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता उत्पन्न हो सकेगी।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आई.बी.आर.डी. और जैक्सिम अनुमानित घटक (अमरीकी मिलियन डालर)
1	2	3
	से.को.लि.	
1.	पारेज ईस्ट ओ.का.प. (न्यू)	21.00
2.	के.डी. हेसलोंग ओ.का.प. (विस्तार)	26.80
3.	राजरप्पा ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	44.00
	सा.ई.को.लि.	
4.	दीपिका (विस्तार)	84.20
5.	धनपुरी ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	8.80
6.	कुसमुंडा ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	51.80
7.	मानिकपुर ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	14.20
8.	गेवरा ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	43.00
	ना.को.लि.	
9.	निगाही ओ.का.प. (विस्तार)	276.60
10.	दुधीचुआ ओ.का.प. (विस्तार)	167.40
11.	जयंत ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	63.80
12.	झिंगुर्दा ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	26.80
13.	बीमा ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	13.80

1	2	3
	म.को.लि.	
14.	लखनपुर ओ.का.प. (न्यू)	12.40
15.	समलेश्वरी ओ.का.प. (न्यू)	16.20
16.	अनंता ओ.का.प. (विस्तार)	17.40
17.	भरतपुर ओ.का.प. (विस्तार)	23.60
18.	बेलपहाड़ ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	9.40
19.	जगन्नाथ ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	14.80
	वे.को.लि.	
20.	नीलजय ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	19.00
21.	सस्ती ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	13.20
22.	उमरेर ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	15.40
23.	दुर्गापुर ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	25.20
24.	पदमपुर ओ.का.प. (प्रतिस्थापना)	14.80
	को.इं.लि. कारपोरेट (सभी उप-परियोजनाओं के लिए समान निवेश)	36.60
	जोड़	1060.00

[अनुवाद]

इस्पात ऊर्जा लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस

3173. श्री सुनील खां :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के उल्लंघन के लिए इस्पात ऊर्जा लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात ऊर्जा लिमिटेड की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 15.1.1997 को कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि., सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि. और इस्पात ऊर्जा लि. को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे कहा कि अधिसूचना सं. एस.ओ. 151 (ई) दिनांक 27.3.1996 वापस क्यों न ले ली जाए। उपर्युक्त राजपत्रित अधिसूचना के तहत केन्द्रीय सरकार ने तापीय विद्युत उत्पादन हेतु सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि. को मुख्य आधार पर अंतिम उपयोग हेतु कोयले की आपूर्ति के लिए सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि. को विनिर्दिष्ट किया है। बशर्ते कि मै. इस्पात ऊर्जा लि., सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि. और सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि. के कम से कम 26% वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी अपने पास रखे। दिसम्बर, 1996 में सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि. ने कोयला मंत्रालय को सूचित किया कि इस्पात ऊर्जा लि. मारीशस में एक रजिस्टर्ड करनी है न कि भारत में। कारण बताओ नोटिस में यह दर्शाया गया था कि मेसर्स सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि. की यह कार्रवाई अधिसूचना का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपने उत्तर में मेसर्स इस्पात ऊर्जा लि. ने बताया कि अधिसूचना का किसी भी तरह उल्लंघन नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं होगी।

चिल्का झील 58-59

3174. श्री गिरिधर गमांग : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने उड़ीसा के चिल्का झील की विशिष्ट समस्याओं को समझ लिया था तथा इसके चहुंमुखी विकास की सिफारिश की थी तथा इसके लिए धनराशि भी प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य समस्याएं क्या-क्या हैं तथा सरकार द्वारा अब तक किन-किन योजनाओं तथा कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक वर्षवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है तथा इस संबंध में वित्त आयोग की क्या-क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) अब तक योजना तथा कार्यक्रमवार सरकार द्वारा कितनी प्रगति की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी हां, दसवें वित्त आयोग ने उड़ीसा सरकार को इस उद्देश्य के लिए 27 करोड़ रुपए दिए जाने की सिफारिश की है।

...स्याएं क्षेत्र संकुचन, गाद जमा होने; प्रदूषण ...दत होने की हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजनाएं जमा गाद को नियंत्रित करने, जल विनिमय और लवणता अनुपात, प्रवासी पक्षियों के लिए नालाबन द्वीप का पर्यावरण बहाल करने, सड़क तंत्र का सुधार, मत्स्य उद्योग का विकास और घास की बाढ़ को नियंत्रित करने की है। इन कार्य योजनाओं की लागत के लिए कुल 27 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई थी।

(ग) और (घ) दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान वास्तविक उपयोगिता के आधार पर प्राय: किस्तों में जारी किया जाता है। दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत कुल 27 करोड़ रुपए की धनराशि में से अब तक निम्नांकित धनराशि जारी की जा चुकी है।

(लाख रुपए में)

साल	जारी की गई राशि
1996-97	405.00
1997-98	641.25
1998-99	100.00
कुल	1146.25

राज्य सरकार ने 30.9.98 तक 597.744 लाख रुपए खर्च किए जाने की रिपोर्ट दी है।

मालाबार पर्यटन सर्किट

60

3175. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने मालाबार पर्यटन सर्किट स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य योजनाएं भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने "मंगलौर-बेकल-कुन्नूर-कालिकट-व्यानाड-ऊटी-मैसूर" नाम के नए यात्रा परिपथ के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि नए परिपथों को अभिनिर्धारित करने के बजाए "कोचीन-थेकड्डी-मदुरै-रामेश्वरम" नाम का जो वर्तमान परिपथ है उसका पूर्णरूपेण विकास करने के प्रयास किए जाएं। बेकल समुद्रतट को एक गंतव्य स्थल के रूप में अलग से अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केरल में 467.00 लाख रुपए की 14 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है जिनमें व्यानाड जिले में तिरूनेल्ली में एक यात्री निवास का निर्माण और मालाबार में हाऊस बोटों की खरीद हेतु पचास-पचास लाख रुपए राशि की दो परियोजनाएं शामिल हैं।

गुजरात की निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा शुल्क-अपवंचन

60-61

3176. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
डा. रवि मल्लू :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुल्क अपवंचन-रोधी महानिदेशक ने हाल में गुजरात तथा महाराष्ट्र में शुल्क अपवंचन करने वाली अनेक निर्यातोन्मुखी इकाइयों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में शुल्क अपवंचन करने वाली निर्यातोन्मुखी इकाइयों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने के लिए शुल्क अपवंचन-रोधी तंत्र को और मजबूती प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) इस आसूचना पर कार्रवाई करते हुए कि कतिपय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां पॉलियम्टर फिलामेंट के धागों का धोखे से अपवर्तन करके शुल्कों का अपवंचन कर रही थीं, अपवंचन महानिदेशालय द्वारा जुलाई, 1998 में पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा महाराष्ट्र स्थित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की तलाशी ली गई थी। 32 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां, जिन्होंने केवल कागज पर ही वस्तुओं को प्राप्त किया था, उनकी जांच की जा रही है। अब तक इस मामले में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि इसमें 75 करोड़ रुपये के शुल्क का अपवंचन हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने अपवंचन महानिदेशालय को सशक्त बनाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। निदेशालय के बड़ोदरा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का स्तर बढ़ा दिया गया है तथा वहां एक उप निदेशक की नियुक्ति की गई है। मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उप-निदेशक के एक अतिरिक्त पद का सृजन किया गया है। नए पदाधिकारियों ने कार्यभार संभाल लिया है। आयुक्तालयों के कुछ कर्मचारियों को महानिदेशालय कार्यालय में भेजने के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के परिवार के सदस्यों को लाभ

61-62

3177. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मृत अधिकारियों के परिवार को उनके पास कम्पनी के आवास होने की स्थिति में तत्काल पेंशन लाभ तथा अन्य बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों में सरकारी विभागों की तरह ही आश्रितों को तत्काल पेंशन लाभ तथा अन्य बकाया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा वर्ष 1995 में जारी प्रशासनिक अनुदेशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को उस समय तक मृत कर्मचारी के पेंशन सम्बन्धी लाभों को रोक लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है जब तक कि उसका परिवार निगम/सहायक कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया गया स्टाफ क्वार्टर खाली न कर दे।

(ग) और (घ) ज्यों ही मृत कर्मचारी का परिवार सम्बद्ध कम्पनी का स्टाफ क्वार्टर खाली कर देता है, त्यों ही उसे पेंशन संबंधी लाभ जारी कर दिए जाते हैं।

छिपाकर रखे सोने को निकालना

62

3178. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गहरे छिपाकर रखे गये सोने को बाहर निकालने के लिए किसी आम-माफी योजना की घोषणा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धोखाधड़ी के मामले में लिप्त अधिकारियों को ईनाम का औचित्य

62-63

3179. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुछ अधिकारी जो धोखाधड़ी के मामले में लिप्त थे उनको एक और ईनाम के तौर पर नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वयं केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जिन अधिकारियों के विरुद्ध भारी दण्ड लगाया हो उन अधिकारियों को ऐसे पद/तैनाती देने के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी प्रशासनिक कारणों की वजह से नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. के बोर्ड स्तर के एक अधिकारी को नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के मामलों की देख भाल करने के लिए गोहाटी में तैनात किया गया है।

(ग) एक सलाहकार निकाय होने के नाते केन्द्रीय सतर्कता
या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी
नहीं लगाता। फिर भी संदिग्ध सत्यनिष्ठा
महत्वपूर्ण, नाजुक पदों पर तैनात न करने के संबंध में दिशा निर्देश विद्यमान हैं।

(घ) स्थानांतरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार निर्धारित नियमों का अनुपालन करती है। इसलिए ऐसा करते समय पारदर्शी दिशा निर्देशों के साथ-साथ प्रशासनिक आधारों/कारणों पर भी विचार करती है।

[हिन्दी]

'नाबार्ड' में पदोन्नति

13-64

3180. श्री सुरेश चंदेल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नाबार्ड' क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को पदोन्नति देने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का हकदार है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 19.9.98 के इसके परिपत्र के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पदोन्नतियों के बारे में दिनांक 29.7.98 की केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक कर्मचारियों को पदोन्नति कब तक दे दी जाएगी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार उनकी सेवा शर्तों में सुधार कब तक कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 29.7.98 के राजपत्र में अधिसूचना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वापस नहीं लिया है और दिनांक 19.9.98 के उनके परिपत्र के तहत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को परिचालित किए गए थे। नाबार्ड ने उक्त परिपत्र में भी यह कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निदेशक मंडलों को भी राजपत्र में अधिसूचना के सारांश के साथ नई भर्ती और पदोन्नति पर विद्यमान प्रतिबंधों से अवगत कराया जाए।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की पदोन्नति सहित सेवा शर्तें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति) नियमावली, 1998 के साथ पठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा नियंत्रित होती है तथा संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

पंजाब के लिए विशेष मियादी ऋण

3181. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में दिए गए विशेष तिमाही ऋण के पुनर्भुगतान के भार से कोई विशिष्ट धनराशि की राहत दिए जाने के संबंध में घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो घोषित राहत तथा राज्य में इसके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) पूर्व प्रधानमंत्री ने जब पंजाब राज्य को आतंकवाद के संदर्भ में स्वीकृत विशेष आवधिक ऋणों के पुनर्भुगतान के भार से राहत देने की घोषणा की थी तो उसमें किसी धनराशि विशेष का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर माफ की गई धनराशि और सरकार द्वारा बाद में लिए गए

निर्णयों के अनुसार माफ की गई अतिरिक्त धनराशियों का विवरण निम्नवत हैं:–

(करोड़ रुपयों में)

साल	माफ की गई राशि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (मूलधन)	भारत सरकार के निर्णय के अनुसार (मूलधन और ब्याज)	कुल
1995-96	88.07	803.23	891.30
1996-97	88.07	–	88.07
1997-98	88.07	584.16	872.23
1998-99	110.29	771.15	881.44
1999-2000	120.72	759.35	880.07

सेवा निवृत्ति की आयु

3182. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री पी. शंकरन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाये जाने के कारण 1998-99 के दौरान सरकारी खर्च की कितनी बचत हुई;

(ख) केन्द्र सरकार के कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि पर किया जाता है;

(ग) क्या इसका प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष तक कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाए जाने के कारण बकाया रिक्त पदों को भरने तथा बेरोजगार युवकों की मांग पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 में पेंशन व्यय में लगभग 4300 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रक्षा सेवा कार्मिकों को छोड़कर) के वेतन एवं भत्तों पर हुआ कुल अनुमानित व्यय संघीय सरकार के कुल व्यय बजट का 10.3% था। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का संबंध है, उनके वेतनों तथा भत्तों पर किया जाने वाला व्यय संघीय सरकार के बजट से सम्बद्ध नहीं है।

(ग) और (घ) संपूर्ण संघीय बजट के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय में वर्ष दर वर्ष कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह वर्ष 1995-96 में 10.2% और वर्ष 1996-97 में 9.5% था, जो इन दो वर्षों के लिए वास्तविक व्यय पर आधारित थी और वर्ष 1997-98 में उस वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में 10.3% था।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु घटाकर 60 वर्ष से 58 वर्ष तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का रोजगार के अवसरों से एक के बदले में एक का कोई संबंध नहीं है। केन्द्रीय सरकार में नए सृजित पदों की भर्ती या जो पद रिक्त हैं, को भी परिणामत: समाप्त नहीं किया गया है। यह भी अनुमान है कि दूरसंचार और विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों के खुलने के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि ही होगी।

[हिन्दी]

द्विपक्षीय समझौते को लागू करना

3183. श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चंदेल :
श्री रामानंद सिंह :
श्री जयसिंह राव गायकवाड़ :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौथे और पांचवें द्विपक्षीय समझौते की सिफारिश को अन्य राष्ट्रीय बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकिंग उद्योग द्वारा 14 दिसम्बर, 1995 को किये गये छठे द्विपक्षीय समझौते को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक लागू कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) इक्वेंशन कमेटी के साथ पठित राष्ट्रीय औद्योगिक प्राधिकरण (एन.आई.टी.) के पंचाट के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने (1) दिनांक 22.2.1991 के पत्र सं. एफ-II-3/90 आर.आर.बी. के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को क्रमशः दिनांक 1.9.87 तथा 1.11.87 से उसी प्रकार के वेतन/भत्ते दिए हैं जैसा कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों/प्रायोजक बैंकों को चौथे तथा पांचवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 17(1) द्वारा शासित होते हैं जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार को करना होता है।

(घ) मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी

3184. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक की मुम्बई स्थित शाखा में 1.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धोखाधड़ी में कितने व्यक्ति संलिप्त हैं और इस राशि को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस धोखाधड़ी में कुछ कम्पनियां लिप्त पायी गयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उनके रिकार्डों के अनुसार मुम्बई में बैंक की किसी भी शाखा में 1.5 करोड़ रुपए की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

3185. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातकों ने परंपरागत जापानी बाजार के अलावा अन्य बाजारों का पता लगाना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातकों ने अमरीका तथा कनाडा के बाजारों का पता लगाया है;

(ग) क्या भारत को चीन तथा थाईलैंड का बाजार भी मिला है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक इसने समुद्री खाद्य पदार्थ अमेरिका, कनाडा, चीन तथा थाईलैंड को निर्यात किया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) अप्रैल 1998 से अक्तूबर, 1998 तक चालू वर्ष में भारत ने जापान को विशाखापत्तनम बंदरगाह के जरिए पूर्ववर्ती वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में 379.54 करोड़ रुपये मूल्य के 9052 मी. टन के निर्यात की तुलना में 518.72 करोड़ रुपये मूल्य के 10153 मी. टन मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया था जिसका मुख्य स्रोत आन्ध्र प्रदेश था। इससे मात्रा और मूल्य के रूप में क्रमशः 12.76% और 36.67% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। समुद्री खाद्यों के भारतीय निर्यातों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) भी प्रमुख परम्परागत बाजारों में से एक बाजार बन गया है। वर्ष 1997-98 में भारत ने पूर्ववर्ती वर्ष 1996-97 में हुए 436.05 करोड़ रुपये मूल्य के 29792 मी. टन के निर्यात की तुलना में यू.एस.ए. को 583.75 करोड़ रुपये मूल्य के 32914 मी. टन मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया जिसमें मात्रा और मूल्य के रूप में क्रमशः 10.48% और 33.87% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। वर्ष 1997-98 में भारत ने कनाडा को 1996-97 में 20.20 करोड़ रुपये मूल्य के 1978 टन के निर्यात की तुलना में 21.06 करोड़ रुपए मूल्य के 1930 मी. टन का निर्यात किया, जिसमें मात्रा के रूप में 2.4% की गिरावट प्रदर्शित होती है किन्तु, मूल्य के रूप में 4.26 की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ग) और (घ) हाल के वर्षों में भारत से मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के निर्यातों के लिए चीन एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है। भारत थाईलैण्ड को भी निर्यात करता आ रहा है किन्तु, थाईलैण्ड को निर्यातों की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (अप्रैल-अक्तूबर) 1998 की अवधि में यू एस ए, कनाडा, चीन और थाईलैंड को मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के किए गए निर्यातों के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

मा. = मात्रा मी. टन में
मू. = करोड़ रुपये में

देश		1996-97	1997-98	अन्तर %	1997 (अप्रैल-अक्तूबर)	1998 (अप्रैल-अक्तूबर)	अन्तर %
यूएसए	मा. :	29792	32914	+10.48	15539	17327	+11.51
	मू. :	436.05	583.75	+33.87	293.26	357.94	+22.06
कनाडा	मा. :	1978	1930	-2.4	813	1298	+59.66
	मू. :	20.20	21.06	+4.26	11.28	25.00	+121.63
चीन	मा. :	95390	168844	+126.65	59647	30720	-48.50
	मू. :	306.88	695.55	+89.59	256.64	156.02	-39.21
थाईलैंड	मा. :	10701	9147	-14.52	4719	2952	-37.44
	मू. :	75.85	96.62	+27.38	48.31	66.05	+36.72

जम्मू-कश्मीर में वित्तीय संकट

3186. **प्रो. सैफुद्दीन सोज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के समय में जम्मू-कश्मीर सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए राज्य का अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 1900 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष की ...धिक है। योजना को केन्द्र द्वारा पूर्ण ... अनुदान और 10% ऋण) किया जा रहा है। प्राक्कलित गैर-योजना अंतराल को भी केन्द्र द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा अनुमोदित मानकों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति भी केन्द्र द्वारा की जा रही है।

उद्यान उत्पादों का निर्यात

3187. **श्री के.पी. नायडू :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का उद्यान उत्पादों के निर्यात को गति प्रदान करने के लिए चित्तूर जिले के कुप्पम (आंध्र प्रदेश) में खाद्य प्रसंस्करण एककों के लिए इंडस्ट्रीयल एस्टेट की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितना अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास विशेष बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करने तथा कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है। उपरोक्त योजना के अंतर्गत इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जा सकती है।

सिगरेट क्षेत्र में विदेशी तम्बाकू कंपनियां

3188. **डा. रवि मल्लू :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने सिगरेट क्षेत्र में विदेशी तम्बाकू कम्पनियों के प्रवेश से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अध्ययन किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर दाता

3189. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नए आयकर दाताओं की संख्या कितनी है जो इस वर्ष लागू की गई विभिन्न नई योजनाओं के अंतर्गत विस्तार किए गए आयकर के दायरे में आ गए हैं और प्रत्येक श्रेणी के आयकर दाताओं से कितनी आयकर की राशि एकत्र की गई;

(ख) अनुमान की तुलना में करदाताओं की संख्या तथा एकत्र की गई कर की राशि कितनी-कितनी कम रही; और

(ग) क्या सरकार नई योजनाओं के अंतर्गत उन नए करदाताओं को मामूली अर्थदण्ड के साथ एक मौका और देने पर विचार कर रही है जो निर्धारित समय के अन्दर अपनी आय विवरणियां भरने में असफल रहे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आय की विवरणी उस व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाती है जिसकी कराधेय आय हो। इसके अलावा, फार्म सं. 2-ग में विवरणी दाखिल करने की बाध्यता छः में से कोई एक आर्थिक मानदण्ड पूरा करने के आधार पर उस व्यक्ति पर भी डाली जाती है, यदि वह कराधेय आय होने के बावजूद पहले से ही आय की विवरणी दाखिल नहीं करता है। यह "छः में से एक" स्कीम के नाम से जानी जाती है जो कर निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए अधिसूचित शहरों में लागू है। यह स्कीम संभावित करदाताओं की पहचान करने की दृष्टि से आरम्भ की गयी है। चूंकि आर्थिक मानदण्ड से संबंधित सूचना के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान है, यह उन व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक के रूप में काम करती है जो कराधेय आय होने के बावजूद आय की विवरणी दाखिल नहीं करते हैं। इन व्यक्तियों को आय की विवरणी दाखिल करने और उस पर कर चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए इस स्कीम की सफलता का मूल्यांकन इस स्कीम के अन्तर्गत दायर विवरणी की संख्या के अपेक्षा जोड़े गए नये कर निर्धारितियों की संख्या द्वारा किया जाना है। इसी तरह इस स्कीम के अंतर्गत वसूले गए कर की महता का मूल्यांकन इस तथ्य की पृष्ठभूमि में किए जाने की आवश्यकता है कि आर्थिक मानदण्ड के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति और जिनकी कराधेय आय है, को मुख्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की विवरणी दाखिल करनी होगी।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए उन करादाताओं की संख्या, जिन्होंने फार्म संख्या 2ग में आय की विवरणी दाखिल की है और "छः में से एक" स्कीम के अन्तर्गत उनसे वसूले गए कर की धनराशि के संबंध में विवरण अलग से नहीं रखा जाता है। तथापि, अक्टूबर, 1998 तक 21.02 लाख नये कर-निर्धारिती जोड़े गए हैं जिसमें इस स्कीम के अन्तर्गत दाखिल की गई विवरणियां शामिल हैं।

(ग) फार्म सं. 2ग में विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि 31 अक्तूबर, 1998 तक बढ़ाई गई थी। तथापि, कर निर्धारिती संगत कर निर्धारण वर्ष के अन्त से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किसी समय अथवा कर निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, आय की विवरणी दाखिल कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आय की विवरणी दाखिल करने के लिए उसे 500/- रुपये मात्र का अर्थदण्ड देना होगा।

महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

3190. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान पिछले दो वर्षों की तुलना में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का कार्य-निष्पादन क्या रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा कितनी नई परियोजनाएं शुरू की गई; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले दो वर्षों की तुलना में 1996-97 और 1997-98 की अवधि के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. (म.को.लि.) के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)		लाभ (करोड़ रु. में)
	लक्ष्य	वास्तविक	
1994-95	25.00	27.33	284.37
1995-96	30.75	32.70	336.07
1996-97	36.00	37.37	326.65
1997-98	39.50	42.17	654.11

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान म.को.लि. ने एक परियोजना की शुरूआत की है। इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	अंतिम क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	व्यय (करोड़ रु.) अक्तूबर, 1998 तक	टिप्पणी
चेंदीपाड़ा	19.75	0.35	0.86	उत्पादन अभी शुरू किया जाना है।

तम्बाकू का समर्थन मूल्य

3191. श्री ए. सिदराजू : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में तम्बाकू की खेती पर आने वाली लागत में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादकों को प्रति किलो तम्बाकू पर कितना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है;

(ग) क्या कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों को दिये जा रहे समर्थन मूल्य में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) एफ.सी.वी. तम्बाकू की खेती की लागत में मामूली सी वृद्धि प्रदर्शित हुयी है।

(ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार वर्ष 1998-99 की फसल के लिए तम्बाकू के एल-2 ग्रेड के लिए दिनांक 21.10.98 को घोषित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 25.50 रु. प्रति कि.ग्रा. है।

(ग) और (घ) तम्बाकू के एल-2 और एफ-2 ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य सी.ए.सी.पी. की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार को विदेशी सहायता

3192. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में कुछ विकासोन्मुखी परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार से प्राप्त उन प्रस्तावों के ब्यौरे जो विचाराधीन हैं, निम्न प्रकार हैं:-

(1) 431.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पार्टिसिपेटरी आन-फार्म डिवलपमेंट प्रोजेक्ट।

(2) 84.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डमराम ब्रांच कनाल कमांड एरिया डिवलपमेंट प्रोजेक्ट।

(3) 473.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली चांडिल डैम लेफ्ट बैंक कनाल (रिड्यूस्ड पैकेज) प्रोजेक्ट।

बिहार सरकार से प्राप्त उपर्युक्त सभी प्रस्ताव विश्व बैंक के पास लम्बित पड़े हैं।

फ्रेंच ऋण के लिए "बिहार राज्य विकास निगम द्वारा ग्रेनाइट खनन और प्रसंस्करण" पर एक अन्य प्रस्ताव बिहार सरकार से सीधे ही प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव को प्रशासनिक मंत्रालय के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणों की स्वीकृति

3193. श्री मित्रसेन यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया कि कितनी शाखाओं ने पिछले दो वर्षों में नियमों का उल्लंघन करके सरकार द्वारा जारी ऋण पत्र को गिरवी रखकर फैक्टरियों, कंपनियों और व्यापारियों को गारंटी देकर ऋण स्वीकृत किया, ऐसी शाखाओं का शाखा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋणों की स्वीकृति में अनेकों खामियां पाई गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अधिकारियों से कितनी बार इस संबंध में पूछताछ की; और

(घ) विभाग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समान कार्य, समान वेतन नीति

3194. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित 128 मिलों के 1974 में राष्ट्रीयकरण के समय समान कार्य-समान वेतन की नीति को प्राथमिकता दी गई थी;

(ख) क्या यह नीति अधिकारियों, सुपरवाइज़रों, प्रधान लेखपाल और लिपिकों के मामले में वाच एंड वार्ड, आफिस के चपरासी और कार ड्राइवरों तक सीमित थी;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन या निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए समान कार्य-समान वेतन की नीति के सिद्धांत को लागू करवाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) 103 मिलों को रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1974 द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 14(1) और (2) के अनुसार, 103 उपक्रमों के कामगार एवं अन्य कर्मचारी 1.4.1974 से एन.टी.सी. के कर्मचारी हो गए तथा वे, जब तक उन्हें राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा विधिवत हस्तांतरित नहीं किया गया था, 1.4.1974 के पूर्व उन पर लागू नियोजन की समान शर्तों द्वारा शासित किये गये थे।

इस समय एन.टी.सी. के कर्मचारी मुख्यत: वेतनमान की तीन पद्धतियों अर्थात् औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान, केन्द्रीय महंगाई भत्ता वेतनमान तथा क्षेत्र सह-उद्योग फार्मूला द्वारा शासित किए जाते हैं। एन.टी.सी. मिलों के लिपिकीय स्टाफ, देखभाल करने वाले, चपरासी तथा कार ड्राइवर एन.टी.सी. की सहायक निगमों के कार्यालयों में समान श्रेणी के वेतनमान की समानता के लिए न्यायालय चले गए हैं तथा मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उन लोगों ने इस संबंध में सरकार को भी अभ्यावेदन किया है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र

3195. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, सहकारी संघों के एक शीर्ष निकाय ने जीवन और सामान्य बीमा, दोनों ही क्षेत्रों में प्रवेश करने के अपने इरादे पर प्रकाश डालते हुये सरकार के समक्ष कोई प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि क्या देश में वर्तमान बीमा ढांचा ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से सहकारी समितियों को आवश्यकता के अनुसार तथा प्रभावी सेवायें प्रदान करने में असफल रहा हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) मौजूदा बीमा कानूनों के अन्तर्गत देश में जीवन तथा साधारण बीमा कारोबार पर भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियों का अनन्य विशेषाधिकार है। वर्ष 1998-99 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार की इस मंशा की घोषणा की थी कि अपने नागरिकों को बेहतर बीमा कवच उपलब्ध कराने तथा साथ ही आधारभूत क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु दीर्घकालिक संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव है कि प्राइवेट भारतीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए बीमा क्षेत्र को खोला जाए; बीमा विनियामक प्राधिकरण को एक सांविधिक निकाय में बदला जाए; और बाद में आवश्यक विधान वर्ष में लाया जाए। तद्नुसार, बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक 1998 को दि. 15.12.1998 को लोक सभा में पेश किया गया है। इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय जीवन बीमा निगम; भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियां, जो देश में क्रमश: जीवन तथा साधारण बीमा कारोबार का निष्पादन करती हैं, के अनन्य विशेषाधिकार को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी है मौजूदा बीमा कानूनों के अन्तर्गत, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जा सकता। जब कभी भी इस क्षेत्र को खोला जाएगा तो उनके अनुरोध की जांच उचित समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण आधार पर की जाएगी।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का आधुनिकीकरण

3196. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कुरकुंटा स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कंपनी के लाभ तथा घाटे क्या रहे; और

(घ) घाटे का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) सी.सी.आई. को एस.आई.सी.ए. के प्रावधानों के तहत 25.4.96 को बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित कर दिया गया [illegible] ने पहले से ही कंपनी के लिए 12.6.98 को [illegible] योजना को तैयार करके परिचालित कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुरकुंटा संयंत्र के संबंध में पूंजी व्यय सम्मिलित है। यह बी.आई.एफ.आर. पर निर्भर करता है कि वह इस मामले पर विचार करे।

(ग) विगत तीन वर्षों की कंपनी का लाभ/हानि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि
1995-96	104.75
1996-97	159.41
1997-98 (अनंतिम)	97.54

(घ) घाटे के मुख्य कारणों में - इकाइयों के कारोबार में न तो उच्च स्तर पर लाभ होना और न घाटा होना, निम्न क्षमता उपयोगिता, उच्च ब्याज भार, विभिन्न उत्पादों की लागत में लगातार बढ़ोत्तरी, कार्यशील पूंजी की भारी कमी का होना रहा है।

धनराशि का अन्यत्र उपयोग

3197. श्री जुआल उराम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एम.सी.एल.) के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए कोष में से काफी अधिक धनराशि पुरी जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की सीमा से बाहर है, में सड़क निर्माण और प्रकाश व्यवस्था के लिए मंजूर की गई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी अवैध मंजूरी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कार्यकारी अधिकारी, पुरी नगरपालिका और कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट पुरी के अनुरोध पर को.ई.लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा विशेष सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र को समाहित करते हुए 13 लाख रु. की लागत से पुरी में समुद्र के किनारे रोशनी की व्यवस्था शुरू की गई थी।

(ख) महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा उपर्युक्त विकासात्मक कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शुरू किया गया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

मजदूर संघ के उत्पीड़ित पदाधिकारी

3198. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री 12.6.98 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2450 के उत्तर के संबंध में **यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया नेशनल जनरल इंश्योरेंस एमप्लोइज ऐसोसिएशन में मई, 1998 में प्रबंधन के प्रतिशोधात्मक रवैये के कारण, फर्जी आधार पर भेदभावपूर्ण ढंग से मजदूर संघ के पदाधिकारियों को उच्च संवर्ग में पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रबंधन के भेदभावपूर्ण रवैये एवं मनमानी कार्यवाही को ठीक करने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) "न्यू इंडिया" ने सूचित किया है कि उनके द्वारा की गयी जांच के आधार पर मजदूर संघ के पदाधिकारियों की पदोन्नति में कथित भेदभाव अथवा उत्पीड़न अथवा प्रतिशोध का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

आयकर विवरणियां

3199. श्री नरेश पुगलीया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने नए आर्थिक माप-दण्डों के अन्तर्गत आयकरदाताओं द्वारा आयकर विवरणियां दिये जाने हेतु कई शहरों में एक नई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना और शहरों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के निकट के नगरों, अर्थात् गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव के आयकरदाता इस योजना के दायरे में आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) संभावित करदाताओं का पता लगाने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों के लिए कतिपय आर्थिक मापदण्डों को पूरा करने के आधार पर आयकर विवरणियां दायर करना अनिवार्य किया गया है, यदि वे व्यक्ति पहले से आय की विवरणियां दायर नहीं कर रहे हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आय की विवरणी दायर करने की अपेक्षा का आधार अधिसूचित 12 शहरों में 4 मानदण्डों में से किन्हीं 2 मानदण्डों को पूरा करने का था। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा दो और आर्थिक मानदण्ड जोड़ करके इन उपबन्धों के दायरे को बढ़ाया गया है और छः मानदण्डों में से किसी एक मानदण्ड को पूरा करने के आधार पर आय की विवरणी दायर करना अनिवार्य बना दिया गया है। 23 और शहरों को भी अधिसूचित किया गया है जहां पर ये उपबंध लागू होंगे। यह योजना "छः में से एक योजना" के नाम से जानी जाती है और यह कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए लागू है। छः आर्थिक मापदण्ड इस प्रकार हैं:-

(1) स्वामित्व, काश्तकारी अथवा किसी अन्य रूप में विनिर्दिष्ट तल क्षेत्र की किसी अचल सम्पत्ति पर कब्जा।

(2) किसी मोटर वाहन का स्वामित्व/पट्टा।

(3) दूरभाष का अंशदाता।

(4) विदेशी यात्रा।

(5) क्रेडिट कार्ड धारक, जो एड ऑन कार्ड न हो।

(6) क्लब की सदस्यता, जिसकी प्रविष्टि शुल्क 25,000/- रु. अथवा इससे अधिक हो।

निम्नलिखित शहरों एवं उनकी शहरी बस्ती को अधिसूचित किया गया है, जहां ये उपलब्ध लागू होने चाहिए:-

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, अहमदाबाद, कानपुर, जयपुर, लुधियाना, हैदराबाद, पुणे, चण्डीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, भोपाल, कोयम्बतूर, धनबाद, इन्दौर, जबलपुर, जमशेदपुर, कल्याण, कोचि, कोझीकोड, लखनऊ, मदुरै, मेरठ, नागपुर, पटना, सूरत, थाणे, त्रिवेंद्रम, बडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम।

(ग) और (घ) दिल्ली की शहरी बस्ती में दिल्ली के चारों तरफ सैटेलाइट शहरों में शामिल हैं- गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव।

कर्नाटक में नए एस.टी.सी. केन्द्र की स्थापना

3200. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक, विशेषरूप से धारवाड़, बेलगांव और हावेरी जैसे जिलों में नए एस.टी.सी. (राज्य व्यापार निगम) केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों की समस्याएं

3201. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को वस्तुओं के निर्यात के संबंध में भारी कठिनाइयों/समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) निर्यातकों को पेश आ रही मुख्य दिक्कतें अवसंरचना तथा ऋण संबंधी हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे भूमिबद्ध राज्यों में अवसंरचना संबंधी समस्याएं ज्यादा प्रासंगिक हैं।

(ग) भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों का यह प्रयास ...स्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए विभिन्न ...कार के विभागों के अधिकारियों के साथ आम बैठकें आपन हाउस मीट्स आयोजित करके निर्यात को सुविधाजनक बनाया जाये। राज्य सरकारों के पास निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उनकी अपनी-अपनी नीतियां हैं और वे बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, अवसंरचना संबंधी बाधाएं दूर करने, ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग समूहों के अव्यवस्थित अथवा अपर्याप्त रूप से व्यवस्थित निर्यात संभावना पर अलग-अलग राज्यों में प्रमुख क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना करने हेतु नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते और निर्यातों के लिए संयुक्त उद्यमों हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। भूमि निर्यातों को बढ़ावा देने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, अतः आशा है कि निर्यात-अभिवृद्धि की स्थिति में काफी सुधार होगा।

[अनुवाद]

ब्रिटेन द्वारा भारत में सिगरेट उद्योग की स्थापना

83-84

3202. डा. संजय सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन की रौथमैन कंपनी द्वारा भारत में सिगरेट उद्योग की स्थापना हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की मैसर्स रौथमैन एंड कंपनी पर कुछ निर्यात संबंधी शर्तें लगाई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) 100% पूर्ण स्वामित्ववाली एक सहायक कम्पनी की स्थापना करने के लिए मै. रौथमैंस आफ पाल मान (इंटरनेशनल) लि., यू.के. के प्रस्ताव पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

टायरों का निर्यात

84-85

3203. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय किन-किन देशों में टायरों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन देशों में कुल कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या टायर उद्योग ने आगामी वर्षों के दौरान निर्यात हेतु कोई उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000 के अंत तक लगाये गये अनुमान का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जिन प्रमुख देशों को विभिन्न प्रकार के टायर तथा ट्यूबों का निर्यात किया जा रहा है, वे हैं: अफगानिस्तान, अर्जेन्टीना, बंगलादेश, ब्राजील, चिल्ली, मिस्र, जर्मनी, घाना, ईरान, आबवरी कोस्ट, केन्या, मैक्सिको, नीदरलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानियां, तुर्की, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के., वियतनाम, जिम्बावे तथा युगांडा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के टायर तथा ट्यूबों के निर्यात से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

1995-96	1996-97	1997-98 (अनुमानित)
798.42	865.60	986.20

[स्रोत : रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् (कपैक्सिल)]

(ग) और (घ) कपैक्सिल ने वर्ष 1999-2000 के लिए अनंतिम रूप से 1210 करोड़ रु. के निर्यात का लक्ष्य रखा है।

[हिन्दी]

रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार

3204. श्री डी.एस. अहिरे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कितनी मिलों को चालू रखने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के बारे में सरकार की क्या राय है;

(ग) राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा मिलवार आबंटित की जाने वाली राशि कितनी है;

(घ) पिछले कुछ वर्षों से राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में कार्यरत नैमित्तिक अथवा दिहाड़ी कामगारों के लिए सरकार की क्या भावी योजना है;

(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लिए गुजरात पैटर्न कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (च) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

सिगरेट उद्योग से एकत्र राजस्व

3205. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :
डा. रवि मल्लू :
डा. संजय सिंह :
श्रीमती भावना कर्दम दवे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान सिगरेट उद्योग से केन्द्र सरकार ने लगभग कितना राजस्व एकत्र किया;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप हो रही राजस्व की हानि का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार ऐसे आकलन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ऐसा आकलन कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान सिगरेटों पर वसूल की गई उत्पाद शुल्क की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पाद शुल्क की राशि
1996-97	3982 करोड़ रुपये
1997-98	4454 करोड़ रुपये (अनंतिम)

आय-कर की वसूली के संबंध में उद्योग-वार ढंग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त "ख" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फिलहाल, सिगरेट उद्योग को कोई शुल्क/कर रियायतें देने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत:, ऐसे किसी निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त "घ" को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में कर्मचारियों की कमी

3206. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेषरूप से सेन्ट्रल बैंक आफ [illegible] की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बैंकों में अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) इण्डियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, विजया बैंक और कार्पोरेशन बैंक को छोड़कर राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टाफ की कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इन बैंकों ने कमी को पूरा करने के लिए सीधी भर्ती/पदोन्नतियों के माध्यम से उपाय किए हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि कुल मिलाकर स्टाफ की कोई कमी नहीं है लेकिन कतिपय राज्यों विशेषतया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी बंगाल में लिपिकीय अधीनस्थ स्टाफ का संबंध है, बैंक में हाल ही में खोली गई शाखाओं में विशेषतया सशस्त्र गार्डों, ड्राइवरों और अधीनस्थ स्टाफ की श्रेणियों में कमी है। कतिपय क्षेत्रों में कमी के लिए मुख्य कारण, लिपिकों और अधीनस्थ स्टाफ को एक स्थान (स्टेशन) से दूसरे स्थान में भेजने में कठिनाई है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस अनुरोध के साथ सम्पर्क किया है कि यह विशेषतया उपर्युक्त वर्णित राज्यों के लिए स्टाफ आधारित आवश्यकता के आधार पर भर्ती के लिए अनुमति दे।

ए.एफ.टी. मिल्स, पांडिचेरी को अर्थक्षम बनाना

3207. श्री एस. अरूमुगम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने 5 अगस्त, 1994 को ए.एफ.टी. मिल्स, पांडिचेरी की व्यवहार्यता के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और तथा उसे अर्थक्षम बनाने हेतु सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंक ऋण अथवा अन्य किसी तरीके से ए.एफ.टी. मिलों के आधुनिकीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए की आवश्यक निधियां जुटाने के लिए प्रबंध किए हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त मिलों में कदाचार और कुप्रबंध की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराने के लिए आदेश जारी करेगी; और

(ङ) सरकार द्वारा मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

आयकर दाता

3208. डा. विजय सोनकर शास्त्री :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कितने आयकरदाता हैं;

(ख) उनमें से गत तीन वर्षों के दौरान कृषि से प्राप्त आय पर आयकर में छूट मांगने वालों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि के लिए छूट मांगी गई तथा कितनी छूट दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) 31.3.98 को दिल्ली में आयकरदाताओं की संख्या 8,62,461 है।

(ख) और (ग) कृषि से होने वाली आय पर करदाताओं द्वारा मांगी गई छूट और इसके लिए उनको प्रदान की गई छूट के अलग से आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि, दिल्ली के लिए दर उद्देश्यों हेतु कुल आय के साथ जोड़ी गई कृषि आय और ऐसे योग के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मांगों से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है:

(रुपए '000)

वर्ष	कर निर्धारणों की संख्या जिसमें कृषि आय की मांग शामिल है	संचित की गई निवल कृषि आय की राशि	कृषि आय के योग के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मांग
1996-97	7	15841	40
1997-98	749	79215	14489
1998-99 (जून, 98 तक अद्यतन उपलब्ध)	2	137	–

*आंकड़े अनंतिम हैं।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत एकत्रित धनराशि

3209. डा. वी. सरोजा :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्षों के दौरान देश राज्य-वार राष्ट्रीय बचत योजना के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि एकत्रित किए जाने की संभावना है;

(ग) राष्ट्रीय बचत योजना में और अधिक निवेश करने के लिए निवेशकों को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) राज्य-वार कितने एजेंट कार्य कर रहे हैं और उन्हें कितनी कमीशन दिया जाता है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन एजेंटों को कमीशन का भुगतान करने में अत्यन्त विलम्ब किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार राष्ट्रीय बचत योजनाओं के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संग्रहणो के संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप अभी दिया जाना है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान में सकल संग्रहण 43470 करोड़ रुपए था।

(ग) (1) भारत सरकार नकदी के सुनिश्चित लाभ, सुरक्षा और प्रचालनात्मक सुविधा के साथ बहुत आकर्षक शर्तों पर विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

(2) डाकघरों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विशाल तंत्र दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में इन योजनाओं को क्रियान्वित करता है। पांच लाख से भी अधिक एजेंट इन संसाधनों के संग्रहण में लगे हुए हैं।

(3) राष्ट्रीय बचत संगठन एजेंटों को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण देता है और सभी योजनाओं के लिए प्रचार अभियान आयोजित करता है।

(घ) यह सूचना डाक विभाग और राष्ट्रीय बचत संगठन से एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं होते हैं। कभी-कभी एजेंटों से प्राप्त दावों के इकट्ठे हो जाने के कारण एजेंटों के कमीशन के दावों के निपटारे में विलम्ब हो जाता है।

विवरण

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार (विधान मंडल वाले) डाकघरों में लघु बचत योजनाओं के सकल और निवल संग्रहण

(हजार रुपए)

	1995-96		1996-97		1997-98	
	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	19958137	6098805	16312710	2012149	21269303	6618089
बिहार	19413942	4334751	21059550	6584181	28613839	13055988
बेस	567023	55234	676066	90890	935409	247082
दिल्ली	12507907	6582091	11877627	1623378	17974906	9975085
जम्मू और कश्मीर	3058872	1615304	3031014	1274885	4313799	2069725
कर्नाटक	13535696	2939543	13073121	3518226	17709240	3253876
मध्य प्रदेश	12101251	3908285	12558301	4672933	16477546	7533516
उड़ीसा	7245679	2754609	6987443	1382484	8666872	3647044
राजस्थान	14627854	5107055	16558127	5834044	22696437	10446194

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	50400738	19898689	49338957	15740097	65833906	27757708
हरियाणा	9519613	3203755	10508271	3942578	13836396	6665290
तमिलनाडु	19659165	3798104	20519874	3629762	22065504	3952546
पांडिचेरी	127858	23145	143426	30385	201022	78853
महाराष्ट्र	32311263	-5714312	34177070	30014825	51908600	24355618
गोवा	695367	89144	699539	127606	986048	384824
गुजरात	25916660	10056479	27073629	9237244	38747689	17543789
केरल	9383308	2970765	9114816	-1768512	11405989	2634381
पंजाब	14608028	5805677	15587170	7267328	22260992	12136985
हिमाचल प्रदेश	8983164	3899512	8141793	-1775584	19578008	9419506
पश्चिम बंगाल	43786368	19366101	454118200	21445951	63743159	38016095
सिक्किम	85685	60217	73243	39343	113682	77184
असम	6560156	2390678	7406284	2178173	8470751	2745294
मणिपुर	225101	119853	267188	142984	338061	188178
मेघालय	365323	-72176	398341	110641	495786	161629

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	975424	333909	931669	277197	1447130	708986
मिजोरम	160875	53977	156331	5309	230912	47902
नागालैंड	91900	24897	151910	89866	158983	78341
अरुणाचल प्रदेश	122710	53131	131021	58408	200416	125269
कुल जोड़	326995067	99757222	332372691	121323795	460680385	203924977

"टन्नरों" का आयात

3210. **श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ आयातक "टन्नरों" (फोटोकापी मशीन में इस्तेमाल होने वाले) का आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान वास्तविक मूल्य से काफी कम मूल्य पर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का "टन्नरों" के वास्तविक मूल्यों और घोषित मूल्यों के बीच अन्तर और कर शुल्क चोरी की सीमा का पता लगाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि आयात किए गए "टन्नरों" की वास्तविक मात्रा को छिपाकर उनका भार "ड्रम अथवा कार्टन अथवा इकाई में बताते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) विभिन्न सीमाशुल्क गृहों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में पेंशन योजना

3211. **श्री एस. सुधाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में अंशदायी पेंशन योजना (पुरानी योजना) चल रही है और भारतीय स्टेट बैंक के अन्य सहायक बैंकों की तरह ही इस बैंक में नई योजना भी आरंभ की गई है;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों हेतु 1 नवम्बर, 1993 के भूतलक्षी प्रभाव से जून, 1997 में एक पुनर्गठित पेंशन योजना आरम्भ की है;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रबंधन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग पर अक्तूबर 1997 में भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से पुरानी पेंशन योजना में ऐसे ही सुधारों की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को अक्तूबर, 1997 में प्रस्ताव भेजा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच की है और भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।

कोयला परियोजनाएं

3212. श्री संदीपान थोरात : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लि. की चालू तथा नई परियोजनाओं की अनुषंगी कंपनीवार उत्पादन संभावना, कार्य निष्पादन हेतु समय-सीमा, अनुमानित लागत, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की संभावनाओं. उत्पादन के विभिन्न चरणों का तथा कार्य निष्पादन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसाधनों की कमी के कारण चालू परियोजना एवं नई परियोजनाओं से संबंधित कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो निजी एवं विदेशी निवेश या वित्तीय सहायता के माध्यम से कोयला क्षेत्र में त्वरित निवेश सुनिश्चित करने हेतु लिए नए नीतिगत उपायों/निर्णयों का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या डब्ल्यू.सी.एल. की संदर्षी कोयला उत्पादन योजना महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित मांग को पूरा करने में असफल रहा; और

(ङ) यदि हां, तो आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लिमिटेड की कुल अनुषंगी कंपनियों में निधि की कमी के कारण क्रियान्वयनाधीन कुछ परियोजनाऐं प्रभावित हुई हैं। इस स्थिति से निबटने के लिए भविष्य में की जाने वाली कोयले की आपूर्ति के एवज में संयोजित उपभोक्ताओं से वाणिज्यिक शर्तों पर निधियों की व्यवस्था की जा रही है। को.इं.लि. ने कोयला परियोजनाओं में निवेश किए जाने के लिए आई.बी.आर.डी. (विश्व बैंक) से 530 मिलियन अमरीकी डॉलर और जापान के आयात निर्यात बैंक (जैक्सिम) से उसी राज्य के तुल्य ऋण प्राप्त किया है। विद्युत उत्पादन, लौह और इस्पात निर्माण एवं सीमेंट उत्पादन हेतु ग्रहीत खनन हेतु सरकार द्वारा कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र में विद्यमान विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की मांग हेतु कोयले को वास्तविक उत्पादन/प्रेषण में कमी नहीं आई है। वर्ष 1997-98 के दौरान एम.एस.ई.बी. को 15.64 मी. टन तक कोयले की आपूर्ति 13.46 मि. टन कोयले के संयोजन के एवज में की गई। खापर खेडा विस्तार चरण-II टी.पी.एस. (2×210 मे. वाट) के लिए 2.00 मि. टन प्रति वर्ष कोयले के अतिरिक्त संयोजन प्रदान किए गए हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार 1997-98 में 32.51 मि. टन हुए उत्पादन वर्ष 2001-02 के दौरान बढ़कर 34.7 मि. टन हो जाएगा। वर्ष 2006-07 के दौरान उत्पादन और अधिक बढ़कर 36.62 मि टन हो जाएगा। इस निर्धारित समयावधि के बाद महाराष्ट्र में विद्युत गृहों की प्रक्षिप्त मांग, वे.को.लि. की उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ देगी। इसीलिए 9वीं और 10वीं योजना के दौरान कई कोयला परियोजनाओं को खोले जाने की योजना है जिनमें से अधिकांश परियोजनाऐं कोयले की विभिन्न ग्रेडो की वर्तमान कीमतों पर आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं, जो निम्न ग्रेड के कोयले और प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों के कारण हैं। एम.एस.ई.बी. के साथ इस संबंध में समझौता किया जा रहा है ताकि वे.को.लि. नौवीं योजना परियोजनाओं को खोल सके।

विवरण-I

कोल इंडिया लि. की क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा (20 करोड़ और उससे अधिक की लागत)

क्र.सं.	कंपनी	परियोजना	प्रकार	स्वीकृति की तारीख	उत्पादन क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृति पूंजी करोड़ रु.	कार्य-निष्पादन का निर्धारित समय: प.रि. अनु.	कार्य-निष्पादन का निर्धारित समय: प्रत्याशित	संभाव्य रोजगार (सीधी भर्ती)	प.रि. 98-99 के अनुसार उत्पादन कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ईकोलि	सर्पी	भूग	सितम्बर, 87	0.90	53.05	मार्च, 95	मार्च, 05	2322	0.47
2.	ईकोलि	जाम्बाद	ओका	अप्रैल, 97	0.80	136.88	मार्च, 98	मार्च, 04	713	0.80
3.	ईकोलि	सतग्राम	भूग	सितम्बर, 90	1.20	148.28	मार्च, 96	मार्च, 01	1760	0.73
4.	ईकोलि	पूर्ण राजमहल क्षमता	ओका	सितम्बर, 96	1.50	46.86	मार्च, 02	मार्च, 04	171	0.00
5.	ईकोलि	झांजरा फेस-I	भूग	अगस्त, 95	2.00	403.96	मार्च, 98	मार्च, 02	2500	2.00
6.	ईकोलि	कालीदासपुर	भूग	नवम्बर, 95	0.54	74.05	मार्च, 98	मार्च, 04	1394	0.54
7.	ईकोलि	कोठाडीह (भूग+ओका)	भूग	जून, 89	2.48	287.52	मार्च, 98	मार्च, 03	2283	1.79
8.	ईकोलि	जे.के. नगर	भूग	फरवरी, 91	0.87	95.28	मार्च, 93	मार्च, 01	1600	0.28
9.	भाकोकोलि	पुटकी बलिहारी	भूग	दिसम्बर, 83	3.00	199.87	मार्च, 94	मार्च, 01	3352	1.00
10.	भाकोकोलि	विश्वकर्मा	ओका	फरवरी, 98	0.70	44.74	मार्च, 02	मार्च, 02	843	0.00
11.	भाकोकोलि	ब्लाक-III	ओका	अगस्त, 91	0.45	45.97	मार्च, 98	मार्च, 00	457	0.00
12.	भाकोकोलि	सुलुंगा जीनागोरा	ओका	अगस्त, 97	0.70	41.6	मार्च, 01	मार्च, 01	518	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	सेकोलि	बोकारो बेरमो सीम	ओका	मई, 95	0.80	46.76	मार्च, 00	मार्च, 00	335	0.80
14.	सेकोलि	संगम एक्सप्रेस	ओका	फरवरी, 95	0.50	32.66	मार्च, 98	मार्च, 99	842	0.50
15.	सेकोलि	झारखंड	ओका	अक्तूबर, 98	1.00	110.89	मार्च, 04	मार्च, 08	780	0.00
16.	सेकोलि	के.डी. हेसलांग विस्ता.	ओका	दिसम्बर, 95	4.50	273.41	मार्च, 00	मार्च, 00	1195	3.00
17.	सेकोलि	पारेज ईस्ट	भूग	सितम्बर, 92	0.30	28.42	मार्च, 99	मार्च, 01	748	0.30
18.	सेकोलि	रे बचरा	भूग	मार्च, 91	0.60	30.19	मार्च, 97	मार्च, 98	1848	0.60
19.	सेकोलि	सौंदा "डी"	भूग	मार्च, 91	0.63	47.94	मार्च, 98	मार्च, 99	2000	0.63
20.	सेकोलि	उरीमारी (1.30)	ओका	अगस्त, 94	1.30	95.33	सित. 99	सित., 99	735	1.30
21.	सेकोलि	पारेज ईस्ट	ओका	मार्च, 93	1.75	118.19	मार्च, 98	मार्च, 00	1090	1.75
22.	सेकोलि	सौंदा "डी"	ओका	सित. 91	0.80	48.96	मार्च, 99	मार्च, 99	674	0.80
23.	नाकोलि	निगाही विस्ता.	ओका	जुलाई, 97	10.00	1846.49	मार्च, 04	मार्च, 05	2948	4.20
24.	नाकोलि	दुधीचुआ विस्ता.	ओका	अगस्त, 92	10.00	868.93	मार्च, 98	मार्च, 04	3208	9.00
25.	वेकोलि	तेलवासा	ओका	फरवरी, 95	0.45	42.10	मार्च, 99	मार्च, 99	347	0.45
26.	वेकोलि	पिंपलागांव	ओका	मार्च, 91	0.60	44.51	मार्च, 97	मार्च, 00	513	0.60
27.	वेकोलि	गोंडेगांव	ओका	दिसम्बर, 92	0.75	67.96	मार्च, 00	मार्च, 00	674	0.75
28.	वेकोलि	पौनी	ओका	सितम्बर, 96	0.60	45.63	मार्च, 01	मार्च, 01	370	0.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	वेकोलि	सोनेर विस्तार	भूग	फरवरी, 98	0.42	47.56	मार्च, 01	मार्च, 01	941	0.80
30.	वेकोलि	निहेरिया	भूग	जून, 96	0.36	46.17	मार्च, 03	मार्च, 03	1023	0.00
31.	वेकोलि	मकधोरा-॥	भूग	सितम्बर, 92	0.27	85.92	मार्च, 98	मार्च, 00	730	0.27
32.	वेकोलि	टांडसी	भूग	जुलाई, 97	0.60	77.77	मार्च, 01	मार्च, 01	1624	0.45
33.	वेकोलि	सस्ती आरओ	भूग	अप्रैल, 93	0.36	38.25	मार्च, 98	मार्च, 00	1264	0.36
		नुगोली	ओका	जनवरी, 95	0.80	83.63	मार्च, 99	मार्च, 99	666	0.80
35.	साईकोलि	बलरामपुर पीएसएलडब्लू विस्तार	भूग	दिसम्बर, 94	0.50	47.79	मार्च, 99	मार्च, 99	849	0.54
36.	साईकोलि	बेहराबद	भूग	मई, 94	0.60	48.39	मार्च, 98	मार्च, 99	1743	0.60
37.	साईकोलि	दीपीका विस्ता.	ओका	दिसम्बर, 96	10.00	538.96	मार्च, 02	मार्च, 02	2104	5.50
38.	साईकोलि	जीरो एसएम चिरीमिरी आरपीआर	भूग	मार्च, 98	0.43	49.21	मार्च, 04	मार्च, 04	354	0.00
39.	साईकोलि	शीतलधारा	भूग	मई, 95	0.51	48.22	मार्च, 02	मार्च, 02	1917	0.11
40.	साईकोलि	पिनौरा अगु.	भूग	मार्च, 98	0.48	49.93	मार्च, 04	मार्च, 04	1027	0.00
41.	साईकोलि	महान	ओका	जून, 96	0.36	41.95	मार्च, 00	मार्च, 00	477	0.10
42.	साईकोलि	चुची वेस्ट पीएसएलडब्लू	भूग	दिसम्बर, 94	0.65	48.61	मार्च, 99	मार्च, 01	818	0.65
43.	साईकोलि	न्यू कुंदा पीएसएलडब्लू	भूग	दिसम्बर, 94	0.60	45.31	मार्च, 99	मार्च, 99	902	0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	साईकोलि	राजेन्द्र पीएसएलडब्लू आरपीआर	भूग	दिसम्बर, 94	0.64	48.57	मार्च, 99	मार्च, 99	941	0.60
45.	साईकोलि	विंध्या अगु.	भूग	मार्च, 98	0.59	49.90	मार्च, 04	मार्च, 04	646	0.00
46.	साईकोलि	कपिलधारा अगु.	भूग	मार्च, 98	0.51	47.31	मार्च, 04	मार्च, 04	885	0.00
47.	मकोलि	लखनपुर	ओका	जन., 92	5.00	221.51	मार्च, 96	मार्च, 00	1469	5.00
48.	मकोलि	कलिंगा	ओका	मार्च, 92	8.00	345.96	मार्च, 00	मार्च, 00	1440	5.50

संभावित रोजगार (अप्रत्यक्ष) - अप्रत्यक्ष रोजगार परियोजना में हुई प्रगति पर निर्भर करता है। ऐसे रोजगार अनुषंगी कंपनियों द्वारा कुछ कार्यों के लिए नियोजित कार्यकारी अभिकरणों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रोजगार शापिंग काम्पलेक्स आदि हैं। वास्तविक संख्या के बारे में निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

विवरण-II

कोल इंडिया लि. की नई परियोजनाओं (स्वीकृत अग्रिम कार्रवाई योजना) का ब्यौरा

कंपनी	परियोजना	प्रकार	स्वीकृति की तारीख	उत्पादन की क्षमता (मि.ट./वर्ष)	अनुमानित पूंजी (करोड़ रु.)	कार्य-निष्पादन का निर्धारित समय
1	2	3	4	5	6	7
नाकोलि	बीना खान-II	ओका		1.80	330.58	नौवीं योजना
	ब्लाक "बी"	ओका		3.00	380.32	दसवीं योजना
मकोलि	बसुन्दरा (डब्लू)	ओका		2.4	189.95	नौवीं योजना
	भूबनेश्वरी	ओका		10.00	697.62	नौवीं योजना
	गर्जनबहल	ओका		10.00	763.69	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7
	हिंगुला-।	ओका		4.00	201.27	नौवीं योजना
	कनैहया	ओका		3.50	294.71	नौवीं योजना
	कुलदा	ओका		10.00	947.85	नौवीं योजना
संकोलि	नार्थ उरीमारी	ओका		3.00	373.27	नौवीं योजना
	टोपा	ओका		1.2	110.22	नौवीं योजना
	[illegible]	ओका		3.50	300.93	दसवीं योजना
	कारो-।	ओका		1.50	109.71	नौवीं योजना
	कावेरी	ओका		2.00	104.66	दसवीं योजना
	पूर्णाडीह ईस्ट	ओका		2.00	130.19	नौवीं योजना
	मोंटीको	ओका		0.40	48.13	नौवीं योजना
साईकोलि	अनंदा ''ए''	ओका		1.15	156.54	नौवीं योजना
ईकोलि	चित्रा वेस्ट	ओका		0.70	65.82	दसवीं योजना
	राजमहल ''सी''	ओका		4.00	560.42	दसवीं योजना
वेकोलि	निरगुदा	ओका		0.75	77.40	नौवीं योजना
	उरधान	ओका		0.70	105.25	नौवीं योजना
	धारवासा	ओका		0.55	49.95	नौवीं योजना

एच.एम.टी. का शोरूम का बंद किया जाना

3213. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रीनगर में हाल ही में एच.एम.टी. का शोरूम बंद किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा कार्य किये जाने से राज्य के विकास पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, हां।

(ख) शोरूम को अजैव्य पाया गया।

(ग) चूंकि, सरकार श्रीनगर वाच फैक्टरी के लिए पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित कर दिया है, इसलिए कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। शोरूम के कर्मचारियों को कंपनी की अन्य इकाइयों में पुनः नियोजित कर दिया गया है।

शत्रु सम्पत्ति

3214. श्री देवजीभाई जे. टंडेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत कितनी सम्पत्तियों को "शत्रु सम्पत्ति" के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) सरकार के स्वामित्व में उनमें से कितनी सम्पत्तियां हैं;

(ग) उसमें से कितनी सम्पत्तियां दमन व द्वीव संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत आती हैं और क्या वे सरकार के स्वामित्व में हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दमन व द्वीव में इन सम्पत्तियों को अपने स्वामित्व में लेने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या इन शत्रु सम्पत्तियों के संरक्षक, जो मुम्बई में रहते हैं, ने कभी आकर इनका मुआयना किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) 543 अचल सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित किया गया है। भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुंबई के पास इन सम्पत्तियों का प्रलक्षित कब्जा है। वास्तविक अधिग्रहण सी.ई.पी., मुंबई द्वारा यथा प्राधिकृत पट्टेदारों/किरायेदारों के पास है।

(ग) और (घ) दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र में केवल एक ही शत्रु सम्पत्ति है और यह भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुंबई के प्रलक्षित कब्जे में है।

(ङ) मौजूदा शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुंबई ने 1993 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही उक्त शत्रु सम्पत्ति का निरीक्षण नहीं किया है।

(च) उपर्युक्त कथित सम्पत्ति का संरक्षण तथा प्रबंध करने के लिए भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुंबई द्वारा शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के तहत दीव के जिला प्रशासन को प्राधिकृत किया गया था और इस प्रकार वे उक्त शत्रु सम्पत्ति का संरक्षण तथा प्रबंधन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आई.डी.बी.आई./आई.एफ.सी.आई. में भर्ती

3215. श्री जोगेन्द्र कवाड़े : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पद-वार कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई; और

(ख) उनमें से पद-वार कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सूचित किए गए संवर्गवार आंकड़े

निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	संवर्ग	कुल नियुक्तियां	जिनमें से	
			अ.जा.	अ.ज.जा.
1998 जनवरी-जून	अधिकारी (श्रेणी-I)	33	5	3
	लिपिकीय (श्रेणी-III)	8	2	1
	अधीनस्थ कर्मचारी (श्रेणी-IV)	-	-	-
[illegible]	अधिकारी (श्रेणी-I)	61	0	6
	लिपिकीय (श्रेणी-III)	40	5	2
	अधीनस्थ कर्मचारी (श्रेणी-IV)	22	13	3
1996 जनवरी-दिसम्बर	अधिकारी (श्रेणी-I)	84	15	3
	लिपिकीय (श्रेणी-III)	54	9	8
	अधीनस्थ कर्मचारी (श्रेणी-IV)	28	10	4

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिंचाई उपकरण विनिर्माण एकक

3216. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सी.ई.डी.टी. द्वारा छिड़काव करने वाले (स्प्रिंकलर) सिंचाई उपकरण के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पाइपों और अन्य प्लास्टिक सामान के वर्गीकरण और उन पर शुल्क के संबंध में जारी अधिसूचना के कारण सम्पूर्ण देश के छोटे और बहुत छोटे सिंचाई उपकरण विनिर्माण एककों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना से उत्पन्न पेचीदिगी के बारे में छिड़काव करने वाले सिंचाई उपकरण विनिर्माण एककों द्वारा भेजे गए विभिन्न अभ्यावेदनों की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी स्तरों पर सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) छिड़काव करने वाले सिंचाई उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक पाइपों तथा अन्य प्लास्टिक सामान के वर्गीकरण तथा शुल्क्यता के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिनांक 16.3.98 को एक परिपत्र संख्या 380/13/98-के.उ.शु. जारी किया गया था।

(ख) दिनांक 16.3.98 के उक्त परिपत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा सरकार ने इस पर ध्यान दिया है।

(ग) दिनांक 16.3.98 के परिपत्र में कोई विरोधाभास नहीं है। तथापि, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पाद शुल्क से मुक्त किसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी निविष्टियों को उत्पाद शुल्क से छूट नहीं दी जा सकती है।

चाय का आयात

3217. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी चाय उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों की सुरक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास चाय के आयात संबंधी ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने अन्तर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्क देशों से 2307 मदों में से चाय को एक मद के रूप में मुक्त आयात करने की अनुमति दी है।

(ग) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आदेश और विनियमन उद्गम संबंधी नियमों और 10% मूल आयात शुल्क जमा विशेष सीमा शुल्क जैसे अन्य शुल्क प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आदि सहित साप्ता करार में निहित रक्षोपाय घरेलू चाय उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

न्यूजीलैंड के साथ सहयोग

3218. श्री रामपाल सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूजीलैंड ने वस्त्र के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने अक्टूबर, 1998 में केन्द्रीय वस्त्र मंत्री से मुलाकात की तथा अन्य बातों के साथ-साथ भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की महत्ता पर बल दिया। वस्त्र मंत्रालय को न्यूजीलैंड से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार ने सूत्री वस्त्रों, यार्न, परिधानों तथा परिधानों से संबंधित मदों के निर्यात के लिए एक भारतीय कंपनी, अतुलित इंपेक्स प्राइवेट लि. कलकत्ता और न्यूजीलैंड की एक कंपनी कार्लेट कारपोरेशन लि., आकलैंड के बीच तकनीकी वित्तीय सहयोग को मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

मंत्रियों के विवेकाधीन कोटा

3219. श्री रामशकल : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों के लिए विवेकाधीन कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान इस कोटे में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को विवेकाधीन कोटे के दुरूपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण क्षेत्र और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश

3220. श्री सोडे रमैया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख क्षेत्र में निवेश पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार विदेशी निवेश के लिए गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के टूथ-पेस्ट, शराब और तम्बाकू जैसी मदों के संबंध में विचार करती रही है;

(ग) सरकार महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच निवेश के इस असंतुलन को किस तरह ठीक करने का विचार रखती है;

(घ) क्या इस असंतुलित निवेश नीति को ठीक करने के लिए कोई समय ढांचा तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री **सिकन्दर बख्त) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अब तक (अगस्त 1991 से अक्तूबर 1998 तक) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अब तक संबंधी परियोजनाओं के लिए दिए गए कुल अनुमोदनों में से, अकेले अवसंरचना, परिवहन तथा सेवा क्षेत्र ही तकरीबन 44 प्रतिशत बैठता है।

अवसंरचनात्मक क्षेत्र सहित, विशेष रूप से "कोर सैक्टर" में, सरकार राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए पारदर्शी दिशानिर्देशों सहित उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति अपनाई है। कोर सैक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोयला तथा पैट्रोलियम तेलशोधन क्षेत्र को अविनियमित किया है; 1500 करोड़ रु. तक स्वतः अनुमोदन मार्ग के अधीन विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी है। सड़क तथा राजमार्ग, वाहनीय सुरंग, पुल, पत्तन आदि जैसे कतिपय अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता सीमा शुल्क द्वारा जब्त किया गया सामान

5-17

3221. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता सीमा शुल्क के प्राधिकारियों ने फोटो कलर लैब उपस्कर सहित काफी ज्यादा संख्या में आयतित मशीनें जब्त की हैं;

(ख) क्या ये मशीने खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत एक बार इस्तेमाल हो चुकी मशीन के नाम पर आयात की गई है;

(ग) क्या प्राधिकारी विभाग शुल्क की वास्तविक राशि तथा दण्ड निर्धारित किए बगैर उन्हें "समाधान योजना" के अंतर्गत छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार जांच पूरी हो जाने तक उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी हां, राजस्व आसूचना निदेशालय, कलकत्ता के प्राधिकारियों ने पिछले वर्ष कलकत्ता के मैसर्स श्री कृष्ण इंटरनेशनल द्वारा आयात की गई "नोरिट्सू" ब्राण्ड की प्रयुक्त मिनी कलर लैब्स की चार खेपों का, सीमा शुल्क द्वारा इनकी निकासी की अनुमति दिए जाने से पूर्व, तथाकथित रूप से उनका कम मूल्यांकन किए जाने पर अभिग्रहण कर लिया था।

(ख) इन मशीनों को न केवल पुरानी और खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात की गई घोषित किया गया, बल्कि, वास्तविक जांच करने पर उन्हें पुराना भी पाया गया था।

(ग) से (ङ) यह सही नहीं है कि प्राधिकारी शुल्क की वास्तविक राशि और अर्थदण्ड का निर्धारण किए बगैर ही जब्त माल को "समाधान योजना" के अंतर्गत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि, जांच करने के पश्चात् आयातकों को दिसम्बर, 1997 में 4 अभिगृहीत खेपों और उन दो खेपों के मामले में, जिनकी पहले ही निकासी कर दी गई थी, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। आयुक्त द्वारा मामले का विधिवत रूप से जुलाई, 1998 में न्यायनिर्णयन किया गया था जिसमें उद्ग्रहणीय शुल्क निर्धारित किए गए थे और कुछेक जुर्माने और अर्थदण्ड लगाए गए थे। आयातकों ने इसका विरोध किया और सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता द्वारा पारित न्यायनिर्णयन आदेश के खिलाफ सीगेट, कलकत्ता में अपील दायर कर दी थी। उन्होंने 1.9.1998 से लागू "कर विवाद समाधान योजना, 1998" के अंतर्गत लम्बित पड़े विवाद को निपटाने हेतु अभिहित समुचित प्राधिकारी के समक्ष एक घोषणा भी दायर की है और उस पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों

में खेपों को छोड़ने की प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आवश्यक कानूनी कार्यवाहियों का पहले ही अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कपड़े की मांग और आपूर्ति

3222. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कपड़े की मांग और आपूर्ति कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कपड़े की कितनी मात्रा का आयात/निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में कपड़े का उत्पादन 36,896 मिलियन वर्ग मी. (अनंतिम) हुआ था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़े का आयात निम्नानुसार हुआ था:

वर्ष	करोड़ रु.
1995-96	245.35
1996-97	227.29
1997-98 (अनंतिम)	353.25

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़े (सूती, सिंथेटिक और ऊनी) के निर्यात निम्नानुसार थे:

वर्ष	करोड़ रु.
1995-96	5519.06
1996-97	6005.86
1997-98 (अनंतिम)	6410.79

स्रोत ; कपास वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्।

[अनुवाद]

ऋण राहत योजना

3223. श्री अशोक प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में कितने किसान, ग्रामीण शिल्पी तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों के कितने व्यक्ति ऋण राहत योजना से लाभांवित हुए हैं;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत गुजरात को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सहकारी ऋण वसूली कृषि जन्य तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है तथा इसने सामान्य रूप से वसूली परिस्थिति को प्रभावित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं की ऋण वसूली प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा चालू की गई कृषिजन्य तथा ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990, एक बार उठाया गया कदम था जो दिनांक 31 मार्च, 1991 को असम तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में समाप्त हो गया। असम तथा जम्मू व कश्मीर में यह योजना 30 जून, 1991 को समाप्त हुई। दावों के अंतिम निपटान कर दिए गए थे तथा 31 मार्च, 1995 को इस योजना को समाप्त मान लिया गया था। इस योजना के तहत हिताधिकारियों में किसान, ग्रामीण, शिल्पी तथा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े क्षेत्र के व्यक्ति शामिल थे तथा पूरे देश में कुल हिताधिकारियों की संख्या 22266105 थी जिसमें से 4181315 हिताधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य के थे। "ए आर डी आर" योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से गुजरात को दी गई कुल वित्तीय सहायता 341.79 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) ऋण माफी योजना देश में वसूली कार्य पर बुरा प्रभाव डालती है। बैंकों के वसूली निष्पादन में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:- बैंकों को नियंत्रक कार्यालय तथा क्षेत्र स्तरीय शाखाओं, दोनों में अपने संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए, मार्गनिर्देश जारी करना, उधार देने के लिए योजनाबद्ध तरीका

अपनाना, उधारपूर्व मूल्यांकन प्रणाली उधार पश्चात् पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना आस-पास की शाखाओं के लिए वसूली कक्षों की स्थापना करना, गैर-सार्वजनिक कार्यकारी दिवसों को मनाना आदि।

कोयला सर्वेक्षण प्रयोगशाला, जोरहाट का विकास रुद्ध हो जाना

3224. श्री विजय हाण्डिक : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय संकट के कारण पूर्वोत्तर में जोरहाट स्थित कोयला सर्वेक्षण प्रयोगशाला का विकास वर्षों से रुद्ध हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) [illegible] केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, (सी.एफ.आर.आई.) धनबाद जिसके अन्तर्गत यूनिटें आती हैं, से प्राप्त सूचना के अनुसार कोयला सर्वेक्षण प्रयोगशाला, जोरहाट हेतु अधिक मात्रा में कार्य नहीं है। अत: सी.एफ.आर.आई. इस यूनिट को जोरहाट में अवस्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

3225. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोविन्दनगर स्थित आकाश इंडिया फाइनेंस कम्पनी ने बहुत कम समय में धन दोगुना करने का प्रलोभन देकर बहुत से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी फर्जी कम्पनियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसके क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ जिसके क्षेत्राधिकार में कानपुर आता है, की बैंक की डाक प्रेषण सूची में आकाश इंडिया फाइनेन्स कम्पनी का नाम नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि इस कम्पनी ने न तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया है और न ही यह उत्तर प्रदेश राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच से भी इस क्षेत्र में कम्पनी के होने का पता नहीं चलता है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह कम्पनी गैर-निगमित निकाय प्रतीत होती है।

(घ) जो गैर-निगमित निकाय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय-III-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके जमाराशियां स्वीकार करती हैं, उन पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबन्धों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ-साथ राज्य सरकारों को गलती करने वालों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक का ए.एल.एम.एस. संबंधी मार्ग निदेश

3226. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ''असेट लायबिलिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम'' (ए.एल.एम.एस.) के बारे में कोई मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक लागू की जाएगी; और

(ग) यह प्रणाली बैंकों के कार्यकरण में किस हद तक सहायक होगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों में जोखिम प्रबंधन और केन्द्रीय प्रणाली के रूप में, आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली (ए.एल.एम.) प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने ए.एल.एम. प्रणाली लागू करने के लिए चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गनिर्देशों का मसौदा बैंकों को भेजा है जिसमे व, उनके अध्ययन करके और ए.एल.एम. प्रणाली

के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयां यदि कोई हों पर अपने सुझाव भेज सकें। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से प्राप्त हुए प्रति सूचना के आधार पर 1.4.1999 से प्रणाली प्रारम्भ करने पर विचार कर रहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गनिर्देशों से बैंक अपने तुलन पत्रों में सन्निहित बाजार जोखिम की पहचान करने, उसकी मात्रा निर्धारित करने और उससे बचाव करने के लिए एक तर्कपूर्ण प्रणाली स्थापित करने में सक्षम होंगे। ये बैंकों को अपने लाभप्रदता स्तर में अस्थिरता को कम करने में और उनसे बैंकों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने में भी सहायता करेंगे।

जे.के.डी. कोयला खान में नियुक्तियां

121-22

3227. श्री लरंग साय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत कोयला क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश के सरगुजा जनपद स्थित जे.के.डी. कोयला खान के मुख्य प्रबंधक द्वारा वहां के रोजगार कार्यालय से "पीस रेटेड लीटर" पदों के लिए अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 1996 में उन पदों के लिए अभ्यर्थियों के दो चरणों में साक्षात्कार लिये गये थे, लेकिन अभी तक उसके परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो परिणाम कब तक घोषित किये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार उक्त पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु पार कर चुके ऐसे अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनायेगी जिन्होंने उक्त पद के लिए साक्षात्कार दिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लिए गए साक्षात्कार का परिणाम घोषित नहीं किया जा सका, क्योंकि कोयले के भंडार की समाप्ति के कारण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., हसदेव क्षेत्र, की पुरानी झिगर कोलियरी को बंद करना पड़ा था और अधिशेष श्रमिकों को अन्यत्र पुनः तैनात करना पड़ा था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) और (छ) कंपनी की नीति के अनुसार नई भर्तियों के लिए एक अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है और चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भर्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए नीति-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। ऊपरी आयु सीमा में दी गई कोई छूट, एक विवादित विषय बन जाएगा और ऐसे मामले, जो पहले से तय किए जा चुके हैं, पुनः उभर कर सामने आ जाएंगे।

माल प्रवेश कर

3228. श्री विट्ठल तुपे :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने माल प्रवेश कर लगाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कर लगाए जाने के कारण देश में माल की मुक्त आवाजाही प्रभावी हो पायेगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर लगाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश और असम राज्य सरकारों ने ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को माल की मुक्त एवं शीघ्र आवाजाही हेतु प्रभावी उपायों की सलाह दी है, ताकि प्रवेश

कर के उदाहरण के कारण अन्तरराज्यीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि-52 के अनुसार, राज्य सरकारें अघोषित माल पर प्रवेश कर उद्ग्रहण करने हेतु सक्षम हैं।

ऋणों की माफी

3229. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री बलराम सिंह यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री आर.एस. गवई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ से प्रभावित किसानों का [illegible]ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में वर्षा और बाढ़ से प्रभावित कुल किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय घाटा

3230. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वास्तविक वित्तीय घाटा कितना हुआ;

(ख) संभावित और वास्तविक वित्तीय घाटे में अंतर के क्या कारण थे; और

(ग) वित्तीय घाटे पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) पिछले पांच वर्षों के राजकोषीय घाटे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1993-94	60257
1994-95	57703
1995-96	60243
1996-97	66733
1997-98 (सं.अ.)	86345

(ख) और (ग) राजकोषीय घाटे में वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण-भिन्न प्राप्तियों की उगाही में कमी तथा व्यय में अपरिहार्य वृद्धि के कारण हुई है। ऋण भिन्न प्राप्तियों की अधिकतम उगाही तथा व्यय को नियंत्रित करके सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति

3231. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 37(एक) के अन्तर्गत अधिगृहीत और जब्त सम्पत्ति की संख्या, अनुमानित कुल मूल्य और इसमें निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) दो वर्षों के लिए और एक वर्ष से अधिक समय तक रोकी गई ऐसी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतने साल तक इतनी बड़ी सम्पत्ति और निवेश को जब्त कर रखे जाने के क्या कारण हैं और इस सम्पत्ति को शीघ्र निर्मुक्त करने अथवा निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

साबुन उद्योग

3232. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश में कुटीर साबुन उद्योग करों के भारी बोझ के कारण बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उद्योग के सुचारू कार्यकरण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) तथा मध्य प्रदेश (एम.पी.) की राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में किसी कुटीर साबुन उद्योग को बन्द नहीं किया है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सम्मेलन

3233. श्री एम. बागा रेड्डी :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह विश्व बैंक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए थे;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हिस्सा लेने का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या उन्होंने विश्व बैंक के समक्ष देश का पक्ष जोरदार रूप से प्रस्तुत किया था;

(घ) वहां विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत सरकार को किन-किन क्षेत्रों के लिये दीर्घकालिक सहायता की जरूरत है; और

(च) भारत का दृष्टिकोण कितना स्वीकृत किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) हां।

(ख) और (ग) भारतीय शिष्टमंडल के प्रमुख के तौर पर भारत में आधारभूत क्षेत्र में निजी भागीदारी से सम्बन्धित सम्मेलन में भाग लेना।

(घ) से (च) भारत में विभिन्न आधारभूत क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए एक ठोस ढांचे के विकास की संभावनाओं पर बहुपक्षीय विकास बैंकों, विदेशी और घरेलू निवेशकों वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहभागी प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सड़क, पत्तन, विमान पत्तन, दूरसंचार, ऊर्जा और जल तथा स्वच्छता के संबंध में भारत की आधारभूत आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। सम्मेलन में भाग लेने वाले सहभागियों ने उक्त वर्णित क्षेत्रों में चल रही नीति संबंधी गतिविधियों पर गहरी रुचि प्रदर्शित की।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के लिए निदेश

3234. श्री वी.वी. राघवन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैट्रियट लिंक वर्कर्स यूनियन ने एक ज्ञापन जिसमें अन्य बातों के साथ सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को यह निदेश देने की मांग की है कि वह पैट्रियट न्यूजपेपर और लिंक मैगजीन के मालिकों यू.आई.पी.पी. (लि.) से जो राशि वसूल कर रहा है उसका कम से कम पचास प्रतिशत प्रतिमाह कर्मकारों की मजदूरी/वेतनों के भुगतान हेतु जारी करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कोई निदेश जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने मेसर्स यूनाइटेड इण्डिया पीरियाडिकल्स प्रा.लि. पर बकाया 21 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दिनांक 21.5.1996 को ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली में एक वसूली वाद दायर किया

है। ऋण वसूली अधिकरण ने मेसर्स यूनाइटेड इण्डिया पीरियाडिकल्स प्रा. लि. को अपने किराएदारों से किराया प्राप्त करने पर रोक लगाते हुए व्यादेश दिया है तथा बकाया किराए को बैंक की प्राप्य राशियों में विनियोग की अनुमति दी है। कर्मचारियों ने उक्त व्यादेश के विरुद्ध तथा अपनी मजदूरी जारी किए जाने के लिए दिनांक 2.7.1996 को ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की है। तथापि, दिनांक 21.8.1996 को कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि यह बनाए रखने योग्य नहीं थी तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को कोई दिशानिर्देश नहीं जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

विदेशियों को वीजा देने में उदारीकरण

127

3235. श्री पंकज चौधरी :
आनन्द रत्न मौर्य :
प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटकों तथा व्यापारियों को देश में आने के तुरंत बाद वीजा जारी करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): (क) से (ग) विदेशी नागरिकों के भारत आगमन पर वीसा प्रदान करने के सुझाव पर पर्यटन मंत्रालय विचार कर रहा है। अभी इस संबंध में निर्णय के बारे में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस प्रस्ताव के लिए अन्तर्मंत्रालयी परामर्श और गृह मंत्रालय द्वारा अन्तिम निर्णय अपेक्षित है।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था

127-1

3236. श्री के.एस. राव :
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारणों की जांच की है;

(ख) उद्यमियों और निवेशकों में पुनः विश्वास लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं; और

(ग) निवेशकों के विश्वास से संबंधित शंकर आचार्य समिति की कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है तथा क्रियान्वित किया गया है तथा शेष सिफारिशों की अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान 7.5 प्रतिशत के वार्षिक औसत से 1997-98 में 5.1 प्रतिशत तक की तीव्र गिरावट आई है। 1997-98 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में आई तीव्र गिरावट का कारण मुख्य रूप से कृषि मूल्य वर्धित उत्पादन की ऋणात्मक वृद्धि दर (-1.5 प्रतिशत) और औद्योगिक क्षेत्रक में हुई अपेक्षाकृत कम वृद्धि (5.5 प्रतिशत) को माना जा सकता है।

केन्द्रीय बजट 1998-99 में कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। ये उपाय ग्रामीण ऋण, लघु उद्योग, आवास, आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्र, राजकोषीय व सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी बाजार व सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, विनिवेश, बीमा क्षेत्र को खोलने, निवेशक संरक्षण तथा निवेशक के विश्वास को फिर से कायम करने के क्षेत्रों में उपायों की घोषणा की गई है।

(ग) निवेशक के विश्वास से संबंधित शंकर आचार्य समिति की मुख्य सिफारिशों में से कुछ इस प्रकार हैं:-

1. सूचीकरण की अपेक्षाओं को कठोर बनाया जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंजों को इश्युकर्ताओं द्वारा की गई चूकों तथा उल्लंघनों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
2. छोटे निवेशक के संरक्षण के लिए अधिक सक्रिय निवेशक संरक्षण निधि सहित संस्थागत प्रबन्ध।
3. बेहतर निगमित अभिशासन।
4. नकदी निधि में सुधार करने के लिए कुछ विकल्पों में बाजार तंत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. एक विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राथमिक इश्यु निक्षेपागार प्रणाली के जरिए किए जाने चाहिएं।

6. 25 करोड़ रुपए व उससे अधिक के इश्युओं के सम्बन्ध में बही निर्माण (बुक बिल्डिंग) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इनमें से अधिकतर सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

विनिर्माण प्रणाली में व्यापक बदलाव

3237. श्री अरविंद कांबले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बदले हुए परिप्रेक्ष्य में देश में वर्तमान वस्त्र विनिर्माण प्रणाली में व्यापक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ परिवर्तनों के किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन किए जाने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) वस्त्र मंत्रालय द्वारा उसके 24 जुलाई, 1998 के संकल्प द्वारा श्री एस.आर. सत्यम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों, विपणन कौशल तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित वस्त्र क्षेत्र के समग्र क्रियाकलापों में मानव संसाधनों का विकास करने की रणनीति तथा व्यापक नीति बनाएगी।

समिति से कहा गया है कि वह छः महीनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

तमिलनाडु के मित्तूर में मिलों को पुनः खोलना

3238. श्री के.पी. मोहन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के मित्तूर में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के बारे में कोई अनुरोध अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन बंद पड़ी मिलों को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने संदर्भाधीन एकक जैसे एककों की रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त श्री एस.आर. सत्यम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति वस्त्र उद्योग में रुग्णता से निपटने के लिए उपायों की पुनरीक्षा करने के कार्य में लगी हुई है।

निर्बाध आयात की सूची

3239. श्री महबूब जहेदी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में 340 वस्तुओं को निर्बाध आयात सूची में सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या निर्बाध आयात से कतिपय लघु उद्योगों को नुकसान हुआ है जो कि भारत में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश में आलू और कृषि प्रसंस्करण वस्तुओं को उच्च प्राथमिकता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। दिनांक 13.4.98 को प्रतिबंधित सूची से 340 मदों को हटाकर मुक्त आयात सूची में शामिल किया गया था। इन 340 मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इन मदों के आयात की अनुमति देने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। "भारत में व्यापार उदारीकरण का लघु उद्योग पर प्रभाव" पर हाल में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के

अनुसार यह पाया गया है कि आयातों के उदारीकरण के कारण इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। यह क्षेत्र उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य दोनों रूप में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता सुधारने में सक्षम हुआ है और इससे निर्यात में भी सुधार होगा।

(घ) और (ङ) अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 1991 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुबंध-III में शामिल है जिनमें विदेशी निवेश के 51% तक भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए स्वत: अनुमोदन की अनुमति है।

विवरण

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, उपखण्ड-2 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या 3(आर.ई.-98)/97-02
नई दिल्ली : दिनांक 13 अप्रैल, 1998

– निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 4.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार समय-समय पर संशोधित 31 मार्च, 1997 को प्रकाशित निर्यात 997-2002 के आई.टी.सी. (एच.एल.) वर्गीकरण में निम्नलिखित संशोधन करती है। निम्नलिखित कालम 3, 4, 5 में उल्लिखित एक्जिम कोड संख्याओं नीति को निम्न अनुसार संशोधित किया जाएगा:-

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीति संबंधी शर्तें	विशेष आयात लाइसेंस/सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत आयात
1	2	3	4	5
030613 01	श्रिम [स्केम्पी] मेक्रोबेक्टिम फ्रोजन	मुक्त		
030613 02	ए.एफ.डी. श्रिम्प फ्रोजन	,,		
030613 03	प्रॉनस फ्रोजन	,,		
030614 00	**क्रेबस**	,,		
030619 00	अन्य मानव खपत हेतु उपयुक्त आटा, भोजन और क्रेसेटेसीन्स के हिस्से	,,		
030629 00	,,	,,		

1	2	3	4	5
030710 00	ऑस्टियर्स	मुक्त		
030721 00	जीवित ताजा अथवा प्रशीतित	,,		
030729 00	अन्य	,,		
030739 01	क्लेम्स-क्लेम मीट [बीवल्स-विक्टोरिया आदि]	,,		
030739 [illegible]	ताजा या प्रशीतित छोड़कर अन्य मसत्स	,,		
[illegible]	कटल फिश, जीवित ताजा अथवा प्रशीतित	,,		
030741 09	अन्य [स्किवड ताजा सहित]	,,		
030749 01	स्किवड ट्यूब फ्रोजन	,,		
030749 02	होल स्किवड फ्रोजन	,,		
030749 03	ड्राइड स्किवड्स	,,		
030749 09	अन्य स्किवड्स	,,		
030759 00	अन्य	,,		
030760 00	घोंघा, समुद्री घोघा के अलावा	,,		
030791 00	जीवित, ताजा अथवा प्रशीतित	,,		
030799 09	अन्य	,,		
060310 00	ताजा	,,		
060390 00	अन्य	,,		

1	2	3	4	5
060410 00	मोसेस और शैवाक	मुक्त		
060491 00	ताजा	,,		
060499 00	अन्य	,,		
070990 04	ग्रीन पीपर	,,		
071110 00	प्याज	,,		
071120 00	जैतून	,,		
	केपर्स			
071140 00	ककड़ी और खीरा	,,		
071190 01	खारे पानी में ग्रीन पीपर	,,		
071190 02	डिब्बा बंद विभिन्न सब्जियां	,,		
071190 09	खारे पानी/सल्फर पानी/अन्य परिक्षक में संरक्षित घोल में रखी सब्जियां लेकिन तुरन्त खपत हेतु	,,		
071230 01	मशरूम [मोरेल समेत]	,,		
071230 02	शुस्क ट्रफल्स	,,		
071290 01	शुष्क छत्तावर	,,		
071290 05	मरूवक ओरगनो	,,		
071290 09	अन्य शुष्क	,,		

1	2	3	4	5
071410 00	मेनयोक (कसावा)	मुक्त		
071490 01	साबुदाना	,,		
080121 00	बीज में	,,		
08012200	बीज निकले	,,		
080290 09	अन्य	,,		
081050 00	कीवी फ्रूट	,,		
13019031	ट्रोलू/केरुलोपेइवा-गुर्रजन के बलास्य	,,		
130214 00	रोटी नॉन वाले पौधो की जड़ों के अथवा पाईरेथ्रम	हटा दिया गया		
151560 00	जोजोबा तेल और इसके घटक	मुक्त		
151590 02	थल मोबरा तेल	,,		
151590 03	मोवरा तेल	,,		
151590 04	कोकम तेल	,,		
151590 13	मिर्ची, लाल मिर्च का तेल	,,		
151590 14	हल्दी का तेल	,,		
151590 16	अजवायन बीज का तेल	,,		
151590 17	लहसुन का तेल	,,		

1	2	3	4	5
17020 00.90	अन्य	मुक्त		
170490 01	मिठाई	,,		
190220 00	स्टफड पास्टा, चाहे पकाया हो या नहीं, अन्यथा तैयार किया गया हो	प्रतिबंधित		विशेष/ आयात लाइसेंस के तहत
190230 00	अन्य पास्टा	प्रतिबंधित		
190410 02	पावा, मूढ़ी आदि	मुक्त		
----	कोमूनियम वैफर्स सीलिंग वैफर्स आदि	,,		
200830 09	अन्य रस वाले फल तैयार या संरक्षित किए हुए	,,		
200840 00	नासपाती तैयार या संरक्षित	,,		
200850 00	खुमानी	,,		
200860 00	चैरी	,,		
200870 00	आड़ू	,,		
200880 00	स्ट्राबेरी	,,		
200899 12	अंगूर तैयार या संरक्षित	,,		
200899 13	सेब तैयार या संरक्षित	,,		
200899 14	अमरूद तैयार या संरक्षित	,,		

1	2	3	4	5
200899 19	अन्य फल, तैयार या संरक्षित	मुक्त		
200911 00	प्रशीतित	,,		
200919 00	अन्य	,,		
200970 00	एपल जूस			
200980 01	मैंगो जूस	,,		
210690 04	पेय तैयार करने हेतु मिश्रित घोल (गैर-एल्कोहल)	,,		
220110 00	मिनरल वाटर और एरेटडड वाटर	प्रतिबंधित	विशेष लाईसेंस के तहत आयात अनुमति है।	
220190 09	अन्य जल [प्राकृतिक जल समेत]	मुक्त		
220210 01	नीबू जल	,,		
220210 09	नीबू जल के अलावा	,,		
220290 00.10	मधुमेह रोगियों हेतु पेय पदार्थ (मधुमेह सीरप सहित)	,,		
29173905	ट्राइमोसिटिक	,,		
29173906	इसोफिथलक एसिड	,,		

एक्जिम कोड 310390 00 और 310490 00 के अधीन मदें राज्य व्यापार निगम के तहत होगी। सरणीबद्ध एजेन्सी एम.एम.टी.सी. इंडिया लिमिटेड इन मदों के आयात के सम्बन्ध में सामान्य वाणिज्यक प्रणाली का अनुसरण करेगी

1	2	3	4	5
32081002	नाइट्रो सेलुलस लेक्वेयरस	मुक्त		
32081009	अन्य	,,		
32082002	वार्निस	,,		
32082003	प्राकृतिक रेसिन इनामिल	,,		
32082009	एक्रेलिक विनाइल पोलीमर पर आधारित अन्य पेन्ट वार्निस	,,		
	कृत्रिम एनेमिल अल्ट्रा व्हाइट पेन्ट	,,		
32089003	कृत्रिम एनेमिल अन्य रंग	,,		
32089009	अन्य पेन्ट वर्निस [एनेमिल और लेकव्येर सहित]	,,		
32091001	सभी प्रकार के प्लास्टिक इमलसन पेन्ट	,,		
32091009	एक्रेलिक/विनाइल पोलीमर पर आधारित अन्य पेन्ट	,,		
32099001	डिस्प्रसन पेंन्ट	,,		
32099002	इमलसन पेन्ट, नेस	,,		
32141000	ग्रेलेजियर पुट्टी, ग्राफटिंग पुट्टी रेसिन सीमेन्ट कोकिंग कम्पाउण्ड और अन्य मास्टिक, पेन्ट फिलिंग	,,		
32149001	नॉन रिफेक्ट्री सरफेंसिंग प्रिपेरेशन, फेकेट्स आदि हेतु	,,		
32149002	ऐडेहेसिव सीमेन्ट	,,		

एक्जिम कोड 330130 02 और 330130 03 को नए एक्जिम कोड 330130 00 और 330130 01 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

1	2	3	4	5
33012927	चन्दन लकड़ी का तेल बल्क में	मुक्त		
33012944	अगर का तेल	,,		
33012945	रेज़िन ऑयल			
33013000	रेजिन ऑयल	हटा दिया गया		
33013001	अगर का तेल	,,		
33019019	प्राकृतिक सुगन्धियों के एक्वायस डिसक्लेट्स	मुक्त		
33049904	सिन्दूर बिन्दी कुमकुम	,,		
33049905	सभी प्रकार की हल्दी प्रिपेरेशन	,,		
33052000	स्थाई रूप से घुंघराले बनाने अथवा बाल सीधे करने वाले प्रिपेरेशन	,,		
33071008	शेविंग क्रीम	,,		
33079001	डेपिलेटरीज़ [साबुन अन्य बाल सफा पदार्थ]	,,		
33079009	अन्य	,,		
34011101	मेडिकेट्स सोप	,,		
34011103	डेन्टल सोप के अलावा अन्य टॉयलट सोप	,,		
340290	वाशिंग पिपेरेशन [आक्सीलरी वाशिंग पिप्रेरेशन]			
01.10	क्लीनिंग पिप्रेरेशन साबुन या अन्य ओरगेनिक सरफेस एक्टिव एजेन्ट के आधार वाले	,,		

1	2	3	4	5
340290 01.20	क्लीनिंग या डीग्रजिंग प्रिपेरेशन जिनका उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म के साबुन या अन्य कार्बनिक सरफेस एक्टिव एजेन्टों का आधार नहीं है	मुक्त		
340510 00.10	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	,,		
340510 00.20	उपभोक्ता पैको में	,,		
	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	,,		
340530 00.10	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	,,		
340540 00.10	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	,,		
340590 01.10	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	,,		
340590 09.10	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	,,		
381900 01.10	उपभोक्ता पैको में 20 मीटर ब्रेक फलपूड	,,		
38190009	अन्य	,,		
39181000	विनाइल क्लोराइड के पोलीमर का	,,		

1	2	3	4	5
39189001	लिनोक्सिन की फ्लोर कवरिंग	मुक्त		
39189009	अन्य की फ्लोर कवरिंग आदि	,,		
39229000	अन्य			
39251000	300 लिटर क्षमता से अधिक जलाशय टैंक, वेट और ऐसे ही कंटेनर	,,		
39252000	दरवाजे खिड़कियां और इनके फ्रेम तथा दरवाजों के लिए थ्रेशहोल्ड	,,		
39253000	शटर, बिलन्ड [वेनेटिन बिलन्ड सहित] और ऐसी ही वस्तुएं तथा इनके हिस्से पुर्जे	,,		
39259000	अन्य	,,		
39261001	प्लास्टिक स्टिकर प्रिंटेड हो या न हो, एम्बोड्सड/इमप्रेगनेट्ड	,,		
39263001	सेलुलेस एडहेसिव टैपें	,,		
39263009	अन्य	,,		
40169200	एरेजर	,,		
40169903	रबड़ बैंड	,,		
42022909	अन्य	,,		
42023909	अन्य	,,		
42029900	अन्य	,,		
45041001	शीटें	,,		
45041002	स्लेबें	,,		

1	2	3	4	5
45041009	अन्य	मुक्त		
46011000	प्लेट्स और प्लेटिंग मेटीरियल के ऐसे ही उत्पाद, स्ट्रिपों में एसैंबल्ड हो या न हो	,,		
480260 09.90	अन्य	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस के अधीन आयात की अनुमति है	
48091001	मेनीफोल्ड पेपर	मुक्त		
480910 09.10	फैक्स मशीनों के लिए थर्मल पेपर	,,		
09.90	अन्य	,,		

शीर्ष 48.11 और एक्जिम कोड 48111000 के सामने कॉलम 3 में दी गई प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा

48112109	अन्य सेल्फ एडहेसिव पेपर और पेपर बोर्ड	मुक्त		
48112900	अन्य	,,		
48113100	ब्लीच्ड, 150 ग्राम/वर्ग मीटर से ज्यादा भार	,,		
48113901	सर्फेस डेकोरेटिड प्लास्टिक लेमिनेटिड पेपर	,,		
481139 09.90	अन्य	,,		
48114001	वेक्स्ड पेपर [वेक्स्ड मेनीफोल्ड पेपर सहित]	,,		
48114009	अन्य	,,		
48119001	हाथ से निर्मित कागज और पेपर बोर्ड रूल्स लाईन या वर्गाकार किन्तु अन्यथा प्रिंटिड न हो	,,		

1	2	3	4	5
48119003	कागज या लुगदी इमप्रेगनेटड के बिल्डिंग बोर्ड	मुक्त		
48119005	रसायनों या कीट नाशकों से इमप्रेगनेटड कागज उदाहरणार्थ लिट्मस/डी.डी.टी. कोट्ड पेपर	,,		
48119006	सेंसटीसाईटिसिंग कोट्ड के लिए रॉ बेस पेपर	,,		
48119007	सरफेस मारबल पेपर	,,		
48161000	कार्बन या ऐसे ही कापिंग कागज	,,		
48162001	साइज में काटे गए डुपलिकेटिंग पेपर	,,		
48163000	डुपिलिकेटर सटेंसिल	,,		
490700 00.20	साफ्टवेयर कम्पनी द्वारा जारी साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए टाइटल के सभी दस्तावेज	,,		
58041000	टूल्स और अन्य नेट फ्रैबिक्स	,,		
58042100	मानव निर्मित फाइबर का	,,		
58042900	अन्य वस्त्र सामग्री का	,,		
58043000	हाथ से बनी लैस	,,		
58061000	बूवन पाइल फ्रेबिक्स [टेरी टॉवलिंग और समान टेरी फेब्रिक्स] और चेनाइल फेब्रिक्स	,,		
580620 00.90	अन्य	,,		
58063100	कॉटन का	,,		
58063900	अन्य वस्त्र सामग्री का	,,		

1	2	3	4	5
58064000	एडहेसिव लगाकार वेफ्ड एसम्बेल के बिना बार्प वाले फेब्रिक्स	मुक्त		
580810 00.90	अन्य	,,		
58101000	फयूजीबल एम्ब्राइडरी मौटिफ सहित विजिबल ग्राऊंड के बिना एम्ब्राइडरी	,,		
58109100	कॉटन का	,,		
58109200	मानव निर्मित फाइबर का	,,		
	अन्य वस्त्र सामग्री का	,,		
630790 00.20	अम्ब्रेला क्लॉथ पैनल	,,		
65051000	हेयर नेट्स	,,		
65069200	फरस्किन का	,,		
67041100	कम्लीट विन्स	,,		
67042009	अन्य	,,		
67049000	अन्य सामग्री को	,,		
68010000	नेचुरल स्टोन[स्लेट को छोड़कर] के सेट्स कर्व स्टोन और फलेग स्टोन	,,		
68022102	मारबल मोन्यूमेंटस	,,		
68079002	अस्फाल्ट/ऐसी ही सामग्री की अन्य वस्तुएं	,,		
68101101	सीमेंट ब्रिक्स	,,		

1	2	3	4	5
68109100	बिल्डिंग अथवा सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रीफेब्रीकेटिंग स्ट्रक्चरल कम्पोनेंट	मुक्त		
69010002	ब्लॉकस	,,		
69041000	बिल्डिंग ब्रिक्स	,,		
69059000	अन्य	,,		
69071000	टाइलस, क्यूब और ऐसी ही वस्तुएं आयाताकार हो अथवा न हो, जिसका बड़ा सतह क्षेत्र वर्ग, जिसकी दिशा 7 से.मी. से कम हो, के अन्दर आ सके	,,		
70101000	एम्पल्स			
70109200	बोतलों को छोड़कर 0.33 लिटर से अधिक लेकिन 1 लीटर से अधिक न हो	,,		
701091300	बोतलों को छोड़कर 0.15 लिटर से अधिक किन्तु 0.33 लीटर से अधिक न हो	,,		
70109400	बोतलों को छोड़कर 0.15 लिटर से अधिक न हो	,,		
70179003	अन्य हाइजनिक ग्लास वेयर	,,		
710420 0090	सिन्थेटिक रूबी अनवर्कड अथवा सिम्पली सोन अथवा रफली शेपड को छोड़कर सिनथेटिक अथवा रिवर्कड प्रेशियस अथवा सेमी प्रेशियस स्टोन	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस [एस. आई.एल.] के मध्य आयात की अनुमति है।	
71049000	अन्य	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस [एस.आई.एल.] के मध्य आयात की अनुमति है।	
71171100	कफलिंक और स्टड्स	मुक्त		
73090003	प्रेसड स्टील टैंकस	,,		

1	2	3	4	5
73090004	प्रेशर वेसल्स	मुक्त		
73090009	आयरन/स्टील एन.ई.एस. के रिजर्वायर टैंक वैट इत्यादि	,,		
73130002	क्रिसटेड हूफ/सिंगल फलैट वायर जोकि कॉटेदार हो अथवा न हो तथा ढीली मुड़ी हुई डबल वायर पैंसिग के लिए प्रयोग की गई	,,		
73141200	स्टेनलेस स्टील की मशीनरी के लिए एंडलेस बैन्डस	,,		
73141300	मशीनरी के लिए अन्य एंडलेस बैन्डस	,,		
	अन्य	,,		
73144200	प्लास्टिक से कोटेड	,,		
73144900	अन्य	,,		
73239401	धमेला	,,		
74170001	ऑयल प्रेशर स्टोव	,,		
74170009	अन्ट स्टोव	,,		
74170019	अन्य सभी कुकिंग और हीटिंग उपकरण	,,		
74170021	स्टोव के बर्नर	,,		
74170029	स्टोव के अन्य हिस्से	,,		
74181100	पॉट स्कूरलस और स्कूरिंग अथवा पोलिशिंग पेड ग्लोब और ऐसे ही	,,		
741991 00.10	कॉपर कास्ट मोलइड स्टेम्प अथवा फॉर्जड की अन्य वस्तुएं लेकिन जिन पर आगे काम नहीं किया गया हो उपभोक्ता माल के रूप में वर्गीकृत	,,		

1	2	3	4	5
741999 01.90	अन्य	मुक्त		
76101000	दरवाजे खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए उनकी दहलीज	,,		
76109001	फीनिश्ड स्ट्रक्चर	,,		
76121000	कीलेपसिबल टयूबलर कंटेनरस	,,		
82021002	वुडवर्किंग और ऐसे ही हैंड सोप, सभी प्रकार के	,,		
82029103	हेक, सॉ फ्रेमस	,,		
82029900	अन्य	,,		
82031000	फाइलस रेसपस और इसी प्रकार के टूलस	,,		
82034001	परफोरेटिंग पन्चस और पाइप कटरस	,,		
82034009	अन्य	,,		
82042000	हैण्डलों के बिना अथवा हेण्डलों सहित इन्टरचेंजबल स्पेनर स्टोकेटस	,,		
82051000	ग्रिलिंग, थ्रेडिंग अथवा टेपिंग टूलस	,,		
82055902	मेटल वर्किंग एंड हैण्ड टूलस	,,		
82055903	विशेष प्रयोगों जैसे कि घड़ी बनाने के औजारों, सुनार के औजारों के लिए हैण्ड टूलस	,,		
82055909	अन्य	,,		
82056000	ब्लो लैम्पस	,,		

1	2	3	4	5
82057000	वाइसस कलैम्पस और समान	मुक्त		
82058001	एनवेलस और पोटेबल फॉर्जर्स	,,		
82058002	फ्रेम वर्कस हैण्डक/पेडल ओप्रेटड सहित	,,		
82100000	भोज्य अथवा पेय पदार्थों की तैयारी, सजावट अथवा सर्व करने में प्रयोग होने वाले हैण्ड ऑप्रेटेड मैकेनिकल एपलाएन्सेज, जिसका भार 10 कि.ग्रा. अथवा कम हो	,,		
82119500	बेस मेटल के हैण्डल	,,		
82121001	टिबन टाइप शैविंग सिस्टम में	,,		
	[illegible] रेजर्स	,,		
82122001	सेफ्टी रेजर ब्लेड्स	,,		
82122002	सेफ्टी रेजर ब्लेडस, सिस्टम में	,,		
82122003	डिसपोजेबल कार्टरिज ब्लेड	,,		
82149001	बेस मेटल की कटलरी हैन्डल	,,		
83013000	फर्नीचर में प्रयुक्त किए जाने वाले एक प्रकार के ताले	,,		
83030000	बेस मेटल के स्ट्रांग रूम, कैश और डीड बाक्स के लिए आर्मरड या रिइन्फार्सड सेफ, स्ट्रॉग बॉक्स और दरवाजों और सेफ डिपाजिट लाकर्स	,,		
830890 03.90	अन्य	,,		
83099001	एल्यूमिनियम कैप्स, सीले कैप्सूल्स और क्लोजर्स	,,		
83099002	सभी प्रकार की सीलें [मेकेनिकल सीलों सहित]	,,		

1	2	3	4	5
83099009	अन्य	मुक्त		
84142000	हाथ या पाव से चालित एयर पम्प	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस के प्रति आयात अनुमत है।	
84191101	नॉन इलैक्ट्रिकल [घरेलु किस्म]	मुक्त		
84191901	नॉन इलैक्ट्रिकल [घरेलू किस्म]	,,		
84244000	बोनपेट अग्निशमक	,,		
84471101	ऊन के लिए हैण्ड निटिंग मशीन	,,		
84471201	ऊन के लिए हैण्ड निटिंग मशीन	,,		
84471219	निटिंग मशीनें, एन.ई.एस.	,,		
844720 01.10	डोमेस्टिक टाइप की फ्लेट निटिंग मशीनें डोमेस्टिक टाइप	,,		
844720 09.10	डोमेस्टिक टाइप की फ्लेट निटिंग मशीनें डोमेस्टिक टाइप	,,		
844720 11.10	डोमेस्टिक टाइप की फ्लेट निटिंग मशीनें डोमेस्टिक टाइप	,,		
844720 19.10	डोमेस्टिक टाइप की फ्लेट निटिंग मशीनें डोमेस्टिक टाइप	,,		
84719007	वी.जी.ए. मोनिटर	,,		
84718008	सी.जी.ए. मोनिटर	,,		
84797000 85044005	गारबेज कमपेक्टर	,,		
85068002	निकेल कैडमियम चार्जेबल [पैन्सिल बैटरी]	,,		

1	2	3	4	5
85072000	अन्य लीड-एसिड एकम्यूलेटर्स	मुक्त		
85073000	निकेल केडमियम	,,		
85074000	निकेल आयरन	,,		
85075000	लिथियम आयोडीन बैटरी	,,		
85078000	अन्य एक्म्युलेटरस	,,		
85098000	किचन वेस्ट डिस्पोजर्स	,,		
85232004	सी.डी. रिकोर्डेबल	,,		
	सी.डी. आडियो, सी.डी. वीडियो और सी.डी. रॉम के लिए स्टेम्पर	,,		
85254000	वीडियो कैमरा/कैम्कोर्डरा	,,		
853931 00.10	काम्पैक्ट फलोरसैन्ट लैम्पस	,,		
853931 00.20	लैम्पस	,,		
853931 00.90	अन्य	,,		
85399001	फलोरसैन्ट ट्यूब लैम्पों के हिस्से	,,		
87119001	साइड कारें	,,		
87161000	हाऊसिंग या कैम्पिंग [नॉन मोटोराइज्ड] के लिए कारवां टाइप के ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स	,,		
87162000	कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए सेल्फ लोडिंग या सेल्फ अनलोडिंग ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स	,,		

1	2	3	4	5
87163100	टैंकर ट्रेलर्स और टैंकर सेमी ट्रेलर्स	,,		
87163900	अन्य	,,		
87164000	अन्य ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स	,,		
87168001	हैण्ड ट्रेलर्स व्हीकल्स (यानि हैण्ड कार्टस, रिक्शा आदि)	,,		
88040000	पैराशूटस [डिरीजिबल पैराशूटस और पैराग्लाइडर्स सहित और रोटोशूटस, उनके हिस्से और उनकी एक्सेसरीज]	,,		
90019001	आप्टीकल कैल्साइल क्रिस्टल	,,		
90031100	प्लास्टिक का	,,		
90031900	अन्य सामग्री का	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस के अधीन आयात अनुमत है।	
90328905	वोल्टेज स्टेबेलाइजर [घरेलू प्रकार के छोड़कर] अन्य	मुक्त		
	एक्जिम कोड 91.01 और 91.02 के अधीन रुपये 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट कलाई की घड़ियों के आयात की विशेष आयात लाइसेंस के तहत अनुमति है, नामक प्रविष्टि को हटा दिया गया			
91011100	केवल मैकेनिकल डिस्पले सहित	प्रतिबंधित	तथापि रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91011200	केवल ओपटो-इलैक्ट्रोनिक डिसपले सहित	प्रतिबंधित	तथापि रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91011900	अन्य	,,	तथापि रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	

1	2	3	4	5
91012100	ऑटोमेटिक वाइन्डिंग सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91012900	अन्य	प्रतिबंधित	तथापि रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91019101	पॉकिट घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91019109	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91019901	पॉकिट घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91019909	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।

1	2	3	4	5
91021100	केवल मैकेनिकल डिसपले सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रु. 35000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91021200	केवल ओप्टो-इलैक्ट्रोनिक डिसप्ले सहित	प्रतिबंधित	तथापि रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91021900	अन्य	प्रतिबंधित	तथापि रु. 35,000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91022100	पॉकिट घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात की लाइसेंस के तहत रु. 35000/- [सी. आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91022900	अन्य	प्रतिबंधित	तथापि रु. 35000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91029101	पॉकिट घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91029109	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।

1	2	3	4	5
91029901	पॅकिट घड़ियां	प्रतिबंधित		
91029909	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाईसेंस के तहत रु. 35000/- [सी.आई.एफ.] से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91061000	टाइम रजिस्टर्स टाइम रिकार्डस	मुक्त		
91062000	पर्किंग मेटर्स	,,		
91069000	अन्य	,,		
91099000	अन्य	,,		
	...ट वॉयर	,,		
94033009	अन्य	,,		
94034000	किचन में उपयोग में लाए जाने वाला एक प्रकार का लकड़ी का फर्नीचर	,,		
94035001	बैड स्टीड	,,		
94035009	बेडरुम में उपयोग में लाए जाने वाला अन्य लकड़ी का फर्नीचर	,,		
94036000	अन्य लकड़ी का फर्नीचर	,,		
94037000	प्लास्टिक का फर्नीचर	,,		
94041000	मैट्र्स स्पोर्ट	,,		
94042100	ढके अथवा बिना ढके सेल्यूर रबड़ या प्लास्टिक के	,,		
94042900	अन्य सामग्री के	,,		
94043000	स्लीपिंग बैगस	,,		
940600 09.10	प्रिफेब्रिकेटेड हाऊसिंग मेटिरियल	,,		
95010001	सवारी के लिए डिजाइन किए गए पहिए वाले खिलौने	,,		

1	2	3	4	5
95021001	लकड़ी की गुड़िया	मुक्त		
95021002	धातु की गुड़ियां	,,		
95021003	प्लास्टिक की गुड़ियां	,,		
95021009	अन्य	,,		
95031000	इलैक्ट्रिक ट्रेन जिनमें ट्रेक सिंगनलस और अन्य सह समान जुड़े है	,,		
950330 00.10	एजूकेशनल गेम और फंक्शनल/टेक्नीकल खिलौना/मॉडल/किट्स	,,		
950330 00.90	अन्य	,,		
95043001	कैरम बोर्ड [उनके चाहे क्वायन और स्ट्राइकर्स हों अथवा न हों]	,,		
95044000	प्लेइंग कार्ड	,,		
95049001	चैस सैट [सभी प्रकार के]	,,		
95049009	अन्य	,,		
95051000	क्रिसमस उत्सवों के लिए वस्तुएं	,,		
95059000	जादुई उपकरण	,,		
95059009	अन्य [आनन्दोत्सव और मनोरंजन की वस्तुएं आदि]	,,		
95066204	फुटबाल	,,		
95066205	बालीबाल	,,		
95066206	बास्केट बाल	,,		
95066209	अन्य	,,		
95066903	रग्बी बाल	,,		
95066904	क्रिकेट बाल	,,		
95066909	अन्य	,,		
95069901	बैडमिंटन शटल कॉक	,,		

1	2	3	4	5
95069903	क्रिकेट संबंधी वस्तुएं	मुक्त		
95069904	फुटबाल संबंधी वस्तुएं	,,		
95069905	हाकी स्टिक्स और ब्लेड्स	,,		
95069906	ब्लेड शैफ्ट और हैड्स सहित पोलोस्टिक्स	,,		
95069907	स्पोर्टस नेट्स	,,		
95080000.10	एम्यूजमैंट पार्क संबंधी उपकरण	,,		
96039000	अन्य	,,		
96040000	हैण्ड सीवज और हैण्ड रिडल्स	,,		
96089901	पैन होल्डरस और सिमिरल होल्डरस	,,		
96091000	रिजिड शीट में लीड्स एनकेसड सहित पैंसिल क्रेयत्स	,,		
	स्लेट पैंसिल	,,		
	अन्य पैंसिल	,,		
96099011	पेस्टल, ड्राइंग तारकोल और राइटिंग या ड्राइंग चाक और टेलर्स चाक	,,		
9611000	डेट सीलिंग या नंबरिंग स्टैम्पस और ऐसी ही वस्तुएं [प्रिटिंग या एम्बोसिंग लेवलों के लिए डिवाइस सहित] हाथ द्वारा संचालन के लिए डिजाइन किए गए हस्तचालित कम्पोजिंग स्टिक्स जैसे हस्त मुद्रित सैट्स	,,		
97040000.10	इस्तेमाल किए गए डाक टिकट	,,		
97040000.20	टिकट संग्रहियों के लिए इस्तेमाल किए गए या इस्तेमाल न किये गए प्रथम दिवस कवर	,,		
97040000.90	अन्य	,,		

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह०/-
[एन.एल. लखनपाल]
महानिदेशक विदेश व्यापार और
पदेन अपर सचिव भारत सरकार

प्रति सभी संबधितों को आदेश आदि से।

[राजन सुदेश रत्न]
उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार

फाइल सं. आई.पी.सी./4/5/[667]/97-82 से जारी

एम.एस. शूज ग्रुप के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

3240. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एम.एस. शूज ग्रुप की कंपनियों तथा इसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामले की जांच बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लघु निवेशकों के डूबे हुए धन की वसूली कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मैसर्स एम.एस. शूज (ईस्ट) लि., नई दिल्ली और मैसर्स एम.एस. शूज (ईस्ट) लि. के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पवन सचदेवा के विरुद्ध 10.9.1998 को ए.सी.एम.एम. के न्यायालय, तीसरा न्यायालय, एस्प्लनेड, मुंबई में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 68 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोपों के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की 173 के साथ पठित धारा 169 के तहत अंतिम रिपोर्ट भी 28.9.98 को अदालत में दाखिल की गई है और माननीय विशेष न्यायाधीश, मुंबई द्वारा स्वीकृत कर ली गई है।

(ग) और (घ) 6 मार्च, 1995 को सेबी ने निर्देश दिया था कि कंपनी ऐसे किसी भी निवेशक को आवेदन-राशि लौटाए जो इश्यू से पैसा वापस लाने का इच्छुक हो। इश्यू के असफल हो जाने के बाद, कंपनी ने इश्यू के अभिदाताओं को 52.34 करोड़ रुपए की राशि लौटाई।

फलों और सब्जियों का निर्यात

3241. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में सब्जियों और फलों का उत्पादन करने वाले देशों में से एक बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भारत अपने कुल उत्पादन का केवल एक प्रतिशत ही निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तथापि, निर्यात किए जाने वाले फलों एवं सब्जियों की कुल मात्रा उत्पादन के 1% से भी कम बैठती है। कम निर्यात होने के कुछेक कारण ये हैं:- शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी का अभाव, शीतागारों आदि जैसी अपर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाएं और घटिया हैंडलिंग जिसके कारण उत्पाद की पर्याप्त मात्रा नष्ट और खराब हो जाती है।

(ग) फल एवं सब्जियों जैसे बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कुछेक कदम उठाए गए हैं:-

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोधानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनिकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के एकीकृत विकास पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टिकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात इकाईयों में नवीनतम आई.एस.ओ. 9000/एच.ए.सी.सी.पी. उपकरण लगाने समेत उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) चुनिन्दा ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(6) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप, अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना करना। नष्ट होने योग्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/संशोधित वातावरण संबंधी प्रौद्योगिकीय जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए अनुसंधान प्रयास किए जा रहे हैं;

(7) क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसी नष्ट होने वाली मदों के [illegible] मंचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान [illegible] एकीकृत कार्गों संचालन और शीतागारों की [illegible] करना;

(9) निर्यात उत्पादन, गुणवता नियंत्रण पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के लिए कृषकों को प्रशिक्षण देने समेत व्यापार एवं उद्योग को तकनीकी परामर्शी सेवाएं एवं अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करना।

पेंशन के लम्बित मामले

184-90

3242. श्री ए. वैंकटेश नायक : क्या **वित्त मंत्री** लंबित पेंशन मामलों के बारे में 24 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5603 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो क्या प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन के लाभार्थियों को पारिवारिक पेंशन की राशि तथा बकाया मिल गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित पारिवारिक पेंशन सहित बकाया राशि का लाभार्थियों को सुगमतापूर्वक भुगतान करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवम महालेखा परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अतारांकित प्रश्न संख्या 5603, दिनांक 24 जुलाई, 1998 में उठाए गए मुद्दों के उत्तर 7 दिसम्बर, 1998 को सदन के पटल पर रख दिए गए थे। उसकी एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

अनुसूची

लोक सभा का सत्र 1998

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पूर्ति की तारीख.......................................

प्रश्न सं. एवं तारीख		विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब का कारण
1		2	3	4	5
श्री वेंकटेश नायक, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 24.7.98 को पूछा गया लिखित प्रश्न सं. 5603		महालेखा कार्यालय (ए. एंड ई.) पूछा गया था कि:	1. महाराष्ट्र में बकाया पेंशन मामले		
	(क)	महाराष्ट्र में आज तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ए. एंड ई-1) में परिवार पेंशन के लंबित दावों की संख्या कितनी है?	(क) से (च) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त	सूचना दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।	आश्वासन तीन महीने की विनिर्धारित अवधि में ही पूरा किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
	(ख) ये मामले कब से लंबित हैं और उनके लंबित रहने के क्या कारण है;	होते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी;		
	(ग) क्या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ए. एंड ई.-1) महाराष्ट्र को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई से पत्र संख्या बी-एडमिन-35/(1)/74 दिनांक 21 नवम्बर, 1975 और बी.एडमिन-1/35(1)/74-पार्ट-III दिनांक 15 जून, 1998 प्राप्त हुए हैं;			
	(घ) यदि हां, तो लेखा परीक्षा विभाग ने उन पर क्या कार्रवाई की है;			
	(ङ) इन मामलों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलंब होने के क्या कारण हैं; और			
	(च) लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?			

अनुसूची के कालम 4 में संदर्भित विवरण

महालेखा कार्यालय (ए. एंड ई.)-1, महाराष्ट्र में बकाया पेंशन मामले

कथित प्रश्न में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:-

(क) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा-विभाग (ए. एण्ड ई.-1) महाराष्ट्र में आज की तिथि के अनुसार बकाया परिवार पेंशन के दावों संबंधी मामलों की संख्या;

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार महालेखाकार कार्यालय (ए. एण्ड ई.) महाराष्ट्र में 21 जुलाई, 1998 की स्थिति के अनुसार पेंशन के 239 मामले लंबित हैं।

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं तथा इनके बकाया रहने के कारण?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा विलम्ब के कारणों के साथ-साथ इन सभी मामलों का आयुवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:-

विलम्बन की अवधि	मामलों की संख्या	विलम्बन का कारण
1	2	3
1. 45 दिनों से कम	160	ये मामले 45 दिनों की अनुमेय अवधि में निपटाए गए हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने और स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा सब प्रकार से मुकम्मल पेंशन मामलों पर प्रक्रियानुसार कार्रवाई करने में सामान्यत: 45 दिनों का समय लग जाता है।
2. 45 दिनों से एक वर्ष	48	सूचित किया गया कि राज्य सरकारी विभागों के सम्बद्ध नियंत्रण अधिकारियों से नामांकन, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, परिवार विवरणों आदि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के इन मामलों को निपटाने में विलम्ब हुआ है।
एक से दो वर्ष	23	इन बातों के बावजूद महालेखा कार्यालय (ए. एण्ड ई.-1) महाराष्ट्र द्वारा संबंधित राज्य सरकारी प्राधिकारियों के साथ
4. दो से पांच वर्ष	3	इन मामलों पर अनुसारक/अनुवर्ती प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) क्या लेखा परीक्षा विभाग (ए. एण्ड ई.) महाराष्ट्र ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सेन्ट्रल) मुंबई के कार्यालय से दिनांक 21 नवम्बर, 1975 का पत्र सं. वी. प्रशा-1/35(1)/74 और जून, 1998 के पत्र सं. वी.प्रशा.-1/74 पार्ट-II प्राप्त किए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा 21 नवम्बर, 1975 को भेजा गया पत्र लेखा-परीक्षा (ए. एण्ड ई.-1) विभाग, महाराष्ट्र को नहीं मिला। तथापि यह पत्र 15 जून, 1988 को प्राप्त हुआ है।

(घ) यदि हां, तो लेखा परीक्षा-विभाग द्वारा इस पर की गई कार्रवाई।

श्रीमती बसन्ती देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री भगत राम, पूर्व दफ्तरी, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), मुम्बई की परिवार पेंशन से संबंधित एक पत्र 15 जून, 1998 को प्राप्त होने पर इस मामले को अंतिम रूप दिया गया था तथा तद्नुसार श्रीमती बसन्ती देवी को उनकी इच्छा के अनुसार परिवार पेंशन वितरित करने के लिए कोषाधिकारी, हमीर पुर को आवश्यक प्राधिकार जारी करने के लिए महालेखा कार्यालय हिमाचल प्रदेश को 22.7.98 को आवश्यक प्राधिकार जारी कर दिए गए थे।

1	2	3
(ङ)	इन मामलों को निपटाने में हुई असामान्य देरी का कारण; और	कृपया प्रश्न के उत्तर का भाग (ख) देखें।
(च)	इन बकाया मामलों को कब तक निपटा लिया जाएगा?	परिवार पेंशनों के तत्काल निपटान का मसला केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता/नियंत्रण अधिकारियों से सभी विनिर्धारित दस्तावेजों के यथासमय उपलब्धता पर निर्भर करता है। संबद्ध सरकारी विभागों से सभी अपेक्षित दस्तावेज/विवरण प्राप्त होने पर भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रयास रहता है कि इन मामलों को एक माह के भीतर निपटा दिया जाए।

व्यापार संबंध

3243. **श्री थावर चन्द गेहलोत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा पिछली मई में पोखरन में किये गये परमाणु विस्फोट के मद्देनजर किन-किन देशों ने भारत से या तो व्यापार संबंध तोड़ लिये थे या इस संबंध में सहयोग से इनकार कर दिया था;

(ख) इन व्यापार संबंधों को तोड़ लेने या भारत के साथ सहयोग से इन्कार करने से देश पर इसका क्या विपरीत असर पड़ा है; और

(ग) सरकार ने इस विपरीत असर से निपटने के लिए क्या कदम उठाये है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) किसी भी देश ने भारत के साथ व्यापार संबंध नहीं तोड़ा है। किंतु संयुक्त राज्य ने अपने नाभिकीय प्रसार निवारण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधात्मक आर्थिक कार्रवाई की है। कनाडा, जापान, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड द्वारा घोषित प्रतिबंधात्मक उपाय मुख्यत: विकास संबंधी सहायता या रियायती ऋणों से संबंधित हैं।

(ख) यद्यपि आर्थिक उपायों की निश्चित मात्रा बताना कठिन होगा लेकिन अभी तक प्रभाव न्यूनतम रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत ढांचा इतना मजबूत है कि वह आर्थिक प्रतिबंधों से होने वाले किसी भी दबाव को झेल सकती है।

(ग) भारत ने लगातार दृढ़तापूर्वक कहा है कि एक पक्षीय बाध्यकारी उपाय गैर न्यायोचित, अनुत्पादक हैं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा पूंजी के मुक्त प्रवाह को रोकते हैं तथा परस्पर लाभकारी आर्थिक संपर्क पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रमुख देशों ने खुद ही द्विपक्षीय प्रतिबंध बन्द कर दिया है और यू.एस. के अन्दर भी एकपक्षीय उपायों की क्षमता के बारे में पुन:विचार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3244. **श्री अजीत जोगी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद भरे नहीं गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे पदों को उन्हें अनारक्षित करके भरा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 1.1.1998 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमश: 18.85% तथा 7.96% था।

सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध है, सिर्फ कुछ अपवादस्वरूप मामलों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लोकहित में उन्हें अनारक्षित किया जा सकता है।

गत वर्षों में जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों में आरक्षित पदों को सुनिश्चित रूप से यथासमय भरने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और उनमें इस संबंध में अपेक्षित उपाय करने का भी उल्लेख किया गया है। पुन:, अक्तूबर, 1998 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों को खाली पड़े आरक्षित पदों को अनुदेशानुसार भरने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया है।

काजू का उत्पादन

3245. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काजू को बागान-फसल घोषित करने का है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का काजू का घरेलू उत्पादन बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु केरल को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी; नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "काजू के एकीकृत विकास" संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त पौधशालाओं और क्लोन बागों की स्थापना, काजू के नए बाग लगाने, पुराने और खस्ताहाल बागों के नवीकरण, उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने, गहन कीट नियंत्रण उपायों, मॉडल प्रदर्शनों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के लिए परिव्यय 5800 लाख रुपये का था। यह स्कीम 1997-98 के दौरान 1600 लाख रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखी गयी थी और इसे 1998-99 के दौरान 2000 लाख रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखा जा रहा है।

(घ) 1992-93 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान इस स्कीम के तहत केरल सरकार को 671.381 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। 1998-99 के दौरान केरल के लिए परिव्यय 89.30 लाख रुपये का है।

एकाधिकार कपास खरीद योजना अवधि में विस्तार

3246. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की एकाधिकार कपास खरीद योजना को 30.6.98 को समाप्त होने वाले वर्ष तक इस स्पष्ट निर्देश के साथ बढ़ा दिया है कि योजना की अवधि अब और अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के लाभ के लिए योजना को अगले 10 वर्षों तक बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने जून, 1998 के आगे 10 वर्षों की अवधि के लिए महाराष्ट्र में अपरिष्कृत कपास के लिए एकाधिकार कपास खरीद योजना को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे थे। जिनमें ऐसी समयावधि बढ़ाने में उपजकर्ताओं को मिलने वाले संभावित लाभ का उल्लेख था।

भारत सरकार ने सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में अपरिष्कृत कपास की एकाधिकार खरीद योजना को एक वर्ष की अवधि अर्थात् 30.6.1999 तक बढ़ाने का अनुमोदन किया था। भारत सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय वचनबद्धता नहीं दी जाएगी तथा कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिर जाने

की स्थिति में इस अवधि में महाराष्ट्र में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की कोई खरीद नहीं की जाएगी तथा महाराष्ट्र सरकार को इस बीच प्रभावी कदम उठाए जाने जरूरी हैं ताकि 30.6.1999 से अपरिष्कृत कपास की एकाधिकार खरीद योजना को समाप्त किया जा सके।

पांचवां वेतन आयोग

3247. श्री पी. शंकरन :
श्री मित्रसेन यादव

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सहायक तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में वृद्धि करने की कोई मांग है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का परिवहन भत्ता न्यूनतम 100 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिमाह कर देने संबंधी भी कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की इन दो लंबे समय में लंबित मांगों का निपटारा नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिए क्या वैकल्पिक पैकेज प्रस्तावित है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सम्बन्धित प्रचालक (नोडल) मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए ये मांगे सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार के अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले संभावित अप्रत्यक्ष प्रभावों, प्रशासनिक एवं वित्तीय जटिलताओं आदि का पर्याप्त ध्यान रखते हुए समुचित निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

अमेरिका से कृषि उत्पादों का आयात

193-94

3248. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका से आयात किया गया कृषि का सामान विशेष रूप से सोयाबीन घटिया दर्जे का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनकी गुणवत्ता जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) दले हुए या टूटे हुए सोयाबीन के आयात की अनुमति 15.10.98 से दी गई है।

(ख) से (घ) यू एस से अगर सोयाबीन का आयात किया जाता है तो वह टूटे हुए रूप में होगा। इसे चालू पौध संगरोध मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए। संगरोध आवश्यकताओं को पार करने/पूरा करने में असफल रहने वाली खेपों या जो मानव पौधे तथा/अथवा पशु स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं उनके प्रवेश को उतराई पर रोक लगाकर, पुनर्लदान, बर्बाद करने इत्यादि जैसे उपायों द्वारा रोका जाएगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में ब्रिटिश सहायता से चलने वाली परियोजनाएं

194-96

3249. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार का डिपार्टमेंट आफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.ए.आई.डी.) उड़ीसा में कतिपय परियोजनाओं को सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) इन जिलों को कुल कितनी सहायता राशि आवंटित की गई है;

(घ) इन सहायता परियोजनाओं की निगरानी और योजनाओं को लागू करने के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां नियुक्त की गई हैं; और

(ङ) इस सहायता कार्यक्रम को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। ब्रिटिश सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) उड़ीसा में चल रही निम्नलिखित चार परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है:-

	परियोजना	शामिल जिले
(1)	64.25 मिलियन पौंड के लिए दिनांक 29.08.96 का उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना करार (31.03.2001 तक वैध)।	भुवनेश्वर राजधानी क्षेत्र के साथ-साथ गंजम, जगतसिंहपुर, खुर्द और जाजपुर।
(2)	2.52 मिलियन पौंड के लिए दिनांक 21.08.97 की उड़ीसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना फेज-III चरण I करार (31.10.2000 तक वैध)।	भद्रक और क्योंझार
(3)	12.72 मिलियन पौंड के लिए दिनांक 20.10.97 कटक शहरी सेवाएं सुधार परियोजना फेज-II 31.03.2002 तक वैध)।	कटक
(4)	4.998 मिलियन पौंड के लिए दिनांक 27.12.96 का पुन: उत्पादक स्वास्थ्य (तकनीकी सहयोग) परियोजना करार (छ: वर्षों की अवधि के लिए वैध)।	भुवनेश्वर, बालासोर और कटक, तथापि निरोधक सामाजिक विपणन कार्यक्रम में पूरा उड़ीसा शामिल है।

(ग) जिलेवार आवंटनों का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(घ)

(घ)	परियोजना	कार्यान्वयन अभिकरण	अनुवीक्षण अभिकरण
	1	2	3
(1)	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना	ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा (ग्रिडको)	उड़ीसा सरकार का विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय
(2)	उड़ीसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना	उड़ीसा सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

	1	2	3
(3)	कटक शहरी सेवाएं सुधार परियोजना	परियोजना प्रबंध यूनिट, कटक	उड़ीसा सरकार का आवास एवं शहरी विकास विभाग,. केन्द्रीय शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
(4)	पुन: उत्पादक स्वास्थ्य (तकनीकी सहयोग) परियोजा	परिवार सेवा संस्था (पी.एस.एस.)	परियोजना प्रबंध यूनिट, भुवनेश्वर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ङ) सभी चार परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

खनिजों का निर्यात

3250. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात से वर्ष 1997-98 के दौरान निर्धारित खनिजों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से खनिजों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार खनिज निर्यातकों को उपयुक्त प्रणाली सुविधाएं, समुचित बाजार तंत्र और समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कोई बिक्री पैकेज बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) महोदय, वर्ष 1997-98 के दौरान खनिजों का कुल निर्यात (प्रसंस्कृत और बल्क खनिज दोनों ही) 3567 करोड़ रु. (अनुमानत:) है। इस अवधि के दौरान गुजरात से निर्यात किए गए खनिज बॉक्साइट और बेंटोनाइट हैं जिनका निर्यात जामनगर और कच्छ जिलों से किया गया।

(ख) सरकार निर्यातोन्मुख एककों को मशीनों का आयात करने के लिए आयात शुल्क की रियायती दरें प्रदान कर रही है और प्रसंस्कृत अयस्कों और खनिजों के निर्यात से निर्यातकों को होने वाली आय पर आय कर से छूट दी जाती है। गुजरात सरकार ने खनिजों के निर्यातकों को सम्बद्ध सूचना प्रदान करने के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद् की स्थापना की है और गुजरात निर्यात निगम की स्थापना की है।

(ग) और (घ) निर्यातकों को मांगने पर आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अन्तर्गत कर लाभों का उपयोग करने के लिए डिस्कलेमर जैसे निर्यात लाभ और विशेष आयात लाइसेंस उपलब्ध कराए जाते हैं। एम.एम.टी.सी. भी निर्यातकों को लदान पूर्व सुरक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ई.सी.एल. में नियुक्ति

3251. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कनिष्ठ ओवरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार नवम्बर 1997 में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त साक्षात्कार का परिणाम घोषित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कनिष्ठ ओवरमैन की अत्यधिक कमी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कम्पनी में कनिष्ठ ओवनमैन के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए कनिष्ठ ओवरमैनों की संख्या क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कनिष्ठ ओवरमैनों की नियुक्ति के लिए और खानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) नवम्बर 1997 में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में ओवरमैन के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिया गया था।

[illegible]या लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चूंकि, यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष विचाराधीन है अत: परिणाम घोषित नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास ओवरमैन अधिशेष है। ओवरमैन की 1410 की स्वीकृत संख्या के एवज में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की उपस्थिति-पंजी पर 1500 ओवरमैन है। कनिष्ठ ओवरमैन की अलग से कोई पद नहीं है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में सेवानिवृत हुए ओवरमैनों की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	सेवानिवृत्त हुए ओवरमैनों की संख्या
1995-96	26 व्यक्ति
1996-97	34 व्यक्ति
1997-98	44 व्यक्ति

(च) चूंकि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में, पहले से ही अधिशेष ओवरमैन है, अत: ओवरमैनों की नई नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेटेंट अधिनियम में संशोधन

200

3252. श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेटेन्ट अधिनियम 1970 में संशोधन करने वाले प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए गठित मंत्रियों के समूह की बैठक जो 16 नवम्बर, 1998 को दिल्ली में होनी थी, बिना कोई प्रगति किए स्थगित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, नहीं। पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन पर विचार करने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह की बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 1998 को आयोजित की गयी थी।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर आई.आर.एस. अधिकारी

3253. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद : 200-01
श्री एम.सी. दामोदरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न संस्थानों में प्रतिनियुक्त आई.आर.एस. अधिकारियों, जिन्होंने अपनी पदावधि समाप्त कर ली है तथा जिन्हें वापस नहीं बुलाया गया है, की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जो नियमों के तहत अनुज्ञेय अधिकतम पदावधि को समाप्त करने के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उन्हें वापस उनकी नियुक्ति के मूल स्थान पर बुलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) 26 (छब्बीस)।

विभिन्न संगठनों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल संबंधित पदों पर नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि पर आदाता संगठन द्वारा विचार किया जाता है और स्वीकृति दी जाती है तथा भारतीय राजस्व सेवा के संबंध में ऋणद संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड विभाग की अपेक्षाओं के मद्देनजर ऐसे अधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि करने हेतु अपनी "अनापत्ति" ही सम्प्रेषित करता है। विद्यमान निर्देशों के अंतर्गत जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्य कोई निर्णय न ले संबंधित अधिकारीगण वर्द्धित अवधि के पूरा होने के बाद अपने संवर्ग में लौट आएंगे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केवल अपवादजनक परिस्थितियों में ही सामान्य अवधि से अधिक प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति प्रदान करता है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामले

3254. **श्री के.सी. कोडय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा सितम्बर, 1998 के अंत तक ऋण वसूली न्यायाधिकरण बंगलौर के समक्ष कितने मामले दायर किए गए;

(ख) क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण बंगलौर में कर्नाटक के मामलों को तेजी से निपटाने हेतु आंध्र प्रदेश के लिए पृथक ऋण वसूली न्यायाधिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) ऋण वसूली अधिकरण (डी.आर.टी.), बंगलौर ने सूचित किया है कि दिनांक 30.9.1998 तक विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस अधिकरण में 4971 मामले दायर किए गए हैं। डी.आर.टी. बंगलौर ने इनमें से 1656 मामले निपटा दिए हैं। ये सभी मामले कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से संबंधित हैं। परिचालन संबंधी आवश्यकता आदि पर सरकार समय-समय पर उन पर विचार करने के बाद और अधिक स्थानों पर डी.आर.टी. स्थापित करने के प्रस्तावों की जांच करती है।

किसानों को ऋण

3255. **श्री के. येरननायडू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को ऋण प्रदान करने की दृष्टि से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 के अनुपालन से छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में सात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) जैसाकि सहकारी समितियों के लिए लागू है) के अनुपालन से छूट देने का अनुरोध किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर भारत सरकार ने सभी सात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को छूट दे दी है।

यूरोपीय यूनियन द्वारा मछली के आयात पर प्रतिबंध

3256. **श्री आर.एस. गवई** :
श्री विजय हाण्डिक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय यूनियन का मछली प्रसंस्करण में घटिया श्रम प्रथा के कारण भारत से मछली के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका देश को निर्यात से होने वाली आय पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का निर्यात प्रतिबंध का मुकाबला करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) यूरोपीय संघ ने मछली प्रसंस्करण में कथित घटिया श्रम प्रथा के कारण भारत से मछली के आयात पर कोई प्रतिबंध लगाने की अपनी मंशा के बारे में भारत सरकार को सूचित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जर्मनी द्वारा जारी की गई सूची

3257. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जर्मनी ने विशेष सहायता प्राप्त करने वाले देशों की सूची जारी कर दी है;

[illegible] तो क्या उक्त सूची में भारत को शामिल नहीं [illegible]

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर जर्मन सरकार से चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "हैंडबुक फॉर जर्नलिस्ट्स" के नवीनतम संस्करण के अनुसार जर्मन सरकार द्वारा 1997 के अंत तक की गई संचयी नई वचनबद्धताओं के अनुसार भारत पहले नम्बर पर है। तथापि, भारत के परमाणु परीक्षणों की प्रतिक्रिया में जर्मन सरकार ने मई, 1998 में अन्त:-सरकारी वार्ताओं को रद्द कर दिया। अन्त:-सरकारी वार्ताओं को पुन: शुरू करने में जर्मन सरकार को पहल करनी होगी।

[अनुवाद]

चमड़े के उत्पाद का निर्यात

3258. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़े और चमड़े के उत्पादों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान चर्म और चर्म उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	1780	1752.35
1996-97	1840	1605.82
1997-98	1780	1589.11

(घ) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित कारणों से कमी आई है:-

* अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी।
* यूरोपियन बाजार का नई उत्पादन सुविधाओं के साथ उभरना।
* यूरोपियन मुद्रा विशेषकर ड्यूस मार्क में निरन्तर उतार-चढ़ाव।
* चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सी.आई.एस. जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा।
* तमिलनाडु, प. बंगाल और देश के दूसरे भागों में चर्म उद्योग का आंशिक रूप से बंद होना।

हस्तशिल्प निर्यात में अड़चनें

2-5-06

3259. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
डा. रवि मल्लू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधारभूत अड़चनों के कारण भारत का हस्तशिल्प उद्योग, विश्व बाजार में उपलब्ध अवसरों का फायदा नहीं उठा पाया;

(ख) यदि हां, तो हस्तशिल्पों के निर्यात में आने वाली मुख्य अड़चनें क्या हैं; और

(ग) इन अड़चनों को दूर करने के लिए एवं इसके निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात वर्ष 1990-91 में 1434.38 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 6457.69 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया है। वर्ष 1990-91 से हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में औसत वार्षिक वृद्धि दर 24.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। तथापि, हस्तशिल्प निर्यातकों ने सूचित किया है कि उन्हें आधारभूत सुविधाओं में अड़चनों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्यायें मुरादाबाद में अबाधित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता, दिल्ली-मुरादाबाद राजमार्ग पर सड़क की खराब स्थिति, दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर शताब्दी एक्सप्रेस चालू न करना, मुरादाबाद आदि में हवाई पट्टी और पांच सितारा होटल की अनुपलब्धता आदि से संबंधित हैं।

(ग) आधारभूत सुविधाओं में अड़चनों और निर्यात की वृद्धि में अन्य बाधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे उच्च स्तरीय बैठकों में समय-समय पर सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष रखे जाते हैं और की गई कार्रवाई से हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है। मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए सरकार द्वारा संचालित "क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेलेंस स्कीम" की शक्ति प्राप्त समिति ने 8.00 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 6.50 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। दिल्ली-मुरादाबाद राजमार्ग के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कदम उठाये गये हैं। हस्तशिल्प निर्यात बढ़ाने के लिए उठाये गये अन्य कदमों में विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/त्यौहारों में भाग लेना, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेलों आदि का आयोजन सम्मिलित है।

विश्व बैंक ऋण की सूची से महाराष्ट्र को निकालना

2-6-2-7

3260. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने विश्व बैंक ऋण देने के संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी वाली सूची से महाराष्ट्र का नाम निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने इसके क्या कारण बताये हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से राज्य की लगभग 10 मेगा वाली चालू परियोजनाएं प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई नये प्रस्तावों को फिर से रखने में विलंब होगा;

(च) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार इस मामले को विश्व बैंक के साथ उठाने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) विश्व बैंक द्वारा निर्धारित कसौटी को राज्यों द्वारा पूरा किए जाने के आधार पर ही विश्व बैंक ऋणों को अनुमोदित करता है। महाराष्ट्र की स्थिति के संबंध में विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विश्व बैंक ने 9 दिसम्बर, 1998 को 134 मिलियन

अमरीकी डालर की राशि के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना नामक परियोजना को अनुमोदित किया है। इसलिए, "उच्च प्राथमिकता" वाली सूची से महाराष्ट्र का नाम निकाल देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

नई पर्यटन नीति

2-7-8

3261. **श्री ब्रज मोहन राम :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री श्रीराम चौहान :
श्रीमती सूर्यकांता पाटील :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री एन. डेनिस :

यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई पर्यटन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई पर्यटन नीति के अंतर्गत सरकारी, निजी और विदेशी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला निवेश और प्रस्तावित कृषि व अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस नीति के अंतर्गत किन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा;

(ङ) पर्यटन के विकास और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित आधारभूत विकास संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष और अगले चार वर्षों के दौरान देश में पर्यटन को विशेष दर्जा देने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) से (च) पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रारूप नीति की विशेष बातें निम्नानुसार हैं:–

1. नीति में, पर्यटन के विकास में केन्द्र सरकार राज्य सरकार, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया है।
2. यह सरकार और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से निरूपण करती है।
3. यह विशेष रुचि के क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह आदि को अभिनिर्धारित करती है।
4. यह, आवश्यक सुविधा सेवाओं एवं प्रोत्साहन प्रदान करके सक्रिय निजी क्षेत्र के विकास पर विचार करती है।
5. यह ग्रामीण पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन आदि शामिल करते हुए पर्यटन उत्पादों के वैविध्यीकरण पर जोर देती है।
6. यह, स्मारकों के नवीनीकरण, मेलों एवं उत्सवों के संवर्धन, एकीकृत क्षेत्र विकास आदि को शामिल करते हुए उत्पाद विकास पर जोर देती है।
7. यह, हवाई अड्डा व वायु सेवाओं, रेलवे, सड़क परिवहन, आवास, रेस्तरां व अन्य पर्यटक सुविधाओं सहित आधारित संरचना के विकास हेतु समन्वय की आवश्यकता पर जोर देती है।

पर्यटन आधारित संरचना के विकास में प्रभावपूर्ण समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रीदल का और मंत्रीमण्डल सचिव की अध्यक्षता में पर्यटन के लिए सचिवों की एक स्थायी समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है।

6 करोड़ रुपए और उससे अधिक प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा कमाने वाले पर्यटन प्रतिष्ठानों को विशेष आयात लाइसेंस आदि जैसे संबद्ध प्रोत्साहनों सहित निर्यात गृह का दर्जा दिया गया है।

प्रारूप नीति में निवेश के कोई लक्ष्य नहीं रखे गए हैं।

[हिन्दी]

समुदाय विकास

3262. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.सी.सी.एल. द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 31 अक्तूबर, 1998 तक समुदाय विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कार्यवार समुदाय विकास के अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या बिहार के धनबाद जिले तथा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के बाहर भी समुदाय विकास कार्य शुरू किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो शुरू किए गए उन कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिलों के बाहर उक्त कार्यों को शुरू करने का क्या औचित्य है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) दिनांक 31.10.1998 की अवधि तक वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा सामुदायिक विकास पर किए गए व्यय की राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रु. में)
1996-97	56.68
1997-98	58.87
1998-99 (31.10.98 तक)	22.56 (अनंतिम)

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों के साथ-साथ चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 के दौरान किए जाने वाले शेष कार्य और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	किए गए कार्य	निम्न अवधि के दौरान की गई भुगतान की राशि		
		1996-97 (रु.)	1997-98 (रु.)	1998-99 (31.10.98 तक)
1	2	3	4	5
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	11,11,802	4,69,796	कार्य प्रगति पर है।
2.	हैण्ड पंपों की स्थापना	7,54,854	8,28,712	31.10.98 तक कुल व्यय 22.56 लाख रु. हुआ है।
3.	तालाब का पुनरुद्धार	88,987	-	
4.	सड़क का निर्माण	11,49,000	13,33,154	
5.	विद्यालय भवन का निर्माण/विस्तार	17,69,186	8,83,800	

1	2	3	4	5
6.	जलापूर्ति हेतु पाइप बिछोना	2,35,839	1,18,000	
7.	गांव का विद्युतीकरण	–	16,600	
8.	आयोजित चिकित्सा शिविर	30,000	25,000	
9.	कुओं की खुदाई	97,693	2,51,868	
10.	विविध कार्य	4,30,636	2,50,111	
11	व्यय में गिरावट	–	17,10,000	
	—	56,67,997	58,87,041	

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान धनबाद/वर्धमान जिले के बाहर कोई सामुदायिक विकास कार्य शुरू नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलें

3263. **श्री सी.डी. गामीत :**
श्री अजय कुमार एस. सरनायक :
श्री माधवराव पाटील :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केवल 34 मिलों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या नाम हैं;

(घ) इन मिलों का जीर्णोद्धार करने पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा शेष रुग्ण मिलों का जीर्णोद्धार करने के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों के लिए संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एन.टी.सी. के अधीन 119 मिलों में से 103 मिलें 8 सहायक निगमों, अर्थात् एन.टी.सी. (ए.पी.के.के.ए. एंड एम.), एन.टी.सी. (एम.एन.), एन.टी.सी. (एस.एम.), एन.टी.सी. (डी.पी. एंड आर.), एन.टी.सी. (गुजरात), एन.टी.सी. (उ.प्र.), एन.टी.सी. (एम.पी.) और एन.टी.सी. (डब्ल्यू.बी.ए.बी. एंड ओ.) के अधीन हैं। इन 8 सहायक निगमों के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए हैं तथा उसने इन्हें रुग्ण घोषित किया हुआ है।

(ख) से (च) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक

निगमों के साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम का विस्तार

3264. श्री एम. राजैया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम की भविष्य में सम्भावित बिक्री होने के बावजूद विस्तार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास की दृष्टि से, भारत पर्यटन विकास निगम ने चण्डीगढ़ और आनन्दपुर साहिब में नए होटलों के निर्माण का निर्णय लिया है और यह विचार किया है कि विनिवेश की रूपात्मकता पर निर्णय आने तक वाणिज्यिक हित में अपेक्षित सामान्य गतिविधियों को न रोका जाये।

औद्योगिक एककों के लिए करावकाश सुविधा

3265. श्री दिनशा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित औद्योगिक एककों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80(1) (क) के अन्तर्गत करावकाश सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा गुजरात सहित राज्यों (औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों से भिन्न) में अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को करावकाश का लाभ जो 31.03.1999 से पूर्व स्थापित नए उपक्रमों को अब तक प्राप्त था, 31.3.2000 से पूर्व स्थापित नए उपक्रमों को प्रदान किया गया है।

यह लाभ गुजरात के अधिसूचित पिछड़े जिलों के संबंध में उठाया जा सकता है। दांगर वर्ग "क" का एक अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है। बनासकांठा और साबरकांठा वर्ग "ख" के अन्य दो अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं। ऐसे जिलों को एक दो स्तरीय कर लाभ उपलब्ध हैं।

वर्ग "क" के अधिसूचित जिले प्रथम पांच वर्षों में एक पांच वर्षीय करावकाश तथा अनुवर्ती 5 वर्षों में 30% की कटौती (कम्पनियों के मामले में) के पात्र हैं। वर्ग "ख" के अधिसूचित जिले प्रथम तीन वर्षों में एक तीन वर्षीय करावकाश और अनुवर्ती 5 वर्षों में उस समय से 30% की कटौती (कम्पनियों के मामले में) के पात्र हैं जिस समय से वे विनिर्माण अथवा उत्पादन शुरू करते हैं।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रुग्ण सरकारी उपक्रमों का बन्द किया जाना

3266. श्री एच.पी. सिंह :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठ सरकारी उपक्रम के अतिरिक्त कुछ अन्य सरकारी उपक्रमों को भी बेचने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों के नाम और विवरण क्या हैं;

(ग) ऐसे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेंगे;

(घ) क्या कुछ व्यापार संघों ने इसका विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इन सरकारी उपक्रमों का पुनरुद्धार करने में असफल रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) इस समय सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम की बिक्री के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में वेतनमान

3267. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियमित कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की केन्द्रीय पद्धति के आधार पर वेतनमान दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय वेतनमान पद्धति को राष्ट्रीय वस्त्र निगम महाराष्ट्र (उत्तर और दक्षिण) की इकाई को छोड़कर अन्य मिलों में वरिष्ठ स्टाफ पर लागू कर दिया गया है; और

केन्द्रीय वेतन पद्धति को राष्ट्रीय वस्त्र निगम महाराष्ट्र (उत्तर और दक्षिण) इकाई के वरिष्ठ स्टाफ पर लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) सी.डी.ए. पैटर्न द्वारा नियंत्रित एन.टी.सी. के कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग द्वारा यथा अनुमोदित पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ की अनुमति दी गयी है। एन.टी.सी. (महाराष्ट्र उत्तर) तथा एन.टी.सी. (महाराष्ट्र दक्षिण) के तकनीकी तथा पर्यवेक्षण संबंधी स्टाफ बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तथा उनके वेतन व सेवा शर्तें वहीं हैं जो "क्षेत्र सह उद्योग" आधार पर पुरस्कार/समझौते द्वारा तय किए गए बंबई सूती वस्त्र उद्योग के लिए लागू हैं। इसलिए, वे सी.डी.ए. वेतनमान के हकदार नहीं हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति

3268. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर कितनी उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं अथवा गठित किए जाने का विचार है;

(ख) इन उपभोक्ता सलाहकार समितियों को क्या दण्डात्मक शक्तियां दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन समितियों को और अधिक कारगर बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन समितियों को समाज कल्याण का कोई कार्य सौंपा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लि. की प्रत्येक कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनी में 7 क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद् का गठन किया गया है। कोल इंडिया लि. के मुख्यालय में एक शीर्ष निकाय अर्थात् राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद् का भी गठन किया गया है।

(ख) इन परिषदों का गठन, उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनवाई और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के प्रबोधन हेतु किया गया है शिकायतकर्त्ता, यदि एक माह के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं करता है अथवा शिकायतकर्त्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद् को शिकायत भेज सकता है।

(ग) जी, हां। कोयला कंपनियों को परामर्श दिया गया है कि वे इन परिषदों की बैठक नियमित-रूप से करें।

(घ) इन कोयला उपभोक्ता परिषदों के गठन का प्रयोजन कोयला उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखना है। इन परिषदों को कल्याण संबंधी कार्यकलाप सौंपना, प्रस्तावित नहीं है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दक्षिण बिहार में लग्जरी होटलों का निर्माण करना

3269. डा. रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण बिहार में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में लग्जरी होटलों का निर्माण करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार दक्षिण बिहार में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिए अतिथि गृह और साधारण होटलों का निर्माण कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में दक्षिण बिहार में नए होटल के निर्माण की कोई योजना शामिल नहीं है। भारत पर्यटन विकास निगम का एक होटल रांची में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से चल रहा है।

(ख) और (ग) पर्यटन अवसंरचना का विकास तथा मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिए आवास मुहैया कराने का कार्य प्रथमतः राज्य सरकारों का है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए उनकी प्राथमिकता पर विचार करने के बाद धन उपलब्ध होने पर वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। हाल के वर्षों में, पर्यटन मंत्रालय ने दक्षिण बिहार में सस्ते आवास की निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना का नाम
1.	1990-91	हजारीबाग (दक्षिण बिहार) में पर्यटक परिसर
2.	1991-92	धनबाद (दक्षिण बिहार) में पर्यटक परिसर
3.	1991-92	तोपचांची (दक्षिण बिहार) में पर्यटक परिसर
4.	1994-95	जमशेदपुर (दक्षिण बिहार) में पर्यटक परिसर
5.	1998-99	बिरसा विहार, रांची (दक्षिण बिहार) के पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार
6.	1998-99	रत्न बिहार, धनबाद (दक्षिण बिहार) के पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार

बीमा क्षेत्र में बैंकों का प्रवेश

2/6

?270. **श्री अभयसिंह एस. भोंसले :**
श्री विट्ठल तुपे :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक बीमा क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी बैंकों में प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू-कश्मीर से निर्यात

2/8

3271. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर से प्रतिवर्ष निर्यात की गई प्रमुख मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मदों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की राशि अर्जित की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय समूचे देश के निर्यात आंकड़े रखता है न कि राज्य-वार। तथापि, जम्मू और कश्मीर से निर्यात की गयी मुख्य मदें हैं:- कालीन, कुट्टी, लकड़ी की नक्काशी, शालें, अखरोट और कृत्रिम आभूषण।

मितव्ययिता उपाय

3272. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** – 18 /19
श्री आर.एस. गवई :
श्री वीरेन्द्र वर्मा :
श्री राजनारायण पासी :

श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री के.एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा यात्रा भत्ता, कार्यालय खर्च तथा पेट्रोल बिल इत्यादि पर 10 प्रतिशत आवश्यक कटौती करने के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या ये निर्देश सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू किए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका कड़ाई से पालन कराने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) संस्थापना अपरिहार्य आवश्यकता के संदर्भ में केन्द्रीय विभागों में व्यय प्रबंधन, वित्तीय नीति और उसका सरलीकरण के दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा पदानुक्रम में निचले स्तर के पदों को भरने में कुछ प्रतिबंध, सचिवालय के गैर-वैतनिक व्यय अर्थात्-यात्रा भत्ता, आफिस खर्च, पैट्रोल, तेल और स्नेहक आदि में 10 प्रतिशत की अपरिहार्य कटौती का भी ध्यान रखा गया है।

सामान्यतया अनेक मंत्रालयों/विभागों ने इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन का प्रबोधन संबंधित वित्तीय सलाहकार तथा व्यय विभाग द्वारा किया जाता है और समुचित निवारणात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में काजू बोर्ड

3273. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में काजू बोर्ड स्थापित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयात नीति का उदारीकरण

3274. श्री दिलीप संघाणी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात नीति को और उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन सामानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है;

(ग) घरेलू लघु तथा कुटीर उद्योगों पर उदार आयात नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस आयात नीति के कारण घरेलू उद्योगों के विकसित होने की आशा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन उद्योगों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करेगी तथा इसके लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कतिपय मदों को प्रतिबंधित सूची से हटाकर आयातों की मुक्त सूची में और सरणीकृत से हटाकर विशेष आयात लाइसेंस की सूची में रख दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 1998 को जारी की गयी संगत अधिसूचना सं. 25 की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है, जिसमें इस प्रकार से हटायी गयी मदों के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उदारीकृत आयात नीति के परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित अनेक मदों के लिए कच्ची सामग्री आदि आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इसके बदले में लघु इकाइयों को अपनी उत्पादकता के साथ-साथ माल की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

(ङ) इन आयातों पर सीमा-शुल्क लगाए जाने से जहां कहीं अपेक्षित होगी, इन उद्योगों को सुरक्षा उपलब्ध होगी।

विवरण

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 25 (आर.ई.-98/97-02)
नई दिल्ली : दिनांक 15 अक्तूबर, 1998

सां.आ. (अ) -- निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 4.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्यात और आयात मदों के समय-समय पर यथा संशोधित आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरणों 1997-2002 (संशोधित संस्करण-98) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:-

एक्जिम कोड	मद का विवरण	नीति	नीति संबंधी शर्तें	विशेष आयात लाइसेंस/ सार्वजनिक सूचना के तहत आयात
	2	3	4	5
07031000	ताजा अथवा शीतिज प्याज	मुक्त		
12010000.20	सोया बीज बीज टूटा और दरका हुआ	मुक्त		
12050000.10	बीज गुणवत्ता का	मुक्त	संगरोध प्रतिबंधों के प्रति	
12050000.90	अन्य	मुक्त	संगरोध प्रतिबंधों के प्रति	
12060000.10	बीज गुणवत्ता का	मुक्त	संगरोध प्रतिबंधों के प्रति	
12060000.90	अन्य	मुक्त	संगरोध प्रतिबंधों के प्रति	
12079100	पोस्त के बीज	प्रतिबंधित	लाइसेंस के प्रति अथवा इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है बशर्ते आयातक उद्गम के देश के सक्षम प्राधिकारी से	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है, तथापि, इस मामले में लौटाए गए विशेष आयात लाइसेंस का लागत बीमा

1	2	3	4	5
			इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि अफीम पोस्त को उद्गम के देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की आवश्यकताओं के अनुसार कानूनी तौर पर उगाया गया है। अन्य देशों से आयात निषिद्ध है।	भाड़ा मूल्य आयातित वस्तुओं के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का दोगुना होगा।
22090001	किण्विक सिरका	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं-लाइसेंस के प्रति अथवा इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
	कृत्रिम सिरका	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं-लाइसेंस के प्रति अथवा इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23022001	तेल रहित धान की भूसी	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दें आयात अनुमत है।
23022002	धान की कच्ची भूसी	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23022003	धान के संसाधन से प्राप्त अन्य सह-उत्पाद	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23050001	मूंगफली की एक्सपैलर किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
23050002	मूंगफली विलायक सत्व किस्म (वसारहित) की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23061001	छिलका उतरे एक्सपैलर किस्म के बिनौला की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23061002	छिलका उतरे बिनौलों की विलायक एक्सट्रैक्टेड (वसा-रहित) किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23061003	छिलका उतरे एक्सपैलर किस्म के बिनौला की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23061004	छिलका उतरे बिनौलों की विलायक एक्सट्रैक्टेड (वसा-रहित) किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23062001	अलसी की एक्सपैलर किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23062002	अलसी की निकाले गए सत्व (वसारहित) किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23063001	सूरजमुखी बीज की एक्सपैलर किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
23063002	सूरजमुखी बीज की सत्व निकली (वसारहित) किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23064001	रेपसीड या कोल्जा बीजों की एक्सपैलर किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23064002	रेपसीड/कोल्जा बीजों की एक्सट्रैक्टिड (वसारहित) सत्व की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
	नारियल या खोपरा की एक्सपेलर किस्म की खली और खली का तेल	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23065002	नारियल/खोपरा की एक्सट्रैक्टिड (वसारहित) सत्व की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23066000	पाम नट या कैर्नल का	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23067000	मक्का (कोर्न) जर्म का	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069001	मोवरा बीजों की एक्सपैलर किस्म की खली और खली का आटा।	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
23069002	सरसों के एक्सपैलर किस्म के बीजों की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069003	सरसों के सत्व निकली (वसारहित) किस्म के बीजों की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069004	नाइजर के एक्सपैलर किस्म के बीजों की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069005	नाइजर की सोल्वेंट एक्ट्रेक्टेड (वसारहित) किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069006	कार्डी की साल्वेंट एक्ट्रेक्टेड (वसारहित) किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069007	सीसमम एक्स्पेलर किस्म के बीजों की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069008	सीसमम सोल्वेंट एक्ट्रेक्टेड (वसारहित) किस्म के बीजों की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069011	मैंगो कर्नेल एस्पेलर किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
23069012	सोल्वेंट एक्सट्रेक्टेड (डिफेटिड) वेरायटी सोल्वेंट एक्सट्रेक्टेड (डिफेटिड) वैरायटी	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किए गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069013	साल की खली और तेल रहित आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069014	अपशिष्ट बबूल बीज सार	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
	अरण्डी के बीजों की खली और आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069016	नीम के बीज के सार की खली	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069019	अन्य तिलहनों और ओलेजिनस फ्लट नेस एक्सपेलर किस्म की खली और खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069029	खली और ओलेजिनस फ्लाट्स नेंस सोल्वेंट एक्ट्रेक्टेड किस्म के बीजों के अन्य खली का आटा	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।
23069031	तलछट के अलावा तेल अपशिष्ट	राज्य व्यापार	राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के माध्यम से किया गया आयात	विशेष आयात लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
23099003.10	प्राअन और थिम्प चारा	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत है।
2421003	क्यूबा सिगार	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत है।
33013009.10	सभी प्रकार के फ्लेवर एसेंस (लेक्वेयर्स हेतु समेत)	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत है।
33019021.10	सभी प्रकार के फ्लेवर एसेंस (लेक्वेयर्स हेतु समेत)	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत है।
33030001	यू-डी-कोलोन	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33030005	खुदरा बिक्री हेतु स्प्रिट वाले परफ्यूम	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत बीमा भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।

1	2	3	4	5
33030009	स्प्रिट वाली प्रसाधन सामग्रियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33041000	होंठों के श्रृंगार हेतु	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है।
-	आंखों के श्रृंगार हेतु सामग्रियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33043000	मेनीक्योर अथवा पेडीक्योर हेतु सामग्रियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33049100	पावडर, चाहे कम्प्रेसड या नहीं	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।

1	2	3	4	5
33049101	फेस पावडर	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33049102	टेल्कम पावडर	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33049109	टायलट पावडर	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33049901	फेस क्रीम	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33049902	नेल पालिश/लेक्वेयर्स	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है।

1	2	3	4	5
33049903	माम्यराइजिंग लोशन	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33049909	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33051001	हेयर शैम्पू (स्प्रिटस्)	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33051002	हेयर शैम्पू (नॉन स्पिरिचुअस)	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33053000	हेअर लेकुअर्स	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।

	2	3	4	5
33059001	हेअर ऑयल	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33059002	ब्रिलिएन्टाइन्स (स्प्रिरियुअर)	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
33059003	हेअर क्रीम	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात का अनुमत बशर्ते प्रति यूनिट लागत भाड़ा मूल्य 5 अमेरिकी डालर और अधिक हो।
39231009.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात को अनुमति है।
85239004	काम्पैक्ट डिस्क के लिए स्टैम्पर के उत्पादन हेतु ब्लैंक मास्टर डिस्क (यानि सब्सट्रेट)	मुक्त		
91019101	जेबी घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
91019109	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।
91019901	जेबी घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।
	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।
91029101	जेबी घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।
91029109	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।
91029901	जेबी घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसेंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
91029909	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं	विशेष आयात लाइसंस के तहत 5000 रुपये (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) प्रति यूनिट से अधिक आयात अनुमत है।
91051100	विद्युत चालित	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91051900	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91052100	विद्युत चालित	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91052900	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91059100	विद्युत चालित	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
91059901	टाइम पीस	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91059909	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
[illegible]	कीमती धातु से निर्मित या कीमती धातु की परत चढ़े केस	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91112000.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91118000.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91121000	धातु से निर्मित केस	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
91128000	अन्य केस	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
9113100	कीमती धातु से निर्मित या कीमती धातु की परत चढ़े केस	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91132000.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91139000.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91143001.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।
91143002	घड़ियों के डायल	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।

1	2	3	4	5
91149000.90	अन्य	प्रतिबंधित	उपभोक्ता वस्तुएं - इस बारे में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति है अन्यथा नहीं।	विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात अनुमत है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह/-

(एन.एल. लखनपाल)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

प्रति सभी संबंधितों को,
आदेश आदि से,

ह०/-
(राजन सुदेश रत्ना)
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फाइल संख्या आई.पी.सी./4/5/(688)/97-02 से जारी)

पेटेंट अधिनियम में संशोधन

3275. डा. असीम बाला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार संगठन की बैठक में संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय देशों की मांग पर अपने पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन करने के कारण भारत सरकार की निन्दा की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सरकार द्वारा किया गया उक्त संशोधन विकसित देशों के लाभ हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सामने आत्मसमर्पण के समान नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं के करार (ट्रिप्स) जो कि विश्व व्यापार संस्थान (डब्ल्यू.टी.ओ.) के करार का भाग है, में निहित दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए भारत के पास उक्त करार में निहित दायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए 1 जनवरी, 2000 तक का समय है तथा प्रौद्योगिकियों के जिन क्षेत्रों की अब तक सुरक्षा नहीं की गयी है, उनके लिए उत्पाद पेटेंट सुरक्षा लागू करने के लिए 1 जनवरी, 2005 तक का और समय है। तथापि, डब्ल्यू.टी.ओ. के जिन सदस्य देशों ने बाद वाली अवधि का लाभ उठाने का विकल्प दिया है, उन्हें 1 जनवरी, 1995 से ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 70.8 तथा 70.9 में निहित

दायित्वों का अनुपालन करना अपेक्षित था। दिनांक 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी दायित्व का अनुपालन करने तथा भेषजीय और कृषि रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट सुरक्षा संबंधी भारत-अमरीकी विवाद में डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्णय का भी अनुपालन करने के प्रयोजनार्थ सरकार विभिन्न विकल्पों तथा कार्य योजनाओं का पता लगा रही है।

लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

3276. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के लाभकारी उपक्रमों में विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने सेवा के तीस वर्ष पूरे कर लिए हैं उन्हें समय पर पदोन्नत नहीं किया गया है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) विद्यमान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों पर लागू होती है। "नवरत्न" और "लघु रत्न" उद्यमों को अपनी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तैयार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लाभ अर्जित करने वाले अन्य उद्यम भी सरकार के अनुमोदन से बिना किसी बजटीय समर्थन के अपनी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तैयार कर सकते हैं। ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उद्यम ऐसी प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, जोकि उनकी अपनी आवश्यकता के अनुरूप हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली में कथित भ्रष्टाचार

3277. श्रीमती कमल रानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की दिल्ली शाखा द्वारा शेयर अंतरण एजेंटों को श्रेणी-दो के अन्तर्गत कुल कितने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए;

(ख) बोर्ड द्वारा कुल कितने मामले अस्वीकृत किए गए और इनको अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की दिल्ली शाखा के कार्यकरण और कुशलता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सेबी ने इसके उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए गए श्रेणी-II शेयर अंतरण एजेंटों के पंजीकरण के निम्नलिखित ब्यौरे दिए हैं:-

वर्ष	पंजीकरणों की संख्या	नवीकरणों की संख्या	अस्वीकृत मामलों की संख्या
1995-96	10	0	17
1996-97	12	0	20
1997-98	8	6	8
1998-99 (16.12.98 तक)	1	1	0

आवेदकों द्वारा सेबी (निर्गम ने पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट) नियम तथा विनियम, 1993 का अनुपालन न करने की वजह से अस्वीकृतियां की गई थीं।

(ग) सेबी के कार्यकरण तथा क्षमता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है।

लघु उद्योग विकास आयुक्त

3278. श्री ए.सी. जोस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकास आयुक्त के कार्यालय को बेकार घोषित कर दिया है और उद्योगों को विनियमित करने की उसकी शक्तियां छीन ली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों की कार्य प्रणाली किस प्रकार प्रभावित हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अन्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग हैंक यार्न उत्पादन 255

3279. डा. चिंता मोहन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल वस्त्र उत्पादन में हथकरघा उद्योग के अंश का ब्यौरा क्या है, समूचे वस्त्र उद्योग में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी हथकरघा उद्योग में कार्यरत हैं;

(ख) क्या यार्न उत्पादक इकाईयों को हथकरघा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए 50% कुल हैंक यार्न उत्पादन करने का आदेश जारी किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त आदेश में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 1997-98 के दौरान हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन 7862 (अनंतिम) हैं, जो कि देश में कुल उत्पादित वस्त्रों का लगभग 23% होता है। हथकरघा क्षेत्र में अनुमानतः 124.00 बुनकरों को आजीविका मिलती है जो समूचे वस्त्र उद्योग में कुल सृजित आजीविका का 58.44% है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात 255-56

3280. श्रीमती शीला गौतम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने पर बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो लौह अयस्क के आयात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान क्या उपलब्धि रही;

(घ) इस समय किन-किन देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) लौह अयस्क के आयात के लिए किन-किन देशों से करार हो गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992-97 के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) द्वारा निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा और उस पर अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1992-93	106.32	658.94
1993-94	106.06	632.60
1994-95	120.01	660.80
1995-96	111.46	685.40
1996-97	99.29	684.50

(ख) जी, हां।

(ग) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य और उसके निष्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	निष्पादन (करोड़ रु. में)
1992-93	806	658.94
1993-94	668	632.60
1994-95	586	660.80
1995-96	697	685.40
1996-97	741	684.50

(घ) इस समय लौह अयस्क का निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रोमानिया को किया जा रहा है।

(ङ) जिन देशों के साथ लौह अयस्क के निर्यात के लिए करार किए गए हैं, उन देशों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

जापान		दिनांक 1.4.1996 से 31.3.2001 तक के लिए पंचवर्षीय दीर्घावधि बिक्री संविदा के संबंध में। (3.1-7.6 मिलियन टन लम्प्स और फाइन्स प्रति वर्ष)
दक्षिण कोरिया		1.4.1996 से 31.3.2001 तक के लिए पंचवर्षीय दीर्घावधि बिक्री संविदा के बारे में (2.3 मिलियन टन लम्प्स और फाइंस प्रति वर्ष)
पाकिस्तान	:	1.9.97 से 31.8.2002 तक के लिए पंचवर्षीय दीर्घावधि बिक्री संविदा के बारे में (लगभग 8 लाख टन की वार्षिक मात्रा के साथ 4 मिलियन टन लम्प्स एंड फाइंस प्रति वर्ष)

इन करारों के तहत, भारत से लौह अयस्क के प्रत्येक ग्रेड की आपूर्ति के लिए मात्रा की सीमा वार्षिक आधार पर निश्चित की जाती है। प्रत्येक वर्ष आपूर्ति की जाने वाली विशिष्ट मात्रा और उस वर्ष के लिए कीमतें प्रचलित बाजार कीमतों के आधार पर प्रतिवर्ष तय की जाती हैं।

चीन, संयुक्त अरब अमीरात और रोमानिया को निर्यात तत्काल करार आधार पर किया जाता है।

टकसालों का कार्य निष्पादन

3291. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टकसालों द्वारा अपनी पूरी क्षमता तक सिक्कों की ढलाई की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों की पूरी क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये मूल्य के सिक्कों की वर्तमान मांग की तुलना में कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) टकसालों की सीमित क्षमता और 1, 2 और 5 रुपए के नोटों के बदले सिक्के चलाए जाने के कारण देश में सिक्कों की आम कमी है। सिक्कों की ढलाई क्षमता को बढ़ाने के विचार से, कलकत्ता और मुम्बई स्थित टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हैदराबाद के निकट चेरलापल्ली स्थित नई टकसाल में कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। नौएडा टकसाल में दूसरी पाली शुरू करने का भी प्रस्ताव है। सिक्कों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए एक अल्प-कालिक उपाय के रूप में सरकार ने 1997-98 के दौरान 1 रुपए के सात सौ (700) मिलियन अदद और 2 रुपए के तीन सौ (300) मिलियन अदद सिक्कों का आयात किया है और चालू वर्ष के दौरान इतनी मात्रा में सिक्के आयात कर रही है।

[अनुवाद]

उद्योगों में वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश

3282. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के रुग्ण उद्योगों में वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया पूंजी-निवेश व्यर्थ और अनुत्पादक साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1998 के अन्त तक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश की गई कुल कितनी पूंजी छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों में बेकार और अनुत्पादकारी पड़ी हुई है; और

(ग) इस पूंजी को पुनः उत्पाद क्षेत्र में लगाने के लिए [illegible] भावी योजना है?

[illegible] **यशवंत सिन्हा) :** (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं के पोर्टफोलियों में कुछ एकक औद्योगिक मंदी, आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा उच्च लागत आदि जैसे विभिन्न कारणों से रुग्ण हो गये हैं। इन रुग्ण एककों का उपचार करके सही अवस्था में लाने और पूंजी को उत्पादक बनाने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की गई है। मार्च 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं के पोर्टफोलियों में रुग्ण एककों से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है:-

(रुपए करोड़ में)

संस्थान	मामलों की संख्या	सहायता की बकाया राशि
आई.डी.बी.आई.	725	3228
आई.एफ.सी.आई.	370	1040
आई.सी.आई.सी.आई.	155	202
आई.आई.बी.आई.	349	317

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण एककों पर बकाया बैंक ऋण 12,223 करोड़ (अद्यतन उपलब्ध) हैं।

(ग) उपचार द्वारा उन रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने तथा पूंजी को उत्पादक बनाने के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर योजनाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के क्रम में वित्तीय संस्थाओं ने आवश्यक कदम उठाए हैं। कई रुग्ण संस्थाएं परिचालन में हैं और वे वित्तीय संस्थाओं को अपनी ऋण देयताओं के भाग को चुकाते हैं। इन रुग्ण कंपनियो को दीर्घावधि अर्थक्षमता को पुनः बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पर आधारित राहत/रियायत पैकेज तैयार किए गए हैं। रुग्ण कम्पनी के पुनरूज्जीवन के सभी विकल्पों के असफल हो जाने के पश्चात् ही वित्तीय संस्थाएं कानूनी कार्रवाई का सहारा लेती है जो आस्तियों की बिक्री द्वारा रुग्ण एकको में वित्तीय संस्थाओं के निवेश का बचाव करता है।

[हिन्दी]

उद्योगों का कार्य निष्पादन

3283. डा. अशोक पटेल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ प्रमुख उद्योगों की पहचान करने का है ताकि उनके कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जा सके;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उद्योगों से संबंधित नीति और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का अभिज्ञान एक नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है। शुरूआत के तौर पर नागर विमानन के निजी/संयुक्त क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, खानों, विद्युत, दूरसंचार और भूतल परिवहन क्षेत्रों की निगरानी का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

[अनुवाद]

बुनकरों का उत्थान

3284. श्री प्रभूदयाल कठेरिया :
श्री एन. डेनिस :
श्री रामशकल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने हथकरघा एकक बंद पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को उपलब्ध करायी गई धनराशि के समुचित उपयोग के संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होने के बावजूद हथकरघा बुनकरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए उक्त राशि जारी करने में राज्य सरकारें असाधारण विलम्ब कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) हथकरघा बुनकरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इनकी स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) हथकरघे एक कुटीर एवं घरेलू क्रियाकलाप है तथा इनमें बहुत बिखराव है। राज्यवार बंद हथकरघों के आंकड़े केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) हथकरघा विकास केन्द्रों (एच.डी.सी.) तथा विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कीमों के कार्य के निर्धारण के लिए अध्ययन किये गये थे। इन अध्ययनों के अंतर्गत सामान्यत: बुनकरों की दशा में सामाजिक-आर्थिक सुधारों के संबंध में दर्शाया जाता है और अध्ययनों में दिये गये सुझावों को स्कीमों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसे विलम्बों के मामले लाये जाते हैं, मामले को उचित स्तर पर वित्तीय सहायता जारी करने हेतु शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

(च) और (छ) हथकरघा बुनकरों की दशा को सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकारों को विकास स्कीमों का लाभ उठाने के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

ओरियन्टल इन्श्योरेंस कारपोरेशन का क्षेत्रीय कार्यालय

3285. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली में ओरियन्टल इंश्योरेंस कारपोरेशन का क्षेत्रीय कार्यालय-दो खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी स्थान का चयन किया गया है;

(घ) नये क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कब तक कार्य करना आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में ओरियन्टल इन्श्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों का उनके स्थान सहित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी ने सूचित किया है कि उनकी कम्पनी के बोर्ड ने दिल्ली में दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय के लिए स्वीकृति दे दी है। वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय ने दिल्ली में वर्ष 1997-98 में 206 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त कर लिया है और वह 62 प्रचालन कार्यालयों को नियंत्रित कर रहा है तथा एक अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से संबंधित मानदंडों के प्रति सन्तुष्ट है।

(ग) नए क्षेत्रीय कार्यालय को, जब कभी खोला जाएगा उनके वर्तमान परिसर में खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) नए क्षेत्रीय कार्यालय के 1 अप्रैल, 1999 से कार्य आरंभ करने की संभावना है।

(ङ) वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 18 है और वे निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:-

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थान
क्षेत्रीय कार्यालय-I मुंबई	मुम्बई
क्षेत्रीय कार्यालय-II मुंबई	मुम्बई
क्षे.का. पुणे	पुणे
क्षे.का. इंदौर	इंदौर
क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद	अहमदाबाद
[illegible] दिल्ली	नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर	जयपुर
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	लखनऊ
क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद	गाजियाबाद
क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता	कलकत्ता
क्षेत्रीय कार्यालय पटना	पटना
क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी	गुवाहाटी
क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई	चैन्नई
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	हैदराबाद
क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूर	बैंगलूर
क्षेत्रीय कार्यालय कोचीन	कोचीन

टैफ्को

3286. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लि. का अपनी निर्दिष्ट अचल संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) अचल संपत्तियों संबंधी दस्तावेज टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं चूंकि, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन ने टैफ्को द्वारा बैंक से लिए गए ऋणों के कारण जमानत के तौर पर अचल संपत्ति को भारतीय स्टेट बैंक में गिरवी रख दिया था। तथापि, टैफ्को 1969 से संपत्तियों को बिना बाधा तथा बिना रुकावट के अपने कब्जे में लिए हुए है और इन संपत्तियों के सभी प्रकार के मालिकाना अधिकारों का प्रयोग करता रहा है।

भारतीय पेटेंट को संरक्षण

3287. श्री सुगुण कुमारी चलामेला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पेटेंट को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई नया कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, उद्योग और शैक्षिक संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श करके राष्ट्रीय हित को शीघ्र संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) भारत में पेटेंट्स प्रदान करने का कार्य पेटेन्टस अधिनियम, 1970 द्वारा शासित किया जाता है जो भारतीय पेटेंट्स को भी सुरक्षा उपलब्ध कराता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू करार, जो कि विश्व व्यापार संगठन का एक भाग है, में दिये गये कतिपय दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए भारत में कतिपय परिवर्ती इंतजामात उपलब्ध हैं। सरकार संबंधित संगठनों के परामर्श से उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों तथा रणनीतियों का पता लगा रही है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा कपास की खरीद

265

3288. श्री वैको : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भारतीय कपास निगम से कपास की खरीद करने हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम और सहकारी कताई मिलों को निदेश देगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार देश भर में सहकारी कताई मिलों द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के यार्न की राज्य सहकारी सोसायटियों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को बेचने पर विचार कर रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) एन.टी.सी. मिलों, एन.टी.सी. (टी.एन. एण्ड पी.) तथा एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एण्ड एम.) के अधीन मिलों को छोड़कर, को निजी व्यापारियों से कपास नहीं खरीदने के लिए निर्देश दिया गया है। एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एण्ड एम.) तथा एन.टी.सी. (टी.एन. एण्ड पी.) को 15.1.96 से भारतीय कपास निगम तथा राज्य कपास परिसंघों से कपास की अपनी कुल आवश्यकता का 60% खरीदने की ढील की अनुमति दी गई है तथा भारतीय कपास निगम से 50% की न्यूनतम खरीद के संबंध में पूर्व निर्दिष्ट शर्त वापस ले ली गई थी। इन दो सहायक निगमों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि निजी व्यापारियों से उनकी खरीद 40% तक सीमित थी। सहकारी कताई मिलों द्वारा भारतीय कपास निगम से कपास की खरीदारी का कोई निर्देश न तो जारी किए गए हैं और न ही जारी करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

लंबित आयकर मामले

265-66

3289. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक देश में अनुमानतः कुल कितना आयकर बकाया है तथा न्यायालय में कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) लंबित मुकदमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) वसूली में तेजी लाए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल प्रत्याशित बकाया आयकर की धनराशि का अनुमान इस तरह नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार आयकर और निगम कर की कुल बकाया मांग 45,073.39 करोड़ रुपये है और 30 सितम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया मांग 37,796.29 करोड़ रु. है। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की संख्या क्रमशः 54,396 और 7,788 थी।

(ख) लंबित पड़े अभियोजनों की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपायों में शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मामलों को एकत्र करना, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित मुख्य न्यायाधीशों से मिलना, कर विवाद समाधान योजना आदि शामिल है।

(ग) वसूली की सामान्य सांविधिक प्रक्रिया के अलावा, विभाग द्वारा उच्च मांगों वाले डोजियर मामलों में हुई प्रगति की सतत् मानिटरिंग की जाती है। राजस्व वसूली की कड़ी निगरानी के लिए कार्यबल का गठन किया गया है। बकाया मांग रजिस्टरों के कम्प्यूटरीकरण से भी छोटी मांगों के बारे में वसूली को बढ़ावा मिलेगा। यह आशा है कि ''कर विवाद समाधान योजना'' और सम्पूर्ण देश में किए जा रहे वसूली उपायों के कारण 31.3.99 को बकाया मांग 31.3.98 को बकाया मांग की अपेक्षा कम होगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

266-70

3290. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य व्यापार निगम द्वारा सरणीबद्ध और गैर-सरणीबद्ध श्रेणियों के अंतर्गत किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया तथा इनकी मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम का कार्य निष्पादन वांछित स्तर का नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा निर्यात किए गए गैर-सरणीकृत मदों को दर्शाने वाला एक वर्ष-वार विवरण संलग्न है। इस अवधि के दौरान एस.टी.सी. के जरिए किसी भी निर्यात मद को सरणीकृत नहीं किया गया।

(ख) से (ङ) एस.टी.सी. के कारोबार में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हो रही है जैसा कि नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

1995-96	1685
1996-97	2525
1997-98	2867

एस.टी.सी. के कार्य-निष्पादन की सामान्य रूप से समीक्षा वार्षिक आधार पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष के अन्त में एस.टी.सी. के सकल कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा की जाती है।

विवरण

एस.टी.सी. : 1995-96 से 1997-98 के दौरान निर्यात बिक्री

मूल्य : करोड़ रु. में
मात्रा : कोष्ठ में 000 मी. टन में

निर्यात	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
गैर-सरणीकृत			
निस्सारण	82.10 (126)	200.46 (236)	151.60 (195)
अनाज (गेहूं)/मक्का/दालें	19.35	57.32	21.38
अरंडी तेल/बीज	29.62	45.16	25.29
जूट के समान	16.17	18.01	17.50
चावल	129.12 (147.7)	50.82 (48)	20.10 (22)

1	2	3	4
चीनी	17.34 (15)	47.17 (32)	15.67
काजू	35.13	19.47	25.32 (1.4)
काफी	29.53	12.90	22.49 (3)
चाय	5.24	8.60	3.24 (0.3)
इंजी./निर्माण सामग्री	54.80	15.15	7.07
रसायन एवं दवाई	33.44	14.54	8.00
मांस और समुद्री उत्पाद	1.56	1.31	-
ताजे और प्रसंस्कृत खाद्य	6.49	4.82	3.30
वस्त्र/आर.एम.जी./क्वायर	21.71	3.80	3.96
उपभोक्ता वस्तुएं	6.59	0.36	5.04
खेल-कूद के सामान	5.42	-	-
चमड़े के सामान	40.72	5.24	2.41
अन्य	8.98	7.78	6.40
कुल गैर-सरणीकृत	543.31	512.91	338.77*

*अपतटीय व्यापार और प्रति व्यापार के अन्तर्गत किए गए निर्यातों को छोड़कर।

टिप्पणी : जहां कहीं भी उपलब्ध है, मात्रा संबंधी विस्तृत विवरण दिए गए हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक नीति

3291. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हेतु इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

...**मिकन्दर बख्त) :** (क) से (घ) सरकार ... तथा औद्योगिक वृद्धि संबंधो नीति के प्रति वचनबद्ध है। सरकार की औद्योगिक नीति का उद्देश्य पहले अर्जित लाभों में और वृद्धि करना उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर कायम रखना है।

अगस्त 1991 से अक्तूबर 1998 के बीच दर्ज औद्योगिक निवेश आशयों की संख्या 37 हजार से अधिक है, जबकि प्रस्तावित निवेश लगभग 745 हजार करोड़ है तथा प्रस्तावित रोजगार लगभग 67 लाख व्यक्ति हैं। उसी अवधि में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि लगभग 175 हजार करोड़ रु. थी।

औद्योगिक नीति कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही के उपायों में ये उपाय शामिल हैं- कोयला, लिग्नाइट, पैट्रोलियम (कच्चे को छोड़कर) तथा इसके आसवन उत्पाद और चीनी सहित उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त करना विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन हेतु उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची का विस्तार करना, गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों का विस्तार करना, निजी क्षेत्र के बैंकों में 40% तथा इक्विटी अंशदान करने के लिए बहुआयामी वित्तीय संस्थानों को अनुमति देना तथा प्रक्रियाओं आदि में सरलीकरण के लिए विभिन्न अन्य उपाय करना।

[अनुवाद]

फूलों का निर्यात

3292. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के फूलों का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फूलों का मूल्य निम्नानुसार है:-

	मूल्य (करोड़ रु.)
1995-96	46.49
1996-97	50.43
1997-98	75.17

स्रोत : एपीडा

निर्यात किए गए फूलों की मात्रा के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

एफ.आई.पी.बी. में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

3293. श्री गिरजाला वेंकट स्वामी नायडू : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड प्रत्येक आवेदन-पत्र पर विभिन्न मंत्रालयों के मतों पर विचार करता है;

(ख) यदि नहीं, तो एफ.आई.पी.बी. में विचार-विमर्श करने की प्रणाली क्या है;

(ग) उन विभिन्न मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में स्थान दिया जाता है;

(घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में विभिन्न मंत्रालयों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार को विदेशी निवेश प्रस्तावों में रोजगार कम करने के बारे में काई विरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करते समय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा प्रशासकीय रूप से संबद्ध मंत्रालयों के मतों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के सचिव, इस बोर्ड के स्थाई सदस्य हैं:

(1) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - अध्यक्ष

(2) वित्त मंत्रालय

(3) वाणिज्य मंत्रालय

(4) विदेश मंत्रालय (बाह्य संबंध)

(5) राजस्व विभाग

(6) केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (अध्यक्ष)

(7) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रस्ताव से संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिवों को विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए विशेषरूप से आमंत्रित किया जाता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई विशिष्ट विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां

3294. श्री माधवराव पाटील :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विनियमन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिनियम को कब तक संशोधित किया जाएगा; और

(घ) संशोधित अधिनियम निवेशकों के लिये किस हद तक सहायक होगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के लिए गठित कार्यदल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उन्होंने एन.बी.एफ.सी. के विनियामक ढांचे में सुधार लाने के लिए कई सांविधिक उपाय करने के सुझाव दिए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहकों की शिकायतों की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण समिति की नियुक्ति करना, ऐसे प्राधिकारियों के आदेशों को न्यायालय स्तर के आदेश मानना और एन.बी.एफ.सी. की अर्थसुलभ आस्तियों पर जमाकर्ताओं का प्रथम पक्ष प्रभारित करने के बारे में कानूनी अधिकार देना शामिल है। सरकार ने इन सिफ़ारिशों को मान लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस बारे में विस्तृत सांविधिक प्रस्ताव उपलब्ध कराए।

व्यापार घाटा

3295. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :
डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान तद्नुरूपी अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक व्यापार घाटा दुगुना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न मदों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात में कमी आने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं और व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.) के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1998-99 के दौरान व्यापार घाटे में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2496 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 4991 मिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि हुई है।

(ख) व्यापार घाटे में वृद्धि निर्यात वृद्धि में कमी और आयातों, विशेषकर सोना और चांदी के आयातों में वृद्धि दोनों के कारण हुयी है।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्व व्यापार में आई आम मंदी, विशेष तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों और जापान में आई मंदी, कृषि वस्तुओं जैसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति संबंधी अड़चनों और यूरोपीय संघ (ई.यू.) के बाजारों में अवरोधों के [illegible] हुए थे। निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक [illegible] नमें निर्यात ऋण पर ब्याज दरें कम करना, [illegible] क्रियाविधियों के सरलीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना और एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित अन्य अनेक उपाय करना। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों के जरिए थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी निर्यातों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना

3296. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर काले धन को निकालने के लिए स्वैच्छिक आय घोषणा योजना को फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान और गुजरात की वस्त्र इकाईयां

3297. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के वस्त्र उद्योग में राजस्थान और गुजरात की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) हथकरघा, विद्युत करघा, सिंथेटिक यार्न, रेडीमेड गारमेंट्स, सूती कपड़ा, हौजरी और खादी वस्त्रों का उत्पादन करने वाली कितनी इकाइयां हैं और इन राज्यों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के कितने कपड़े का उत्पादन किया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इन इकाइयों द्वारा उत्पादित कपड़े की वस्तुओं में से कितने कपड़े की वस्तुओं का निर्यात किया गया और निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हथकरघा, हस्तशिल्प और विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं के अतिरिक्त गुजरात और राजस्थान सहित किसी भी राज्य में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए धनराशि खर्च करने की कोई सामान्य योजना नहीं है। इन पर हुआ व्यय संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

(घ) निर्यात के कोई राज्य-वार/केन्द्र विशिष्ट/एकक-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) निर्यातकों को कम दरों पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए लदान पूर्व तथा लदान पश्चात् ऋण निधि पर ब्याज दरों को 2% तक घटा दिया गया है।

(2) सरकार ने निर्यातकों को ब्याज का भुगतान करने का प्रस्ताव किया है यदि शुल्क वापसी अथवा अंतिम

उत्पाद शुल्कों की वापसी में दो महीनों से अधिक का विलम्ब होता है।

(3) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत 33% का न्यूनतम मूल्य संवर्धन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों के लिए निर्यात के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा आय 40% से घटाकर 30% कर दी गई है।

(4) पर्याप्त आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए वस्त्र उद्योग के कताई, बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को थ्रस्ट देने की दृष्टि से सरकार ने वर्ष 1991 से विनिर्माता निर्यात हकदारी कोटा नामक एक नई कोटा नीति प्रणाली शुरू की है। ऐसा मेड-अप्स और सिले-सिलाए परिधानों के लिए उत्कृष्ट यार्न और फैब्रिक का उत्पादन करने की दृष्टि से किया गया है।

(5) सरकार ने हाल ही में प्रेस नोट सं. 17 (1998 श्रृंखला) के द्वारा सूती यार्न निर्माता शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों को कपास के घरेलू उपयोग तथा काउंटों के प्रतिबंध के बिना सूती यार्न का निर्यात करने की अनुमति दी है ताकि देश से सूती यार्न के निर्यात को बढ़ाया जा सके।

(6) इसी प्रकार, सरकार ने वर्ष 1996 से नए निवेशक हकदारी कोटा शुरू किया है। ऐसा सिले-सिलाए परिधानों में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें निर्यात के लिए उत्कृष्ट परिधानों का उत्पादन करने तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया है।

(7) परिधान मशीनों के शून्य शुल्क पर ई.पी.सी.जी. के आयात के लिए प्रवेश सीमा 20 करोड़ रु. से घटाकर 1 करोड़ रु. कर दी गई है ताकि भारतीय परिधान निर्यात को सुनिश्चित गति दी जा सके।

(8) शुल्कों की रियायती दर पर आयात के लिए परिधान बनाने वाली और प्रोसेसिंग मशीनों की सूची बढ़ा दी गई है।

विवरण

(1) गुजरात और राजस्थान में सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की क्षमता की स्थिति नीचे दी गई है:-

राज्य का नाम	मिलों की संख्या			क्षमता			कर्मचारियों की संख्या
	कताई	मिश्रित	कुल	स्पिंडल्स	रोटर्स	करघे	
गुजरात	53	91	144	4114810	31200	44920	170428
समस्त भारत का %	4	33	8	12	10	36	17
राजस्थान	45	6	51	1191756	17216	1462	57899
समस्त भारत का %	3	2	3	4	5	1	6
समस्त भारत	1,509	279	1788	33913288	316517	124033	1010583

(2) राजस्थान और गुजरात में निर्मित यार्न और कपड़े के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य का नाम	यार्न उत्पादन (हजार) कि.ग्रा. 1997-98				उत्पादित कपड़ा (हजार वर्ग मीटर) (मिल क्षेत्र) 1997-98			
	सूती	ब्लैंडिड	100% गैर-सूती	कुल	सूती	ब्लैंडिड	100% गैर-सूती	कुल
गुजरात	166134	49194	6368	221696	315190	118372	22379	455941
समस्त भारत का %	8	8	4	7	2	2	ऋणात्मक	1
राजस्थान	78013	120700	18838	217551	50277	18028	शून्य	68305
समस्त भारत	4	21	11	7	ऋणात्मक	ऋणात्मक	-	ऋणात्मक
समस्त भारत	2213000	583000	177000	2973000	19992000	57511000	11153000	38896000

वर्ष 1987-88 में की गई हथकरघों की गणना के अनुसार गुजरात और राजस्थान में हथकरघा बुनाई में लगे हुए परिवारों और गैर-परिवारों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य का नाम	करघों की संख्या (हजार में)		
	शहरी	ग्रामीण	कुल
गुजरात	5	18	23
राजस्थान	8	25	33

(2) विद्युतकरघा और सिंथेटिक यार्न का उत्पादन करने वाले एककों को संख्या नीचे दी गई है:

राज्य का नाम	विद्युतकरघा एकक	सिंथेटिक यार्न एकक
गुजरात	31,317	14
राजस्थान	4,058	5

कपड़े के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने गुजरात और राजस्थान, प्रत्येक में एक विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किया है जिसका उद्देश्य इन राज्यों में विद्युतकरघा उद्योग का विकास करना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों पर हुए खर्च के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का नाम	व्यय (लाख रु. में)			
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (अक्टूबर, 98 तक)
विद्युतकरघा सेवा केन्द्र सूरत, गुजरात	6.29	11.23	9.11	6.09
विद्युतकरघा सेवा केन्द्र किशनगढ़, राजस्थान	5.27	5.00	6.99	5.04

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वस्त्र अनुसंधान संघों तथा राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के विकास के लिए अन्य योजनाएं भी हैं। गुजरात और राजस्थान सहित समस्त देश के लिए इन योजनाओं पर किया गया वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:-

1995-96	-	274.96 लाख रु.
1996-97	-	208.46 लाख रु.
1997-98	-	288.86 लाख रु.

[हिन्दी]

आई.सी.आई.सी.आई. की नेट बैंकिंग योजना

3298. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.आई.सी.आई. का देश में पहली बार नेट बैंकिंग योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) आई.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ की हुई है। इस सेवा में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, उसकी सेवाएं, ब्याज दर आदि की सूचना शामिल है। निधि अंतरण, उपयोगिता बिल भुगतान आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं यथासमय देने का प्रस्ताव है।

कॉफी बोर्ड की नई शाखाएं

3299. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काफी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष कितनी काफी बेची जाती है;

(ख) क्या काफी बोर्ड इसके बिक्री सेवा नेटवर्क को बढ़ाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान किन-किन नए स्थानों पर काफी बोर्ड की नई शाखाएं स्थापित करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान काफी बोर्ड द्वारा बेची गयी काफी (बीज+पाउडर) की कुल मात्रा 71,000 कि.ग्रा. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

3300. श्री एन. डेनिस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मिल क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र और हस्तकरघा क्षेत्र में सिले-सिलाए वस्त्रों का कितना निर्यात किया गया; और

(ख) सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल क्षेत्र, विद्युतकरघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र [illegible] की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1995-96	29809.77
1996-97	35477.92
1997-98	39126.61 (अनंतिम)

(ख) सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि।

निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों की भूमिका

3301. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों की निर्यात संवर्धन में क्या भूमिका है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में वर्तमान संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन प्रयासों में कमियों यदि कोई हो, को जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे निर्यात योग्य बेशी का उत्पादन बढ़ाकर, अनुकूल वातावरण में बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर, कर भार कम कर और निर्यात में क्रिया विधि संबंधी बाधाओं को सरल/समाप्त कर निर्यात का संवर्धन करें। राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन में शामिल करने की दृष्टि से निम्नलिखित संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है:-

(1) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित की गयी आंचलिक परिषदें विभिन्न मसलों का निदान करती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात का संवर्धन भी शामिल है।

(2) निर्यात संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने और नियमित आधार पर निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए कुछ राज्यों में पृथक वाणिज्य निदेशालयों अथवा ब्यूरो की स्थापना की गयी है।

(3) कुछ राज्यों में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में नीति निर्धारण एवं समन्वयन के लिए शीर्षस्थ निकायों का गठन किया गया है जिनमें मंत्री और व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

(4) विभिन्न क्षेत्रों एवं वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्यात संवर्धन परिषदों के अपने राज्य स्तरीय कार्यालय और शाखाएं हैं जो राज्यों में निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातकों एवं उत्पादकों के कार्यकलापों का समन्वयन करते हैं।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) विभिन्न राज्यों में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए और निरंतर निर्यात संवर्धन प्रयास करने के लिए 23 निर्यात सघन क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

(2) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पं. बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश में 7 निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ईपीजेड) की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों ने इन इकाइयों की स्थापना करने के लिए भूमि प्रदान की है और ई.ओ.यू./ई.पी. जैड इकाइयों को ई.ओ.यू./ईपीजैड को की गई आपूर्तियों पर प्रवेश कर एवं बिक्री कर में छूट दी है।

(3) सरकार ने मई 94 से निजी एवं संयुक्त क्षेत्र में ई.पी.जैड. की स्थापना करने की अनुमति दी है। इन ई.पी. जैडों का विकास एवं प्रबंधन या तो राज्य सरकार द्वारा निजी तौर पर अथवा उनके अभिकरणों द्वारा किया जा सकता है।

(4) विभिन्न राज्यों में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक पार्क के लिए पूंजीगत व्यय का 75% प्रदान किया जाता है जो अधिकतम 10 करोड़ रु. प्रति पार्क तक सीमित होता है। रख-रखाव के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए पार्क के निर्यात कारोबार के 21% के बराबर वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है।

(5) निर्यात संवर्धन के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने एवं बुनियादी सुविधाओं संबंधी दिक्कतों को दूर करने के प्रयोजन से राज्य सरकारों और उनके अधिकरणों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के विभागों को सहायता प्रदान करने के लिए सन् 1996 के आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना शुरू की गई है।

(6) राज्य सरकारों की सिफारिश पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक निर्यात निगम को निर्यात घराने का दर्जा दिया गया है।

(7) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की नई पहलों के एक भाग के रूप में हाल ही में पूर्वोत्तर से होने वाले निर्यात संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा व्यापार समेत व्यापार संबंधी मामलों की जांच करने के लिए अन्तर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया गया है।

(8) पत्तनों में भीड़-भाड़ कम करने और निर्यातकों को दरवाजे पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न राज्यों में अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.सी.) और कन्टेनर भाड़ा केन्द्रों (सी.एफ.एस.) की स्थापना की जा रही है।

(9) सामानों का वायु मार्ग से निर्यात को सुकर बनाने और देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों में आवश्यक निकासियां शीघ्र प्रदान करने के लिए कई राज्यों के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर 19 एयर कार्गो काम्पलेक्स स्थापित किए गए हैं।

व्यावसायिक सौदे

3302. श्री सुधीर गिरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 और 1997-98 के दौरान पूरे विश्व में कितना वाणिज्यिक लेन-देन हुआ;

(ख) ऐसे लेन-देन में भारत का हिस्सा कितना रहा; और

(ग) भारत की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के आंकड़ों और वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) के आंकड़ों के अनुसार 1996 और 1997 के दौरान पण्य वस्तुओं के विश्व निर्यात और आयात डालर के रूप में और विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा निम्नानुसार है:–

वर्ष	विश्व-निर्यात (बिलियन डालर)	विश्व-निर्यात में भारत का हिस्सा (%)	विश्व आयात (बिलियन अमरीकी डालर)	विश्व आयात में भारत का हिस्सा (%)
1996	5125	0.65	5265	0.74
1997	5295	0.64	5435	0.75

(ग) भारत के निर्यातों में वृद्धि करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निर्यात ऋण पर ब्याज दरें कम करना, विकेन्द्रीकरण और क्रियाविधियों के सरलीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना और एग्जिम नीति में यथा-उल्लिखित अन्य अनेक उपाय करना। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों के जरिए थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी निर्यातों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

सोने की उपलब्धता

3303. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

[illegible] देश के स्वर्ण भण्डार में कितनी मात्रा में [illegible]

(ख) भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य कितना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं, जो भारतीय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का एक घटक होती है, 11 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार 357.27 मी. टन थी, जिसकी कीमत 12963.33 करोड़ रुपए आंकी गई है।

निवेश को बढ़ावा देने हेतु योजना

3304. श्री रामानन्द सिंह :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश प्रावधानों में रियायत देने और उदारीकरण किए जाने के बावजूद देश में निवेश की दर घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु किसी नई योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1980-81 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) से सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जी.डी.सी.एफ.) के अनुपात के रूप में निर्धारित निवेश दर में 1993-94 से 1996-97 की अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि नीचे दर्शाई गई है:

जी.डी.पी. के अनुपात में जी.डी.सी.एफ.
(1980-81 की कीमतों पर)

वर्ष	प्रतिशत
1993-94	22.3
1994-95	26.9
1995-96	27.3
1996-97	27.4

(ग) और (घ) देश की आर्थिक स्थिति, जिसमें मुख्य वृहत परिवर्तन कारकों की प्रवृत्तियां शामिल हैं, की समीक्षा तथा अनुवीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। उभरती हुई घरेलू स्थिति के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय शुरू किए जाते हैं।

राजमहल परियोजना के कार्यालय का स्थानांतरण

3305. श्री सोम मरांडी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित राजमहल कोयला परियोजना के कार्यालय को साहिबगंज स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजमहल परियोजना के कार्यालय को कब तक स्थानान्तरित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) आसनसोल में राजमहल परियोजना का कोई कार्यालय नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के प्रश्न को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पांचवें वेतन आयोग को लागू करना

3306. वैद्य विष्णु दत्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पांचवें वेतन आयोग को लागू करने से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय भार को अतिरिक्त सहायता के माध्यम से पूरा करने का आश्वासन दिया था और क्या यह सहायता राशि प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि यह राशि अब तक प्रदान नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना का निर्धारण राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर मामला है और केन्द्रीय वेतनमानों को अपनाना राज्य सरकार के लिए बाध्यकर नहीं है। भारत सरकार राज्य-सरकार के कर्मचारियों के वेतनों पर व्यय की जाने वाली राशि के किसी भी भाग की भरपाई के लिए वचनबद्धता नहीं दे सकती है।

जम्मू और कश्मीर की स्थिति में, राज्य की वार्षिक योजना के अनुमोदित आकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के ऋणात्मक संसाधनों को केन्द्र द्वारा पूर्णतः प्रबंधित किया जाता है। इस वर्ष ऋणात्मक संसाधनों का आकलन, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों के संशोधन के चलते सरकार की बढ़ी देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया था।

सस्ता आवास उपलब्ध कराना

3307. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अशोक यात्री निवास की भांति देश के राज्यों की राजधानियों में पर्यटकों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों की राजधानियों में कम बजट वाले होटलों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, यात्री निवासों और यात्रिकाओं आदि के रूप में पर्यटकों के लिए सस्ते आवासों के निर्माण हेतु, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है जिनकी राज्य सरकारों के परामर्श से पहचान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने 1998-99 के दौरान बजट आवासों के लिए 1400 लाख रुपयों का बजट रखा है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.)

3308. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश में आई.टी.डी.सी. के होटलों में अधिवासित कमरों की संख्या में भारी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो होटलों में कमरों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में संचयी अधिवासन दर वर्ष 1996-97 की 49% से घटकर वर्ष 1997-98 में 42% रह गई। अधिवासन की इस कमी के मुख्य कारण अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं: भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का रुझान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यटकों के कारोबार में कमी, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा संकट की वजह से उनका सस्ता गन्तव्य स्थल बनना तथा निजी क्षेत्र के होटलों द्वारा अपेक्षाकृत कम दर पर आवास उपलब्ध कराना।

बैंकों में धोखाधड़ी

3309. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" के नई दिल्ली संस्करण में 10 सितम्बर, 1998 को "एक्स.-सी.एम.डी. आफ ए बैंक एमंग फोर बुक्ड फार फ्राड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब एंड सिंध बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के.एस. बैंस, एक महाप्रबंधक तथा बैंक के एक शाखा प्रबंधक और एक कंपनी के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों द्वारा कंपनी को तात्कालिक ऋणों की मंजूरी देने और इसके शेयरों की [illegible] में अन्तर्ग्रस्त होने तथा निर्धारित दिशानिर्देशों [illegible] आरोप है जिसके कारण बैंक को गलत ढंग से हानि हुई। बैंक ने संबंधित महाप्रबंधक को निलम्बित कर दिया है तथा उनके और दो अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अलग करना

3310. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अलग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा करने से उसके पूंजीगत ढांचे और निदेशक बोर्ड इत्यादि में अनेक परिवर्तन करने होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि, जून, 1998 के अपने बजट भाषण में घोषित किया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अलग करने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में व्यापक संशोधन करने, सिडबी का शेयरधारिता आधार बढ़ाने तथा सिडबी को और अधिक कार्यचालन स्वायत्ता तथा प्रचालन संबंधी लोच प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव में ये शामिल हैं: पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन करना जिससे कि आई.डी.बी.आई. की शेयरधारिता 49 प्रतिशत से कम हो, निदेशक मंडल में परिवर्तन करना जिससे कि नए शेयरधारकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके तथा अधिनियम में अन्य परिणामी तथा संबद्ध परिवर्तन करना।

वस्त्रों से अर्जित राजस्व

3311. **श्री सी.पी. राधाकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पालिस्टर मिश्रित सूत से बुने वस्त्रों और 100 प्रतिशत पालिस्टर से बुने वस्त्रों के प्रसंस्करण से सरकार को कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त दोनों सेक्टर या केवल एक सेक्टर को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए बुने हुए अथवा क्रोशिए से प्रसंस्कृत वस्त्रों से प्राप्त उत्पाद शुल्क राजस्व की राशि 18.01 करोड़ रुपए (अनंतिम) है। पोलिएस्टर मिश्रित सूत के बुने हुए वस्त्रों और शत-प्रतिशत बुने हुए पोलिएस्टर वस्त्रों के प्रसंस्करण से प्राप्त राजस्व के संबंध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) पोलिएस्टर की अधिकता वाले प्रसंस्कृत पोलिएस्टर मिश्रित सूत के बुने हुए वस्त्रों और शत-प्रतिशत पोलिएस्टर के बुने हुए फैब्रिकों दोनों पर ही उत्पाद शुल्क की एक ही दर लगती है। केवल सूत के बुने हुए प्रसंस्कृत वस्त्रों (जिनमें कॉटन

अधिक हो) को उनकी निर्यात संभाव्यता को देखते हुए उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कोयले का भंडार

3312. **श्री पवन सिंह घाटोवार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड में कोयले का भंडार खुले मुहाने की खानों पर अधिक जोर दिए जाने के कारण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुराने भंडार समाप्त करने में असफल रहने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) कंपनी (नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स) स्टाक के परिसमापन की समस्या का सामना कर रही है क्योंकि स्थानीय बाजार को छोड़कर, विद्युत, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र जैसे कोई बड़े क्षेत्र इसके मुख्य क्रेता नहीं हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

3313. **श्री गुरूदास कामत** :
श्री तारिक अनवर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थानों ने निगमों के ऋण को व्यवहार्य सीमा तक पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि अलग-अलग मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय प्रस्तावों के गुण-दोषों और उनकी अर्थक्षमता पर आधारित होता है। पहले से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में, वित्तीय संस्थाएं ऋणों के पुनर्निर्धारण तथा आवश्यकता पर आधारित वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर विचार करती हैं। प्रत्येक मामले में सहायता की आवश्यकता, मात्रा और उसके रूप का निर्धारण प्रवर्तकों द्वारा उनके अपने अंशदान में वृद्धि करने की इच्छा और क्षमता, परियोजना के कार्यान्वयन में हुई वास्तविक प्रगति आदि के आधार पर किया जाएगा। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थाएं अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करती हैं कि पुनर्निर्धारण के बाद, परियोजनाएं अर्थक्षमता मानदंडों को पूरा करती रहेगी और ऋण चुकाने में सक्षम होंगी।

रिसर्जेंट इण्डिया बांड

3314. **श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या** :
श्री के.पी. मुनुसामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रवासी भारतीय निवेशकों तथा दलालों हेतु दिए गए मेगा रिसर्जेंट इण्डिया बांड के प्रेषण तथा आबंटन में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बांडों को भेजने तथा आबंटित करने हेतु कब तक कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) "प्रस्ताव की शर्तों" के अनुसार रिसर्जेंट इंडिया बांड प्रमाणपत्र की अंतिम तारीख अर्थात् 24 अगस्त, 1998 से दो महीनों के भीतर ही पहली अक्तूबर, 1998 को आवंटित कर दिए गए हैं। प्रमाणपत्रों का उन पर मुद्रित सभी विवरणों के सत्यापन के बाद प्रेषण कार्य पूरा हो चुका है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 4,87,188 बांड प्रमाणपत्रों की जांच की जानी थी और उन पर

हस्ताक्षर किया जाना तथा इन्हें 82,519 आवेदकों को प्रेषित किया जाना था, अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग का पुनरुद्धार

3315. श्री हरिन पाठक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वस्त्र मिलों के मालिकों से वस्त्र उद्योग का पुनरुद्धार करने की अपील की गई है;

तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्य मंत्रालय को बुनाई मशीनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां,' तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) मौजूदा वस्त्र नीति, बढ़ती हुई जनसंख्या की कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित कीमतों पर स्वीकार्य गुणवत्ता के कपड़े के उत्पादन को मुख्य उद्देश्य के रूप में मानी जाती है तथा इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में रोजगार को भी ध्यान में रखा जाना है।

(ग) और (घ) मशीनरी सहित वस्त्र उद्योग के लिए अंतर्निविष्टियों के मामले में सीमा शुल्क एवं अन्य शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव उपयुक्त मंत्रालय को समय-समय पर भेजे गए हैं। स्वीकृत प्रस्ताव वार्षिक बजट में दर्शाये गए हैं।

लघु उद्योगों के लिए ऋण

3316. श्रीमती रानी नरह :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों को राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने आवेदनों का निपटारा किया गया तथा कितनी धनराशि राज्यवार स्वीकृत की गई; और

(ग) इस तरह के कितने आवेदन निपटारा के लिए राज्यवार लंबित हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋणों के लिए लघु उद्योग एककों से प्राप्त निपटाए गए तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास लंबित पड़े आवेदनों की संख्या से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) खातों की संख्या तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास लघु उद्योग के बकाया ऋणों की राशि से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(रु. करोड़ में)

	लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	
के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या (लाख में)	राशि (बकाया)
मार्च, 1995	32.25	25843
मार्च, 1996	33.17	29482
मार्च, 1997	31.79	31542
दिसम्बर, 1997	31.77	33382

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार जून, 1993, 1994 और 1995 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को संवितरित राशि के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जून 1993, जून 1994 और जून 1995 के अंतिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋण

(राशि हजारों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्योग कुल (200)					
	जून 1993		जून 1994		जून 1995	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
उनरी क्षेत्र	22164	5908454	21921	841952	2701	12169454
हरियाणा	2634	730633	2595	1033033	3867	1626039
हिमाचल प्रदेश	2087	114195	1829	107283	1664	110415
जम्मू व कश्मीर	117	28883	265	102479	278	114394
पंजाब	9906	2436617	8331	2085027	8854	333757
राजस्थान	3531	251780	3637	377282	5117	783695
चंडीगढ़	273	82249	332	91994	520	5975502
दिल्ली	3616	2264097	4932	4622464	6761	5599852
पूर्वोत्तर क्षेत्र	4371	77276	4766	113302	6124	100907
असम	2958	54912	2828	83567	4360	79059
मणिपुर	750	10632	711	12638	1044	7945
मेघालय	81	2684	97	3523	167	4492

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	55	3083	31	3385	36	912
त्रिपुरा	383	4794	424	4847	481	7788
अरूणाचल प्रदेश	6	70	11	527	16	531
मिजोरम	3	78	3	205	2	70
सिक्किम	136	1023	661	4610	18	110
पर्वी क्षेत्र	54162	1177157	54890	1413918	69229	1621922
	13903	298355	12666	263163	11508	363566
उड़ीसा	5165	94481	5060	130147	6466	220364
प. बंगाल	37072	783852	37147	1019720	51211	1035031
अंदमान व निकोबार	22	469	17	888	44	2961
मध्य क्षेत्र	30397	1306694	35286	2168695	33524	3431533
मध्य प्रदेश	7145	235685	6766	384159	8631	761678
उत्तर प्रदेश	23252	1071009	28520	1784536	24893	2669855
पश्चिम क्षेत्र	24311	8748219	22231	10092745	23557	13973639
गुजरात	7161	1180676	7382	1822818	5989	2458393
महाराष्ट्र	16513	2394120	14269	7956218	16216	11123681

1	2	3	4	5	6	7
दमन व दीव	6	1101	9	2560	8	386
गोवा	607	171859	537	309780	1199	383727
दादरा व नगर हवेली	26	464	34	1369	145	7452
दक्षिणी क्षेत्र	30502	5060269	37071	6680355	53020	11432812
आन्ध्र प्रदेश	4220	631253	7546	954057	10343	1424983
कर्नाटक	10648	1348364	10287	1643659	14641	2693962
केरल	5410	741899	6422	630226	8602	874411
तमिलनाडु	10223	2332469	12609	3434411	19127	6388535
पांडिचेरी	87	6226	194	17830	293	50495
लक्षद्वीप	4	75	13	172	14	426
अखिल भारत	187997	22278069	176165	29888677	212515	42730267

सूती वस्त्रों का आयात

3317. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल-जुलाई के दौरान देश में सूती वस्त्रों और सूती वस्तुओं के आयात में 32% वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आयात किन-किन देशों से किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अपर्युक्त मदों का निर्यात निष्पादन क्या रहा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 1998 की अवधि के दौरान वस्त्र यार्न, फैब्रिकों और मेड-अप्स के आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए आयात की तुलना में रुपयों में 32% की और डालरों में 14.8% की वृद्धि हुई।

(ख) कोरिया गणराज्य, चीनी, ताईपी, चीन जनवादी गणराज्य, बांग्ला देश, हांग कांग, नेपाल, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका ऐसे प्रमुख देश हैं जिनसे भारत ऐसी वस्त्र मदों का आयात कर रहा है।

(ग) डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 1998 की अवधि के दौरान 5620.31 करोड़ रु. (अनंतिम) मूल्य के वस्त्र यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स का निर्यात हुआ।

सोने के जेवरातों का निर्यात

3318. श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान सोने के जेवरातों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी मात्रा में सोने के जेवरातों का निर्यात करने का लाइसेंस जारी किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

[illegible] 997-98 के लिए सोने के आभूषणों के निर्यात [illegible] अमरीकी डालर मूल्य का निर्धारित किया गया था।

(ग) 1997 से 2002 तक की अवधि की आयात-निर्यात नीति के तहत; सोने के आभूषणों का निर्यात करने के लिए किसी निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

सिगरेट उद्योग की उत्पादन क्षमता

3319. श्री अमन कुमार नागरा :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सिगरेट उद्योग की बढ़ती उत्पादन क्षमता से बीड़ी उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय ने बीड़ी क्षेत्र में रोजगार के स्तर में गिरावट-छोटी सिगरेटों का संभावित प्रभाव विषय पर अखिल भारतीय सामाजिक उत्थान नामक एक समिति को अध्ययन कार्य सुपुर्द किया है। इस समिति ने उक्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

विदेशी निवेश

3320. श्री कमलनाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा आयोजित भारत आर्थिक सम्मेलन 1998 में विदेशी निर्यातकों को आकर्षित करने के लिए वर्तमान नीतियों को लागू करने पर जोर दिया गया है;

(ख) इस सम्मेलन में अन्य क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) विश्व आर्थिक फोरम द्वारा आयोजित हाल ही में सम्पन्न हुए "भारत आर्थिक सम्मेलन, 1998" में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की वर्तमान नीतियों के कार्यान्वयन के महत्व को मान्यता दी गई है। सुझाव गए अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्रों में बीमा, पूंजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास और आधारभूत संरचना, व्यापार उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के लिए जन-समर्थन जुटाना शामिल है। सरकार आर्थिक विकास की वर्तमान नीतियों की लगातार समीक्षा करती है और बुनियादी क्षेत्रों, विशेषकर विद्युत, पत्तन, हवाई अड्डों, सड़कों, दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा तथा बीमा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की बढ़ती हुई भूमिका को स्वीकार करती है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा सेवा शुल्क की अदायगी

3321. श्री तारिक अनवर : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभागों को की गयी बिक्री के लिए अपने 'डीलरों' को सेवा शुल्क की अदायगी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने अपने स्टाकिस्टों तथा डीलरों के लिए विशिष्ट उत्पाद क्षेत्र निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एच.पी.सी.) ने न तो किसी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग को और न ही किसी निजी प्राइवेट एजेन्ट अथवा डीलर को क्रयादेश हेतु नियुक्त किया है और न ही पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी सेवा शुल्क का भुगतान किया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1994 में, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने प्रकाशन, अभ्यास पुस्तिकाओं, कम्प्यूटर संबंधी लेखन सामग्री तथा शेयर फार्मों जैसे बुनियादी मानक के आधार पर अपने दिल्ली स्थित स्टाकिस्टों तथा डीलरों के लिए विशिष्ट उत्पाद क्षेत्र निर्धारित किए हैं। लेकिन, फालतू पेपर उपलब्धता की मौजूदा बाजार स्थित में, स्टाकिस्ट/डीलर अपनी बाजार संभावनाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पेपर से संबंधित विशिष्ट उत्पादों को उठाते हैं।

[हिन्दी]

बोध गया में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

3322. श्रीमती रमा देवी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बोध गया में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के मूल्य

3323. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् कोयले की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1998 तक कोयले के मूल्यों में कितनी बार और किस सीमा तक बढ़ोत्तरी हुई;

(ग) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के समय कोयले की विभिन्न किस्मों के मूल्य क्या थे;

(घ) क्या कोयला उद्योग को इसके राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् वित्तीय हानि हुई;

(ङ) यदि हां, तो यह वित्तीय हानि किस सीमा तक थी और इसके क्या परिणाम थे;

(च) क्या सरकार ने कुछ कोयला खानों को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी खानों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले 25 वर्षों में कीमतों में 18 बार संशोधन किए गए हैं। राष्ट्रीयकरण के समय उत्पादित कोयले की औसत कीमत 37.50 रु. प्रति टन थी। पिछली बार दिनांक 23.8.98 को उत्पादित कोयले की संशोधित औसत कीमत कोल इंडिया लि. द्वारा 559.00 प्रति टन रखी गयी थी, जो कोयले के लगभग 21.00 रु. प्रतिवर्ष प्रति टन औसत के बराबर है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्रों में कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. एक वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा किए जा रहे प्रचालनों के आधार पर घाटा अथवा लाभ उठाती हैं। दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. का संचित घाटा क्रमशः 499.63 करोड़ रु. और 1115.06 करोड़ रु. है।

(च) और (छ) खानों को बंद किए जाने का निर्णय कंपनियों पर निर्भर करता है और इस संबंध में निर्णय, भंडारों की समाप्ति, सुरक्षा संबंधी विचार और आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते हुए लिया जाता है।

[अनुवाद]

रेशम कीट की संख्या में कमी

307-08

3324. श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-मलबेरी प्रजातियों के रेशम कीट की संख्या में तीव्रता से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वन्य रेशम कीट को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर खुले में वन्य रेशम कीट पालन करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) साल वन जिनमें स्वाभाविक रूप से केवल एंथेरिया मईलिट्टा एक्रोएसस नामक कीट पलते हैं को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) देश के ऐसे कुछ भागों में जहां कि तसर खाद्य पादप होते हैं, वनों को नष्ट करने तथा खनन क्रियाकलाप होने के कारण गैर-शहतूती रेशम कीट की प्राकृतिक पारि-प्रजातियों में गिरावट आई है। मूगा के मामले में केवल एक ही प्रजाति है। मूगा रेशम कीट की संख्या में गिरावट आने का कोई लौकिक संकेत दिखाई नहीं दिया है। ऐरी के मामले में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का तसर के लिए रांची में केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान तथा पांच क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र हैं जोकि दुमका (बिहार), बारीपाड़ा (उड़ीसा), जगदलपुर (मध्य प्रदेश), भंडारा (महाराष्ट्र) और चिन्नुर (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं। ये तसर की पारि-प्रजातियों का संरक्षण करने का कार्य एवं अध्ययन करते हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मूगा के लिए असम में बोको में एक क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, असम में जोरहट के निकट लडोईगढ़ में केन्द्रीय मूगा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ऐरी के लिए मेघालय में मेंदीपथर में अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड रैली पारि-प्रजाति में गिरावट को रोकने के लिए रेशम उत्पादन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना वर्ष 1994-95 में शुरू हुई है और इसमें 11.43 लाख कोसा बीज 9.04 लाख कीड़े तथा 1.50 लाख रोग-मुक्त चकतों को रिलीज करने की व्यवस्था है। जून, 1998 तक 26.55 लाख रुपए का व्यय हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, 9वीं योजना के अंत तक 80 मीट्रिक टन तसर और 40 मीट्रिक टन मूगा अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ाने का लक्ष्य है। इसमें 9वीं योजना के अंत तक तसर के लगभग 30 लाख रोग-मुक्त चकतों और मूगा के 40 लाख रोग-मुक्त चकतों की अतिरिक्त खपत होने की व्यवस्था है। तसर और मूगा, दोनों को केवल बाहर ही विकसित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपने उत्प्रेरक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 9वीं योजना में राज्यों में तसर और मूगा की विभिन्न योजनाओं की भी पेशकश की है।

(ङ) साल, शोरिया रोबूस्टा, रोक्सब, एंथीरिया मिलिटा डी. के खाद्य पादपों में से ही एक है और यह अधिकांशतः ऐसे वन्य क्षेत्रों में ही होता है जो कि वन्य विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की साल कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

रफ आफ्थालमिक ब्लांक्स

-09

3325. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रफ आफ्थालमिक ब्लांक्स के व्यापारी आयातक हमारी कम मूल्य वाली मुद्रा का फायदा उठाने के लिए कई बार रफ आफ्थालमिक ब्लांक्स का थोक में आयात करते हैं ताकि अवांछित स्तर तक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका भारी स्टाक करने हेतु हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति पर अधिक दबाव डाला जा सके;

(ख) क्या रफ आफ्थालमिक ब्लांक्स का प्रसंस्करण करके चश्मों के लैंस बनाने वाली लघु औद्योगिक इकाइयां ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास सीमित साधन होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो आर.ओ.बी. का आयात करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ताकि व्यापारी जमाखोरी न कर सकें इसलिए वे एक बार में निश्चित मात्रा में

ही आयात कर सकें और शेष मात्रा का औचित्य सिद्ध कर सकें तथा साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि जो इसका आयात करने वाले थोड़े से व्यापारी हैं उनका एकाधिकार कायम न हो और वे गलत तरीके अपनाकर बाजार में अपनी मनमर्जी न चला सकें क्योंकि इससे राष्ट्रीय हितों और लघु-उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वर्तमान में प्रचलित आयात नीति के अनुसार रफ आप्थालमिक ब्लांक्स (आर.बी.ओ.) का आयात आयातों की करमुक्त सूची में आता है और इसलिए एकाधिकार के लाभ प्राप्त करने और बाजार को चालाकी से प्रभावित करने की व्यापारी आयातकों की क्षमता बहुत कम हो जाती है। बाजार में आपरेटरों/व्यापारियों की संख्या व्यापार के माध्यम से लाभ की प्रत्याशित संभाव्यता पर निर्भर करेगी और लाभ संभाव्यता में वृद्धि नए प्रतिभागी व्यापारियों को आकृष्ट करेगी जिससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और प्रयोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

चूंकि आर.बी.ओ. का कुल आयात बहुत कम अर्थात् हमारे कुल आयातों का लगभग 0.01 से 0.02 प्रतिशत तक है, इसलिए आर.बी.ओ. के बढ़े हुए आयातों से भुगतान संतुलन की स्थिति पर कोई खास दबाव नहीं पड़ेगा।

रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देय आयकर/उत्पाद शुल्क

3326. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 998 की स्थिति के अनुसार रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सरकार को देय आयकर और उत्पाद शुल्क की कुल बकाया राशि कितनी थी;

(ख) सरकार इस बकाया राशि को कब तक वसूल कर लेगी; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आयकर और उत्पादन शुल्क के संबंध में देय बकाया शुल्क क्रमश: 156.63 करोड़ रुपए और 175.05 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) बकाया राशियां अपीलीय प्राधिकारियों के पास लम्बित मामलों में फंसी हुई हैं। अत: समय सीमा बताना संभव नहीं है।

यूरोपीय संघ द्वारा मवेशी मांस का आयात

3327. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ द्वारा भारत से मवेशियों के हड्डी-मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा "मैड काउ डिजीज" न होने की पुष्टि करने वाले प्रमाणपत्र मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पशु चारे में मूल पशु उत्पादों को न मिलाने के संबंध कोई आदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। तथापि, यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए कुछेक हड्डियों और उससे बने पदार्थों के लिए उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में इन उत्पादों के लिए यूरोपीय आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 20 मई, 1997 को एक क्रियाविधि निर्धारित की गई थी। संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार, जिन्हें यूरोपीय संघ द्वारा जारी किए जाने का प्रस्ताव है, यूरोपीय संघ को हड्डी के उत्पादों का निर्यात करने वाले प्रत्येक देश को बी.एस.ई. (बोविन रस पोंगीफार्म एनसीफालोपैथी) मुक्त दर्जा प्राप्त करने अथवा विकल्प रूप में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता होगी कि निर्यात किए गए उत्पादों में कोई भी विशिष्ट जोखिम वाली सामग्री अंतर्निहित नहीं है।

(ख) कृषि मंत्रालय (पशुपालन तथा डेयरी उद्योग विभाग) को भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो के कैटल फीड मानक, जो फीडिंग के लिए दिशानिर्देशों के रूप में काम करेंगे, विशेष रूप से पशु के चारे में मृतक पशु के सह-उत्पादों को समाविष्ट करने की रोक लगाते हैं।

(घ) प्रश्न हीं उठता।

राज्यों से केन्द्रीय करों का संग्रहण

3328. डा. रामचन्द्र डोम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं और आठवीं योजना के दौरान राज्यों से राज्य-वार किया गया केन्द्रीय कर का संग्रहण कितना है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे केन्द्रीय करों में राज्यों का राज्य-वार हिस्सा कितना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) केन्द्रीय करों के संग्रहण के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) आयकर और संघीय उत्पाद शुल्क के संग्रहण राज्यों के साथ विभाज्य हैं। सातवीं और आठवीं योजनावधि के दौरान राज्यों को दिया गया हिस्सा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

	राज्य	7वीं योजना के दौरान राज्यों को दिया गया हिस्सा	8वीं योजना के दौरान राज्यों को दिया गया हिस्सा
		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3737.92	10617.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	214.70	669.43
3.	असम	1718.86	4356.92
4.	बिहार	5639.03	15136.25
5.	गोवा	90.60	402.26
6.	गुजरात	1846.07	5150.32
7.	हरियाणा	564.04	1653.90
8.	हिमाचल प्रदेश	695.72	1856.10
9.	जम्मू और कश्मीर	996.96	3010.28

	1	2	3
10.	कर्नाटक	2342.41	6259.77
11.	केरल	1729.71	4556.18
12.	मध्य प्रदेश	3849.31	9926.10
13.	महाराष्ट्र	3489.83	8610.25
14.	मणिपुर	389.39	898.27
15.	मेघालय	313.71	776.44
16.	मिजोरम	227.72	749.02
17.	नागालैण्ड	411.58	1003.92
18.	उड़ीसा	2124.69	6107.65
19.	पंजाब	794.03	2123.03
20.	राजस्थान	2201.41	6768.28
21.	सिक्किम	80.10	255.72
22.	तमिलनाडु	3425.91	8678.78
23.	त्रिपुरा	473.33	1226.86
24.	उत्तर प्रदेश	8350.24	21872.52
25.	पश्चिम बंगाल	3746.14	9318.81
	जोड़	49453.41	131984.65

निर्यात लक्ष्य

3329. **श्री मोईनुल हसन अहमद :**
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री दिनशा पटेल :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :
श्री एस.बी. थोरात :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री माधवराव पाटील :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री मोहन रावले :
श्री ए.सी. जोस :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री अर्जुन सेठी :
...पी. राधाकृष्णन :
...एस. गढ़वी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लम्बी और मध्यम अवधि की निर्यात नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्व में वर्ष में उसी अवधि की तुलना में गत 6 माह के दौरान 30 सितम्बर, 1998 के अंत तक निर्यात वृद्धि दर कितनी रही;

(घ) 1997-98 और 1998-99 के दौरान निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में राज्य सरकारों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) मंत्रालय ने वर्ष 2002 तक 90 से 100 बिलियम अमरीकी डालर के लक्षित निर्यात स्तर प्राप्त करने तथा विश्व व्यापार में 1% हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय एवं निर्देशात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए एक मध्यम अवधि की कार्य योजना तैयार की है। क्षेत्रीय कार्य योजना में क्षेत्र-विशेष संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है और इन क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। निर्देशात्मक कार्य योजना में अफ्रीका, लेटिन अमरीका और सी.आई.एस. देशों में उभरते हुए बाजारों पर विशेष ध्यान दिए जाने का सुझाव दिया है।

(ग) डी.जी.सी.आई. एंड एस. के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छः महीनों अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 1998 के दौरान गत वर्ष की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में रुपए के रूप में 12.26% और डालर के रूप में (-)3.28% की निर्यात वृद्धि हो रही है।

(घ) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान निर्यात के लिए डालर के रूप में निधारित लक्ष्य क्रमशः 18% और 20% है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से विश्व बाजार में आम मंदी विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों और जापान में मंदी के कारण कृषि वस्तुओं जैसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति संबंधी अड़चनों यूरोपीय संघ के बाजारों में व्याप्त अवरोधों और बुनियादी सुविधाओं में आने वाली बाधाओं के कारण आयी है।

(छ) और (ज) जी, हां। इस मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच और ज्यादा समन्वय करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्यात संवर्धन जोन और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों जैसी अनेक योजनाओं में निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना, केन्द्र और राज्यों के बीच निर्यात वृद्धि केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त भागीदारी योजना है। इसके अतिरिक्त निर्यात के मामले में राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए मंत्रालय में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और पूर्वोत्तर से निर्यात संवर्धन के लिए विशष जोर दिया जा रहा है।

(झ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को कम करना, विकेन्द्रीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के द्वारा सौदों की लागत में कम कमी करना तथा एक्जिम नीति में दिए गए विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं।

मैसर्स पद्मिनी पोलिमर्स लिमिटेड को ऋण/अग्रिम

3330. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंड, बैंकों से मैसर्स पद्मिनी पोलिमर्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा 200 करोड़ रुपये तक लिये गये कुल ऋण और अग्रिम का ब्यौरा क्या है;

(ख) कंपनी के ऋण और अग्रिम की कुल बकाया देनदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी का अदायगी करने का खराब रिकार्ड है;

(घ) क्या उपर्युक्त बातों के बावजूद कंपनी का मामला जांच हेतु "सेबी" के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि मैसर्स पद्मिनी पोलीमर्स लि. ने आईडीबीआई, आईएफसीआई तथा आईआईबीआई से सहायता प्राप्त की है और आज की स्थिति के अनुसार कंपनी ने आईडीबीआई को मूलधन तथा ब्याज और अन्य प्रभारों की वापसी अदायगी में चूक की है। बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शासित करने वाले सांविधिक उपबंधों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय पौधों का पेटेंट

3331. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आंवला, बेल, कटहल, महुवा, टेक्सास, और अड़ूसा इत्यादि जैसे कुछ भारतीय पौधों का शीघ्र पेटेंट कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको कब से पेटेंट कराए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) पेटेण्ट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार, पौधे पेटेण्ट योग्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

केरल के नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों को अनुदान

3332. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री वी.वी. राघवन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 से 1997-98 के दौरान प्रत्येक वर्ष नारियल-जटा कर्मकारों के कल्याण के लिए केरल को कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 और 1997-98 के दौरान कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने लाखों गरीब नारियल-जटा कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के संतोषजनक कार्यान्वयन हेतु विशेष अनुदान देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान के अन्तर्गत कितनी धनराशि देने का अनुरोध किया गया है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1991-92 से 1997-98 के दौरान, केरल में श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के लिए सरकार द्वारा कयर बोर्ड को दिए गए अनुदान की राशि निम्न प्रकार है:-

1991-92	25.00 लाख रु.
1992-93	25.00 लाख रु.
1993-94	10.00 लाख रु.
1994-95	15.00 लाख रु.
1995-96	शून्य
	50.00 लाख रु.
1997-98	शून्य

(ख) और (ग) जी, हां। यद्यपि योजना सिद्धांत रूप में अनुमोदित की गयी थी, तथापि निधियां 1991-92 से वर्ष-दर-वर्ष तदर्थ आधार पर जारी की गयी थीं। चूंकि निधियां जारी करने के लिए कोई विशिष्ट अनुमोदन नहीं था, इसलिए कयर बोर्ड द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को 50 लाख रु. जारी करने हेतु विशिष्ट स्वीकृति जारी करने के अनुरोध के लिए सरकार से संपर्क किया गया था। तदनुसार, योजना आयोग द्वारा यथा-निर्धारित स्कीम का विस्तृत मूल्यांकन लंबित रहने तक, कवर बोर्ड के अनुरोध पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को वर्ष 1995-96 के लिए 50 लाख रु. की राशि जारी कर दी जाए। तथापि, चूंकि यह राशि जारी करने के लिए आदेश अप्रैल, 1996 में जारी किए गए थे, इसलिए कयर बोर्ड द्वारा यह राशि 1995-96 के दौरान प्रयोग में नहीं लायी जा सकी थी और वर्ष 1996-97 के दौरान केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को अनुदान जारी करने के लिए कयर बोर्ड को अधिकार देते हुए स्वीकृति को पुन: वैद्य किया गया था। वर्ष 1997-98 के दौरान, सरकार द्वारा केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड के लिए कोई अनुदान राशि मंजूर नहीं की जा सकी थी क्योंकि केरल केयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड के कार्यनिष्पादन पर कयर बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन में कई अनियमितताएं पायी गयी थीं। ये अनियमितताएं कयर बोर्ड द्वारा सभी संबंधित प्राधिकरणों के ध्यान में लायी गयी थी।

(घ) से (च) जी, हां। केरल सरकार ने कयर श्रमिकों हेतु अपनी विभिन्न कल्याण स्कीमों के सफल कार्यान्वयन के लिए 5 करोड़ रु. की केन्द्रीय सरकार के अनुदान हेतु अनुरोध किया है। कयर बोर्ड ने पहले केरल केयर श्रमिक कल्याण निधि के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जो कयर बोर्ड द्वारा केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड के ध्यान में लायी जा चुकी हैं। कयर बोर्ड ने पेंशन आदि के भुगतान के लिए उचित लेखे रखने हेतु केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को सुझाव दिया था। इस मामले पर सरकार द्वारा भी विचार किया गया है और यह महसूस किया गया है कि सरकार के लिए केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को तब तक कोई अनुदान जारी करना संभव नहीं होगा, जब तक कि निधि के प्रचालन में सुधार करने के लिए कयर बोर्ड द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कोई उपचारात्मक उपाय नहीं कर लिए जाते हैं। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है। कयर बोर्ड को भी कल्याण निधि बोर्ड के साथ अनुवर्ती उपाय करने का सुझाव दिया गया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

32

3333. श्री अमर पाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति शुरू करने के बाद से आज तक भारत में अनिवासी भारतीयों तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ख) उन औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें उनके द्वारा निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) 7,44,902.60 लाख रुपये के अनिवासी भारतीय निवेश तथा 1,75,03,189.20 लाख रुपये के विदेशी निवेश की परिकल्पना वाले प्रस्तावों से 1991 से अक्तूबर, 1998 तक अनुमोदन किया गया है।

ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में है जैसे विद्युत तथा ईंधन, धातुकर्मी उद्योग, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रसायन, परिवहन उद्योग होटल एवं पर्यटक तथा वित्तीय सेवाएं आदि।

विदेशों में भारतीय बैंक

3334. श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और गैर-सरकारी उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी शाखाएं विदेशों में खोली हैं; और

(ख) इन बैंकों की शाखाओं द्वारा कितनी राशि संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने वास्तव में कितनी राशि संग्रहित की?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के एक बैंक की शाखाएं विदेश में हैं। बैंकों के नाम निम्नलिखित हैं:-

सरकारी क्षेत्र के बैंक :

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बैंक आफ इंडिया
3. बैंक आफ बड़ौदा
4. इंडियन बैंक
5. इंडियन ओवरसीज बैंक
6. यूको बैंक
7. केनरा बैंक
8. सिंडीकेट बैंक

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक :

भारत ओवरसीज बैंक

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में इन बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं द्वारा ग्राहकों से प्राप्त जमाराशि निम्नलिखित हैं:-

बैंक का नाम	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की ग्राहक जमाराशि का बैंक-वार सारांश (मिलियन अमेरिकी डालर)		
	1996	1997	1998
1	2	3	4
बैंक आफ बड़ौदा	1027.25	1014.20	1146.25
बैंक आफ इंडिया	1502.33	1482.81	1707.34
भारतीय स्टेट बैंक	1581.07	1677.58	1643.07
इंडियन ओवरसीज बैंक	185.57	173.59	151.04

1	2		3
यूको बैंक	374.38	399.42	357.42
इंडियन बैंक	288.64	256.06	219.66
केनरा बैंक	90.33	81.24	125.33
सिंडिकेट बैंक	52.36	60.88	64.33
भारत ओवरसीज बैंक	49.70	48.32	63.73

छोटे निवेशक

3335. श्री फ्रांसिस्को सारदीना :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री पी.आर. किन्डिया :
श्री के.एस. राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के "द इकानामिक टाइम्स" में "द केस ऑफ द मिसिंग कम्पनीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कंपनियां अपना शेयर नहीं दे रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उन छोटे निवेशकों जिनके पास शेयर संबंधी प्रमाणपत्र हैं, के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या ये कंपनियां अपने प्रमाणपत्र वापस ले लेंगी;

(च) क्या सरकार छोटे निवेशकों के लिए कोई अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) सेबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1997-98 में 1893 कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकशें कीं, इनमें से 41 कंपनियों का पता नहीं लगाया जा सका। इन कंपनियों के ब्यौरे सेबी द्वारा कंपनी कार्य विभाग को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों का सूचीकरण क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंजों से इतर स्टाक एक्सचेंजों पर स्वैच्छिक रूप से रद्द कर सकती हैं अथवा जब कंपनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक शेयरधारिता सांविधिक न्यूनतम सीमा से कम हो जाए, तब वे शेयरों के पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण विनियम, 1997 के तहत सूचीकरण रद्द कर सकती हैं। स्वैच्छिक रूप से सूचीकरण रद्द करने के लिए शेयरधारकों के विशिष्ट अनुमोदन के साथ-साथ निकास तंत्र के प्रावधान की भी जरूरत होती है।

(च) और (छ) लघु निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी के पास निर्गमकर्ताओं और बाजार मध्यवर्तियों के विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

'रफ आफ्थाल्मिक ब्लैंक्स' का आयात

3336. श्री जोवाकिम बखला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'रफ आफ्थाल्मिक ब्लैंक्स' के आयातक डालरों की फारवर्ड बुकिंग करके देश में रुपए के मूल्य में गिरावट का पूरा लाभ उठा रहे हैं जबकि इस व्यापार में लगी लघु उद्योग इकाइयां अपने सीमित संसाधनों के कारण ऐसा नहीं कर पातीं; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों और इस व्यापार में लगे अत्यन्त छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं, आयातकों के साथ समस्तर स्थापित करने हेतु रफ आफ्थाल्मिक ब्लैंक के आयातकों द्वारा डालरों की ऐसी फारवर्ड बुकिंग को तत्काल रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा की फारवर्ड बुकिंग आयातकों को विनिमय दर में अप्रत्याशित अस्थिरता से होने वाले नुकसानों से बचाती है। इसके मद्देनजर सभी आयातकों को फारवर्ड बुकिंग का माध्यम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शालीमार डामर संयंत्र द्वारा कब्जा की गई भूमि

3337. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शालीमार डामर संयंत्र ने बी.सी.सी.एल. के लोडना क्षेत्र में कुल कितने भू-भाग पर कब्जा कर रखा है और इसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या बी.सी.सी.एल. का प्रबंधन 1990 तक यह कहता रहा है कि यह भूमि बी.सी.सी.एल. की नहीं है और उसने सरकार को भी यही रिपोर्ट दी;

(ग) यदि हां, तो क्या अब तक यह सिद्ध हो गया है कि यह भूमि बी.सी.सी.एल. की ही है;

(घ) क्या इस सच्चाई का पता और उल्लेख इस संयंत्र के कामगारों ने किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कामगारों को पुरस्कृत करने और पहले गलत रिपोर्ट देने वाले कर्मचारियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. के लोडना क्षेत्र में शालीमार डामर संयंत्र द्वारा कुल 13.50 एकड़ भूमि पर कब्जा किया हुआ है। धनबाद के उपायुक्त द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार इस भूमि का मूल्य 8,91,000 रु. आंका गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1982 में भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा मंत्रालय को यह सूचित किया गया था कि जिस भू-भाग पर शालीमार डामर संयंत्र अवस्थित है वह मेसर्स शालीमार डामर संयंत्र के स्वामित्व में है न कि भारत कोकिंग कोल लि. की लोडना कोयला खान के स्वामित्व में। यह आधार इस तथ्य पर आधारित था कि उस समय भारत कोकिंग कोल लि. के पास संबद्ध कागजात/दस्तावेज नहीं थे जिससे कि यह पता लगता हो कि भोजा लोडना में इस भूमि का स्वामित्व भारत कोकिंग कोल लि. के पक्ष में था।

बाद में संबद्ध दस्तावेजों के बारे में खोजबीन से यह पता लगता है कि यह भूमि पहली कोयला खान अर्थात् लोडना कोलियरी कंपनी लि. (1920) के नाम पर रिकार्ड की गई थी और इस पर उसका स्वामित्व था। 1972 में कोकिंग खानों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् इस लोडना कोलियरी कंपनी पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो गया और इस प्रकार सरकारी कोयला कंपनी अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि. के पास इसका अधिकार आ गया।

(घ) और (ङ) यह दावा कि इस सत्य को शालीमार डामर संयंत्र के कामगारों ने उजागर किया और प्रबंधक वर्ग को सूचित किया सही नहीं है। तथ्य यह है कि भारत कोकिंग कोल लि. ने स्वयं ही रिकार्ड की छानबीन की जिससे यह पता चला कि जिस भूमि पर शालीमार डामर संयंत्र अवस्थित है, पर कभी मेसर्स लोडना कोलियरी कंपनी लि. का स्वामित्व था।

[हिन्दी]

बिहार में बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

3338. श्री रामटहल चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि तक बिहार में छोटे और मझोले किसानों को सहकारिताओं,

वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या ऋणों को मंजूरी देते समय किसी अनियमितता का पता चला;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने ऋण की वसूली की गई; और

(ङ) राज्य में किसानों को ऋण देने के लिए बैंक की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले तीन वर्ष के लिए लघु और सीमांतिक किसानों को ऋण सहित बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित ऋण नीचे दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से लघु और सीमांतिक किसानों के लिए अलग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण
	332.77	3639.27	11003.15
1996-97	587.99	6081.19	14863.91
1997-98	730.73	6144.75	14009.48
1998-99 (सितम्बर, 98)	101.23	1921.19	4333.17

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋणों की मंजूरी के बारे में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय राशियां	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1995-96	23144.41	5983.04	17161.37	25.85
1996-97	34405.78	11208.55	23197.23	32.60
1997-98	30359.27	7822.84	22536.43	25.80

(ङ) ऋण वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने तथा किसानों को बैंक ऋण दिए जाने की प्रणाली और प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें सुधार लाने संबंधी सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति (आर.व्ही. गुप्ता समिति) नियुक्त की थी। इस समिति ने कई प्रक्रियात्मक संशोधनों का सुझाव दिया है जिनमें ऋण आवेदन फार्मों, ऋण समझौतों आदि से संबंधित प्रक्रिया का सरलीकरण, बैंक की आंतरिक विवरणियों का युक्तियुक्तकरण, शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, खेती हर किसानों को समिश्र नकदी ऋण सीमा लागू करना, बचत संघटकों के साथ नए ऋण उत्पादों को लागू करना, ऋणों का नकद संवितरण, बेबाकी प्रमाण-पत्र का वितरण, 10,000 रु. से अधिक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से संबंधित मामलों पर बैंक को विवेकाधिकार शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

आयकर निर्धारिती

3339. श्री रूपचंद मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार महानगरों में शहर-वार कुल जनसंख्या में से आयकर निर्धारितियों का प्रतिशत/अनुपात कितना है; और

(ख) शहर-वार उन लोगों का आर्थिक मानदंड क्या है जो कर दायरे से बाहर हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार 31.3.98 को कुल आबादी में से आयकर निर्धारितियों का प्रतिशत/अनुपात निम्न प्रकार है:-

महानगरीय शहर	31.3.98 को कुल आयकर निर्धारिती	कुल आबादी 1991 जनगणना	प्रतिशत
कलकत्ता	15,56,881	110,21,918	14.13%
मुम्बई	15,47,498	125,96,243	12.28%
दिल्ली	8,62,461	84,19,084	10.24%
चेन्नई	12,07,326	54,21,985	22.26%

आयकर निर्धारितियों के आंकड़ों में व्यष्टियों, फर्मे, हिन्दू अविभाजित परिवार कम्पनी, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समितियां शामिल हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1861 में सभी व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित रूप से आय की विवरणी दायर करने का दायित्व सौंपा गया है।

(1) पूरे देश के संबंध में, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह पूर्व वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण योग्य है, अधिकतम राशि से अधिक है, जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।

(2) इसके अतिरिक्त दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई महानगरों और कुछ अन्य अधिसूचित स्थानों के संबंध में वह कोई भी व्यक्ति जो निम्न निर्धारित छः आर्थिक मानदण्डों में से किसी एक को पूरा करता हो, नामशः:-

(i) विशिष्ट तल क्षेत्र से अधिक अचल सम्पत्ति का मालिक हो, चाहे वह स्वामित्व, काश्तकारी अथवा इस संबंध में विनिर्दिष्ट अन्य तरीके से किया गया हो, अथवा

(ii) वह मोटर वाहन का स्वामी अथवा पट्टेदार हो, अथवा

(iii) टेलिफोन का अंशदाता हो, अथवा

(iv) उसने स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी विदेश यात्रा पर व्यय किया हो, अथवा

(v) वह किसी बैंक अथवा संस्थान द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड धारक हो, जो एड आन कार्ड न हो, अथवा

(vi) वह किसी क्लब का सदस्य हो जहां प्रवेश [illegible] पच्चीस हजार रुपये अथवा उससे अधिक [illegible] जाता हो।

अन्य सभी व्यक्ति जो उपर्युक्त शर्तों के दायरे में नहीं आते हैं, कर संजाल से बाहर हैं।

पारिस्थितिकीय पर्यटन

3340. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु केरल के वायनाड जिले को एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पहचान की गई है;

(ख) क्या केरल सरकार ने राज्य में पारिस्थितिकीय पर्यटन के संवर्धन हेतु किसी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) केरल में वायनाड जिले में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने तिरूवली में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्राथमिकता के तौर पर मुहैया कराया है।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने थेनमाला को पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट किया है। भारत सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान 25.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से थेनमाला के लिए ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण उपकरण की खरीद की परियोजना को मंजूरी दी है।

केरल में होटल और मोटल

3341. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के स्थान-वार कितने होटल और मोटल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन्हें वर्ष-वार कितना लाभ/घाटा हुआ; और

(ग) इन्हें अधिक लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम, केरल राज्य में कोवलम स्थान पर कोवलम अशोक बीच रिज़ार्ट नाम का केवल एक ही होटल चला रहा है। यह एकक लाभ कमा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान कमाए गए लाभ के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
1995-96	411.49
1996-97	279.86
1997-98	174.00

(ग) होटल की लाभप्रदता को सुधारने के लिए परिसम्पत्ति का उन्नयन/नवीनीकरण, नए पैकेजों को आरम्भ करते हुए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं: जैसे कि सप्ताहांत, हनीमून, बीच व बैकवाटर अवकाश, आयुर्वेदिक रिजुवेनेशन; नियमित भोजन उत्सव आयोजित करना; विभिन्न सुविधाएं प्रस्तुत करने वाले विशेषाधिकार कार्ड आरम्भ करना, समागम केन्द्र का तेजी से संवर्धन करना; टालने योग्य खर्च पर नियंत्रण करना एवं उसे कम करना आदि।

निर्यात संवर्द्धन जोन

3342. प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात संवर्द्धन जोन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात संवर्द्धन जोनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बिना हानि उठाये निर्यात संवर्द्धन का काम किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक समाप्त कर दी जायेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई.पी.जैड.) योजना कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा को अर्जित करने, निर्यात-अभिमुख उद्योगों में घरेलू तथा विदेशी विनियोजन में वृद्धि करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा निर्यात, निवेश तथा रोजगार से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

निर्यात (1997-98) (करोड़ रु.)	इकाइयों द्वारा घरेलू/ विदेशी निवेश (करोड़ रु.)	रोजगार
4817.30	1564.35	82.980

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के निदेशक का विदेशी दौरा

3343. श्री अकबर अहमद : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगम के सालिसिटर के परामर्श के खिलाफ भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के निदेशक विदेश चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो आज तक इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों का निबटारा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं:

(ग) क्या चीनी सौदे की उनके द्वारा गलत हैंडलिंग तथा कुप्रबंधन के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा 16 करोड़ रु. का दावा प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी निधि के दुरूपयोग तथा उसके परिणामस्वरूप 16 करोड़ रुपये की हानि के लिए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जिस मामले में मैसर्स एंडे एंड साई द्वारा चीनी के आयात के लिए नुकसान के लिए दावा किया गया था उस मामले में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने सक्षम प्राधिकारी तथा लंदन में अपने सालिसिटर्स के साथ परामर्श करके दिसम्बर, 1996 में लंदन में अदालत की कार्रवाई में भाग लेने के लिए उस मामले में निदेशक (विधि) तथा महा-प्रबंधक (विधि) को नियुक्त किया था।

तथ्यों का सत्यापन करने के बाद वाणिज्य मंत्रालय में इस बारे में प्राप्त शिकायत के मामले को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समाप्त कर दिया गया था।

(ग) और (घ) लंदन की अदालत के फैसले तथा रिफाईंड शुगर एसोसिएशन द्वारा दिए गए अवार्ड के आधार पर एस.टी.सी. द्वारा मैसर्स एंटे एंड साई को 2.13 करोड़ 270 (लगभग) का भुगतान किया गया है। इस मामले की पहले से ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध 19-3-97 को नियमित मामला (आरसी) दर्ज किया गया है।

[हिन्दी]

'सिडबी' की भूमिका

3344. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विशेषकर बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की क्या भूमिका रही है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध करा कर राज्यों में कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं और कितनों का पुनरुद्धार किया गया है;

(ग) क्या उक्त बैंक राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) लघु उद्योग क्षेत्र के उन्नयन, वित्तपोषण तथा विकास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपने आरम्भ (1990 में) से पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिडबी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त के माध्यम से उधार देता रहा है। वर्ष 1990-98 की अवधि के दौरान सिडबी द्वारा दी गई संचयी सहायता मंजूरियों का कुल 36,264 करोड़ रु. और संवितरणों के 26,702 करोड़ रु. था। बिहार राज्य को ऋण का बढ़ा हुआ प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सिडबी अपनी विभिन्न योजनाओं, पुनर्वित्त सहायता, प्रत्यक्ष उधार तथा उन्नयन क्रियाकलापों के माध्यम से ऋण प्रदान करता रहा है। इस राज्य में सिडबी के दो कार्यालय हैं जबकि अन्य राज्यों में सिर्फ एक पिछले तीन वर्ष के दौरान बिहार राज्य में लघु उद्योग को मंजूरियों और संवितरणों ...ों की सहायता निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

	बिहार		
वर्ष	संख्या	मंजूरियां	संवितरण
1995-96	1143	57.90	51.95
1996-97	1653	92.93	78.38
1997-98	4635	105.69	97.69

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत भ्रमण वर्ष

3345. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 "भारत भ्रमण वर्ष" को भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय का, दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक पूरे वर्ष भारत दर्शन वर्ष के रूप में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन की विशेष योजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

- विभिन्न तरह के बाजार जगत के लिए पर्यटन संबंधी पैकेज प्रोत्साहन।
- राज्यों के कुछ चुनिन्दा पर्व एवं मेलों को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करना।
- क्रय एवं खाद्य पर्व का आयोजन।
- सहस्राब्दि वर्ष के अवसर पर विशेष आयोजन।
- भारत दर्शन वर्ष आयोजन के उद्घाटन एवं समापन के अवसर पर विशेष आयोजन।
- पर्यटन प्रदर्शनियों का आयोजन।
- पर्यटक/आगन्तुकों की सुविधा सहायता में सुधार।

इंश्योरेंस कम्पनी में भ्रष्टाचार

3346. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री भेरू लाल मीणा :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **वित्त मंत्री** इंश्योरेंस कम्पनियों में भ्रष्टाचार के बारे में 25.7.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के डिवीजनल कार्यालय-310400 के डिवीजनल मैनेजर तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनेक व्यक्तियों की

तरफ से भ्रष्टाचार, दस्तावेजों की धोखाधड़ी टंकित रूप में तैयार नीति को उपभोक्ताओं को न भेजा जाता, फर्जी दावों का भुगतान और अधिकारियों में कदाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी डिवीजनल मैनेजर तथा अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या डिवीजनल कार्यालय द्वारा रिकार्ड क्लर्कों को प्रतिभूति सहित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कम्पनी के खाते से गैर-कानूनी भुगतान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1997 के दौरान और अक्तूबर, 1998 तक रिकार्ड क्लर्कों और सुरक्षा कर्मचारियों को किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम्पनी के खाते से गैर-कानूनी भुगतान करने वाले दोषी डिवीजनल मैनेजरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) दावों के निपटान में अनियमितताओं के आरोपों से सम्बन्धित एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) इन आरोपों की जांच मुम्बई स्थित न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. के सतर्कता विभाग द्वारा की गयी सम्बद्ध प्रभागीय कार्यालय द्वारा दावों के निपटान के समय की गयी कुछ गलतियां प्रकाश में आयी थीं जिन पर कम्पनी के तकनीकी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) कम्पनी के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा योजना तैयार करना

3347. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्पाद राजस्व प्राप्त करने और कारवंचकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व बढ़ाने की सामान्य योजना के एक अंग के रूप में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों को अपवंचनरोधी उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोका जा सके और उसका पता लगाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत प्रभावी रूप से आसूचना एकत्र करना, अपवंचन प्रवण इकाइयों/औद्योगिक क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाना, विशेष मॉडवेट लेखा परीक्षा दलों का गठन करके मॉडवेट की कड़ी जांच करना, विशेष रूप से प्राप्त निविष्टियों की तुलना में माडवेट योग्य बीजकों की जांच करना, निविष्टियों और तैयार माल के स्टॉक की जांच करना, माल की मार्गस्थ जांच में तेजी लाना विशेष रूप से अप्रत्याशित समय पर और छुट्टियों के दौरान जांच करना, देश के किसी भाग में देखी गई नई कार्य प्रणाली की सूचना को तुरंत सब तक पहुंचाना, अपवंचनरोधी महानिदेशालय सहित सभी स्तरों पर अपवंचनरोधी तंत्र को और सुदृढ़ करना आदि शामिल है।

राष्ट्रीय हथकरघा नीति

3348. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारतीय बुनकर परिसंघ से बुनकरों और उनके कल्याण संगठनों के संबंध में नीति बनाने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन बुनकरों जिनके पास काम नहीं है के पुनर्वास की भी मांग की गई है और उनके उत्पादों के विपणन के लिए उचित विपणन नीति बनाने का भी अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश चेनेता कार्मिक सामकया द्वारा दक्षिण भारतीय हथकरघा आयोजन समिति ने अपना ज्ञापन भेजा है जिसमें अन्य के साथ-साथ नीतिगत मामले शामिल हैं। यह नीतिगत मामले जुलाई, 1998 में स्थापित विशेषज्ञ समिति को उनके विचारार्थ प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

ऑटो उद्योग

3349. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटो उद्योग ने 1993 से 1996 में वाहनों की बिक्री में 20% वृद्धि की तुलना में 1997-98 के दौरान इसमें कोई वृद्धि नहीं दर्शाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ऑटो उद्योग ने सरकार से सभी वाहनों पर शुल्क में छूट हेतु आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऑटो उद्योग के संवर्द्धन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

ने सन् 2000 से वाहनों के निःशुल्क आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो ऑटो क्षेत्र में चुनौती का सामना करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में कम मांग रही है। उत्पाद में तीव्र कमी के मुख्य कारण ये थे: अर्थव्यवस्था तथा उद्योग में पूर्ण रूप से मंदी, अवस्थापनापरक परियोजनाओं पर अपर्याप्त व्यय और साथ ही अन्तरराष्ट्रीय मंदी प्रवृत्तियां।

(ग) और (घ) भारतीय ओटोमोबाइल विनिर्माता संघ (ए.आई.ए.एम.) ने पूर्व बजट ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें आटोमोबाइल उद्योग को पुनरूज्जीवित करने के लिए उत्पाद शुल्क में कमी सहित अनेक रियायतें तथा प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया गया है। उक्त सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन से पेटेण्ट के अधिकार की मांग

3350. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन से जिन भारतीय वस्तुओं (आयुर्वेदिक दवाइयों, दालों, स्वदेशी वस्तुओं) के पेटेण्ट की मांग की जा रही है, उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के अन्तर्गत पेटेंटों की मंजूरी दी जाती है। डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा पेटेण्ट अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

बाजार से ऋण लेने की अनुमति

3351. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने बाजार से ऋण लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने बाजार से उधार लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसकी उसे पहले ही अनुमति दी जा चुकी है और राज्य सरकार चालू वर्ष के दौरान पहले ही 514.42 करोड़ रुपए (सकल) का बाजार उधार ले चुकी है।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

3352. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी मात्रा में कोककारी कोयले का आयात किया गया/किया जा रहा है और किन-किन क्षेत्रों तथा किन-किन देशों से और किन-किन दरों पर यह आयात किया जा रहा है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में कोयले की मांग की गई है; और

(ग) घरेलू कोयला खानों से इस्पात संयंत्रों की कोयले की कितनी मांग पूरी की गई और इस उद्देश्य के लिए कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कोयला आयात किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान आयातित कोककर और अकोककर कोयले की मात्रा का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

(मि. टन में)
(आंकड़े अनंतिम)

वर्ष	अकोककर	कोककर	कुल कीमत (करोड़ रु. में)
1995-96	3.14	9.37	3093
1996-97	9.78	4.53	3532
1997-98	10.65	6.56	4422

अप्रैल से नवम्बर, 1998 तक कोयले के किए गए आयात के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

कोयले का आयात करने वाले देश निम्न हैं:- कनाडा, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड इत्यादि।

सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोयले का आयात नहीं करती है। आयात वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जहां कोककर कोयले का आयात एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाता है, वहीं अकोककर कोयले का आयात विद्युत गृहों और सीमेंट संयंत्रों आदि द्वारा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है और विभिन्न ग्रेडों के कोयले की कोई निश्चित अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोयले की दर, आयात किए जाने के समय विद्यमान बाजार की विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है और कोयला मंत्रालय द्वारा इसे न तो निर्धारित किया जाता है, न ही जाना जाता है।

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्रों को धुले और सीधे फीड किए जाने वाले आपूर्तित कोयले का लक्ष्य और कोल इंडिया लि. के स्रोतों से की जा रही वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा निम्न हैं:-

(मि. टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1995-96	11,590	10,151
1996-97	11,210	8,861
1997-98	10,890	7,831

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण

342-43

3353. डा. सरोजा वी. : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किए गए;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों

के बदले आई.डी.बी.आई. द्वारा मंजूर ऋणों की राशि निम्नानुसार है:–

(करोड़ रु.)

	लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े
1995-96	25000	19469
1996-97	22000	17050
1997-98	20000	24199

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान वास्तविक आंकड़े [illegible] अधिक थे। वर्ष 1996-97 के दौरान वास्तविक [illegible] में मुख्यत: बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में [illegible] निवेश में गिरावट के कारण कम थे। वर्ष 1995-96 के दौरान लक्ष्य की तुलना में मंजूरियां मुख्यत: आई.डी.बी.आई. के कारोबार संमिश्र में परिवर्तन के कारण कम थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तात्कालिक ऋणों पर लगाई गई रोक को देखते हुए वर्ष के दौरान अल्पावधि ऋणों को समाप्त कर दिया गया था।

(घ) देश में औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं – आने वाली अवधि में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन, सभी स्तरों पर व्यक्तिगत और कंपनी आयकर की दरों में कटौती, मौद्रिक शर्तों को आसान बनाना, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उन्नयनात्मक उपाय और विदेशी विदेश नीति को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाना।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात लाइसेंस

3354. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आयात-निर्यात के कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक लाइसेंस का नाम-वार और कार्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जारी किए गये आयात/निर्यात लाईसेंसों की कुल संख्या क्रमश: 48909, 51784 और 55350 थी।

(ख) अपेक्षित जानकारी बहुत ही अधिक है और इसे विवरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तथापि, डीजीएफटी (मुख्यालय) तथा इसके पत्तन कार्यालयों द्वारा जारी किए गये सभी आयात/निर्यात लाइसेंसों के ब्यौरे "एक्जिम अपडेट सफलीमेंट नामक मासिक प्रकाशनों में दिए गये हैं। जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करवाई जा रही है।

पंजाब नेशनल बैंक

3355. श्री सुरेश चंदेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में हिमाचल ग्रामीण बैंकों का विस्तार करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें यह अनुरोध किया गया था कि हिमाचल ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र का विस्तार किया जाए और हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में शाखाएं खोली जाएं। इस संबंध में हिमाचल ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक, अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल ग्रामीण बैंक नई शाखाएं खोलने में तभी समर्थ होगा जब इस बैंक में नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस

3356. श्री रामशकल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा देशवार कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) इन कम्पनियों ने किन क्षेत्रों में निवेश किया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) 1997 तथा 1998 के दौरान, विभिन्न देशों नामत: इटली, जापान, मारीशस, नीदरलैंड, सिंगापुर, यू.के., यू.एस.ए. आदि द्वारा प्रस्तावित विदेशी निवेश सहित लाइसेंस योग्य मामलों के लिए 22 आशय-पत्र जारी किये गये। वस्त्र, चर्म, औद्योगिक मशीनरी, परिवहन, ईंधन आदि निवेश के क्षेत्र हैं।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3357. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात में किस-किस प्रकार के समुद्री उत्पादों का उत्पादन किया गया;

(ख) इनकी मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जामनगर तथा गुजरात के अन्य जिलों से प्रत्येक देश को निर्यात किए गए प्रत्येक समुद्री उत्पाद की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) उसके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान उक्त देशों को अधिक निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) गुजरात के काण्डला और पोरबन्दर बन्दरगाहों के जरिए वर्ष 1994-95 से आगे निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

मात्रा : मी. टन में

डालर : मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

मद		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 अ. 98-अक्तू. 98
1		2	3	4	5	6
प्रशीतित झींगा	मा :	7773	5295	6329	6275	2035
	डा :	38.89	28.24	28.23	32.80	9.01
प्रशीतित लोबस्टर	मा:	410	516	389	380	119
	डा :	5.15	5.98	4.29	3.86	0.90
प्रशीतित कटलफिश	मा :	7614	6417	7451	7630	1751
	डा :	14.35	11.16	12.70	15.19	2.03
प्रशीतित स्विड	मा :	9990	10577	14186	9432	3444
	डा :	14.69	17.42	20.90	13.83	4.71

1		2	3	4	5	6
प्रशीतित मछली	मा :	60741	59223	91803	97195	15707
	डा :	59.38	61.74	88.50	103.72	17.48
अन्य	मा :	458	530	3055	4649	1652
	डा :	0.61	0.95	4.98	6.56	1.83
कुल	मा :	86986	82558	123213	125561	24708
	डा :	133.07	125.49	159.60	175.96	35.96

स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

[illegible] और [illegible] काण्डला एवं पोरबन्दर बन्दरगाह जो मुख्यतः [illegible]नों समेत गुजरात राज्य से प्राप्त उत्पादों का निर्यात करते हैं, से वर्ष 1994-95 से आगे किए गए विभिन्न मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

मात्रा : मी. टन में

मूल्य : डालर : मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

देश/बाजार		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 अप्रैल 98-अक्तू. 98
1		2	3	4	5	6
यूएसए	मा:	3553	4130	4616	4152	1008
	डा:	10.84	9.10	10.44	12.82	2.34
जापान	मा:	3196	3229	5491	7032	2300
	डा:	24.05	23.49	25.10	27.79	7.23
यूरोपीयन संघ	मा:	13362	12459	12163	4972	1631
	डा:	29.70	29.99	25.81	9.89	4.16
द.पू. एशिया	मा:	65283	61110	98421	105940	17824
	डा:	63.84	58.13	93.35	118.02	18.64

1		2	3	4	5	6
मध्य पूर्व	मा:	1404	1432	1158	1854	1382
	डा:	3.67	4.27	3.26	5.03	3.00
अन्य	मा:	188	198	1364	1611	563
	डा:	0.97	0.51	1.64	2.41	0.59
योग	मा:	86986	82558	123213	125561	24708
	डा:	133.07	125.49	159.60	175.96	35.96

स्रोत : पम्पीडा

(ङ) भारत सरकार भारत से विभिन्न बाजारों को मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एम्पीडा के जरिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती आ रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं: (1) आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों के शुल्क मुक्त आयात के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत न्यूनतम सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 1 करोड़ रुपए करना; (2) मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए शुल्क हकदारी पास बुक (डी.ई.पी.बी.) दरों को अधिसूचित करना, (3) ई.पी.सी.जी. के अंतर्गत शून्य सीमाशुल्क योजना के तहत मौजूदा निर्यातोमुखी एककों को डिबांडिंग करने की अनुमति देना; (4) जोखिम विश्लेषण एवं निर्णायक नियंत्रण बिन्दु (एच.ए.सी.सी.पी.) वाली इकाइयों को विशेष आयात लाइसेंस की 5% अतिरिक्त हकदारी; (5) पूंजीगत इमदाद प्रदान करने के अलावा प्रसंस्करण संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने के लिए 7% की मूल दर के अतिरिक्त बैंक ऋणों पर ब्याज के अधिकतम 7% तक ब्याज की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना शुरू करना; (6) एच.ए.सी.सी.पी. में प्रसंस्करण उद्योग एवं माल तैयार करने के तरीके के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है; (7) रोग मुक्त स्थायी मत्स्य पालन के लिए मत्स्य कृषकों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

वर्ष 1998-99 के लिए भारत से मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए 1350 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2000 और 2001 के लिए अभी लक्ष्य तय किए जाने हैं।

खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) द्वारा उड़ीसा इस्पात संयंत्र की स्थापना 350-51

3358. श्री अर्जुन सेठी : क्या वाणिज्य मंत्री 4.12.1998 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस एकक विशेष में कार्यकारी पदों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) वर्तमान समय में उसमें ऐसे कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इनमें से कितने कर्मचारी स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) महोदय, एन.आई.एन.एल. में चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। आवेदन-पत्र प्रैस विज्ञप्ति, रोजगार कार्यालयों के जरिए तथा विभिन्न संगठनों जैसे स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि., टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विजाग स्टील प्लांट, निप्पन डेनरो इस्पात ग्रुप, मैकोन आदि से सम्पर्क करके आमंत्रित किए जाते हैं।

(ख) दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार एन.आई.एन.एल. में कुल 144 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 103 कार्यकारी तथा 41 गैर-कार्यकारी हैं।

(ग) स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या 8 है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटधारकों को लाभों का भुगतान न किया जाना

3359. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपनी विभिन्न निवेश योजनाओं में घोषित देय लाभों से यूनिटधारकों और निवेशकों को अक्सर वंचित रख रहा है;

(ख) क्या बहुत बड़ी संख्या में यूनिटधारकों को एम.आई.एस.आर. योजना, 1993 के अन्तर्गत इसके प्रचालन
... में देय बोनस राशि की अदायगी नहीं की गई

(ग) क्या यूनिटधारकों से उक्त योजना के अन्तर्गत बोनस की अदायगी न होने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वर्षों तक समाधान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनाए गए ऐसे कदाचारों की जांच कराने और इस वित्तीय संस्थान के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समुचित कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सभी परिपक्व आय योजनाओं ने अनुमानित आय से अधिक अथवा समान आय दी है। एम.आई.एस.बी. 1993 योजना (अधि-लाभांश सहित मासिक आय यूनिट योजना-1993) के लिए तीसरे वर्ष के अन्त में अधि-लाभांश के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(ग) से (ङ) योजना के अन्तर्गत किसी अधि-लाभांश की घोषणा न किए जाने के कारण प्रश्न लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में रिक्तियों को भरना

3360. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा हाल ही में खनन पर्यवेक्षक "खनन सरदार" के पद पर नियुक्ति के लिए केवल 21 उम्मीदवारों का चयन किया गया जबकि कुल मिलाकर 80 रिक्त पद थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त रिक्तियां न भरे जाने के कारण कंपनी के कार्य में बाधा पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष पदों पर भर्ती कब तक किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खनन कर्मियों की 100 रिक्तियों के लिए 50 स्थानीय उम्मीदवारों को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के प्रबंधन ने नियुक्त किया, इन स्थानीय उम्मीदवारों में से 33 महाराष्ट्र से तथा 17 मध्य प्रदेश से थे। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से कुछ खनन सरदारों के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में स्थानान्तरण आधार पर आने की उम्मीद है तथा शेष रिक्तियां यदि कोई हुई, उनके बारे में निर्णय तत्पश्चात् लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) शेष रिक्तियों को शीघ्र ही पहले स्थानान्तरण आधार पर ई.को.लि. से और तब चयनित पैनल से भरा जाएगा।

[अनुवाद]

विजया बैंक में धोखाधड़ी

353-54

3361. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विजया बैंक में 117 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी की जांच की है तथा इसके भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन किए जाने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं तथा इस पर मामलेवार तथा बैंकवार क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) विजया बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स पी.जे. पाईप्स और वेसेल्स प्रा. लि. (पी.जे.पी.वी.एल.) को बैंक द्वारा मंजूर किए गए अग्रिमों के संबंध में बैंक द्वारा कतिपय अनियमितताएं पाई गई हैं। बैंक द्वारा की गई आंतरिक छानबीन से बैंक के अधिकारियों से हुई चूक का पता चला और साथ ही यह भी पता चला कि उधारकर्ता कंपनी द्वारा निधियों का विपथन किया गया था। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बैंक ने 117.07 करोड़ रु. का दावा करते हुए मई 1996 में कंपनी के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया था। इस मामले को आगे की छानबीन के लिए नियमित मामला रजिस्टर करने के अनुरोध के साथ अगस्त, 1995 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया था। भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय रिजर्व बैंक में भी खातों की विस्तृत संवीक्षा की थी और सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि मामला दर्ज किया जाए और इस मामले की पूरी तरह से छानबीन की जाए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक के दो तत्कालीन पूर्णकालिक निदेशकों और साथ ही कंपनी के तीन निदेशकों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंककारी मानदंडों के उल्लंघन के मामलों के आंकड़े समेकित नहीं करता है। बैंककारी मानदंडों का उल्लंघन या तो वास्तविक या प्रक्रिया संबंधी प्रकृति का है और बैंक शाखाओं की बड़ी संख्या और लेनदेनों की संख्याओं जो प्रत्येक शाखा में किए जाते हैं, को देखते हुए ऐसे आंकड़े समेकित नहीं किएं जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में पुनर्नियुक्ति

354-55

3362. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कुछ सेवा निवृत्त अधिकारियों, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव, श्रम विकास संस्थान, जयपुर और भारतीय पर्यटन वित्त निगम की जैसी निगम की सहायक कंपनियों में ठेके के आधार पर पुनः नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनः नियुक्त किये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और उन्हें पुनः नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवा निवृत्त अधिकारियों को ठेके के आधार पर पुनः नियुक्त करने से शेष कर्मचारियों की भावी पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और क्या इससे बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होती; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को पुनः नियुक्त करने का क्या औचित्य है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी.आई.) ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के किसी भी अधिकारी की पुनः नियुक्ति 60 वर्ष पूरे होने के बाद अपनी किसी सहायक कंपनी में या उनके द्वारा विकसित किसी संगठन में ठेके पर नहीं की गई है। प्रबंधन विकास संस्थान (एम.डी.आई.), श्रम विकास संस्थान (आई.आई.डी.), भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी.एफ.सी.आई.) लि.,

आई.एफ.सी.आई. की सहायक कंपनियां नहीं हैं बल्कि आई.एफ.सी.आई. लि. द्वारा प्रवर्तित कंपनियां हैं। हालांकि आई.एफ.सी.आई. लि. द्वारा प्रवर्तित कुछ कंपनियों ने अपनी आवश्यकता, उपर्युक्तता आदि के अनुक्रम अपने विवेकानुसार कुछ सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवाएं ली हैं। ऐसे व्यक्तियों के विवरण इस प्रकार हैं:-

संस्थान	व्यक्ति का नाम	पद
प्रबन्धन विकास संस्थान (एम.डी.आई.)	श्री जे.एल. मेहता	रजिस्ट्रार एवं सचिव
आई.एफ.सी.आई. वित्तीय सेवा लि.	श्री भवानी सिंह	वैयक्तिक सहायक
आई - फिन	श्री प्रकाश चन्द	वैयक्तिक सहायक

(ग) जी नहीं, चूंकि एम.डी.आई. में कोई उपर्युक्त अधिकारी नहीं था इसलिए किसी वर्तमान कर्मचारी की प्रोन्नति पर प्रतिकूल ... क्योंकि आई-फिन में वैयक्तिक सहायक का पद ...।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में मुंगेर पर्यटक स्थल

3363. श्री विजय कुमार "विजय" : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मुंगेर जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों, जैसे- चंडिका स्थान, सीता कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड, राजा मीर करीम का किला इत्यादि को पर्यटन मानचित्र पर लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन स्थलों को पर्यटन सूची में शामिल करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

पर्यटन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष दिशा-निर्देशों और धन की उपलब्धता के अनुसार उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मुंगेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण सहित 325 लाख रु. की राशि की 12 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है।

वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय सरकार ने मुंगेर में एक पर्यटक परिसर के लिए 16.88 लाख रु. की राशि की स्वीकृति प्रदान की है।

भागलपुर, बिहार का मेला

3364. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में जुलाई-अगस्त के महीने में एक मेले का आयोजन होता है जिसमें देश-विदेश से लाखों लोग आते हैं तथा "उत्तरवाहिनी गंगा" से गंगा जल लेकर इसे वैद्यनाथ धाम में चढ़ाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सुल्तानगंज मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) श्रावणी मेला के नाम से प्रसिद्ध इस मेले के दौरान पर्यटकों के लिए बिहार राज्य सरकार कुछ सुविधाएं मुहैया कराती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बिहार राज्य सरकार से ऐसा कोई भी प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

तिरुप्पुर के लिए फ्री कमर्शियल जोन

3365. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में बनियान का निर्यात बढ़ाने की सुविधा देने के लिए बनियान निर्यातकों के लिए तमिलनाडु में सुपर फ्री व्यावसायिक जोन बनाने का है;

(ख) तिरूप्पुर से बनियान/बुने हुए सामान के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/बनियान उद्योग को कितना अनुदान दिया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) निर्यात के राज्य-वार/शहर-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जनवरी-सितम्बर, 1998 के दौरान भारत से निटिड परिधानों के कुल निर्यात 1217.10 मिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम) होने बतलाए गए हैं।

(ग) सरकार नियमित आधार पर बनियान सहित परिधानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि।

एम.एस.के. मिल, गुलबर्गा, कर्नाटक 3375+

3366. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एस.के. मिल, गुलबर्गा कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्र में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि को बंद की गई है और इसमें कितने श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ग) क्या इनको वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार इसको पुनः चालू करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एम.एस.के. मिल्स, एम.टी.सी. (ए.पी.के.के. एण्ड एम.) लि., बंगलौर का एक एकक, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है जो राज्य में औद्योगिक रूप से कम विकसित जिलों में से है।

(ख) मिल बंद नहीं है। हालांकि उत्पादन क्रियाकलाप 1.12.1997 से बंद हो गई है। 14.12.1998 की स्थिति के अनुसार, इसमें 540 स्थायी तथा 248 बदली/अस्थायी कामगार थे।

(ग) एम.एस.के. मिल्स के स्थायी कामगारों को बिना काम के वेतन दिए जा रहे हैं।

(घ) से (च) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर, एन.टी.सी. की अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के धनात्मक होने की बी.आई.एफ.आर. मानदण्डों के आधार पर एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना विचाराधीन है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

बंबई स्टाक एक्सचेंज सूचकांक 263

3367. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेबी" ने स्टाक एक्सचेंजों द्वारा दिन-प्रतिदिन कारोबार के आधार पर सूचकांकों को जारी करने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्टाक एक्सचेंजों विशेष रूप से 30 स्क्रिपों पर आधारित बंबई स्टाक एक्सचेंज संवेदी सूची द्वारा संवेदी सूचकांकों को जारी करने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु मार्गनिर्देशों को जारी करने के लिए सरकार अथवा "सेबी" द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार या सेबी का इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मणिपुर में पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास

3368. **श्री भीम दाहाल :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित पूर्वोत्तर संबंधी कृतिक बल ने पर्यटन ढांचे के विकास के लिए मणिपुर में अनेक स्थानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है: और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पर्यटन के विकास के लिए मणिपुर को कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई और जारी की गई?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) "पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के माध्यम से विकास" [illegible] में कार्यदल ने मणिपुर में इम्फाल, ठखरूल, [illegible] को विकास के लिए बड़े पर्यटक केन्द्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने मणिपुर राज्य सरकार को नीचे दिए गए अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई है:-

(रु. लाखों में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	निर्गत राशि (किश्तों में)
1995-96	75.81	36.28
1996-97	51.90	22.00
1997-98	186.11	56.35

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु धनराशि

3369. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किन-किन रुग्ण उद्योगों को धनराशि आबंटित की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर स्थित सरकारी क्षेत्र की किसी इकाई द्वारा इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय सहायता की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) संसाधनों की उपलब्धता के अध्याधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों सहित सरकारी उद्यमों को गुणों के आधार पर आवश्यकतानुसार बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय बजट 1998-99 के अनुसार 1997-98 के दौरान सरकारी उद्यमों को सामान्यत: योजना परिव्यय तथा गैर-योजना ऋण के रूप में 56542 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। सरकारी क्षेत्र का उपक्रमवार विवरण व्यय बजट 1998-99 के विवरण संख्या 9 और 14 पर उपलब्ध है, जिसे सभापटल पर प्रस्तुत किया गया है तथा यह एक प्रकाशित दस्तावेज है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात

3370. **प्रो. पी.जे. कुरियन:**
श्री रंजीब बिस्वाल:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा इन वर्षों के दौरान वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) सरकार द्वारा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए क्या अनुमान किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक निर्यातों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रु.)

	लक्ष्य	वास्तविक निर्यात निष्पादन
1995-96	2180	2650
1996-97	3933	4113
1997-98	6518	6800

(स्रोत: इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर ईपीसी)

सरकार कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास कर रही है, जिसमें शामिल हैं – शिष्टमंडलों को भेजना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, बाजार-सर्वेक्षण, सूचना का आदान-प्रदान और एग्जिम नीति के प्रावधानों को उदार बनाना। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सॉफ्टवेयर के निर्यात का अनुमान नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

	1998-99	1999-2000
लक्ष्य	10,997	18,695
अनुमानित वृद्धि	61.72%	70%

(स्रोत: इलैक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर ईपीसी)

अल्कोहल/तम्बाकू/पैट्रोलियम उत्पादों को लाइसेंस मुक्त करना 361-62

3371. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री गिरजला वेंकटस्वामी नायडू:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्कोहल, तम्बाकू तथा मोटर स्पिरिट जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लाइसेंस मुक्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक अल्कोहल और पैट्रोलियम (अपरिष्कृत को छोड़कर) तथा इसके आसवन उत्पादों को पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया है। उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन रखे जाने वाले उद्योगों की समीक्षा करना एक अनवरत प्रक्रिया है और उद्योगों को फिर से लाइसेंस मुक्त करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंक

3372. **श्री नरेन्द्र बुडानिया:** 362-76
श्री रंजीब बिस्वाल:
श्री जयसिंहजी चौहान:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन शाखाओं में कुल कितनी धनराशि जमा की गई तथा इन शाखाओं द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या इन शाखाओं द्वारा किया गया निवेश जमा की गई राशि से कम रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन शाखाओं द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(च) इन ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) जून, 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है:

(ख) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां, सकल बैंक ऋण तथा निवेश क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बैंक जमाराशियों के रूप में जो संसाधन जुटाते हैं, उन्हें वे ऋण एवं सरकारी प्रतिभूतियों, शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्यिक पत्रों आदि में निवेश के रूप में अभिनियोजित करते हैं। बैंक ऋण (खाद्य ऋण को छोड़कर) तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्यिक पत्रों आदि में निवेशों के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को निधियों का प्रवाह वर्ष 1996-97 के दौरान 30,631 करोड़ रुपए था जो वर्ष 1997-98 के दौरान बढ़कर 51,601 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान दिनांक 9 अक्तूबर, 1998 तक अनुसूचित [illegible] द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को गैर-खाद्य ऋण में [illegible] (2.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी, जबकि [illegible] अवधि में यह 4,686 करोड़ रुपए (1.7 प्रतिशत) थी।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि वे वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करके ऋणों की वसूली बढ़ाए, अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली करें और यह कि इस संबंध में निगरानी बैंक के शीर्ष प्रबंधकों द्वारा की जानी चाहिए। बैंक देय राशियों की तेजी से वसूली में सहायता देने के लिए विभिन्न स्थानों पर ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

विवरण I

जून 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या (नवीनतम उपलब्ध)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	4971
2. अरुणाचल प्रदेश	68
3. असम	1235
4. बिहार	4970
5. गोवा	300
6. गुजरात	3552
7. हरियाणा	1438
8. हिमाचल प्रदेश	774
9. जम्मू व कश्मीर	802
10. कर्नाटक	4565
11. केरल	3149
12. मध्य प्रदेश	4428
13. महाराष्ट्र	6076
14. मणिपुर	86
15. मेघालय	179
16. मिजोरम	78
17. नागालैंड	71
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1288

1	2
19. उड़ीसा	2177
20. पंजाब	2439
21. राजस्थान	3264
22. सिक्किम	42
23. तमिलनाडु	4659
24. त्रिपुरा	181
25. उत्तर प्रदेश	8797
26. प. बंगाल	4347
27. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	31
28. चंडीगढ़	154
29. दादरा व नगर हवेली	10
30. दमन व दीव	13
31. लक्षद्वीप	9
32. पांडिचेरी	77
अखिल भारत	64230

विवरण II

मार्च 1996, मार्च 1997 और मार्च 1998 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार जमाराशियां एवं ऋण

(रु. लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च 1996		मार्च 1997		मार्च 1998	
	जमाराशि	ऋण	जमाराशि	ऋण	जमाराशि	ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	2160476	1746052	2585033	2006105	3161864	2280970
2. अरुणाचल प्रदेश	35967	3743	39393	4226	41276	5420

1	2	3	4	5	6	7
3. असम	439272	172613	508388	178869	602158	197824
4. बिहार	1792166	573159	2122237	646725	2566789	706127
5. गोवा	312739	84192	383351	95729	455606	112019
6. गुजरात	2526528	1339306	2905936	1444902	3482337	1679161
7. हरियाणा	893049	410782	1035449	442175	1218827	522769
	313893	81004	364640	86090	437348	94471
9. जम्मू व कश्मीर	403149	154012	471694	182935	580584	216888
10. कर्नाटक	2325777	1620536	2635740	1884170	3188243	2175261
11. केरल	1979283	898457	2299527	1078287	2720087	1204461
12. मध्य प्रदेश	1565113	893428	1812735	948613	2329851	1198607
13. महाराष्ट्र	8917262	6751864	10195367	6999819	11755138	8497704
14. मणिपुर	23093	12406	26421	15195	28343	16657
15. मेघालय	73009	10505	89162	12724	101934	15459
16. मिजोरम	20929	3385	28455	3990	21356	4949
17. नागालैंड	37740	10348	48957	11768	54490	9986

1	2	3	4	5	6	7
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4247663	3174467	4884727	3267638	6133932	3796259
19. उड़ीसा	600596	329182	715272	350449	881754	398440
20. पंजाब	2007545	840690	2304276	901506	2751761	1062823
21. राजस्थान	1201711	560187	1405530	621528	1684276	798791
22. सिक्किम	20589	3968	23998	4241	27991	5788
23. तमिलनाडु	2905234	2940978	3248697	3259704	3925861	3772299
24 त्रिपुरा	58122	24461	69374	26150	83225	28267
25. उत्तर प्रदेश	4145081	1419491	4830415	1526876	5875993	1680530
26. प. बंगाल	3112703	1735155	3645008	1824074	4440122	2047208
27. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15308	2520	18859	3024	23727	3583
28. चंडीगढ़	375077	520455	406142	357425	497499	288739
29. दादरा व नगर हवेली	5987	1240	8171	1516	10015	2141
30. दमन व दीव	16838	3925	20579	4515	24536	5054
31. लक्षद्वीप	2478	237	3093	271	3224	319
32. पांडिचेरी	72939	30574	88115	32421	96661	34733
अखिल भारत	42607337	26353322	49222743	28223660	59206807	32863710

विवरण III

मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 (नवीनतम उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार निवेश

(लाख रु.)

राज्य का नाम	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	251039	278993	301003
अरुणाचल प्रदेश	1633	1960	2501
	77974	92611	100577
बिहार	286228	317759	349321
चंडीगढ़	—	—	229
दिल्ली	14894	14873	14544
गोवा	3987	4464	4524
गुजरात	192369	204553	209719
हरियाणा	77639	85928	93783
हिमाचल प्रदेश	26638	34132	37554
जम्मू व कश्मीर	40566	45653	47466

1	2	3	4
कर्नाटक	162849	177245	189209
केरल	166391	193703	212399
मध्य प्रदेश	232501	254675	269617
महाराष्ट्र	284898	301996	309354
मणिपुर	7562	8608	9301
मेघालय	12460	14284	15174
मिजोरम	250	1020	2190
नागालैंड	10735	11808	13746
उड़ीसा	156645	181973	202084
पांडिचेरी	25	25	25
पंजाब	81539	93181	105468
राजस्थान	195153	231865	240866
सिक्किम	2538	3293	16101
तमिलनाडु	246319	270259	285389

1	2	3	4
त्रिपुरा	8362	9518	10370
उत्तर प्रदेश	474019	540487	595845
प. बंगाल	260800	283584	301616
अखिल भारत	3276013	3658450	3940125

चाय और कॉफी बागान

3373. श्री रंजीब बिस्वाल: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अब तक कुल कितनी एकड़ भूमि चाय और काफो बागान के लिए उपयोग में लायी गयी है;

(ख) 1997-98 के दौरान राज्य में चाय और कॉफी का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार उस राज्य में चाय और कॉफी बागान के लिए अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि का उपयोग करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो नौवीं योजना के लिए इस संबंध में कौन-कौन से कार्यक्रम तैयार किए गए?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) उड़ीसा में चाय और कॉफी बागान के अंतर्गत कुल क्षेत्र क्रमश: 219.00 और 1600 हेक्टेयर है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा राज्य में चाय और कॉफी का उत्पादन निम्नानुसार रहा था:

चाय	-	90,000	कि.ग्रा.
कॉफी (अरेबिका)	-	80	मी. टन

(ग) और (घ) जी, हां। चाय बोर्ड उड़ीसा सहित अभिज्ञात गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय बागान को प्रोत्साहित करने के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान नव क्षेत्र विकास योजना के नाम से एक योजना लागू कर रहा है।

कॉफी बोर्ड भी नौवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में "जनजातीय और लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा कॉफी क्षेत्र के समेकन और विस्तार की परियोजना" लागू कर रहा है।

स्वर्ण आयात

3374. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वर्ण परिषद को रिपोर्ट के अनुसार भारत पर कुछ देशों द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण स्वर्ण की मांग में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998 के तीसरे तिमाही में कुल कितने स्वर्ण का आयात किया गया?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) विश्व स्वर्ण परिषद ने 1998 की तीसरी तिमाही के दौरान सोने की मांग में कमी के अनेक कारण बतलाए हैं। यद्यपि यह सही है कि 1998 की तीसरी तिमाही के दौरान सोने का आयात पहली दो तिमाहियों के आयात से तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन 1998 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान सकल आयात 1997 की संगत अवधि की तुलना में बहुत ज्यादा है।

(ख) 1998 की पहली तीन तिमाहियों और 1998 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आयात किये गये सोने के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष 1997 और 1998 में योजनावार सोने का आयात

(मात्रा मी. टन में)

	1997				1998			
	एन आर आई	एसआई एल	ओजी एल	कुल	एनआर आई	एसआई एल	ओजी एल	कुल
प्रथम तिमाही	94.032	9.96	-	93.992	55.103	.577	156.24	211.92
दूसरी तिमाही	99.83	16.453	-	116.282	25.176	.028	122.336	147.541
तीसरी तिमाही	106.42	24.522	-	130.941	7.13	.331	101.046	108.507

(ग) 1998 की तीसरी तिमाही के दौरान आयात किया गया कुल सोना 108.507 मी. टन था।

कर वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य

3375. श्री ई. अहमद :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान आयकर दाताओं के लाभ के लिए कोई नई योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजीकृत नये आयकर दाताओं की संख्या कितना है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान आयकर और अन्य करों की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य अब तक प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान आयकर दाताओं की प्रत्येक श्रेणी से अलग-अलग कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ङ) वर्ष 1997-98 की इसी अवधि की तुलना में इन आंकड़ों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है/गिरावट आई है; और

(च) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) कर आधार को व्यापक बनाने की दृष्टि से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 में छः में से एक स्कीम आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित छः में से एक आर्थिक मानदण्ड को पूरा करने पर विवरणी दाखिल करने की बाध्यता है, यदि वह व्यक्ति

पहले से विवरणी दाखिल नहीं कर रहा है। यह पहले के उपबन्ध का विस्तारित और वृद्धित रूप है जिसमें चार में से दो आर्थिक मानदंडों को पूरा करने पर आपकी विवरणी दाखिल करने की बाध्यता थी। यह स्कीम अब 35 अधिसूचित शहरों में लागू है। इस स्कीम का उद्देश्य नये कर निर्धारितियों को बढ़ाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत दायर की गई विवरणियों की संख्या अलग से नहीं रखी जाती है। तथापि चालू वर्ष में अक्तूबर, 1998 तक 21.02 लाख नये कर-निर्धारिती बढ़े हैं जिसमें इस स्कीम के अन्तर्गत दायर विवरणियां भी शामिल हैं।

विवादों के समाधान और बकायों की वसूली के उद्देश्य से करदाताओं के लाभ के लिए 1998-99 के दौरान "कर विवाद समाधान स्कीम" भी आरम्भ की गई है। इसका लक्ष्य नये आयकर दाताओं को दर्ज करने का नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। निगमित कर, आयकर और ब्याजकर के संबंध में अब तक की गई वसूली का योग सामान्यतः लक्ष्यों

... को सामान्य सांविधिक प्रक्रिया के अलावा इस विभाग द्वारा उच्च मांग वाले डोजियर मामलों में निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजस्व वसूली की पक्की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टी.डी.एस. विंग और बकाया मांग रजिस्टरों के कम्प्यूटरीकरण से लघु मांगों के सम्बन्ध में वसूली को भी बढ़ावा मिलेगा।

आवश्यक वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत-अमरीकी समझौता ज्ञापन

3376. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी दल से हुई बातचीत के दौरान भारत की अमरीका से आवश्यक वस्तु और प्रौद्योगिकी संबंधी 1984 के भारत-अमरीकी समझौता ज्ञापन को समुचित रूप से लागू करने के बारे में चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात होने वाली वस्तुओं तथा इस समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत और संयुक्त राज्य के बीच आवश्यक वस्तुओं के बारे में कोई समझौता ज्ञापन नहीं है, और ऐसे समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं के आयात का प्रश्न नहीं उठता है।

किन्तु, संयुक्त राज्य अमरीका से भारत को संवेदनशील वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों तथा तकनीकी आंकड़ों के निर्यात के बारे में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 1984 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन, नवम्बर, 1998 में भारत और यू.एस.ए. के प्रतिनिधिमंडलों के बीच निर्यात नियंत्रणों के विषय पर चर्चाओं की कार्यसूची में शामिल नहीं था।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास के लिए योजनाएं

3377. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीने के दौरान देश में पर्यटन के विकास के लिए कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) पर्यटकों के आकर्षण के ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां यह योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ग) उक्त अवधि में भारतीय तथा बाहरी पर्यटकों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) तीर्थ पर्यटन का संवर्धन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर/नवम्बर, 1998 में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। यह भी प्रस्ताव है कि अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 की अवधि को "भारत भ्रमण वर्ष" के रूप में मनाया जाए। दिनांक 19 से 25 जनवरी, 1999 को, भारत पर्यटन सप्ताह के एक भाग के रूप में, पर्यटन एक्स्पो को भी बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित केन्द्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है:-

1. आनंदपुर साहिब, पंजाब में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन।
2. आनंदपुर साहिब, पंजाब के चार गुरूद्वारों का प्रदीप्तिकरण।
3. खजुराहो, मध्य प्रदेश में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन।

4. बोधगया, बिहार में महाबोधि मंदिर का प्रदीप्तिकरण।

5. तिहाड़ झील पर हाई मास्ट लाइट/माडल टाउन, दिल्ली की नैनी झील का प्रदीप्तिकरण।

6. मेघालय में गुफा साहसिक पर्यटन हेतु उपकरणों की खरीद।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू व विदेशी पर्यटकों को कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं दिया है।

चाय का उत्पादन

3378. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष चाय का कितना उत्पादन होता है; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात की गई चाय की मात्रा कितनी है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय का उत्पादन निम्नानुसार रहा था:-

(मिलियन कि.ग्रा. में)

वर्ष	मात्रा
1995	756.02
1996	780.03
1997	810.61

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात की गयी चाय की मात्रा 211.76 मिलियन कि.ग्रा. थी और अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा 1953.91 करोड़ रु. थी।

[अनुवाद]

वस्त्र ऋण वसूली निधि

3379. श्री टी.आर. बालू : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रीलंका की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना तथा "वस्त्र ऋण वसूली निधि" तथा वस्त्र मिलों के समग्र ऋण का उत्तरदायित्व और बकाया राशि लेने तथा वस्त्र उद्योग को बचाने हेतु ऋण वसूली पर ऋण स्थगन की घोषणा करने हेतु इसी तरह की योजना शुरू करने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वस्त्र उद्योग को बचाने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई प्रस्तावित वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नई प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक वस्त्र उन्नयन निधि योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत तक के ब्याज प्रोत्साहन के साथ वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त प्रदान किए जाने वाले कताई पश्चात् उप क्षेत्रों (बुनाई, प्रोसेसिंग तथा परिधान) पर बल देना है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादकता बढ़ाना, अनुसंधान में सुधार करना, विपणन तथा फसलोत्तर क्रियाकलापों को शामिल करने के उद्देश्य से कपास विकास के लिए एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन का प्रस्ताव भी किया गया है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार, वस्त्र ऋण वसूली निधि (टी.डी.एफ.आर.) नामक एक योजना, श्रीलंका के वस्त्र विनिर्मात्री क्षेत्र जिसका ऋण उस समय 400 करोड़ श्रीलंकाई रु. आंका गया था, को सहायता देने तथा पुनर्गठन के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा फरवरी, 1998 में घोषित किए जाने की सूचना है। टी.डी.एफ.आर. में सभी बकाया दीर्घ और मध्य अवधि के ओवर ड्राफ्ट्स, ट्रस्ट की आय, आयात के ऋण और वस्त्र फर्मों के छूट प्राप्त बिलों के साथ 31 अक्टूबर, 1997 तक की स्थिति के अनुसार उन पर मिलने वाले ब्याज को धारण करने की कल्पना है। विनिर्माताओं को छूट की अवधि जो कि अलग-अलग मामले के आधार पर 3 से 7 वर्षों की होगी, के बीत जाने के बाद संबंधित वाणिज्यिक बैंकों को केवल मूल धनराशि का पुनर्भुगतान करना अपेक्षित है। टी.डी.एफ.आर. में

विनिर्माताओं के ऋणों को अन्तरित करने का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को अधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण सहित वस्त्र निर्माताओं को और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है। कुछ मामलों में वस्त्र फर्मों को निर्यात के किसी भी प्रकार के दायित्व को अनिवार्य रूप से अपनाए बिना निर्यात एककों को मिलने वाले लाभ प्राप्त होंगे। कारपोरेट करों की रियायती दरें भी लागू की जा सकती हैं।

ऋणदाता संस्थान सामान्यतया अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ऋण को वसूल करने और ऋण के पुनर्निर्धारण के प्रश्नों पर ही विचार करते हैं।

भारतीय विद्यार्थियों की कठिनाईयां

3380. **श्री मधुकर सरपोतदार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने [illegible]

[illegible] विगत एक वर्ष में रुपए के मूल्य में तेजी से आई गिरावट के कारण अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अन्य बाहरी देशों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर विनिमय की सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) इस समय, विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को सदाशयता के आधार पर प्राधिकृत डीलरों से सीधे ही विदेशी मुद्रा आहरित करने की अनुमति दी जाती है। धनराशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। वे बाजार में प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं। भारत ने 20 अगस्त, 1994 से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों को अनुच्छेद-8 की धारा 2, 3 और 4 के अन्तर्गत इकरारनामे को स्वीकार किया है। अनुच्छेद-8 के इकरारनामे को स्वीकार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य, अन्य बातों के साथ-साथ, भेदमूलक मुद्रा व्यवस्थाओं या बहुल मुद्रा प्रणालियों को नहीं अपनाते हैं। तदनुसार, विदेशों में अध्ययन कर रहे छात्रों को बाजार द्वारा निर्धारित दर की तुलना में किसी दूसरी विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

इटावा में विद्युत करघा उद्योग

3381. **श्री प्रदीप कुमार यादव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में विद्युत करघा उद्योग बंद होने के कगार पर है जिससे लगभग 50 हजार बुनकर बेकार हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप कर उपर्युक्त उद्योग को अर्थक्षम बनाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन बुनकरों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार का क्या कार्यक्रम है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) इटावा, उत्तर प्रदेश में विद्युतकरघा क्षेत्र में किसी विशिष्ट संकट के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र के सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) समस्त देश में विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना करना।

(2) विद्युतकरघा क्षेत्र को डिजाईन विकास और सहायता प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर सहायित डिजाईन केन्द्रों की स्थापना करना।

(3) निर्यात में विकास और सुधार के संवर्धन के लिए विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्द्धन परिषद (पी.डी.ई.एक्स.सी.आई.एल.) की स्थापना करना।

(4) विद्युतकरघा निर्यातकों के लिए 10% तक का विशेष कोटा प्रदान करना।

(5) राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से विद्युतकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना का क्रियान्वयन।

(6) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को मजबूत बनाने के लिए एक योजना आरम्भ करना।

(7) विद्युतकरघा क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादक संयंत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव करना।

[अनुवाद]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

3382. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के सेवा-निवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति संबंधी लाभ तथा अन्य लाभ विगत एक वर्ष से समय पर नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कब तक यह राशि जारी करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) पुनरुद्धार हेतु बी.आई.एफ.आर. पैकेज, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कार्यान्वयनाधीन है। सरकार, पैकेज के अनुसार कंपनी को निधियां दे रही है। सांविधिक देयताएं तथा आग्रही ऋणदाताओं इत्यादि जैसी अन्य देयताओं के भुगतान के लिये 71 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए गए हैं। बी.आई.एफ.आर. पैकेज में परिकल्पित कर्मचारियों से संबंधित 30.85 करोड़ रुपये की देयताओं के मुकाबले कंपनी ने 39 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, उपदान अवकाश संबंधी वेतन तथा यात्रा भत्ता लेने के हकदार होते हैं। अंशदायी निधियों का कोई भुगतान लम्बित नहीं है। अगस्त, 1997 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के उपदान एवं अवकाश वेतन तथा जून 1996 तक के यात्रा भत्ता दावों का भुगतान कर दिया गया है। वेतन संशोधन बकायों के कारण कुछ अन्य देयताओं तथा यात्रा अवकाश भत्ता का भुगतान भी किया जा रहा है। कंपनी का कार्य निष्पादन, पुनरुद्धार योजना में की गई परिकल्पना से काफी कम है। इन लगातार हानियों के परिणामस्वरूप, कंपनी को देयता का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। अत: कंपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार भुगतान क्रमानुसार कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर में "सिक्कों के लिए काउंटर"

3383. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर में कितने सिक्कों के काउंटर कार्यरत हैं;

(ख) प्रतिदिन औसतन कितने सिक्के जारी किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर बिचौलिए सिक्के कमीशन पर बेचते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि सिक्के केवल उन्हीं वास्तविक व्यापारियों को दिए जाएं जो प्रमाण लेकर आते हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर में 6 काउंटरों पर औसतन प्रतिदिन सिक्के जारी किए जाते हैं।

(ख) औसतन 3.07 लाख रु. मूल्य के सिक्के प्रतिदिन जारी किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि समाचार-पत्रों में कुछ रिपोर्टें छपी हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं परन्तु किन्हीं भी अप्राधिकृत व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों के बाहर सिक्कों की बिक्री करते हुए नहीं पाया गया।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर किसी भी व्यक्ति अथवा किसी संगठन के प्रतिनिधि को सिक्के एक दैनिक रूटीन मामले के तौर पर जारी किए जाते हैं। व्यापारियों और अन्य सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न एसोसिएशनों और निकायों जैसे होटल मालिकों, इम्पोरियमों, दुकानदारों आदि को भी सिक्के जारी किए जाते हैं। भारतीय ... सिक्कों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ... उठाए हैं:-

(1) सुरक्षा अधिकारी एक समय पर लगभग 50-60 व्यक्तियों को ही बैंकिंग हालों में प्रवेश करने देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जैसे ही उनका काम हो जाये वे हाल छोड़कर चले जायें।

(2) पहले दो घण्टों के दौरान अर्थात् 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक छोटी मात्रा में सिक्कों की आवश्यकता वाली आम जनता को तरजीह दी जाती है।

(3) देश के विभिन्न भागों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चुनिन्दा शाखाओं से सिक्के वितरित करने के प्रबन्ध किए गए हैं।

[हिन्दी]

इलाहाबाद बैंक में धोखाधड़ी

3384. श्री ज़गत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद, कानपुर (उ.प्र.) में जाली हस्ताक्षर से 1,50,000 रुपए अवैध रूप से निकाले जाने की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच कराने के कोई आदेश दिए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की कानपुर शाखा (उ.प्र.) में जाली हस्ताक्षर से 1,50,000 रुपए के गैर-कानूनी आहरण के जरिए धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास बोर्ड का गठन

3385. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी पर्यटन विकास बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) क्या बोर्ड में पांच सितारा होटलों, पर्यटन विभाग, राज्यों, सांस्कृतिक संगठनों, के प्रतिनिधियों तथा राजनीतिज्ञों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) बोर्ड के खर्चों को कैसा पूरा किया जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) सरकार ने पर्यटन उद्योग एवं व्यवसाय बोर्ड का पुनर्गठन राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् के रूप में करने का निर्णय लिया है।

(ग) सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि इस परिषद के सदस्य होंगे। परिषद में संसद सदस्य तथा विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

(घ) परिषद के खर्च को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

3386. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 की पहली छमाही के दौरान 1997 की प्रथम छमाही की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी के कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(घ) देश में अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) वर्ष 1998 के प्रथम छः माह के दौरान पर्यटक आवागमन में पिछले वर्ष की इसी अवधि (वर्ष 1997 के प्रथम छः माह) की तुलना में 1.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक संकट, सामान्य आर्थिक मंदी, व्यावसायिक पर्यटकों की संख्या में कमी आदि के कारण वृद्धि की दर धीमी रही है।

(ग) वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा की अधिप्राप्ति पिछले वर्ष की इसी अवधि की 9807 करोड़ रु. की तुलना में 10369 करोड़ रु. हुई है।

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं: पर्यटन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, पर्यटक आकर्षण के स्थलों को विकसित करना, प्रचार-प्रसार एवं संवर्धनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करना, मानव संसाधन विकास तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, बौद्ध महोत्सव तथा भारत दर्शन वर्ष जैसे विशिष्ट आयोजन आदि।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत संरक्षणात्मक कानून

3387. श्री के.पी. मोहन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ तथा अमरीकी व्यापार विभाग भारतीय निर्यातों के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के संरक्षणात्मक कानूनों का उपयोग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्यातों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यूरोपीय संघ तथा अमरीका के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) डब्ल्यू.टी.ओ. करारों तथा टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गेट) के तहत गेट के कतिपय अपवादस्वरूप प्रावधानों के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधों की अनुमति नहीं है। यहां तक कि ऐसे प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले उपायों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर मनमाने या भेदभाव पूर्ण तरीके से या प्रछन्न प्रतिबंधों के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

जब कभी यूरोपीय संघ और अमरीका सहित डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्य सदस्यों द्वारा किए जाने वाले संरक्षणवादी उपाय प्रकाश में आते हैं तब सरकार उचित कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए हाल ही में एक अन्य डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य द्वारा पर्यावरणिक प्रयोजनों से लागू किए गए व्यापार प्रतिबंधों को भारत सरकार द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. विवाद निपटान तंत्र में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. में कोयले की कमी

3388. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. और सी.सी.एल. के कोयले के भंडार में कोई कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर, 1998 तक भंडार में पाई गई कमी का ब्यौरा क्या है और कोयला खानों के नाम क्या हैं;

(ग) भंडार में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) इस कमी के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार पाए गए हैं; और

(ङ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि 1.4.1997 और 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है, भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) में स्टाक की कमियों का कोलियरीवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	कोलियरी	1.4.97 की स्थिति के अनुसार कमी टन में		कोलियरी	1.4.98 की स्थिति के अनुसार कमी टन में
भा.को.को.लि.					
1.	जगिडीह	21539	1.	एन. मुनीडीह	153586
2	महेशपर	7310	2.	रामकनाली	101960
3.	इ. कटरास	5097	3.	सेंद्रा/बांसजोरा	25382
4.	बलीहारी	61489	4.	तेतुलमारी	59594
5.	धनुडीह	310011	5.	एन. तिसरा भू.ग.	17904
6.	गोलुकडीह	68026	6.	जीनागोरा	21484
सें.को.लि.					
1.	लापांगा	5298		शून्य	

कोल इंडिया ने सूचित किया है कि कोल इंडिया लि. सर्वेक्षण दल द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में खानवार कोयले के स्टॉक की सूची का भौतिक-रूप में स्वतंत्र रूप से निर्धारण किया जाता है। अत: 31.10.98 की स्थिति के अनुसार, स्टाक में आई कमियों का विवरण सही-रूप में नहीं दिया जा सकता है।

(ग) जैसा कि सूचित किया गया है, स्टाक कमी के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) वास्तव में हुए उत्पादन से अधिक उत्पादन की सूचना देना।

(2) कोयले के साथ मिश्रित पत्थरों के लिए उत्पादन के संबंध में उपयुक्त कटौती करके सूचना उपलब्ध न कराना।

(3) भौतिक स्टाक का अनुपयुक्त/अपर्याप्त मूल्यनिर्धारण।

(4) स्टाक में ह्रास।

(5) चोरी/उठाईगीरी।

(6) अधिक स्टाक जमा होने के कारण गलत मूल्यनिर्धारण।

(घ) कोलियरी के मैनेजरों, एजेंटों और महाप्रबंधकों को संदर्भगत अवधि के दौरान कमी के लिए प्रत्यक्षत: जिम्मेदार ठहराया गया है।

(ङ) 1.4.97 की स्थिति के अनुसार कमियों के मामलों में, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और अधिकांश मामले निर्णय दिए जाने की अवस्था में है। 1.4.98 की स्थिति के अनुसार जहां तक कमी होने का संबंध है, संबद्ध अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पाटन रोधी शुल्क

3389. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **वित्त मंत्री** 3 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2738 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय मामलों में पाटन रोधी शुल्क लगाने की नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपने अंतिम निर्णय पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) 3 जुलाई, 1998 की स्थिति के अनुसार, दो मामले लंबित हैं। इन दोनों मामलों में अंतिम निर्णय हो चुका है। विटामिन-सी तथा विसफेनॉल-ए पर क्रमश: दिनांक 24-7-98 की अधिसूचना संख्या 53/98 सीमा शुल्क तथा दिनांक 14-8-98 की अधिसूचना संख्या 63/98 सीमा शुल्क द्वारा प्रति पाटन शुल्क लगा दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

नौवीं योजना के चालू वर्ष हेतु धनराशि

3390. श्री एम. राजैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी शेष है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयोजना व्यय के बजट अनुमान 72002.28 करोड़ रुपए हैं।

निर्यात की संभावनाओं वाला इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग

3391. श्री के.एस. राव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग को पूर्ण निर्यात संभावनाओं को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यातकों द्वारा स्वत: की गई घोषणा के आधार पर हार्डवेयर क्षेत्र के लिए आदानों के शुल्क मुक्त आयातों के लिए योजना की घोषणा कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार आदानों के आयात और निर्यात का मिलान कैसे करेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) जी, हां। इलैक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात के लिए 16.9.98 को एक विशेष अग्रिम लाइसेंस योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण और इलैक्ट्रानिक एवं साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् (ई.एस.सी.) के पास पंजीकृत ऐसे विनिर्माता निर्यातक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात निष्पादन/घरेलू उत्पादन किया हो। वे भी बिना किसी निर्यात निष्पादन वाले नए निर्यातक पिछले तीन वर्षों में औसत घरेलू उत्पादन के 50% तक अथवा 50 लाख रुपए तक, जो भी अधिक हो, अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस सकारात्मक मूल्यवर्धन के साथ जारी किए जाएंगे।

(3) इस योजना के तहत आयात निर्यातों से पहले किये [illegible] ऐसे लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता, [illegible] शर्त पर जारी किए जाएंगे।

(4) इलैक्ट्रॉनिक विभाग का निर्दिष्ट अधिकारी निर्यात उत्पाद में निविष्टियों और अपेक्षित मात्रा की संगतता/उपयोगिता का सत्यापन करेगा। निर्दिष्ट अधिकारी निर्यातित उत्पाद में निविष्टियों के वास्तविक उपयोगिता और मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों में विनिर्दिष्ट अपशिष्टों का सत्यापन भी करेगा। जहां ऐसे मानक विशिष्ट-उत्पादन मानदण्ड मौजूद नहीं हैं वहां निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अपशिष्ट संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे।

(5) इस योजना के तहत, विनिर्माता निर्यातकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छ:माही आधार पर इलैक्ट्रॉनिक विभाग के निर्दिष्ट अधिकारी को किए गए आयातों और निर्यातों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा धन जमा कराना

395-96

3392. श्री दिन्शा पटेल :
डा. असीम बाला :
श्रीमती रानी नरह :
श्री तारिक अनवर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छ: महीनों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा धन जमा कराने में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नकारात्मक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा धन जमा कराने में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, तीन अनिवासी जमा योजनाओं में अधिशेष धनराशि में गत दो वर्षों में लगातार वृद्धि होती रही है। 1998-99 की प्रथम तिमाही में अधिशेष धनराशि, जिसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास सूचना उपलब्ध है, में भी वृद्धि का रूप देखा गया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है और इस रुख के जारी रहने की संभावना है। 30 सितम्बर, 1998 की स्थिति के संबंध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(करोड़ रुपए)

जमा खाता	31.3.1998	30.6.1998
एफ.सी.एन.आर. (बैंक)	33907	35610
एन.आर.ई.	21766	22548
एन.आर.एन.आर.	23350	24175

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण सहायता

396-417

3393. श्री एच.पी. सिंह :
श्री फ्रांसिस्को सारदीना :
श्री माधवराव पाटील :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से 30 सितम्बर, 1998 तक कुल कितना ऋण/सहायता प्राप्त हुई, एजेंसी-वार विवरण दें;

(ख) उक्त धनराशि किस प्रयोजन में व्यय की गयी;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से कितना ऋण/सहायता प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या भारत को 1 जुलाई, 1999 से अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 3 वर्ष की अवधि के लिए 3.5 बिलियन का ऋण मिलने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो यह ऋण किस परियोजना के लिए प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(च) इस ऋण पर कुल कितना ब्याज चुकता किये जाने की संभावना है; और

(छ) यह ऋण सरकार किस रूप में अदा करेगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) सरकार द्वारा प्राप्त ऋण/सहायता को मुख्यत: ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, शहरी विकास और कृषि क्षेत्रों में व्यय किया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(घ) और (ङ) पहली जुलाई, 1999 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई.डी.ए.)-12 अवधि है। आई.डी.ए.-12 अभी विचार-विमर्श की अवस्था में है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों/देशों से 30.9.98 तक सरकारी लेखे में प्राप्त ऋण/सहायता की राशि दर्शाने वाला विवरण

(दाता देशों की मुद्रा मिलियन में)

क्र.सं.	संस्था/देश	मुद्रा	30.9.98 तक उपयोग की गई राशि
1	2	3	4
1.	आई.डी.ए.	अमरीकी डालर	8159.00
2.	आई.डी.ए.	एस.डी.आर.	8723.677
3.	आई.बी.आर.डी.	अमरीकी डालर	12341.983
4.	आई.एफ.ए.डी.	एस.डी.आर.	188.912
5.	आबू धाबी निधि	यू.ए.ई. दिरहाम	68.000

1	2	3	4
6.	आस्ट्रिया	आस्ट्रियन शिलिंग	1728.786
7.	बहरीन	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	5.891
8.	बेल्जियम	बेल्जियम फ्रांक	5005.396
9.	कनाडा	कनाडियन डालर	2207.853
10.	डेनमार्क	डेनमार्क क्रोनर	3155.521
11.	डेनमार्क	अमरीकी डालर	3.984
		फ्रैंच फ्रांक	11635.077
13.	हंगरी	भारतीय रुपया	122.647
14.	आई.एम.एफ. ट्रस्ट	एस.डी.आर.	529.009
15.	इराक	अमरीकी डालर	182.746
16.	इटली	ड्यूश मार्क	144.200
17.	इटली	इटालियन लीरा	33125.000
18.	इटली	अमरीकी डालर	161.187
19.	जापान	जापानी येन	1283215.175
20.	कुवैत निधि	कुवैती दीनार	93.796

1	2	3	4
21.	नीदरलैंड	डच गिल्डर	4350.418
22.	ओपेक	अमरीकी डालर	178.315
23.	पोलैंड	भारतीय रुपया	366.355
24.	कतार	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	7.158
25.	साऊदी निधि	साऊदी रियाल	620.813
26.	स्वीडन	स्विस फ्रांक	157.000
27.	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	6787.341
28.	स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रांक	678.268
29.	यू.ए.ई.	अमरीकी डालर	70.000
30.	यूनाइटेड किंगडम	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	2619.994
31.	यू.एस.ए.	अमरीकी डालर	5815.784
32.	यूगोस्लाविया	भारतीय रुपया	267.008
33.	जर्मनी	ड्यूश मार्क	11812.985
34.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	भारतीय रुपया	1570.491
35.	इरान	अमरीकी डालर	496.944

1	2	3	4
36.	इरान	एस.डी.आर.	438.539
37.	आई.एस.ओ.	अमरीकी डालर	5.708
38.	रोमानिया	भारतीय रुपया	53.260
39.	ई.ई.सी. (एस.ए.सी.)	यू.के. पौंड स्टर्लिंग	30.332
40.	ए.डी.बी.	अमरीकी डालर	2290.759
41.	आस्ट्रेलिया	अमरीकी डालर	12.929
		अमरीकी डालर	46.000
43.	रूस संघ	भारतीय रुपया	31294.141
44.	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलियन डालर	166.160
45.	न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड डालर	11.990
46.	नार्वे	नार्वे क्रोनर	1397.555
47.	स्विट्जरलैंड	भारतीय रुपया	123.731
48.	आयरलैंड	भारतीय रुपया	0.270
49.	ई.ई.सी.	ई.सी.यू.	696.393
50.	यू.एन.ई.ओ.	भारतीय रुपया	43.830

1	2	3	4
51.	जापान (आई.बी.आर.डी.)	जापानी यन	1157.524
52.	स्विस अनुदान (आई.बी.आर.डी.)	स्विस फ्रांक	6.632
53.	जापानी (आई.डी.ए.)	जापानी यन	85.567
54.	नीदरलैंड (आई.डी.ए.)	डच गिल्डर	0.083
55.	स्विस अनुदान (आई.डी.ए.)	स्विस फ्रांक	15.652
56.	आई.एफ.ए.डी.	अमरीकी डालर	0.189

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों/देशों से प्राप्त होने वाली ऋण/सहायता की संभाव्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

(सरकारी लेखे)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संस्था/देश	वर्ष 1998-99 के दौरान संभाव्य विदेशी सहायता (बजट अनुमान)
1	2	3
1.	आई.बी.आर.डी.	1651.90
2.	आई.डी.ए.	4232.73
3.	आई.एफ.ए.डी.	55.82

1	2	3
4.	ए.डी.बी.	1000.85
5.	ओपेक	17.00
6.	पी.पी.एफ. (डब्ल्यू.बी.)	10.00
7.	जर्मनी	292.50
8.	फ्रांस	76.95
	जापान	2803.30
10.	कुवैत निधि	16.00
11.	स्विट्जरलैंड	17.32
12.	कनाडा	6.60
13.	डेनमार्क	32.11
14.	नीदरलैंड	85.40
15.	नार्वे	12.60
16.	स्वीडन	45.62
17.	यूनाइटिड किंगडम	300.00

1	2	3
18.	यू.एस.ए.	70.00
19.	ई.ई.सी.	195.00
20.	यू.एन.एफ.पी.ए.	10.10
21.	यू.एन.डी.पी.	12.00
22.	यूनीसेफ	84.00
23.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	20.00
24.	यूनेस्को	0.21
	जोड़	11048.01

मुखबिर को पुरस्कार

3394. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1998 के बाद उनको सदस्यों की ओर से आयकर आदि के अपवंचन के संबंध में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक ऐसे कितने पत्रों का निपटारा किया गया; और

(ग) शेष पत्रों का कब तक निपटारा कर दिए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आयकर अपवंचन के बारे में अगस्त, 1998 से माननीय संसद सदस्यों से 15 मामले प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन सभी शिकायतों पर पूछताछ/जांच का कार्य शुरू कर दिया गया हैं तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर कर कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई तत्परता से शुरू की जाएगी।

डनलप इंडिया लि. का पुनरुद्धार

3395. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. ने रुग्ण टायर कंपनी डनलप इंडिया लि. के पुनर्वास प्रस्तावों पर विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुनरुद्धार न किये जाने के कारण कंपनी बन्द होने के कगार पर है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने सूचित किया है कि मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड को दिनांक 3.2.1998 को बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत किया गया था और रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के उपबंधों के अधीन दिनांक 22.6.98 को रुग्ण घोषित किया गया था।

दिनांक 22.6.1998 की बी.आई.एफ.आर. की सुनवाई में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि उसके पास ऋण या इक्विटी किसी भी रूप में एक्सपोजर नहीं है।

आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि क और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण में बी.आई.एफ.आर. के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध 17 अगस्त, 1998 को एक अपील दायर की थी। तथापि, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण में अभी इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है और वर्तमान मामले में अंतिम निर्णय देना है। आगे की कार्रवाई बी.आई.एफ.आर. द्वारा एस.आई.सी.ए. के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा कर का भुगतान

3396. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए से अधिक लाभार्जन किया किन्तु करों का भुगतान नहीं किया;

(ख) सरकार द्वारा इन कंपनियों को कराधान के दायरे में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत विटामिन-बी-I बल्क औषधि का आयात

3397. **श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स' उद्योग ने सरकार से विटामिन बी-I बल्क औषधि का खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत निःशुल्क आयात किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) भेषजीय उद्योग ने अपनी एसोसिएशनों के माध्यम से खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत विटामिन बी-I के आयात की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार से संपर्क किया था। तथापि, शून्य शुल्क पर उसका आयात करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विटामिन बी-I के आयात संबंधी नीति पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पटसन मिल, कटिहार

3398. **श्री शकुनी चौधरी :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटिहार स्थित पुरानी पटसन मिल काफी लम्बे अरसे से बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मिल का जीर्णोद्धार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मिल का जीर्णोद्धार कब तक कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) कटिहार जूट मिल दिसंबर, 1987 से बंद पड़ी है।

(ख) सरकार के समक्ष कटिहार में बंद मिल के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोचीन में होटल शुरू करना

3399. **श्री जार्ज इडेन** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बोलगाटी आईलैंड (कोचीन) में एक ऐसा एक सितारा होटल शुरू करने पर विचार कर रही है जो भारी संख्या में सैलानियों को आकर्षित कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय कोचीन के समीप अरब सागर में पर्यटन केन्द्र के रूप में लघु द्वीप विकसित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1998-99 में, बोलगाटी द्वीपसमूह, कोचीन में होटल स्थापित करने के लिए किसी नियोजित योजना/प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटन के विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों का है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर, उनकी पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

चावल का पेटेंट

3400. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाईलैंड सरकार ने भारत सरकार से टेक्सास स्थित एक कंपनी "राइस टैक इंक" के चावल की एक किस्म "जासमती" के पेटेंट के दावे जो थाईलैंड सरकार के अनुसार थाईलैंड की प्रसिद्ध "जास्मिन" चावल के नाम से ली गई है के विरुद्ध लड़ने हेतु कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या उक्त पेटेंट में मूल बासमती से विकसित पौधों और दानों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) अमेरिका की राइस टेक इंक कंपनी द्वारा "जासमती" ट्रेड मार्क के पंजीकरण के बारे में थाई सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस मामले पर विचार किया गया था और थाई प्राधिकारियों को यह सूचना दी गयी थी कि भारत इस मामले में थाई प्राधिकारियों की मदद करेगा।

ऑटोमोबाइल नीति पर द्विपक्षीय वार्ता

3401. **श्री डी.एस. अहिरे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ की 2 दिसम्बर, 1998 के मध्य में ऑटोमोबाइल नीति के संबंध में भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। सरकार को इस खबर की जानकारी है। दिनांक 18-19 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के एक प्रतिनिधि मण्डल ने वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ पारस्परिक हित के विभिन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। अन्य बातों के साथ-साथ भारत

की आटोमोबाइल नीति पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिस पर यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। बाद में दिसम्बर के प्रारंभ में भी विचार-विमर्श हुए थे।

(ख) ये बैठकें स्पष्टीकारक परामर्शों के स्वरूप की थी और इनमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

रफ ओफ्थालमिक ब्लांक्स पर शुल्क

415-16

3402. श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट प्रस्ताव के दौरान सरकार ने अधिसूचना संख्या 23/98 कस्टम दिनांक 2.6.1998 के द्वारा सीमा शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें रखकर तथा रफ़ ओफ्थालमिक ब्लांक्स को ... चश्मों के लेंसों का निर्माण करने वाली लघु ... के हित की रक्षा की थी;

(ख) क्या अधिसूचना संख्या 76/98 कस्टम दिनांक 13.10.98 के द्वारा व्यापारी आयातकों पर सीमा शुल्क 40 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि शुल्क को निर्माता आयातकों के बराबर लाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने का औचित्य क्या है;

(घ) क्या ऐसे निर्णय से इस व्यापार में लगी लघु औद्योगिक इकाइयों के तबाह होने की संभावना है चूंकि ये इकाइयां अपने सीमित संसाधनों के कारण वह मात्रिक छूट नहीं ले पाती हैं जो 30 प्रतिशत तक पहुंच जाती हैं और थोक में खरीद करने के कारण धन का उपयोग व्यापारी आयातकों द्वारा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो एस.एस.आई. इकाइयों के हित की रक्षा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1998-99 के बजट से पूर्व, चश्मों के लेंस के विनिर्माण के लिए रफ अप्थाल्मिक ब्लैंक्स पर अत्यंत प्रयोग की शर्त के बगैर मूल सीमा शुल्क में मूल्यानुसार 20% की दर से रियायत दी जा रही थी। इस बजट में, इस रियायती दर को अंत्य प्रयोग की प्रक्रिया की शर्त को पूरा करने पर दिया गया था। तथापि, अंत्य प्रयोग की इस प्रक्रिया को हटाने के लिए समूचे देश में फैले चश्मा उद्योग से अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे क्योंकि इस प्रक्रिया को उन्होंने जटिल पाया। चूंकि रफ आप्थल्मिक ब्लैंक्स का उपयोग चश्मों के लैंसों के विनिर्माण के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं किया जा सकता है तथा प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या 76/98-सीमाशुल्क द्वारा अंत्य प्रयोग की प्रक्रिया को हटा दिया गया था।

(घ) और (ङ) रफ आप्थाल्मिक ब्लैंक्स पर मूल सीमा शुल्क की रियायती दर, लघु उद्योग क्षेत्र सहित सभी आयातकों को एक समान उपलब्ध है। जहां तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, इसे बाजार की शक्तियों द्वारा तय किया जाता है तथा शुल्क ढांचा इस मामले में एक निर्धारित कारक नहीं हो सकता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली आदि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखा तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। ... 416

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1935/98]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1037(अ) जो 3 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें मैसर्स इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड, बालासोर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1038(अ) जो 3 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें मैसर्स एपेक्स पेपर मिल्स, नागपुर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किाय गया है।

(तीन) का.आ. 1039(अ) जो 3 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें मैसर्स संगल पेपर्स लिमिटेड, मेरठ को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1936/98]

(3) (एक) सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1937/98]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालन्धर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालन्धर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1938/98]

(5) (एक) सेन्ट्रल मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालोजी इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालोजी इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1939/98]

(6) (एक) फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1940/98]

(7) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1941/98]

(8) (एक) सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रनि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1942/98]

एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली आदि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

...लय में **राज्य मंत्री (श्री सोमपाल)** : महोदय मैं ... की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का.आ. 1051(अ) जो 9 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गर्म मसालों के निर्यात पर मूल्यानुसार पांच प्रतिशत की समान दर पर उपकर लगाने के लिए 6 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 975(अ) में कतिपय संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1943/98]

(2) (क) (एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1944/98]

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1945/98]

(ग) (एक) पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1946/98]

(3) (एक) स्पाइसेज बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) स्पाइसेज बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक पति।

(तीन) स्पाइसेज बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1947/98]

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1948/98]

नेशनल हैंडलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ आदि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल हेंडलूम डवलपमेंट कारपोरशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रदिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1949/98]

(ख) (एक) सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1950/98]

(ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1951/98]

(घ) (एक) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1952/98]

(2) (एक) आल इंडिया हैण्डलूम फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आल इंडिया हैण्डलूम फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1953/98]

(3) (एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1954/98]

(4) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1955/98]*

(5) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोशिएशन, थाणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1956/98]

[हिन्दी]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और 1980 की अधिसूचनाएं, आदि

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक आफ बड़ौदा आफीसर्स एम्पलाईज (डिसिपिलिन एण्ड अपील) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 8 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ. : ओ.एस.आर. एण्ड आई.आर. : ए/10/13/871 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आन्ध्रा बैंक आफीसर्स एम्पलाईज (डिसिपिलिन एण्ड अपील) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 2 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666 (20) आई.आर./530 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या 1129/0089/पी.डी./आई.आग्र.डी. (ओ.) जो 2 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें 13 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 2077/एस./0089/पी.डी. : आई.आर.डी.(ओ.) में प्रकाशित सिंडीकेट बैंक आफीसर एम्पलाईज (डिसिपिलीन एण्ड अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 का शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) अंतर्विष्ट है।

(चार) अधिसूचना संख्या 1128/0089/पीडीआईआरडी (ओ) जो 2 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 13 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 2077/एस/0089/पीडी: आईआरडी (ओ) में प्रकाशित सिंडीकेट बैंक आफीसर एम्पलाईज (डिसिपिलीन एण्ड अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 का शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) अंतर्विष्ट है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1957/98]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 415(अ) जो 15 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 471(अ) जो 28 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 472(अ) जो 28 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 493(अ) जो 6 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 527(अ) जो 23 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 537(अ) जो 26 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 538(अ) जो 26 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 638(अ) जो 29 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 639(अ) जो 29 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 690(अ) जो 13 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 691(अ) जो 13 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 726(अ) जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 727(अ) जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 791(अ) जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 790(अ) जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के

भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 828(अ) जो 17 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तरह) का.आ. 829(अ) जो 17 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 854(अ) जो 24 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 855(अ) जो 24 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 886(अ) जो 7 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 887(अ) जो 7 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 892(अ) जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 893(अ) जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के

भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. 932(अ) जो 28 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ. 933(अ) जो 28 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) संशोधन नियम, 1998 जो 19 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 554(अ) जो 3 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 नवम्बर, 1983 से 1 जुलाई, 1992 तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रोनिक सामान के विनिर्माण हेतु किसी औद्योगिक इकाई की प्रारम्भिक स्थापना के लिए अपेक्षित वस्तुओं सहित आयातित हिस्से पुर्जों के रखरखाव पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1958/98]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. संख्या 2035 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''मुख्यमंत्री भूकम्प राहत कोष, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. संख्या 2036 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद्, भोपाल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. संख्या 2037 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''सोसायटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट बी. कैपीटानियो एंड सेंट बी. जेरोसा, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. संख्या 2038 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "होमी भाभा फेलोशिप काउंसिल, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. संख्या 2039 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "रेल परिवहन संस्थान (पंजीकृत), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छ:) का.आ. संख्या 2040 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद्, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. संख्या 2041 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंडियन काउंसील फोर रिसर्च ऑन इंटर-नेशनल इकॉनोमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. संख्या 2042 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. संख्या 2043 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री दुर्गिआना समिति (पंजीकृत), अमृतसर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. संख्या 2044 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. संख्या 2045 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. संख्या 2046 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "द टाट. एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. संख्या 2047 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "द मुनचर्जी नौरोजी बानाजी इंडस्ट्रीयल हॉम फोर ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. संख्या 2048 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ज्वाईंट प्लांट कमेटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. संख्या 2049 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. संख्या 2050 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "हिज होलीनेस द दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. संख्या 2051 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "स्पास्टीकम्स सोसाइटी ऑफ इस्टर्न इंडिया, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. संख्या 2052 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "विकटोरिया टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. संख्या 2053 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. संख्या 2054 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बाल सहयोग, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. संख्या 2055 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "स्वामीनारायण अक्षरपीठ, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. संख्या 2056 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नेशनल सेंटर फार दि परफारमिंग आर्ट्स, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. संख्या 2057 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "रमण महर्षि सेंटर फार लर्निंग, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. संख्या 2058 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि ट्रब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. संख्या 2059 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "हरिजन सेवक संघ, दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. संख्या 2060 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सेंटर फार साइन्स एंड एनवाइरनमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. संख्या 2061 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जमनालाल बजाज फाउन्डेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाइस) का.आ. संख्या 2062 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बाम्बे,

मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. संख्या 2063 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन आफ साउथ इंडिया, बंगलौर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. संख्या 2064 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''नेशनल सेंटर फार दि परफार्मिंग आर्ट्स, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. संख्या 2065 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''राष्ट्रीय महिला कोष नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. संख्या 2066 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''जर्मन लिप्रोसी रीलीफ एसोसिएशन रिहैबिलीटेशन फंड, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. संख्या 2067 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''जल फिरोन कलुहवाला दार-ए-मेहर, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. संख्या 2068 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''फेमिली प्लानींग एसोसिएशन आफ इंडिया, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. संख्या 2069 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''संजय गांधी स्मारक न्यास, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. संख्या 2070 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''इंडियन पीपुल नेचुरल कलेमिटीज ट्रस्ट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. संख्या 2071 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "हिन्दू महिला कल्याण सोसायटी, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. संख्या 2072 जो 14 नवम्बर 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "वालन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997 98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. संख्या 2073 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दिल्ली पारसी अंजुमन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. संख्या 2074 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मराठा मन्दिर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. संख्या 2075 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. संख्या 2076 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जे.आर.डी. एवं थेलमा जे. टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. संख्या 2077 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "एस.ओ.एस. चिल्ड्रन्स विलेजिज आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. संख्या 2078 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंस्टियूट आफ रूरल मैनेजमैंट, आनन्द, गुजरात" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. संख्या 2080 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नई तालीम समिति सेवाग्राम, वरधा, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. संख्या 2079 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री गड़ज महाराज गिशन, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. संख्या 2081 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम (वरधा), महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. संख्या 2082 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मोबाइल क्रेचज फार वर्किंग मदर्स चिल्ड्रन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. संख्या 2083 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "गुजरात इकोलाजीकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जी.ई.ई.आर.) फाउन्डेशन, गांधीनगर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का.आ. संख्या 2084 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बंगाल समाज सेवा लीग, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. संख्या 2085 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आनन्दाश्रम ट्रस्ट, आनन्दाश्रम, पी.ओ., कन्होन्गाद, केसरगढ़, केरल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बावन) का.आ. संख्या 2087 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. संख्या 2088 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत

"भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवन) का.आ. संख्या 2089 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "एसियन इंस्टिट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(पचपन) का.आ. संख्या 2086 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या 10445 (एफ संख्या 197/127/97-आईटीए-1) जय फिरोज कूलबवाला दार-ए-मेहर, चेन्नई को अधिसूचित करने वालों में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1959/98]

(4) केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत तदर्थ छूट आदेश संख्या 73/11/98-के.उ.शु. जो 7 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विवेकानन्द रॉक मेमोरियल एण्ड विवेकानन्द केन्द्र द्वारा अंडरवाटर केबल को खरीदते समय उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1960/98]

(5). जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 1998 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के अट्ठाईसवे मूल्यांकन के परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1961/98]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1962/98]

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1963/98]

(ग) (एक) ओरियन्टल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरियन्टल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1964/98]

(घ) (एक) न्यू इंडिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1965/98]

(ङ) (एक) जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1966/98]

(7) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1967/98]

(8) (एक) नेसनल इन्सटीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पोलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्सटीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पोलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1968/98]

(9) 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1969/98]

(दो) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1970/98]

(तीन) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1971/98]

(चार) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1972/98]

(पांच) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1973/98]

(छह) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1974/98]

(सात) कोल्लार ग्रामीण बैंक, (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1975/98]

(आठ) एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1976/98]

(नौ) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गौंडा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1977/98]

(दस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायुं (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1978/98]

(ग्यारह) अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1979/98]

(बारह) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1980/98]

(तेरह) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1981/98]

(चौदह) शेखावती ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1982/98]

(पन्द्रह) भोजपुर रोहताश ग्रामीण बैंक, आरा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1983/98]

(सोलह) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1984/98]

(सत्रह) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1985/98]

(अठारह) हिन्डन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1986/98]

(उन्नीस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1987/98]

(बीस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1988/98]

(इक्कीस) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1989/98]

(बाईस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी (हिमाचल प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1990/98]

(तेईस) नालन्दा ग्रामीण बैंक, नालन्दा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1991/98]

(चौबीस) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1992/98]

(पच्चीस) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1993/98]

(छब्बीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, अलवर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1994/98]

(सत्ताईस) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गुरदासपुर (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1995/98]

(अट्ठाईस) पुरी ग्राम्य बैंक, पीपली (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1996/98]

(उनतीस) ढेंकनाल ग्राम्य बैंक, ढेंकनाल (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1997/98]

(तीस) अधियामन ग्राम्य बैंक, धर्मपुरी (तमिलनाडु)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1998/98]

(इकतीस) कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुडीवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1999/98]

(बत्तीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2000/98]

(तैंतीस) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2001/98]

(चौंतीस) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2002/98]

(पैंतीस) वर्धा ग्रामीण बैंक, कुमटा (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2003/98]

(छत्तीस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2004/98]

(सैंतीस) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2005/98]

(अड़तीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2006/98]

(उनतालीस) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2007/98]

(चालीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2008/98]

(इकतालीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2009/98]

(बयालीस) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर (केरल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2010/98]

[अनुवाद]

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली आदि के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1997-98 का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2011/98]

(ख) (एक) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम का वर्ष 1997-98 का प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2012/98]

(2) (एक) कोल माइन्स प्रोवीडेन्ट फण्ड, कोल माइन्स फेमिली पेंशन्स एण्ड कोल माइन्स डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंश स्कीम्स धनबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति।

(दो) कोल माइन्स प्रोवीडेन्ट फण्ड, कोल माइन्स फेमिली पेंशन्स एण्ड कोल माइन्स डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीमस, धनबाद क वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2013/98]

पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी आदि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखा तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2014/98]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2015/98]

(2) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2016/98]

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2017/98]

रिहेबीलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता आदि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) रिहेबीलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिहेबीलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2018/98]

(ख) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2019/98]

(ग) (एक) एन्ड्र्यू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्र्यू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2020/98]

(घ) (एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2021/98]

(ङ) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2022/98]

(च) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2023/98]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयातित विमानों के कलपुर्जों की खरीद पर फिजूल खर्च और दोषपूर्ण गोला-बारूद की खरीद पर निरर्थक व्यय के बारे में 98वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

[illegible] ताप विद्युत परियोजना चरण-II के बारे में [illegible]वेदन (सातवीं लोक सभा)।

(3) एक आयुध कारखाने की उत्पादन क्षमता के कम उपयोग के बारे में 176वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(4) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में 19वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(5) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में 31वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(6) नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में 160वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(7) परिहार्य अनावश्यक आयात के बारे में 177वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(8) विभागेत्तर कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में 182वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(9) दोषपूर्ण गोला-बारूद के बारे में 18वां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(10) भूमि और विकास कार्यालय के कार्यकरण के बारे में 40वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि चालू सत्र की शेष अवधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधयक, 1998 पर विचार तथा पारित करना।

4. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

5. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

   (क) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998

   (ख) बिहार पुनर्गठन विधेयक, 1998

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसका घोर विरोध होगा। ...*(व्यवधान)* हम बार-बार चेता रहे हैं कि यह खतरनाक काम मत करिए नहीं तो इसका भारी विरोध होगा। ...*(व्यवधान)* बिहार का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : बाद में होता है। आप पूछ लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रस्ताव के बाद बिल लाना चाह रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : यह बिहार का बंटवारा ..*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, आगे है:

(ग) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998

(घ) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998

(ङ) सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1998

(च) वस्तु बोर्ड/निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

(ख) भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1997

(ग) महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1998

(घ) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998

7. वर्ष 1989-91 के लिए अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के तत्कालीन आयुक्त के 30वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम निवेदनों पर चर्चा करेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा नाम सूची में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप एक नोटिस दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. विलेज डिफेंस के प्रत्येक सदस्यों को जो सैनिकों के समान कार्य कर रहे हैं, 1500 रु. मास मानदेय दिया जाए तथा प्रत्येक कमेटी को एक सोफेस्टिकेटेड वैपन और वायरलैस सैट प्रदान किया जाए, ताकि वह सुदृढ़ता से विदेशी भाड़े के टटुओं का मुकाबला कर सके।

2. पंजाब और जम्मू को मिलाते हुए रावी नदी पर शीघ्र ही एक पुल का निर्माण हो और रंजीत डैम बनने से जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन्हें फिर से बसाया जाए। केन्द्र सरकार शीघ्र ऐसी व्यवस्था करे, ताकि बसोहली, बिलावर तथा बनी के लोगों को राहत मिले।

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:-

1. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के तहत सिरसा जिले में एक रीजनल सैंटर प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था तथा इसके लिए फलकन ग्राम पंचायत ने 100 एकड़ से अधिक भूमि भी उपलब्ध करायी जिसे राज्य सरकार ने भी 17 फरवरी, 1993 को मंजूरी दे दी। किन्तु इसके बाद मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के बीच अधर में लम्बित होकर रह गया है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस सैन्टर की स्थापना के लिए सरकार संबंधित विभागों से सम्पर्क कर आग्रह करे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े सिरसा जिले में यह सैन्टर स्थापित हो और स्थानीय नवयुवक शिक्षा से लाभ उठा सकें।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री को अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सलाह देने की अनुमति चाहता हूं:-

1. पिछले वर्ष गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर बिहार के समस्तीपुर जिले में समस्तीपुर और दलसिंह सराय के कृषि बाजार समिति के प्रांगन में आलू एवं फलों के भण्डारण के लिए शीत गृह के निर्माण के लिए तत्कालीन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और केन्द्रीय भण्डार निगम के अफसरों की उपस्थिति में बिहार के मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया था। एक साल बीत जाने के बाद भी वहां शीत गृह का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है। सरकार उन स्थानों पर शीत गृह के निर्माण पर विचार करें।

2. श्रीमान्, बिहार का समस्तीपुर जिला ईख उत्पादक क्षेत्र था, यहां दो चीनी मिलें समस्तीपुर और हसनपुर में

[प्रो. अजित कुमार मेहता]

थी। समस्तीपुर चीनी मिल मालिकों ने इससे भरपूर लाभ कमाया किन्तु मिल का आधुनिकीकरण नहीं किया और समस्तीपुर का मिल बीमार हो गया। फिर सरकारीकरण किया गया, पर यह लाभप्रद नहीं हो पाया और आज यह बन्द है। मिल का आधुनिकीकरण कर चालू कराने पर विचार किया जाए जिससे वहां के किसानों को अपने उत्पादन का मूल्य मिले और मजदूरों को रोजगार।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को दिनांक 18.12.98 की कार्रवाई में शामिल करने की अनुमति प्रदान करें:-

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर वर्ष 1964 में कि.मी. 262 पर राप्ती नदी पर 9 स्थान पर 410 मीटर लम्बा वैलेंस काण्टीलीवर सेतु बनाया गया था।

[illegible] वर्ष के बाद उक्त सेतु काफी जर्जर अवस्था [illegible] का भार 1964 की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। सकरा व कमजोर होने के कारण अब यह पुल भारी बोझ 40000 पीसीयू सहन करने की स्थिति में नहीं रह गया है। सेतु के सस्पेंडिड स्पेन की कुछ बेयरिंग भी झुक गई है। बिहार, बंगाल पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के अलावा नेपाल जाने के लिए यह एक मात्र सेतु है। इसके अलावा गोरखपुर उत्तरी भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 और रा.रा.मा. संख्या 28 का यातायात के लिए एक मात्र सेतु होने के कारण घंटों यातायात बाधित रहता है।

अत: मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के कि.मी. 262 में राप्ती नदी पर सेतु निर्माण का प्रावधान भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक योजना 1998-99 में सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. मोहन (धर्मपुरी) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

1. धर्मपुरी जिले में मैतूर रेलवे स्टेशन सहित सारे देश में बंद पड़े रेलवे स्टेशनों को पुन: खोलना।
2. गेट आदि का निर्माण करने जैसे उपयुक्त कदम उठाकर बिना चौकसी वाले रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाओं को रोकना।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नांकित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:-

1. राजस्थान के बारां जिले के विभिन्न ग्रामों की कृषि भूमि को सिंचित करने वाली पार्वती नदी की नहरों एवं जीर्णशीर्ण हो चुके पुराने बांध के रख-रखाव तथा पुनर्निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उचित संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं।
2. मेज नदी के व्यर्थ बह कर जा रहे जल के कृषि एवं विद्युत उत्पादन में उपयोग हेतु बून्दी (राजस्थान) जिले के ग्राम बांसखेड़ा के समीप प्रस्तावित बांध का सर्वे करवाया जाकर इस बहुउद्देशीय बांध निर्माण योजना को मूर्त रूप दिया जाये।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं:-

1. वन संरक्षण नियम 1980 संशोधन एवं कानून को सरल तथा व्यावहारिक बना कर रूकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में।
2. संपूर्ण रोजगार के आधार पर अकाल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के के.बी.के. प्लान की तरह देवभोग मेनपुल प्लान बनाये जाने के संबंध में।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें:-

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्र के लिये प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न आपूर्ति किये जाने हेतु पूर्व की भांति आर.पी.डी.एस. प्रणाली प्रारम्भ कर प्रति यूनिट खाद्यान्न (18 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह) उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।
2. कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को पूर्व की भांति उ.प्र. के पिथौरागढ़ जिले से होकर जाने वाले पौराणिक व ऐतिहासिक परम्परागत यात्रा मार्ग से संचालित किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:–

"अब वह समय आ गया है जब "टाडा" जैसे सख्त कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संसद इसके संभावित प्रयोग को पहले ही अस्वीकार कर चुकी है। राजीव गांधी हत्याकांड और कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद से संबंधित पुराने मामलों में "टाडा" के प्रयोग को जारी रखा जा सकता है बशर्ते कि इसका पूरी निष्पक्षता से प्रयोग किया जाए। शेष मामलों के लिए देश के दूसरे कानूनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संजय दत्त जैसे निर्दोष लोगों के मामले में शस्त्र अधिनियम जैसे देश के अन्य कानूनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उन्हें टाडा के तहत कष्ट भोगते रहने नहीं देना चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव सम्मिलित किया जाये:–

क. दिल्ली, अलीगढ़, एटा, कानपुर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाये।

ख. कानपुर, फर्रूखाबाद जनपद के आलू उत्पादकों को उनके उत्पादन का सही मूल्य दिलाने हेतु आलू की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9क पर चर्चा करेंगे – श्री मदन लाल खुराना।

...(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है कि महिला आरक्षण विधेयक को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, अभी नहीं।

....(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक मात्र एक निवेदन करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, पूर्व सांसदों को जो रेलवे की सुविधा दी जा रही थी वह आज से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, उनकी सुविधा बहाल की जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, अध्यक्ष पीठ द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, इस तरह की जो सुविधा दी जा रही थी वह हाईकोर्ट ने अपने निर्णय से खारिज कर दी है, वह भी तब जब इस सदन में हाईकोर्ट की सैलरीज को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। *...(व्यवधान)* यह निहायत निंदनीय है। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, इसमें दो पक्ष हैं। एक जो आपने उठाया है, जिसके बारे में आपने निर्णय करना है। कोर्ट के निर्णय के बारे में, आपके आदेश के कारण था या क्या था, यह तो आप देख लें। वह तो पक्ष दूसरा है। जो एक्स एम.पीज. के बारे में फैसला हुआ है, तो मेरी अभी रेल मंत्री जी से बात हुई है। भत्ते आदि [illegible] बिल मैं लाया था उसमें एक कमी पती-पत्नी का [illegible] के बारे में रह गयी थी। वह कैबिनेट में मैंने [illegible] पास होते ही मैं हाउस में लाऊंगा। अभी रेल मंत्री ने मुझसे कहा है कि मैंने एग्री कर लिया है कि वह जो भत्ते आदि के बारे में संशोधन बिल आयेगा, उसके अंदर हम इसे भी डाल देंगे जिससे यह कानून बन जाए और किसी के ऊपर हमें निर्भर न रहना पड़े। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, माननीय सदस्यगण, मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया है।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लंबित वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों को देखते हुए, कार्य मंत्रणा समिति ने 17 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में सोमवार, 21 दिसम्बर, 1998 से चालू सत्र के पूरा होने तक मध्याह्न भोजन अवकाश और शून्य काल के बिना काम चलाने का निर्णय लिया था।

यह भी निर्णय लिया गया था कि सभा सभी सूचीबद्ध कार्यों को निपटाने के लिए 21, 22 और 23 दिसम्बर, 1998 को रोजाना देर तक बैठेगी।

मैं आशा करता हूं कि सभा इस पर सहमत होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम शून्यकाल पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आई.के. गुजराल (जालंधर) : महोदय, मैं संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इराक पर किए गए निरन्तर हमलों के संबंध में अपने दुःखद और हृदय-विदारक विचारों को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय प्रधानमंत्री ने यहां एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने इस स्थिति पर भारत सरकार की चिंता व्यक्त की थी। किंतु दुर्भाग्यवश निंदनीय कार्रवाई जारी है और हमने देखा कि मिसाइल से दुबारा हमले किए गए हैं और संसार भर के अखबार यह बताते हैं कि हवाई हमलों की भी संभावना है।

मैं समझता हूं कि जब मैं अपने मित्रों की इस बात का समर्थन करता हूं कि यह (अमरीका) एक ऐसी शक्ति है जो इस बात की परवाह नहीं करती है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है, तो मैं इस सभा और शायद सारे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। इराक के विरुद्ध सुरक्षा परिषद् के संकल्प के अधीन प्रतिबंध लगाए गए थे। इराक के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए न तो अमरीका और न ही ब्रिटेन के पास कोई स्वायत्त या स्वतंत्र प्राधिकार हैं जिस प्रकार वे ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जैसा कि कल हमें बताया गया था कि दुर्भाग्य की बात यह है कि यद्यपि सुरक्षा परिषद् की बैठक हो रही है और विश्व भर के देशों द्वारा राय व्यक्त की जा रही है तथापि इसको सुना नहीं

जा रहा हैं और हमले जारी हैं। यह नई विश्व व्यवस्था जिसको अब इस तरीके से स्पष्ट किया गया है यह हम सबको चिंतित कर रहा है जिसका मूलत: अर्थ यह है कि कोई भी देश जिसके पास मिसाइल और परमाणु शक्ति है वह संयुक्त राष्ट्र के अनुशासन से बाहर जा सकता है और बलपूर्वक या हिंसा के द्वारा तीसरी दुनिया के किसी देश पर अपनी इच्छा लाद सकता है।

तीसरी दुनिया का एक देश होने, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने और एक ऐसा राष्ट्र, जिसने बहुत जिम्मेदारी के साथ संयुक्त राष्ट्र की सेवा की है, होने के नाते मैं समझता हूं कि सभा अपने अधिकारों की सीमा में रहेगी और इस पर अपनी कड़ी राय व्यक्त करेगी।

मैंने भी यह देखा है और मेरे साथियों ने भी यह देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के अतिरिक्त चीन, रूस और यूरोपीय संघ के सदस्यों जैसे फ्रांस ने भी इस संबंध में अपनी कठिनाई और आशंका व्यक्त की है। हम देखते हैं कि विश्व भर के सभी देशों के मीडिया ने उस कार्यवाही की निन्दा की है।

मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी सहानुभूति उन सभी इराकी नागरिकों के प्रति है, जो कष्ट झेल रहे हैं। इस संबंध में कोई समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ बच्चे इससे कष्ट झेल रहे है, मकान गिरा दिए गए हैं, शांत नागरिकों की हत्या कर दी गई है। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि इस देश से एक स्वर में यह संदेश दिया जाना चाहिए कि हमारे विचार से अमरीका की कार्यवाही निन्दनीय है। हम यह भी महसूस करते हैं कि हमें इराक के उन नागरिकों और जनता के प्रति भी सहानुभूति का संदेश भेजना चाहिए, जो बिना किसी गलती के कष्ट झेल रहे हैं।

दुर्भाग्यवश से अमरीका और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बारे में प्रधान मंत्री के विगत और इस वक्तव्य के बाद हमारे नियम इस संबंध में आगे प्रश्न पूछने अथवा स्पष्टीकरण मांगे जाने की अनुमति नहीं देते। चूंकि मंत्री महोदय अभी-अभी अगले सप्ताह के कार्य के बारे में बात कर थे, अत: मेरे विचार से हमारे लिए सभा की बैठक स्थगित होने से पूर्व विदेश नीति पर चर्चा करने हेतु कुछ समय नियत करना आवश्यक है।

मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं और मैं विशेषरूप से यह सोचता हूं कि जब इस संबंध में चर्चा हो, तो माननीय प्रधान मंत्री अथवा माननीय विदेश मंत्री को सभा में अवश्य आना चाहिए और हमें विस्तारपूर्वक यह बताना चाहिए कि भारत सरकार ने अमरीका की इस नई निन्दनीय कार्यवाही के संबंध में विश्व की महाशक्तियों से सम्पर्क करने हेतु क्या कार्यवाही और पहल की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि कल भी माननीय प्रधानमंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया था। 22 अथवा 23 तारीख को भी हम विदेश नीति पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : प्रधान मंत्री ने अमरीका की कार्यवाही पर केवल खेद व्यक्त किया है। उन्हें इसकी निन्दा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उन्हें इसकी निन्दा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अमरीका की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): چیئرمین صاحب، اس طرح سے امریکہ کی دادا گیری نہیں چلنی چاہیئے۔]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है। कल भी, पूरी सभा ने इस बारे में सहमति जताई थी। इस संबंध में कोई समस्या नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात से सहमत हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा इस बात से सहमत है।

श्री के. येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मेरी पार्टी माननीय श्री इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन कर रही है। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, आप सभी श्री गुजराल के वक्तव्य से सहमत हैं।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : जबकि मैं माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूं, वहीं मैं इस संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं और इसके बाद मैं अन्य पहलू पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

महोदय, हमारी राजनैतिक पार्टियों की अलग-अलग विचारधारा होते हुए भी, हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय भावनाओं की प्रतिकृति [illegible] अलग-अलग धारणाएं होते हुए भी, विदेश नीति [illegible] एकमत होकर उन सिद्धान्तों का अनुसरण करते रहे हैं, जिनका हम अनुसरण करते आए हैं और जिन्हें हमने सदियों से विरासत में मिली परम्पराओं और प्रथाओं के आधार पर तैयार किया है।

महोदय, यह दुखद स्थिति है कि अमरीका इस समय विश्व में पुलिस वाली भूमिका निभा रहा है। अमरीका के एकपक्षीय आक्रमण से न केवल पूरे विश्व की अन्तरात्मा को दुःख पहुंचा है, बल्कि सुरक्षा परिषद के महासचिव ने भी यहां तक कह दिया है कि यह अत्यंत अशान्ति और चिन्ता का विषय है।

महोदय, अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन ने एक गुटनिरपेक्ष देश पर जिस आधार पर आक्रमण किया है, उसे इसके आधार मानने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज महाशक्तियां हिंसा के रास्ते से इस समस्या को सुलझाने और साथ ही विश्व के देशों का ध्यान अपनी समस्याओं विशेषरूप से अमरीका के राष्ट्रपति को जो समस्याएं परेशान कर रही हैं उनसे हटाकर दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रही हैं और इस प्रक्रिया में एक गुट-निरपेक्ष देश से बदला लेने की कोशिश कर रही हैं।

जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कल ही कहा है कि हम उस देश को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं और शांति का पक्ष लेते है। मुझे विश्वास है कि अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन को विनाश का पूर्वाभास हो रहा होगा और वे इस मुद्दे को तूल देकर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारा देश इस दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। हमें इराक की जनता के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, जो इस अवांछित आक्रमण के कारण अत्यधिक परेशानियों से जूझ रही है।

यह कहने के बाद, मैं इस माननीय सभा का ध्यान, इस संबंध में कुछ समय पूर्व जो कहा गया है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, मुझे यह मालूम नहीं है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किस आधार पर लिया है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को जो रेल पास सुविधा दी गई थी, वह रद्द समझी जाए। रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि उनके मंत्रालय ने गुण-दोष के आधार पर इस मुकदमें में सफाई दी होगी। तथापि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे इस बात को विधेयक में शामिल करेंगे। उन्होंने इस सभा के समक्ष यह बात कैसे कही है कि वे इसे विधेयक में शामिल करेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किस आधार पर किया गया है। मुझे इस बात की चिन्ता है कि इस संबंध में जारी आदेश पर सही परिपेक्ष्य में विचार करना होगा।

यह भी पता नहीं चला है कि सरकार ने इस संबंध में सही सफाई दी है अथवा नहीं तथा उच्च न्यायालय के समक्ष सभी बातें सही तरीके से रखी हैं अथवा नहीं।

उस दिन भी मैंने केरल उच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ कहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मामले में भी वैसा ही हुआ है। मुझे केरल से रिपोर्ट मिली है कि वहां सरकार ने सही तरीके से सफाई नहीं दी है। मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस मुकदमें में एक आधार यह बताया है कि गैस कनैक्शन पाने वाले सभी व्यक्तियों के नामों की सही तरीके से सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए। इन नामों की सार्वजनिक सूचना कौन देगा? हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है, हम उसे गैस कनैक्शन दे देते हैं। उनके नाम कौन प्रकाशित करेगा? कम-से-कम इस मामले के संबंध में वह उस आदेश का पुनरावलोकन करने हेतु क्यों नहीं कहते? उन्होंने केवल यह पढ़कर सुनाया कि परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में नहीं बताया कि उन्होंने हमारी परेशानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। हमने लोगों को गैस कनेक्शन दिलाये हैं। कुछ गरीब लोग हमारे पास आते और गैस कनेक्शन के लिए कहते हैं और हम उन्हें गैस कनेक्शन देते हैं। क्या हम इसे समाचार-पत्रों में सही तरीके से प्रकाशित किए जाने की उम्मीद

कर सकते हैं? हम इस आदेश की पालन कैसे करेंगे? वह इस मामले को उच्च न्यायालय में यह क्यों नहीं उठाते और कहते कि इस मामले का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह मालूम नहीं है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश किन आधारों पर पारित किया है। यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। अत: उन्हें, सही और समुचित कानून बनाकर उन आधारों को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि इस स्थिति से हमारे लिए कोई समस्या पैदा न हो। मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय सदस्य द्वारा बाद में कही गई बात के बारे में बिलकुल साफ कह दूं कि हाईकोर्ट ने क्या आर्डर दिया है, उसको यह सदन मानने वाला नहीं है। जो आर्डर स्पीकर देंगे, उसको यह सदन मानेगा। अध्यक्ष महोदय आपकी जो गाइड लाइन होगी, उसको यह सदन मानेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोगों ने, 8 तारीख को बैठक की थी। चाहे कोर्ट का फैसला आता या नहीं, उसकी प्रतीक्षा किए बिना, अध्यक्ष महोदय तय करके इस बारे में घोषणा करने वाले थे, लेकिन तब तक फैसला आ गया।

आपने जो बात कही है कि कोर्ट हर चीज के अंदर कुछ भी कह देती है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : आप जो कानून बनाते हैं, कोर्ट उनको भी रद्द कर सकती है। इसलिए आप जो भी बात कहें, वह रेस्पांसिबिलिटी से कहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपने जो उनके दिशा निदेश की बात कही है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। बाकी के जो उनके निर्देश हैं, वे तो पहले से ही स्पीकर के निर्देश थे। उसमें तो कोई बात नहीं कही है। सिर्फ एक ही पाइंट था कि इनको पब्लीसाइज किया जाए।

श्री पी. शिव शंकर : आप इसको रिव्यू कीजिए। कौन पब्लिश करेगा?

श्री मदन लाल खुराना : एक बात आपने यह कही कि हमने वहां केस को ठीक प्रकार से प्लीड नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। हमने वहां एडीशनल एटार्नी जनरल को भेजा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : अपर महान्यायवादी नामक कोई पद नहीं है। हमें इसके बारे में विदित नहीं है। वह किस पद के बारे में बात कर रहे हैं?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसदों को रेलवे यात्रा की जो सहूलियत मिली हुई है वह रेल मंत्रालय के आदेश पर मिली हुई है। वह संसद के किसी कानून के तहत नहीं मिली थी। ...*(व्यवधान)*

हमको अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, ताकि स्थिति पूरे तौर पर स्पष्ट हो जाए और किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसदों को रेल यात्रा की जो सहूलियत दी गई थी वह रेल मंत्रालय के आदेश से दी गई थी। इसमें संसद का कोई कानून या फैसला नहीं था। ...*(व्यवधान)*

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : लेकिन बजट में उसका प्रावधान था।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, वह एक कंप्लीमेंट्री सुविधा दी गई थी। वह सुविधा एक कंप्लीमेंट्री पास के तौर पर दी गई थी। उसके बारे में हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया है जिसकी चर्चा भी सदन में हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी उस फैसले को नहीं देख पाया हूं। जब तक मैं उस निर्णय को पढ़ न लूं और उस पर मंत्रालय से चर्चा करके मंत्रालय की राय न जान लूं, तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। उसके बाद ही हम उस पर कोई बात कह सकते हैं। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जहां तक संसद के कानून बनाने का सवाल है तो संसद सर्वोपरि है। वह कानून बना सकती है और कानून बनाने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सांसदों की सुविधा जो उनके स्पाउज को लेकर हैं, उनको भी यात्रा में फर्स्ट ए.सी. की सुविधा मिले, उसके संबंध में वे एक संशोधन लाना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने यही कहा कि जब वह संशोधन लायेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले सुझाव दिया था कि पूर्व सांसदों को भी कई प्रकार की सहूलियतें कानून के जरिये दी जा रही हैं जैसे उनकी पेंशन और इलाज वगैरह की सहूलियतें हैं, वे कानून के जरिये उनको दी जा रही हैं। उसी तरह से यात्रा की सुविधा

के बारे में आप कानून बनाकर उनको सहूलियत प्रदान कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने उनसे आग्रह किया है लेकिन कोर्ट का क्या आदेश है, किस आधार पर उन्होंने इसको बंद किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उसको देखकर ही जो उचित टिप्पणी देनी होगी, मैं संसदीय कार्य मंत्री को दे दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने जो मुद्दा उठाया और आपने भी उसका उल्लेख किया। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने बगदाद पर हमले के बारे में देश की भावना को प्रकट करते हुए यू.एस.ए. के एक्शन की निंदा की। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमैंट में जो भाव व्यक्त किये गये थे, पूरे सदन ने उसकी सराहना की थी। आज प्रातः मैंने प्रधान मंत्री जी से फॉरन अफेयर्स के बारे में बातचीत की थी। प्रधान मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दिया, उस पर इस सदन के अंदर 22 तारीख को चर्चा होगी।

म. **बनातवाला** : यह चर्चा अभी करनी चाहिए। चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप उसे रमजान के महीने क अदर क्यों ले जा रहे हैं?

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : یہ چرچا ابھی کرنی چاہئے۔ ۲۲ تاریخ کو چرچا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے رمضان کے مہینے کے اندر کیوں لے جا رہے ہیں؟

श्री मदन लाल खुराना : वैसे भारत सरकार की निगाह में है।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, यह रमजान और रोजे रखने का महीना है। रमजान शुरू होने से पहले हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : भारत सरकार स्थिति पर निगाह रखे हुए है।

श्री जी.एम. बनातवाला : आप उसे अभी शुरू करा दीजिए।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : یہ آج سے ہی شروع ہو جانا چاہئے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया गया था। श्री बनातवाला जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, रमजान और रोजे रखने का महीना शुरू हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : माननीय सदस्य की भावना मैं समझता हूं लेकिन 21 तारीख को रशिया के प्रधान मंत्री आ रहे हैं और प्रधान मंत्री जी उनके साथ बिजी हैं। इसलिए 22 तारीख को तय किया है। 22 तारीख को वे यहां पर रहेंगे और उसका जवाब देंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : آپ اسے ابھی شروع کروا دیجئے۔

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, हमने पूर्व-सूचनाएं दी हुई है और हमारा नाम वक्ताओं की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हरेक का नाम बोलने के लिए पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र चंदौली के अंदर मुगल सराय स्टेशन आता है। ...*(व्यवधान)* यह वही रेलवे स्टेशन है जहां पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय की शहादत हुई थी।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आनन्द रत्न मौर्य का नाम पुकारा है। आप बीच में बाधा कैसे डाल सकते हो?

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : हम सब लोग बरसों से यह मांग करते आ रहे हैं कि मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाये। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे केवल एक मिनट का समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आनन्द रत्न मौर्य का नाम पुकारा है। उनका भाषण पूरा होने के बाद मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा जाये। यह उनके सम्मान में सर्वदा उचित होगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर रेल मंत्री जी अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करें या आश्वासन देते तो अच्छा होगा।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम इस विषय पर कोई भी आश्वासन देने में सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। रेल मंत्री को किसी स्टेशन का नाम बदलने में कोई एतराज नहीं है। अगर रेल के हाथ में होता तो हम बदलने पर विचार कर सकते थे लेकिन जगह का नाम बदलना राज्य सरकार की सिफारिश और गृह मंत्री की सहमति पर ही निर्भर करता है। राज्य सरकार और गृह मंत्री भारत सरकार ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार की सिफारिश को गृह मंत्रालय, भारत सरकार उसको मंजूर कर दें, तो रेलवे को मानने में कोई एतराज नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : रेलवे के अगर अधिकार रहता तो दादर का नाम चित्तभूमि हो जाता। ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाये। गुजराल जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है और यह एक बहुत ही गंभीर बात है। सभा को अमरीका द्वारा इराक पर किये गये हमले की निंदा करनी चाहिये। हमने इसकी निंदा नहीं की है।

महोदय, श्री गुजराल जी ने एक बहुत ही गंभीर मामला उठाया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री एन.एन. कृष्णदास को बोलने की लिए कहा है।

श्री ई. अहमद : महोदय, अमरीका ने इराक पर हमले किये हैं ...*(व्यवधान)* हमें इसकी निंदा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री ई. अहमद : महोदय, हम 5 तारीख तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

...*(व्यवधान)**

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं विभागेत्तर डाक कर्मचारियों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* कल ही संचार मंत्री ने उनकी सेवा शर्तों तथा सुविधाओं के संबंध में सभा में वक्तव्य दिया था।

श्री ई. अहमद : महोदय, इस सभा को अमरीका द्वारा ईराक पर किये गये हमले की निंदा करनी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, यह क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइये ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : आप ऐसा कहने वाले कौन होते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : महोदय, हम 5 तारीख तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, कल माननीय संचार मंत्री ने डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतन तथा सुविधाओं के संबध में इस सभा में वक्तव्य दिया था लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह इस सरकार के पूर्व संचार मंत्री द्वारा इस सभा में दिये गये आश्वासन का स्पष्ट उल्लंघन है। महोदय, हमारी स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी साढ़े तीन लाख से भी अधिक विभागेत्तर कर्मचारी इस देश में बंधुआ मजदूरों की तरह से रह रहे ... शर्मनायक बात है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास 45 सदस्यों ने 'शून्यकाल' में बोलने की सूचना दी हुई है। इसलिये प्रत्येक सदस्य को 2 मिनट का समय मिलेगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, जब डाक विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और मंत्री जी ने डाक विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के पश्चात् इस सभा को आश्वासन दिया था कि यह सरकार न्यायाधीश तलवार आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। लेकिन आश्वासन के दो-तीन महीने के पश्चात् भी सरकार ने अभी तक भा सिफारिशों को लागू नहीं किया.

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार न्यायाधीश तलवार आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी अथवा नहीं। मैं सरकार से आग्रह करता चाहता हूं कि न्यायाधीश तलवार आयोग की सिफारिशों का तत्काल लागू किया जाये और हम इस मामले में सरकार का उत्तर भी चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तपुजा) : हम सरकार का उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, हम इनका समर्थन करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रो. ए.के. प्रेमाजम, श्री पी.सी. थामस, प्रो. कुरियन तथा अन्य सदस्य इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब श्री मदन प्रसाद जायसवाल अपने विचार रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध आल इंडिया ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के वर्कर्स और ऑफिसर्स पिछली 15 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो पी.जे. कुरियन : महोदय, यह इस सभा में दिये गये आश्वासन का उल्लंघन है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर गठित राष्ट्रीय औद्योगिक नागरीकरण के अनुरूप छठे वित्तीय एवं अधिकारी वेतन समझौते के अनुरूप लागू करना वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की 23.12.98 की रिपोर्ट के अनुसार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, हम सरकार का उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि आप शून्यकाल के दौरान सरकार को प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि सरकार कोई उत्तर देती है, तब मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल : भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को लागू करने के लिए दे रहे हैं। आज बिहार, मध्य प्रदेश से आए सैंकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी मांगें उचित हैं। मांगें न मानी जाने पर 11 जनवरी, 1999 को वे एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। उक्त मांगों के समर्थन में जस्टिस लोढा, डा. मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के अनेक मंत्री और मैं, हम लोगों ने इस बारे में मांग करने के लिए अनेक बार गिरफ्तारियां दी हैं। ...*(व्यवधान)* कोटा में हुए सम्मेलन में वर्तमान वित्त मंत्री ने उनके आग्रहों को माना था और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आयेंगे तो उनकी सारी मांगों को मान लेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि वित्त मंत्री जी आज यहां उपस्थित नहीं हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी जो आज धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, यहां अनेक मंत्री बैठे हुए हैं लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे। इसका अभिप्राय यह है कि वे इस मुद्दे के बारे में गंभीर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : इसी पर मेरा प्रस्ताव भी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे, आप बैठिये।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, यह तो मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन के उल्लंघन का प्रश्न है। अतः सरकार को इस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। खुराना जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे बताएं कि यह आश्वासन का उल्लंघन है अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मुझे ताज्जुब यह हो रहा है ...*(व्यवधान)* आप बैठिये न। मैं देख रहा हूं, मुझे मालूम है, आश्वासन भी मुझको मालूम है। 45 साल तक आपने कभी उनकी मांगों को नहीं देखा है, कभी गौर नहीं किया। इन्होंने कभी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, लेकिन आठ महीने के अन्दर आकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने मंत्री जी से प्रतिक्रिया करने के लिये कहा था लेकिन जब वह बोलना चाहते हैं तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे। इसका यह अभिप्राय है कि आपकी उत्तर में रुचि नहीं हैं। यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यूनियन से जो बात हुई, उसके आधार पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, उसकी विस्तार से चर्चा हुई और मैं कहना चाहता हूं कि इस साल 500 करोड़ रुपया उनका बढ़ाया गया है, 500 करोड़ रुपया इस साल और हर साल 300 करोड़ रुपया सरकारी कोष में से उनका जो बढ़ाया गया है, उससे उनको फायदा होने वाला है। उसके बाद भी उनकी कोई मांग है तो बातचीत की जा सकती है। आप मानिये कि 50 साल के बाद पहली बार उनकी मांगों को देखकर यह किया गया है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, कोई और बात रह गई है तो उसको बैठकर डिस्कस किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री आर.एस. गवई अपने विचार रखेंगे। श्री गवई के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : महोदय, इस समय किसानों को विभिन्न बैंकों से उनकी आवश्यकता का 50 प्रतिशत ऋण ही मिलता है। इसी प्रकार राज्य बीमा निगम बीज़ की 10 प्रतिशत आवश्यकता को ही पूरा कर रहे हैं। भारतीय किसानों को सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रदान की जा रही विस्तार सेवाओं से लाभ हो रहा है। भारतीय किसान मानसून पर अधिक निर्भर हैं। इसी वजह से तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग दस प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है। यदि देश में फसल बीमा योजना भलीभांति लागू हो जाए तो इन सब विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम सब को बुलाएंगे। मेरे पास 45 मिनट का समय और है। मैं उन सब को बुलाऊंगा।

श्री यू.वी. कृष्णमराजु (काकीनाड़ा) : महोदय, मैं अपनी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अंग्रेजी में बोलिये। तेलुगू में बोलने के लिए आपको पूर्व सूचना देनी चाहिये।

श्री यू.वी. कृष्णमराजु : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं जो कि भारत सरकार के पास लंबित है। येदुरलेंखा तथा यनम (संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी) के बीच गोदावरी नदी पर ऊपरि पुल के निर्माण की एक अन्तर-राज्यीय परियोजना है जिसका शिलान्यास आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू द्वारा दो वर्ष पूर्व किया गया था लेकिन 135 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

इस परियोजना के पूरा हो जाने से इस ऊपरिपुल से येदुरलेंखा तथा यनम दोनों क्षेत्र परस्पर जुड़ जाएंगें और इससे बुनियादी ढांचे का विकास हो सकेगा। ओ.एन.जी.सी. को भी परिवहन के मामले में काफी लाभ पहुंचेगा क्योंकि गोदावरी कुंड में उनकी परियोजनाएं चल रही हैं। इससे 60 किलोमीटर के व्यासर्ध के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। काकीनाड़ा पत्तन को भी इस सड़क यातायात के माध्यम से अत्यधिक माल यातायात प्राप्त हो सकेगा।

ओ.एन.जी.सी. तथा जल-भूतल मंत्रालय वहां संयुक्त उधम स्थापित कर सकते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की ओर पूरा ध्यान दें और इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान करें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी एक महिला हैं। किंतु यह मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएंगे और मुम्बई के अंदर एक महिला निगम पार्षद को तीन कांग्रेसी जिंदा जला डालेंगे, इस बात का एहसास नहीं था कि इतना मनोबल बढ़ जाएगा ...*(व्यवधान)* मेरे पास कई अखबारों की कटिंग्स हैं ...*(व्यवधान)* "श्री कांग्रेसमेन हैल्ड फॉर अटेंम्पट टू बर्न ए वीमेन कार्पोरेटर।" ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : इसमें से कोई भी कांग्रेसी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : तीनों के तीनों कांग्रेस के हैं। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, टाइम्स आफ इंडिया, इन सबमें इनके बारे में छपा है। मैं आपके मनोबल बढ़ने की बात कर रहा था। जब दिल्ली में नैना साहनी का केस हुआ था तो उस समय सुशील शर्मा भी कांग्रेसी नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। ...*(व्यवधान)* उड़ीसा में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगता है कि वे भी कांग्रेसी नहीं हैं। इसके अलावा 15 दिन पहले मध्य प्रदेश में अम्बिका पुर में कांग्रेस के स्थानीय प्रभावशाली नेताओं के बच्चों ने कालेज की एक छात्रा को जीप से कुचल दिया, यह भी कह दें कि कांग्रेस के नहीं थे। एक तरफ तो ये महिलाओं पर अत्याचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद ऐसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : मुम्बई में वे कांग्रेस के हैं तो होम मिनिस्टर को बोलो, वे तो आपके हैं।

श्री विजय गोयल : होम मिनिस्टर तो हमारे हैं, लेकिन अपराधी सारे आपके हैं। वे तीनों अपराधी कांग्रेस के हैं। कांग्रेस

अपने संगठन पर अंकुश रखे और कम से कम महिलाओं पर अत्याचार न करें, इस बात को मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत कम समय मिलता है, ये लोग बीच में बोलने लग जाते हैं ...*(व्यवधान)* जब तक सदन में शांति नहीं होगी, मैं नहीं बोलूंगी ...*(व्यवधान)* सीनियर मेम्बर्स जिस तरह से बिहेव करते हैं, इनको चाहिए कि हमारी भी बात सुनें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, यह झूठे आरोप लगा रहे हैं। कृपया इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकलवा दीजिये। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : नवी मुम्बई में महिला पार्षद मीणा मोरे की हत्या का प्रयास किया गया है। मैं सदन में इसकी निंदा करना चाहती हूं। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि हत्या का प्रयास करने वाले तीन अपराधी पकड़े गए हैं और वे तीनों कांग्रेसी हैं। इस महिला पार्षद का कोई दोष नहीं था। जिस कच्ची बस्ती में नल के टैप को लगाया जा रहा था, वह गटर पर लगाया जा रहा था। ...*(व्यवधान)* गैरकानूनी रूप से टैप लगाने के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए वे महिला पार्षद प्रयत्न कर रही थी। जिस निर्मम तरीके से ...*(व्यवधान)* आप सुनिए तो सही ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महिलाओं पर अत्याचार राजनैतिक मामला नहीं है, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : जिस तरह से महिला पार्षद की निर्मम हत्या करने की कोशिश की गई ...*(व्यवधान)* उसके शरीर पर केरोसिन डाला गया और घसीटकर गली में ले जाया गया, ...*(व्यवधान)* वह अस्सी प्रतिशत जल गई हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : मैं एक अखबार लेकर आई हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, अपना स्थान ग्रहण कीजिये, आप अपनी बात कह चुकी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले सितम्बर महीने से ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अपराधी को पकड़ लिया गया है। ..(व्यवधान) महिला का विषय केन्द्र सरकार का है। मैं अपनी सरकार से भी इस घटना पर प्रकाश डालने का अनुरोध करती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेवल प्रसाद के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पिछले सितम्बर महीने से कई महीनों तक आई प्रलयंकारी बाढ़ ने पूर्वांचल में भारी संख्या में लोगों के घरों को डुबा देने का काम किया था। माननीय प्रधान मंत्री जी जब गोरखपुर नगर में गए थे तो बाढ़ पीड़ितों को, प्रदेश की जनता को एक आश्वासन दिया था कि पंचमेश्वर बांध भालू योजना जिसके द्वारा नेपाल सरकार से भारत सरकार वार्ता करेगी। मोरारजी भाई जब प्रधान मंत्री थे तो पहली बार नेपाल से भारत सरकार की वार्ता हुई थी जिसके तहत पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने के लिए, विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए और इन योजनाओं को लागू करने के लिए बात की गई थी। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि करोड़ों परिवार जो बाढ़ में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डूबे हुए थे, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वचन दिया था कि नेपाल से वार्ता करके इस योजना को लागू कराएंगे जिससे बाढ़ से पीड़ित लोगों को मदद मिल सके और स्थायी योजनाएं बन सकें। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करके इन योजनाओं को पूरा करने का काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय : हम सबको बुला रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

संविधान में लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का है लेकिन प्रधान मंत्री जी को यह अधिकार है कि वह बीच में ही लोक सभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ...ों को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि ...मेंट' बनेगी। लगभग एक दशक से तीसरी बार 'हंग पार्लियामेंट' का गठन हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में इसका उल्लेख करना आवश्यक है?

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : जी, हां। 1989 में 'हंग पार्लियामेंट' बनी जो सिर्फ ग्यारह महीने ही चली। उसके बाद 1996 में 'हंग पार्लियामेंट' बनी जो एक साल भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी। एक बार लोक सभा चुनाव कराने में सरकार का लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च होता है, प्रत्याशियों का और उनके समर्थकों का तथा राजनीतिक पार्टियों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस तरह से देश में पैसे की तथा समय की बर्बादी होती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। अशिक्षा, गरीबी, भूख तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा गरीब, बीमार और लाचार देश हो गया है। इसलिए सदन को इस बारे में आज गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर यही हालत रही कि बार-बार हर साल चुनाव होंगे तो देश को हम आर्थिक संकट से नहीं उबार सकते हैं, इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि बजट सैशन में वह कानून लाएं कि लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए। पांच साल से पहले लोक सभा और विधान सभाएं भंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है और मैं आशा करता हूं कि इससे सभी दलों के नेता सहमत होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी इसी विषय पर बोलना चाहते हैं?

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : जी, हां।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, गंगाचरण राजपूत जी, ने जो बात कही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। मैं छः बार संसद सदस्य चुनकर आया हूं। यह नहीं कि हम पांच साल एम.पी. रहना चाहते हैं, दोनों पक्ष के सदस्य भी यही चाहते हैं और यह देश के हित में भी है कि देश बार-बार चुनाव को नहीं झेल सकता है। चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इलैक्शन कमीशन जब एक बार चुनाव घोषित कर देता है और कहता है कि जून में इलैक्शन होंगे, आज से ही डवेलपमेंट का काम रुक जाता है तथा कोड-ऑफ-कन्डक्ट लागू हो जाता है। यह अलग बात है कि सरकारें बदलती रहें, लेकिन संसद की लाइफ पांच साल तक रहे। ऐसा बहुत सारे देशों में हैं, जहां संविद की सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संसद की लाइफ पांच साल तक रहती है। इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक रास्ता यह हो सकता है, जब नो-कान्फिडेंश-मोशन एक प्रधान मंत्री के खिलाफ सदन में प्रस्तुत हो, उसी समय कान्फिडेंश मोशन भी लिया जाए कि सदन किनको प्रधान मंत्री बनाना चाहता है। उसी समय सदन में तय हो जाए, तो सदन का कार्यकाल पांच साल तक चलता रहेगा। यह अलग बात है, जब तक आल्टरनेटिव प्रधान मंत्री नहीं होगा, तब तक वह प्रधान मंत्री के पद पर काम कर सकता है। यह एक तरीका है, लेकिन दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि संविधान विशेषज्ञों को बुलाकर, देश के हित में कोई रास्ता निकालना चाहिए, अन्यथा हाल में अगला चुनाव होगा और उसमें भी कोई गारन्टी नहीं दे सकता है कि एक दल की सरकार बनेगी। देश पर संसद के चुनावों का बोझ बार-बार नहीं लादा जा सकता है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय, मैं पहले ही श्री बसुदेव आचार्य को बुला चुका हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुलाया है। कल से हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कन्सट्रकशन लिमिटेड और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ कानपुर के हजारों कर्मचारीगण धरना दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसी मामले पर नहीं बोल रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : वे अन्य विषय पर बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आप उसी विषय पर बोल रहे थे। मैं आपको बाद में बोलने के लिए कहूंगा। अब मैं श्री कल्पनाथ राय को बोलने के लिए कहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, भाग्य से सदन में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी मौजूद है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। 1996 में लोक सभा के चुनाव हुए और फिर डेढ़ साल बाद के बाद दोबारा चुनाव हुए, जिसमें 290 एमपीज हार गए। एक डेढ साल के बाद फिर 1998 के चुनाव में 288 एमपीज हार गए। बहुत लम्बी तपस्या, त्याग और कुर्बानियों के बाद एक व्यक्ति को किसी दल का टिकट मिलता है और वह एमपी बनता है। डेढ़ साल के अंदर ही लोक सभा भंग हो जाए और जो दूसरा सदन राज्य सभा का है, जिसको आप सारी वही सुविधाएं देते हैं जो सुविधा लोक सभा को देते हैं। वहां ऐसे भी लोग हैं जो कभी जिन्दगी में एक बार चुने जाते हैं तो छ: साल के लिए होते हैं, जो प्रधान मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन यहां कोई एम.पी. बन गया और वह डेढ़ साल में चला गया तो उसका क्या होगा। लोक सभा में जो हिन्दुस्तान की स्थिति है उससे तो ऐसा लगता है कि बार-बार चुनाव होगा, बार-बार कोआलीशन गवर्नमेंट बनेगी। ऐसी हालत में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने लेकिन लोक सभा का कार्यकाल पांच साल रहना चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए संविधान में संशोधन लाने में आप पहल कीजिए, अध्यक्ष महोदय, आपके पहल पर इसका कार्यकाल पांच साल किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके पांच वर्ष से कम में वोट कराने में जनता पर बड़ा भारी बोझ पड़ जाता है, इसलिए सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। महोदय, हमने संवैधानिक प्रावधान का गंभीर अध्ययन किया है, उसके बाद आज हमने एक बिल दिया। अगर आपकी कृपा होगी तो वह बिल आएगा। उसके अनुसार संविधान में एक ही शब्द के संशोधन कर देने से सदन की आयु पांच वर्ष से कम नहीं रहेगी। उसमें हमने दिया है, राष्ट्रपति जी का जो क्लाज है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामैंट को भंग कर सकते हैं उसी में है कि भंग को हटा कर राष्ट्रपति जी निलम्बित कर सकते हैं, सिर्फ इस एक शब्द को बदलना है। यदि सदन की सहमति हो तो सदन की आयु पांच वर्ष से कम की नहीं रहेगी। आज ही आपने प्राइवेट मेम्बर बिल में इसको लाने की अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिप) : मैंने इसे दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए उसको सरकार मान ले और उस पर सहमति हो जाए तो देश का बड़ा भारी कल्याण होगा। उसमें हमने सारी बातों का वर्णन कर दिया है। यह बहुत अच्छा सवाल उठाया है और यह जनहित में है इसलिए इसको किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। मैंने आपको पहले बोलने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सोचा

कि आप उसी विषय पर बोलने जा रहे थे। मैं आपको बोलने के लिए बाद में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : कांग्रेस को भी कहिए कि वे भी अपनी राय दें। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि वे पूछ रहे हैं कि इस संबंध में कांग्रेस का क्या मत है। मैं कहूंगा कि इस पर सरकार को विचार करना और विधेयक प्रस्तुत करना सरकार का कार्य है। सरकार इस पर विचार प्रकट कर सकती है। ...(व्यवधान)

महोदय : आप पहले कुरियन जी को बोलने दो।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह एक मूल संवैधानिक प्रश्न है। इस पर विचार करना सरकार का कार्य है। प्रधानमंत्री सभी नेताओं की एक बैठक बुलाकर मामले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। हम अपने विचार उचित मंच पर ही प्रकट करेंगे। हमें यहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, ताजमहल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है। इस देश में आने वाले पर्यटकों में से आधे से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आगरा आते हैं लेकिन 1985 से रात में इसका दर्शन बंद कर दिया गया, जिससे पर्यटक रात को ताज नहीं देख पाते और बिना किसी कारण के बंद किया गया। सुरक्षा के नाम पर सक्सैना कमेटी बनाई गई कि ताज की सुरक्षा को खतरा न हो। उस कमेटी की रिकोमेंडेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया और इम्प्लीमेंट करने का वायदा कर दिया, उसके बाद भी गृह मंत्रालय नो आब्जेक्शन नहीं दे रहा। ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्री का आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट उस मामले को टाल रहा है, जिससे देश में पर्यटन की बड़ी भारी हानि हो रही है। एक तरफ पर्यटन मंत्री जी कहते हैं कि हम इसको उद्योग तथा निर्यात व्यापार का दर्जा देंगे, दूसरी ओर ताजमहल को रात में न खोलने के कारण आगरा का ही नहीं बल्कि समूचे देश का पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसको अविलम्ब रात्रि दर्शन के लिए खोलने की व्यवस्था की जाए। यात्री-शो के लिए भी इसको रात्रि में खोजा जा चुका है। दूसरी बात मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि ताजमहल के पार्श्व का जो इलाका है वहां जो मलिन बस्तियां हैं उनके लिए तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी घोषणा कर गये थे कि उनका विकास करेंगे। ताजमहल को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलने वाले जो मार्ग बने हुए हैं वे बड़े टूटे-फूटे और खराब हैं तथा वहां जो मलिन बस्तियां बनी हुई हैं वहां के लोग उन मार्गों पर शौच के लिए जाते हैं जिससे वहां का वातावरण खराब होता है और ताज को देखने आने वाले पर्यटकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा विश्व में भारत की छवि खराब होती है। मैं संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री से निवेदन करूंगा कि विदेशों के अंदर इस वजह से जो भारत की छवि खराब हो रही है उस पर ध्यान दें और हमें इस बारे में आश्वस्त करें कि इसके लिए उपाय किए जाएंगे। दूसरा, मिशन मैनेजमेंट बोर्ड का जो पैसा है वह भी पर्यावरण विभाग ने अभी तक नहीं दिया है, तथा पर्यावरण मंत्रालय से दिलाया जाए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, रावत जी ने ताजमहल की जो बात कही है ...(व्यवधान) मेरे पास पर्यटन मंत्रालय भी है। हमने देश के उन 50 शहरों को सौंदर्यकरण और सुधारने के लिए चुना है जहां पर पर्यटन-स्थल हैं। उनके लिए एक करोड़ रुपया प्रति शहर दिया गया है। जहां तक आगरा का सवाल है तो जब व्यक्ति आगरा देखने जाते हैं और आस-पास के वातावरण को गंदगी भरा देखते हैं तो उन पर बुरा असर पड़ा है, यह मैं मानता हूं। इसलिए जो अपरोच-रोड्स हैं उनको ठीक करने के लिए और आगरा के सौंदर्यकरण के लिए हमने एक करोड़ रुपया देना तय किया है। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कुरियन साहब ने इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से कहा है कि सरकार विधेयक लाए, जिससे संसद का कार्यकाल पांच वर्ष पूरा हो। उन्होंने कहा है कि वे भी इस पर विचार करेंगे। हम सब की राय भी पांच साल की है। सरकार को आगे आने दीजिए। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह सुझाव आया है, कांग्रेस भी कहती है, सब कहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली) : महोदय, मैं इस महान सभा और माननीय कोयला मंत्री के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. सुगुण कुमारी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

डा. सुगुण कुमारी चलामेला : महोदय, लगभग एक लाख बीस हजार कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिक सिंगारेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड में कार्य कर रहे हैं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पेद्दापल्ली में स्थित है, क्षेत्रीय खान मजदूर भविष्य निधि कार्यालय हैदराबाद में स्थित है जो गोदावरी खानों, रामगुन्डम और मन्दावरी के मुख्य क्षेत्रों से 250 कि.मी. दूर है। अतः यदि सी.एम.पी.एफ. कार्यालय को गोदावरीखानी, रामगुंडम और मंदावरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाये तो इससे खान-मजदूरों को अत्यधिक सहायता मिलेगी।

तथापि, मैं माननीय कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यालय को हैदराबाद से इस क्षेत्र में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर के हजारों मजदूर कल से दिल्ली में धरना दे रहे हैं।

अपराह्न 1.15 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

पिछले 6 महीनों से मजदूरों को उनका वेतन नहीं दिया गया है। वे भुखमरी और मृत्यु के कगार पर हैं। ये दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है। टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन के मामले में सरकार ने इसे बन्द करने का निर्णय लिया है, यद्यपि इसके पुनरूद्धार की पूर्ण संभावना है। इसका पुनरूद्धार किये बिना सरकार ने इसे बन्द करने का निर्णय ले लिया है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो इस्पात संयंत्रों के निर्माण हेतु स्थापित की गई थी, के पुनरूद्धार हेतु आवश्यक कदम उठाये। श्रमिकों को पिछले चार से पांच महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा श्रमिकों को वेतन दिया जाना चाहिये और इन दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार हेतु भी कदम उठाने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : हमें भी एक मिनट बोलने का समय दिया जाएं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए और शांति रखिए। *...(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति जी, अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकार लिया था।

सभापति महोदय : मैंने सुन लिया है। आप शांति रखिये।

डा. शकील अहमद : सभापति जी, अभी अध्यक्ष जी ने मेरा नाम पुकार लिया था और इसीलिए मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांति रखिये और आसन ग्रहण कीजिए। *...(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद : सभापति जी, आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक न्यूज छपा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री था. चौबा सिंह (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मुझे ... के चयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाये। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने नोटिस दिया है? नहीं दिया है तो बैठिये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपा कर आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : उनको बोलने के लिए समय दीजिए।

सभापति महोदय : कैसे दे दें नोटिस के बिना? इस तरह से समय नहीं मिल सकता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

चौबा सिंह : यह ठीक नहीं है। बड़े राज्यों जैसे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को एक ... अधिक का अवसर दिया जाता है। छोटे राज्य जैसे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शांति रखिये। इस तरह से समय नहीं मिल सकता है। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : आप सीरियल नंबर से बुलाइए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बारी-बारी से सबको समय मिलेगा।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मुद्दा हम यहां पर उठाते हैं, सरकार की तरफ से यदि यहां पर जवाब नहीं मिलता है तो कम से कम लिखित में हमें उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए।

दूसरा निवेदन यह है कि पूर्व प्रधान मंत्री देवेगौड़ा जी ने जम्मू में अनाउस किया था कि जम्मू को ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी जाएगी। उसके लिए दस करोड़ रुपये केन्द्र के बजट में भी रखा गया है। कश्मीर वैली में एक ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोपोर में चलती थी और इनसर्जेन्सी की वजह से वह खत्म हो गई। आज उसका स्टाफ जम्मू में बैठा हुआ है। इसलिए जम्मू में तुरन्त ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चालू की जाए क्योंकि जम्मू का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां हम तीन फसलें निकालते हैं। इन तीनों फसलों के डेवलपमैंट के लिए वहां के बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिले और पढ़ाई की सुविधा मिले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आर.एस. पुरा में तुरंत एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुरू की जाए। *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम) : सभापति महोदय, मेरा नाम तीसरे नम्बर में है, लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बुलाया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, मेरा नाम पुकारा गया था लेकिन मैं अभी बोल नहीं पाया हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपा करके आप अपनी सीट पर बैठिये। आपका नाम हमने सुन लिया है और आपकी बात भी सुन ली है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं अभी बोल नहीं पाया हूं।

सभापति महोदय : आपका सवाल उठ चुका है, इसलिए आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह तो एक तरह से हमारे अधिकारों का हनन है, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : माननीय सभापति जी, महोदय मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान तमिलनाडु में स्थित दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं *...(व्यवधान)* महोदय उनमें से एक मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है जो कि उत्तर चेन्नई में स्थित है, जहां से थिरू कुप्पूस्वामी संसद के सदस्य के रूप मे निर्वाचित हुए हैं। दूसरी, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण मद्रास में स्थित है। दोनों ही इकाइयां, कार्य पूंजी के अभाव के कारण कठिनाई का सामना कर रही है।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण किया गया था। इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इसका उत्पादन छः महीने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तक बंद रहा। अब 42 करोड़ रुपये की कमी के कारण, उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर सकी है। इसके साथ-साथ जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित आई.डी.पी.एल. को बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया है! बी.आई.एफ.आर. ने सरकार को अधिक कार्य-पूंजी का निवेश करने का निदेश दिया है ...*(व्यवधान)* बी.आई.एफ.आर. के निदेशों को श्रमिकों ने स्वीकार कर लिया है और वे संख्या में कमी हेतु सहमत हो गए है ...*(व्यवधान)*

श्रमिकों की संख्या 1200 से घटाकर 322 कर दी गयी है ...*(व्यवधान)*

सरकार और अधिक धन जारी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मांग है कि सरकार को इन दोनों इकाइयों को अधिक धन जारी करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

हम 16 तारीख को माननीय मंत्री श्री बरनालाजी से मिले और उन्हें मामले से अवगत कराया। वे इन दोनों एककों का दौरा करने को सहमत हो गये थे। मैं उनसे वहां का दौरा करने और उद्योग हेतु कार्य-पूंजी को उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 1.23 बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित आकाशवाणी नेटवर्क के कार्यकरण के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, समाचार-पत्रों में यह सूचना छपी है कि पश्चिम बंगाल राज्य में 64 कोयला खानें बन्द होने के कगार पर है। लेकिन ये कोयला खादानें, बंगाल सरकार द्वारा लिये जा रहे 77 प्रतिशत की उच्च दर से उपकर लेने के कारण आर्थिक रूप से अक्षम हो गयी हैं। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पश्चिम बंगाल सरकार को इसे शून्य प्रतिशत करने का अनुरोध करें ताकि वे 64 कोयला खादानें बन्द न हो सकें और इनमें कार्यरत 72000 श्रमिकों को न्याय प्राप्त हो सकें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, ग्रामीण बैंकों को समान कार्य के लिए समान वेतन राष्ट्रीय औद्योगिक पंचाट के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान कराया गया एवं भविष्य में व्यावसायिक बैंकों के वेतनमान लागू होने पर ग्रामीण बैंकों को भी वेतनमान व्यावसायिक बैंकों के समतुल्य देय हो गये। इस संबंध में इलाहाबाद, केरल, कर्नाटक एवं श्रम न्यायालय, कानपुर का निर्णय भी ग्रामीण बैंकों के संबंध में आया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब ग्रामीण बैंकों का वेतनमान भी व्यावसायिक बैंकों के वेतन के समान किया जाए।

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाना चाहता हूं। बिहार में आलू और प्याज पर छ: प्रतिशत बिक्रीकर लगाने के विरोध में सभी विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं, जिसकी वजह से आम उपभोक्ताओं के समक्ष कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि आलू और प्याज पर बिक्रीकर समाप्त किया जाए। भारत के अन्य राज्यों में इन पर बिक्रीकर नहीं है, लेकिन बिहार में आलू, प्याज पर छ: प्रतिशत बिक्रीकर लगाया गया है।

सभापति महोदय, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा जाए क्योंकि ये दोनों ही शीघ्र सड़-गल जाने वाली सब्जियां हैं जिससे किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आलू-प्याज का मूल्य उत्पादन लागत को दृष्टिगत रखते हुए नियत किया जाए। फसल-बीमा योजना के अंतर्गत इन दोनों को लाया जाए और उनको उगाने के लिए किसानों को विशेष ऋण की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय : ठीक है। हो गया। बैठिए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, देश के राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन वर्ष 1991 की जनगणना के हिसाब से दी जा रही है जबकि विगत 7-8 वर्षों में वृद्धों की संख्या में राज्यवार वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 4,80,800 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है जबकि मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों के

प्रतिवेदन के आधार पर 5,50,850 वृद्धों को पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। वृद्धों की संख्या में यह बढ़ोत्तरी प्रत्येक राज्य में हुई है। मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल राज्य में वृद्धों की संख्या के अनुपात में पेंशन राशि न देने से गरीब आदिवासी वृद्धों की कठिनाई और भी बढ़ जाती है।

मध्य प्रदेश के शासन ने भारत सरकार को कई अर्धशासकीय पत्र लिख कर वृद्धों की संख्या की वृद्धि के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की मांग की है, किन्तु भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के वृद्धों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेंशन राशि नहीं बढ़ाई। यही स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेशों की है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि वृद्धावस्था पेंशन वृद्धों की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करें तथा मध्य प्रदेश के 8,50,850 वृद्धों को पेंशन की व्यवस्था कराएं।

[अनुवाद]

— मोहन (धर्मपुरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर और विशेषतया अरूर तालुक मे रहने वाले लोगों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें दूरदर्शन पारेषण सिग्नल स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। वहां लगभग 4 लाख लोग है और सभी दस हजार टेलीविजन सेटों की ग्राह्य गुणवत्ता अत्यंत खराब तरह की है क्योंकि दूरदर्शन ट्रांसमीटर्स बहुत दूर स्थित है। येरकोड, धर्मपुरी के कम शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर और कोडीकनाल के उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर स्थानीय दर्शकों को स्पष्ट टी.वी. सिग्नल्स नहीं दे पाते हैं। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है तथा कम शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर को सिथेरी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थापित किया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिथेरी में एक कम शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

श्री था. चौबा सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए अवसर देने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह हमारे देश के लिये बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है कि मणिपुर के श्री डिंको सिंह ने कल बैंकाक एशियाड में सेमी फाइनल में विश्व के तीसरे नम्बर के खिलाड़ी और फाइनल में विश्व के दो नम्बर के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तथापि, यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन खिलाड़ियों का चयन बैंकाक में हो रहे एशियाई खेलों के लिये किया गया था, उनमें श्री डिंको सिंह का नाम नहीं था और अंतिम समय पर ही एशियाई खेलों में जाने के लिये उनका चयन किया गया था। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण चयन से खिलाड़ियों पर, विशेषतः पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों से आये, गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि चयन प्रक्रिया में उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, 1987 में मणिपुर से अनीता नामक महिला साईक्लिस्ट का चयन न किया जाना विवादास्पद था और पिछले वर्ष सेपक काकश भारतीय टीम, जिसमें मुख्यतः मणिपुर के लड़के थे, को न भेजे जाने के कारण अभी भी मणिपुर की जनता की समझ में नहीं आये हैं। अतः एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये श्री डिंको सिंह के अंतिम समय में चयन के संबंध में सी.बी.आई. से जांच कराना उचित होगा ताकि पूर्वोत्तर के उभरते हुए खिलाड़ियों को यह महसूस न हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री था. चौबा सिंह : इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, श्री डिंको सिंह को मणिपुर सरकार ने 1 लाख रुपये और मैंने 15000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है। अतः, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार प्रोत्साहन के लिये साधारणतः प्रत्येक पदक जीतने वाले को दिये जाने वाले पुरस्कार से अलग समुचित राशि देने की घोषणा करे।

***श्री एन.टी. षणमुगम** (वेल्लौर) : सभापति महोदय, मैं 15.11.98 को मुम्बई बंदरगाह पर भारी मात्रा में हुए प्याज की क्षति सम्बन्धी घटना का स्मरण करना चाहता हूं। प्याज की कमी को पूरा करने के लिये और इसकी कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने ईरान से बड़े पैमाने पर प्याज का आयात किया था। किंतु मुम्बई बंदरगाह पर पहुंचे, प्याज की सही समय पर निकासी न होने के कारण वह खराब हो गया। 21.11.98 को सड़े हुए प्याज को फेंक दिया गया। अतः खराब होने वाली वस्तु, जिसे बंदरगाह से 24 घंटे के अन्दर निकासी मिल जानी चाहिये थी, के सन्बन्ध में गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण अपनाने के कारण सरकार को बहुत भारी नुकसान हुआ। करदाताओं के पैसे का एक बड़ा भाग व्यर्थ चला गया है। इसके कारण सरकार प्याज के दामों को नियंत्रण करने में असमर्थ रही जिससे देश के असंख्य गरीब लोग प्रभावित हुए। इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। कम से कम दो सत्ताधारी दलों ने हाल ही में समाप्त हुए कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनावों में अपनी सरकारें खो, कर इसकी भारी कीमत चुकाई है। साधारणतः, खराब हो जाने वाली वस्तुओं को 24 घण्टे के अन्दर निकासी मिल जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता है तो

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण का हिन्दी रूपान्तरण।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण का हिन्दी रूपान्तरण।

उस वस्तु की नीलामी करके पैसा राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये। अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में समय पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा कर उन्हें दण्डित करने हेतु उपयुक्त उपाय किये जायें।

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : सभापति महोदय, मैं बिहार के पलामू जिले से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र चपरा में एक सीमेंट का कारखाना सात सालों से बंद पड़ा है। उसमें कार्यरत मजदूर भूखों मर रहे हैं। लोग वहां से पलायन करने के लिए बाध्य हो गये हैं। बिहार सरकार के सामने भी हमने कई बार इस मामले को उठाया था और यह प्रयास किया था कि उस कारखाने को पुनः जीवित किया जाये लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि उस कारखाने को अविलम्ब खुलवाने का प्रयास किया जाये जिससे वहां लाखों लोगों को बचाया जा सके। उनके बाल-बच्चों को जिंदा रखा जा सके।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुप्रबंध के कारण उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के निरंतर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण सीमेंट इकाइयां बंद होती जा रही हैं। वर्तमान में सीमेंट कार्पोरेशन की छह इकाइयां बंद हो गई हैं तथा अन्य इकाइयां भी बंद होने के कगार पर हैं। कोयला ठेके पर भारी अनियमितता एवं पक्षपात, मध्य प्रदेश के नये गांव स्थित इकाइयों में तांबे के तारों की चोरी, कच्चा माल, पत्थर ढुलाई के ठेके में अनियमितता आदि कई ऐसे कारण हैं जो कार्पोरेशन को निरंतर घाटे की ओर ले जा रहा हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। मेरा उद्योग मंत्री से आग्रह है कि वे सीमेंट कार्पोरेशन के कार्यकरण को देखें और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें ताकि उक्त इकाइयों को बंद होने से रोका जा सके और कुप्रबंध समाप्त हो।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, सी.सी.आई. के मामले में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, शून्य काल चल रहा है परन्तु सभा में कोई भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है। कम से कम शून्य काल के दौरान कैबिनेट मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये। केवल एक राज्य मंत्री ही उपस्थित हैं.

[हिन्दी]

सभापति महोदय : दो-दो मिनिस्टर्स हैं

...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, मेरा सवाल है।

सभापति महोदय : आपका भी समर्थन है। ठीक है, अब आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, मैं कुछ और बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, हम लोग जीरो ऑवर में जो सवाल उठाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। ...*(व्यवधान)* जवाब न मिलने से कुछ पता नहीं चलता है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहिता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बीच में कहां से बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति जी, हमने टेलीफोन कनेक्शन के बारे में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार के कहने पर और सर्वे करने के बाद आगरा चम्बल डाल परियोजना 1987 में प्रारंभ हुई थी। उस समय उसकी लागत 50 करोड़ रुपये थी। आज 1998 चल रहा है जो कि खत्म होने के कगार पर है। आज उस परियोजना की लागत 100 करोड़ से ऊपर चली गयी है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि 22 करोड़ 60 लाख रुपये नाबाद बैंक ने दिये थे, वे भी पूरे खर्च हो चुके हैं। अब उस परियोजना को पूरा करने में धन नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पैसे की व्यवस्था शीघ्र कराई जाये जिससे वह अधूरी योजना पूरी हो सके। वहां करोड़ों बीघा जमीन असिंचित पड़ी हुई है। किसानों को पानी की बहुत कमी है। इसलिए जमीन [illegible] यह परियोजना किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण [illegible] आग्रह है कि भारत सरकार पूरे धन की शीघ्र व्यवस्था कराये जिससे वह योजना पूरी हो सके। ...*(व्यवधान)* आप हमें बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की कि आपने दूसरे को कॉल कर दी है। आप हमें बात तो पूरी कर लेने दीजिए।

सभापति महोदय : आपका कारखाने का मामला है। वह ठीक है। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सभापति जी, वह कारखाना नहीं है। आप मेरी बात समझे नहीं हैं। वह चम्बल डाल परियोजना है। उसमें लगे मजदूर भूखों मर रहे हैं। भारत सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके धन की शीघ्र ही व्यवस्था कराये। ...*(व्यवधान)*

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सभापति जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं। बिहार में 20 वर्षों से पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। पंचायत के चुनाव के लिए सरकार हमेशा बहाना बनाती है। कभी कहती है कि हाई कोर्ट ने रोका हुआ है तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है और कभी आरक्षण का मुद्दा बनाकर इसको रोके हुए है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई स्टे न तो हाई कोर्ट ने दिया है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो फिर यह पंचायती चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य का कारण है। इसके अलावा जे.आर.वाई. का जो पैसा भारत सरकार से आता है, वह वहां के सारे पदाधिकारी लूट लेते हैं। वे सारी लूटमार मुखिया के रूप में, कर्मचारी और बी.डी.ओ. लोग करते हैं इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हर हालत में वहां पंचायत चुनाव कराये जायें।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश, जो हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्रदेश है, इन दिनों वहां का मध्य प्रदेश दुग्ध संघ बेहद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश दुग्ध संघ की ओर से किसानों को लाखों की तादाद में जो राशि देनी है, वह राशि भी दुग्ध उत्पादकों को नहीं मिली है। मुख्य मंत्री और सम्बन्धित विभागीय मंत्री के बीच गंभीर विवाद हो रहा है और जो करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, उसके कारण पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादक प्रभावित हैं, पीड़ित है। मैं भारत सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बासवराज पाटील सेडाम (गुलबर्गा) : गुलबर्गा जिला, कर्नाटक में श्री शरणवसवेश्वर रेजडेंसियल कंपोजिट प्री-यूनिवर्सिटी कालेज नाम की एक रैजीडैंशल स्कूल से दिल्ली नगर की एक रजिस्टर्ड संस्था नैशनल काऊंसिल ऑफ ग्लोबल साइंस लगभग 28 लाख, 40 हजार रुपये विश्व का पर्यटन कराने का विश्वास देकर, वहां के बच्चों से फीस लेकर, उसमें केवल 35 बच्चों का प्रवास करवाकर बाकी 95 बच्चों को वंचित किया गया है जिसके साथ ग्लोबल ऐयरवेज सर्विस भी जुड़ी हुई है। मैं मांग करता हूं कि उन बच्चों को पैसा वापिस मिले और सरकार दो संस्थाओं पर धोखाधड़ी की तुरंत कार्यवाही करें।

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मैसर्स सीतापुर प्लाईवुड प्रोडक्टस एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री है जिसे वहां के मालिकों ने 16 जुलाई से बंद कर दिया गया जिसके कारण वहां के श्रमिक और समस्त कर्मचारी भूखों मरने के कगार पर हैं। उनके प्रौवीडेंट फंड का जो पैसा फैक्ट्री काटती थी, वह पैसा भी भविष्य निधि में जमा नहीं किया गया जिसके नाते उनको प्रौवीडेट फंड नहीं मिल रहा और जो रिटायर हो गए है, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। अत: मैं श्रम मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप करके फैक्ट्री खुलवाने तथा उनको पैसा दिलवाने का काम करें।

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर की सीमा का बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है। उनके राजौरी और सीमा प्रांत के सारे क्षेत्र अत्यन्त पहाड़ी हैं। वहां आबादी बहुत गिजली-बिजली है, उग्रवादियों की वहां संख्या

आबाद है। ...*(व्यवधान)* वैसे भी दुर्घटना हो जाने के बाद स्थिति यह है कि संचार के साधन न होने के कारण और सड़कें न होने के कारण दुर्घटना की सूचना राज्य या पुलिस थाने तक दूसरे-तीसरे दिन पहुंचती है। इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उन क्षेत्रों में टेलीफोन और संचार के दूसरे साधन और रास्ते बनाकर लोगों को इस मुश्किल और उग्रवाद से बचाने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। सारे क्षेत्र में अधिकतम टेलीफोन कनैक्शन दिए जाएं और टेलीफोन एक्सचेंज बनाए जाएं।

श्री जुआल उराम (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, आप जानते हैं कि उड़ीसा और बिहार में आयरन ओर और मैंगजीन ओर का भरपूर भंडार है। बिहार और उड़ीसा की सीमा पर नांगल नाम का एक स्थान है जिसमें एम.एम.टी.सी. का डिवीजनल ऑफिस है। उस ऑफिस के जरिए लाखों-लाखों टन आयरन ओर, मैंगनीज ओर प्रोक्योर करके पैरादीप बंदरगाह द्वारा एक्सपोर्ट हो रहा है। इस बीच उस यूनिट को कम करने पर कुछ विचार हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि उस विभाग को डिवीजनल ऑफिस की मान्यता दी जाए और वहां के ऑफिस को उसका स्टेटस पुनः दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : महोदय, नोबल लॉरियट, डा. अमर्त्य सेन, भारत आये हुये हैं। वह बंग्लादेश में ढाका की यात्रा पर गये हुये हैं। भारत सरकार ने उनका भव्य स्वागत करने की योजना बनायी है। डा. अमर्त्य सेन ने वर्तमान वित्त मंत्री और भारत सरकार से आर्थिक नीतियों पर विचार विनिमय की इच्छा व्यक्त की है किन्तु भारत सरकार अभी तक इस मामले पर चुप है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर कुछ कदम उठाये और जितना शीघ्र संभव हो सके, भारत के इस महान सपूत के साथ विस्तृत चर्चा करे।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन डा. अम्बेडकर फाउंडेशन के शासी निकाय और सामान्य निकाय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये है, जैसे फाउंडेशन के प्रभावी कार्यकरण के लिये सदस्य सचिव के नियमित पद का सृजन, फाउंडेशन के लिये स्टॉफ कार की खरीद, फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिये दो दर्जन से अधिक नियमित पदों का सृजन, डा. अम्बेडकर मेमोरियल कम्युनिटी हालों का निर्माण, बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन वृत्त सीरीज का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद और प्रकाशन, बाबा साहेब के जीवन और उद्देश्यों से संबंधित टी.वी. फिल्म का निर्माण, डा. अम्बेडकर फाउंडेशन और डा. अम्बेडकर अनुसंधान प्रकोष्ठ के निदेशक को पर्याप्त अधिकार देना ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : आर.एस.एस. वालों ने पांञ्चजन्य में उनके खिलाफ आर्टिकल छापा है, आर.एस.एस. वाले उनका विरोध कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ये लोग श्री अमर्त्य सेन का विरोध कर रहे हैं, ये क्या उनका ऑनर करेंगे। ...*(व्यवधान)* पांञ्चजन्य में आपने गलत आर्टिकल छापे हैं, उसमें उनका विरोध किया है। आप पांञ्चजन्य मंगाकर पढ़िये न, आपका आफिस है, आप कम से कम पता तो करिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण के लिये 26, अलीपुर रोड वाले बंगले की खरीद के लिये 7.12 करोड़ की राशि दी है। लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

20 जनपथ, नई दिल्ली में डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के संबंध में, अंबेडकर फाउंडेशन को पांच बंगले आवंटित किए गए हैं, किन्तु ये बंगले अभी तक फाउंडेशन को नहीं सौपे गये हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये 90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंबेडकर फाउंडेशन के साथ एक अछूत की तरह व्यवहार कर रहा है। मेरा यह अनुरोध है कि बाबा साहेब के पवित्र विचारों के प्रचार-प्रसार के लिये मंत्रालय डा. अम्बेडकर फाउंडेशन के हितों का ध्यान रखे।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : बाबा साहेब से सम्बन्धित संस्थान के सम्बन्ध में यह बड़ा गम्भीर मसला है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस तरफ गम्भीरता से ध्यान दे और उनकी ऐसी अवहेलना न करे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : सभापति महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो अवहेलना की जा रही है, उसके सम्बन्ध में सरकार सोशल

जस्टिस मिनिस्ट्री से कहे कि वह अम्बेडकर फाउंडेशन को अछूत की तरह से ट्रीट करती है, यह नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : अंग्रेजी में समाप्त हुआ तो आप हिन्दी में शुरू हो गये। आपका हो गया।

...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद : सभापति महोदय, आज ही इस सदन में माननीय सदस्य विजय गोयल जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मामले में विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रदेशों में उनके खिलाफ जो गलत काम करने का आरोप लगाया है, उसमें अखबारों का हवाला दिया है।

आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में दो खबर हैं।

''बी.जे.पी. लीडर्स ओपेनली साइड विद रेपिस्ट''

... यह है। दूसरी खबर है,

...जे.पी. एम.एल.सी, हेन्चमेन टेक टू गन्स''

सभापति महोदय : आप अखबार नहीं पढ़े, वे अखबार पढ़ लेंगे।

डा. शकील अहमद : एक गांधीनगर गुजरात का मामला है, दूसरा लखनऊ का मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

डा. शकील अहमद : दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग, भाजपा के पदाधिकारी जो सदन में है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अखबार पढ़ने का अवसर नहीं है।

डा. शकील अहमद : उनके पक्ष में लिखकर दिया है और यह गलत है। ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। यह आज का अखबार है ...*(व्यवधान)* ये बयान दे रहे थे, ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : इन्होंने बलात्कार करके तंदूर में जलाया। आप पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : सभापति महोदय, मैसर्स स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड, नया कविनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का अधिग्रहण 1998 में एन.टी.सी. द्वारा किया गया था और 1996-97 में मैसर्स स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड अच्छा मुनाफा कमा रही थी, परन्तु 1997-98 से एन.टी.सी. के पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों के कुप्रबन्ध के कारण अब तक यह लगभग आठ करोड़ के घाटे में चली गई है। अब इसके प्रबन्धकों द्वारा कुप्रबन्ध एवं मजदूर विरोधी नीतियों के कारण इसको बीमार घोषित कर इसे बन्द कर दिया गया है। जिसके कारण इसमें कार्यरत लगभग 600 कर्मचारियों एवं इनके परिवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। यह प्लांट आज भी यहां के कर्मचारियों की वार्षिक क्षमता 1200 मीट्रिक टन से भी अधिक का उत्पादन करने को तैयार है और इस कम्पनी का लगभग 7.8 करोड़ रुपया एन.टी.सी. तथा इसकी सहयोगी मिलों पर बकाया है। उस फैक्टरी को सितम्बर, 1998 को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 600 कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। मेरा आपके माध्यम से टैक्सटाइल मंत्री जी से अनुरोध है कि स्वदेशी पोलीटैक्स लि. मिल्स को चालू करवाएं और जो मैनेजमैंट में भ्रष्टाचार है, उसकी सी.बी.आई. से जांच करवाएं तथा उस मिल का प्रबंधन अच्छे और ईमानदार प्रबंधकों के हाथ में सौंपा जाए।

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : स्वदेशी कॉटन मिल नैनी का मामला है।

सभापति महोदय : खुराना जी को लिखकर दे दें।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : सभापति महोदय, इस समय आवास कार्यक्रम देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है और भारत सरकार इस कार्यक्रम के लिये पैसा दे रही है। इस कार्यक्रम का संचालन इंदिरा आवास योजना, सामान्य आवास कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न नामों से हो रहा है। दिल्ली से राज्यों को धनराशि दी जा रही है और राज्य सरकारें इस कार्यक्रम की संचालन एजेंसियां हैं। कई राज्यों में लाभभोगियों के चयन का अधिकार विधायकों को होता है, संसद सदस्यों को नहीं। संसद सदस्यों की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहां तक कि कुछ उचित मामलों में भी संसद सदस्यों की सिफारिशों की पूर्णतया अवहेलना की जाती है।

महोदय, पिछली लोक सभा में 350 संसद सदस्यों ने, जिनमें वर्तमान प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, भारत सरकार से संसद सदस्यों के अनुरोधों पर भी विचार करने हेतु निवेदन किया था। किन्तु उन दिनों इस पर विचार नहीं किया गया था। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री, श्री मदनलाल खुराना से यह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में संसद सदस्यों के निवेदनों पर भी विचार करें। यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन नहीं है। यह बारहवीं लोक सभा के सभी सदस्यों का निवेदन है। मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें और यह देखें कि लाभभोगियों के चयन में संसद सदस्यों की सिफारिश भी मानी जाए।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करते समय हावेरी, जो कि एक जिला मुख्यालय है, में एक निचले रेल पुल का निर्माण किया गया था। लेकिन ठेकेदार की बदमाशी के कारण पुल का निर्माण डिजाइन के अनुसार नहीं किया गया है। उस पुल के नीचे से लोगों का निकलना संभव नहीं है। यह पुल राजमार्ग पर है और इसके अन्दर से वाहन भी सामान्य रूप से नहीं निकल पा रहे हैं। उस पुल का एक भाग खतरनाक है जिससे उनके नीचे से लोग नहीं गुजर सकते। यहां तक ए.पी.एम.सी. यार्ड जो कि उसके सामने है, में जाने के लिये लोगों को रेलवे स्टेशन से जाने के लिये रेलवे अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है। अत:, मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह या तो दोष पूर्ण पुल की मरम्मत कराने अथवा नया पुल बनवाने के लिये तत्काल कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की राय हो तो विधायी कार्य लिया जाए।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मुझे कब मौका देंगे? मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी।

सभापति महोदय : आपकी जो कोल एंड शकधर की क्लाज है, माननीय अध्यक्ष को दिखा दें।

प्रो. अजित कुमार मेहता : उसमें कहा गया है कि किसी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है तो वह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। इसके बारे में मैंने आपको सूचना दी है। इस पर शीघ्र से शीघ्र फैसला किया जाए। बिहार में सी.बी.आई. की डेजीग्नेटेड कोर्ट ने संसद सदस्य लालू प्रसाद जी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। वह विशेषाधिकार हनन का मामला है। उसे शीघ्र से शीघ्र विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

अपराह्न 1.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.39 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.39 बजे पर पुनः समवेत हुई।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए***]**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। अब विधायी कार्य लिए जायेगें।

संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधायें) विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति महोदय, कल मैंने इस सदन में संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधायें) विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया था। इस विधेयक में संसद के दोनों सदनों में मान्यता प्राप्त दलों और राजनैतिक समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को अतिरिक्त सैक्रेटेरियल और टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये सुविधायें इस समय उनको सांसद के रूप में संबंधित कानून के तहत मिल रही सुविधाओं के अलावा होंगी।

राजनैतिक दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को नए कानून के तहत बाद में अधिसूचित किया जाएगा। ये सुविधाएं इस प्रकार होंगी:-

> ''एक आशुलिपिक जो ग्रेड-3 निजी सचिव के स्तर का होगा। कार्यालय और निवास के टेलीफोनों पर कुल मिला कर प्रतिवर्ष मुफ्त 10,000 स्थानीय काल की सुविधा। ये काल उन्हें संसद सदस्य के रूप में उपलब्ध निशुल्क काल के अलावा होंगी। उपरोक्त दोनों सुविधाएं राजनैतिक दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को तब तक मिलती रहेंगी जब तक वे अपने पदों पर रहेंगे।''

[श्री मदन लाल खुराना]

[हिन्दी]

सदन इस बात से सहमत होगा कि संसदीय व्यवस्था का सुचारू संचालन बहुत हद तक पार्टी मशीनरी की दक्षता पर निर्भर करता है। राजनैतिक दलों के नेता और मुख्य सचेतक संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में अपने दलों के काम-काज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही 1994 में बंगलौर में आयोजित 11वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि संसद और राज्य विधानमंडलों में मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों के मुख्य सचेतकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे वे अपने संसदीय दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वाह कर सकें।

वास्तव में देखा जाए तो यह सिफारिश अभी तक कई अखिल भारतीय मुख्य सचेतक सम्मेलनों द्वारा की जा चुकी है कार्रवाई पैंडिंग रही है। श्रीमान् मुझे याद है कि दिल्ली महानगर परिषद में मुख्य सचेतक था तो मुझे सचेतक सम्मेलनों में भाग लेने का मौका मिला था। इसमें मुख्य सचेतकों को इसी तरह की सुविधाएं देने की मांग की गई थी। बाद के सम्मेलनों में इस तरह की मांग उठाई जाती रही। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से संतोष की बात है कि हम 31 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन इन सिफारिशों को इस विधेयक के माध्यम से लागू किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इस सदन के सम्मुख यह विधेयक लाते हुए मुझे खुशी हो रही है।

मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी इस बिल के पास हो जाने के बाद हमारे इस कदम का अनुसरण करते हुए अपने विधान मंडलों में भी इसी तरह का विधेयक लाएगी ताकि राजनैतिक दलों के मुख्य सचेतकों और नेताओं को अपने दायित्वों के निर्वाह में संसद के अनुरूप ही सहायता मिल सके।

श्रीमान्, हमारा यह प्रयास पर्याप्त न हो लेकिन हमने सही दिशा में पहल की है। श्रीमान्, यह एक छोटा, साधारण और गैर विवादास्पद विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों का इसे समर्थन मिलेगा, इन शब्दों के साथ मैं सदन के सामने यह विधेयक रखता हूं और आशा करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को सुविधाएं देने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : महोदय, इसे पास करा दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मुझे दो लफ्ज बोलने की इजाजत दी जाए। बिल तो अच्छा है, हम सब इसका खैर मकदम करेंगे, इसका वेलकम करेंगे। इंशा अल्लाह यह युनेनिमसली ही पास हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात की तरफ हुकूमत की तवज्जोह दिलानी है, यहां पर बहुत छोटी-छोटी पार्टियां भी हैं लेकिन वे भी अपना अहम् मुकाम और महत्व मुकाम रखती हैं। अब वे छोटी पार्टियां तो इस बिल के अंदर आ नहीं पाती लेकिन कुछ न कुछ गौर हुकूमत को करना चाहिए कि कम से कम उनको भी कोई न कोई सहूलियत यहां मिले ताकि वे अपने काम को अच्छे तौर पर कर सकें। होना तो यह चाहिए कि यह सहूलियत तमाम एम.पीज़ को मिलनी चाहिए ताकि वे अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकें, लेकिन जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं और जो इस बिल के स्कोप में नहीं आती है उनकी भी जरूरतों को ख्याल में रखा जाए तो यह एक अच्छा कदम होगा। पार्लियामेंट्री मेटर्स में सहूलियतों का जिक्र करना शायद मुनासिब न रहे लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इधर एक नोटिस आफिस है। लेकिन कितना छोटा है। पार्लियामेंट की अपनी दुशवारियां हैं और इधर बैठकर काम करना दुशवार हो जाता है। फिर कोई जगह तलाश करते फिरते हैं। कभी लाइब्रेरी के एक हिस्से में घुसते हैं कभी दूसरे में। मैं जिस सहूलियत के बारे में बात कर रहा हूं वह छोटी-छोटी पार्टियों के लिए काम करने की सहूलियत है। इसलिए इन छोटी-छोटी पार्टियों के लिए ऐसा कोई इंतजाम आपकी तरफ से हो कि इत्मीनान से बैठकर ये पार्टियां अपना काम कर सकें। एक छोटे से नोटिस ऑफिस में बैठकर अपने कागजात लिए जल्दी-जल्दी अपना काम करें और किसी से बात भी करें, यह सिंसेअर तौर पर कुछ मुनासिब बात नहीं है। इसलिए इन दुशवारियों की तरफ भी आप तवज्जोह दें। आपने जो सहूलियतें अभी फ़राहम करने की बात की है, मैं उस पर आपको मुबारकबाद देता हूं,

धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही साथ आपसे यह उम्मीद करता हूं कि छोटी-छोटी पार्टियों को और हमारे एम.पीज को भी कोई जगह मिलेगी, जिससे वे अपने कामों को अंजाम दे सकें।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : جناب، مجھے دو لفظ بولنے کی اجازت دی جائے۔ بل تو اچھا ہے، ہم سب اسکا خیر مقدم کریں گے، اسکا ویلکم کریں گے۔ انشاءاللہ یہ بل متفقہ طور پر ہی پاس ہو جائیگا۔ مجھے صرف ایک بات کی طرف حکومت کی توجہ دلانی ہے، یہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں لیکن وہ بھی اپنا اہم مقام اور مہتور رکھتی ہیں۔ اب وہ چھوٹی پارٹیاں تو اس بل کے اندر آ نہیں پاتیں لیکن کچھ نہ کچھ غور حکومت کو کرنا چاہیئے کہ کم سے کم انکو بھی کوئی نہ کوئی سہولیت یہاں ملے تاکہ وہ اپنے کام کو اچھے طور پر کر سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیئے کہ یہ سہولیت تمام ایم۔پیز۔ کو ملنی چاہیئے تاکہ وہ اپنے کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور جو اس بل کے اسکوپ میں نہیں آتی ہیں انکی بھی ضرورتوں کو خیال میں رکھا جائے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ پارلیمنٹری میٹرس میں سہولتوں کا ذکر کرنا شاید مناسب نہ رہے لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر ایک نوٹس آفس ہے۔ لیکن کتنا چھوٹا ہے۔ پارلیمنٹ کی اپنی دشواریاں ہیں اور ادھر بیٹھ کر کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کبھی لائبریری کے ایک حصے میں گھستے ہیں کبھی دوسرے میں۔ میں جس سہولیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کیلئے کام کرنے کی سہولیت ہے۔ اسلئے اب چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کیلئے ایسا کوئی انتظام آپ کی طرف سے ہو کہ اطمینان سے بیٹھ کر یہ پارٹیاں اپنا کام کر سکیں۔ ایک چھوٹے سے نوٹس آفس میں بیٹھ کر اپنے کاغذات لئے جلدی جلدی اپنا کام کریں اور کسی سے بات بھی کریں، یہ پر کچھ مناسب بات نہیں ہے۔ اسلئے ان دشواریوں کی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ آپ نے جو سہولتیں ابھی فراہم کرنے کی بات کی ہے، میں اس پر آپکو مبارکباد دیتا ہوں، دھنیہ واد دیتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ اُمید کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اور ہمارے ایم۔پیز۔ کو بھی کوئی جگہ ملیگی، جس سے وہ اپنے کاموں کو انجام دے سکیں۔ شکریہ۔

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : श्रीमान सभापति, महोदय, विधेयक में प्रस्तावित सुविधाएं निश्चित रूप से सचेतकों की सहायता करेंगी और उनके काम को आसान बनाएगी। जैसा कि मैं समझता हूं, इस सभा में केवल तीन दलों भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई(एम) को ये सुविधाएं मिलेंगी।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि कम से कम उन राष्ट्रीय दलों जो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त हैं, और यहां उपस्थित हैं, को भी ये न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मैं यह बताना चाहूंगा कि भाजपा, कांग्रेस और हमारे साथी दल सीपीआई(एम) को इस संसद भवन में पहले ही कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। उनके कुछ सदस्य विभिन्न स्थायी समितियों और संसदीय समितियों के सभापति हैं और उन्हें कार्यालय, यथा आवश्यक न्यूनतम स्टाफ और दूरभाष की सुविधा प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश सीपीआई में हम केवल नौ सदस्य हैं। ऐसे दलों, जिनकी सदस्य संख्या हमारे से भी कम है, को सभापति पद दिया गया है और उन्हें इस कार्यालय में सुविधाएं भी मिली हुई हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं और न ही मैं इसे अध्यक्ष महोदय की गलती बता रहा हूं।

किसी न किसी प्रकार से उन पार्टियों, जिनकी सदस्य संख्या नौ से कम है, को अन्य सभी सुविधाएं मिली हुई हैं और इन सुविधाओं के साथ उन्हें किसी न किसी संसदीय समिति का सभापति पद भी मिला हुआ है। मैं जानता हूं कि हमें इस संसद भवन में इन सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया है। इस संसद में कार्यालय में दूरभाष की न्यूनतम सुविधा एक दल के लिए कार्य करने हेतु नितांत आवश्यक है और मैं यह नहीं मानता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री सभा की कार्यवाही को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने में हमारे काम के बारे में कोई शिकायत करेंगे। ....*(व्यवधान)*

कृपया बाधा न डालें। हम कभी बाधा नहीं डालते हैं। हम सभा की कार्यवाही को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहायता कर रहे हैं।

हमें इन सुविधाओं और यहां एक कार्यालय देने से वंचित रखा गया है। हमें सभापति पद से भी वंचित रखा गया है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि यदि आप संसद भवन में देश भर में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को ये न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करें तो यह न्यायोचित होगा। अन्यथा, हम इन तीन दलों को ये सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं। हमें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है किंतु केवल भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई(एम) को ही ये सुविधाएं देना न्यायोचित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा। इसका समर्थन करते समय, मैं केरल विधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह न्यायालयों की वर्तमान

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

प्रवृत्ति के बारे में है जो सभा के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर रही है। संविधान में स्पष्ट रूप से यह दिया हुआ है कि सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित मामलों में हम सर्वोच्च हैं। न्यायालयों को उन मामलों मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय का अधिकार एक विशेष विधान के अधीन दिए गए निर्णयों की वैधता या उसके विपरीत निर्णय लेना होता है। वे हमारे द्वारा पारित विधानों की संवीक्षा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वे अधिकार बाह्य हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। किंतु जहां तक प्रक्रिया संबंधी मामलों का संबंध है, सभा सर्वोच्च है। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इस संबंध में हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है।

अब, मैं अपने राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में लिए गए दो निर्णयों के संबंध में यहां पर कुछ कहने के लिए विवश हूं। हम न्यायालय का आदर करते हैं। हम न्यायिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी सराहना करते हैं। इन मामलों में हमारी राय अलग नहीं है। न्यायालय के ... जा सकता है। हम न्यायालय के साथ ... हैं। किंतु न्यायालयों को यह महसूस करना चाहिए कि यह निर्णय हमें करना है कि किन मामलों पर हमें यहां चर्चा करनी चाहिए और ऐसे निर्णय लेने में हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए।

हमें कुछ प्रक्रिया संबंधी मामलों पर निर्णय करना है। मैं आग्रह करूंगा कि यदि सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो न्यायालयों का काम यह देखना नहीं है कि वे सही हैं या गलत। अब यह प्रवृत्ति हो गई है कि हमें एक खास सदस्य को रेल संबंधी रियायत देने हेतु एक विधान लाना होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम एक खास सदस्य को एक पेंसिल या पेन या बैग देने के लिए विधान दर विधान पारित कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। अतः प्रक्रिया संबंधी मामलों में हम सर्वोच्च हैं और न्यायालयों का काम हमें निर्देश देना नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं समाप्त कर रहा हूं। न्यायालयों का काम हमें यह निर्देश देना नहीं है कि हमें एक रजिस्टर रखना चाहिए, हमें एक विशेष पत्र पर यह प्रकाशित करना चाहिए कि हमने किन व्यक्तियों को कूपन जारी किए हैं। हम न्यायालयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रजिस्टर नहीं रख सकते। यह बहुत ज्यादा है। हम उस प्रस्ताव को नहीं मान सकते। अतः मैं आग्रह करूंगा कि इस स्तर पर इस प्रवृत्ति की निंदा की जानी चाहिए। अन्यथा, जनहित संबंधी मुकदमे आने लगेंगे और हम भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से तंग आ जाएंगे। हम यह सहन नहीं कर सकते। अतः प्रक्रिया संबंधी मामलों के संबंध में हमारा एक बहुत निश्चित मत होना चाहिए कि सभा सर्वोच्च है। हम किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय का दबाव नहीं मानेंगे।

इससे पहले, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। अनेक छोटे दल हैं। वर्तमान व्यवस्था में वे दल एक भूमिका अदा करते हैं। उन छोटे दलों को सुविधाएं प्रदान करने की पहचान की जानी चाहिए। चाहे वे पंजीकरण नियमों के अधीन नहीं आते हों फिर भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं।

भारत में संसदीय प्रजातंत्र के उचित कार्यकरण हेतु यह जरूरी है। हम उन छोटे दलों के योगदान की अनदेखी नहीं कर सकते जिनके पांच या छह सदस्य हैं। हमें उनको कोई पहचान देनी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे छोटे दलों को भी कुछ लाभ देने हेतु कुछ प्रावधान करें।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं समझ रहा था कि दुनिया भर की सारी बातें इस बिल के मुताल्लिक कह दी जायेंगी। मैं इस पर अधिक नहीं बोलना चाहता। चूंकि जनता पार्टी का व्हिप रहते हुए मुझे कठिनाई का अनुभव हुआ है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कठिनाइयों को समझा और इस विधेयक को सदन में लाये। परंतु मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन कठिनाइयों की ओर इशारा किया है, उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसद में किसी पार्टी को इतनी जगह नहीं दी गई है कि उसके सारे सदस्य एक स्थान पर बैठकर काम कर सकें। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि संसद भवन में संभव हो तो अच्छा है, अन्यथा एनेक्सी में एक ऐसा हाल बनाया जाए जहां संसद सदस्य बैठकर अपना संसदीय कार्य कर सकें। वहां उनके लिए कपबोर्ड की भी व्यवस्था हो, जिससे कि वे अपने कागज आदि रख सकें और छोटी-छोटी पार्टियों के लिए यदि संभव हो तो एक दूसरा हॉल दे दिया जाए और उनके लिए अलग-अलग टेबिल निर्धारित कर दी जाएं, जहां वे अपने संसदीय कार्य को अंजाम दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, संसद में लोकशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व तीन सदस्य करते हैं और इस सभा में हमें कोई सुविधा नहीं है। अतः, जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष द्वारा हमें भी कुछ सुविधाएं दी जाएं। इस संबंध में कोई विधेयक पारित करने के बजाय, माननीय अध्यक्ष को कुछ अधिकार होने चाहिए जो इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि इस प्रकार का कोई अधिनियम बन जाता है, तो न्यायालय भी बीच में आ जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष के पास अधिकार होना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन कर सकें और सुविधाएं दे सकें। यदि इसे एक अधिनियम बनाया जाता है, तो न्यायालय को भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

महोदय, अन्त में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि संसद में छोटी पार्टियों को भी समुचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : महोदय, ऐसा लगता है कि शुक्रवार को अपराह्न में सभी लोगों को विधेयक पारित करने की जल्दी होती है और संसदीय कार्य मंत्री भी शायद यही सोचते हैं कि इस विधेयक पर हम चर्चा क्यों करें और इसे केवल पारित कर लिया जाए और यहां सदस्य भी इस बारे में कुछ ध्यान नहीं देते हैं।

महोदय, परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने में मुख्य सचेतक अथवा अन्य किसी को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में निर्णय करने में, बाहरी लोगों पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि यह सभा उनके वेतन और भत्तों से संबंधित प्रत्येक मामलों को पारित करने में संगठित है और जल्दी में है जबकि पार्टियों में आपस में विरोध होता है, आपस में लड़ती रहती हैं अध्यक्ष के आसन के पास आती रहती हैं और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। बाहर के लोगों पर इस प्रकार का प्रभाव नहीं जाना चाहिएं। सभी पार्टियों को सभा में अधिक समय न लेने के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं और सभा की अन्य कार्यवाही भी चलने देनी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री खुराना जी द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक की प्रशंसा करता हूं परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक और भी अच्छा हो सकता था। इस विधान को लाने के पीछे एक इतिहास है। श्री खुराना जी ने इस विधेयक में हाल ही में हुए मुख्य सचेतकों के सम्मेलन की सिफारिशों को शामिल करने के बारे में उल्लेख किया है परन्तु मुख्य सचेतकों के दो-तीन सम्मेलनों में सचेतकों को संसद में अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको दी जानी वाली सुविधाओं के बारे में व्यापक चर्चा की गई थी।

अपराह्न 3.00 बजे

भारत विश्व में सबसे बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक महंगी प्रक्रिया भी है। संसद में एक घंटे के लिए 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। लेकिन इस गरीब देश के लिए यह हमारी सबसे महंगी प्रक्रिया है। यद्यपि यह लोगों के लिए होता है, फिर भी इसको सहन करना बहुत कठिन होगा. लेकिन हम इस ऐशोआराम से अलग भी नहीं हो सकते क्योंकि लोकतंत्र का यही जीवन है और यही उसकी आत्मा है। सचेतकों को कुछ सुविधाएं दी जानी हैं। श्री मदन लाल खुराना जी ने इस विधेयक में क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि कुछ अतिरिक्त टेलीफोन सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि कितनी। जो कुछ भी इस विधेयक में दिया गया है वह सचेतकों के सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें वृद्धि की जाए। मैं यह सुझाव नहीं दे सकता।

सचेतकों के सम्मेलन में कुछ अन्य बातों का भी प्रस्ताव किया गया था। आप सचेतकों को वाहन सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप वैयक्तिक सहायकों और चपरासियों के कुछ अतिरिक्त पद दे रहे हैं। संसदीय समिति के सभापति को क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं? यदि आप देखें कि किसी सचेतक को कैबिनेट का दर्जा अथवा राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो प्रत्येक सुविधाएं स्वतः ही उसके अनुरूप हो जायेगी। हम धीरे-धीरे कानून बना रहे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री पर दोष रोपण नहीं कर रहा हूं। उन्होंने अन्य पार्टियों के नेताओं से भी चर्चा की होगी। विभिन्न मुद्दे सामने आए हैं और हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

यह विधान ओर भी अच्छा हो सकता है। हम बार-बार ऐसा विधान नहीं ला सकते। कल आप एक कार दे देंगे। परसों आप एस.टी.डी. की सुविधा दे देंगे। आप हमारी संसदीय प्रक्रिया देख ही चुके हैं। सभी छोटी पार्टियां संसद में अपनी भूमिका निभा रही है। संसद में एक कक्ष उपलब्ध कराना, अथवा कुर्सी मांगना और संसद में बैठने और लिखने की सुविधा मांगना, इस प्रकार की बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार की अथवा संसद की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि सभी पार्टियों को

[श्री पी.सी. चाक्को]

ये सुविधाएं दी जाएं। मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक अपूर्ण है। श्री मदनलाल खुराना जी के लिए अभी भी समय है कि वह यह सुझाव देते हुए संशोधन लाएं कि सचेतकों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। स्वत: ही उनको अन्य सारी सुविधाएं मिल जायेंगी। आप संभवत: बहुत धीरे-धीरे ऐसा कार्य कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, तीन बज गए हैं। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस का समय हो गया है। वह प्रारंभ होना चाहिए। यदि आप इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं, तो सभा की राय लेकर समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यदि [illegible] हो, तो कुछ मिनट का समय बढ़ाकर इस [illegible] कर दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : अनुमति दी जाती है। इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को : इनमें से कुछ को ठीक किया जा सकता है। मैं यह सुझाव देता हूं।

संसदीय दलों के उप-नेता भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। संभवत: इसको भी सुधारा जा सकता था। धीरे-धीरे ऐसा कानून बनाना अच्छी नहीं है। यह ऐसा विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अंतिम निर्णय के रूप में यह आ रहा है। यह और भी व्यापक हो सकता था। यहां तक कि एक संशोधन करने से ही इसे व्यापक बनाया जा सकता है। मैं यह सुझाव देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, जिस बात की चर्चा संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं और जिस बैठक के बारे में बता रहे हैं, उस बैठक में बंगलौर में मैं भी बिहार सरकार के चीफ व्हिप की हैसियत से शामिल हुआ था। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां चीफ व्हिप को ऐसी सुविधा मिलती है। वहां जो सत्ता और विपक्ष के चीफ व्हिप होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। चूंकि यह संसद बड़ी है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए यहां पर चीफ व्हिप को ज्यादा सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उस समय हमें इस बारे में जानकर बहुत ताज्जुब हुआ कि यहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, माननीय चाक्को जी ने जिन बातों की चर्चा की है, उन बातों के साथ मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए उनका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ व्हिप को मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने से सारी सुविधाएं अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर देते हैं, तो फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनको कितने टेलीफोन कॉल फ्री होंगे। कहीं उनका दफ्तर होगा और उनके लिए दफ्तर देना अनिवार्य होगा। चीफ व्हिप्स का ऐसा काम है जो पयादों से फर्जी भयो, तिरछे-तिरछे जात। जब आपके सदन में कोरम पूरा नहीं होता है तो जो सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप होते है, वह परेशान हो जाते हैं। उनको सैंट्रल हाल या बाहर आदि जाकर अपने मैम्बरों को लाना पड़ता है। उनके पास कितनी चिट्ठियां आती हैं और उसका जवाब भी देना पड़ता है इन सारी बातों की कठिनाइयों को आप देखें। जैसा हमारे अन्य साथियों ने कहा है कि जो छोटे दल हैं, उसके साथ भी यही कठिनाई है। उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मगर जो बिल आप लाये हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा आपने अपने बयान में कहा कि कई वर्षों के बाद इस बिल को आप लाये हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विलम्ब हुआ लेकिन विलम्ब होने के बाद भी सही हुआ। जब आप इसकी नियमावली बनायेंगे तब आप इन बातों की चर्चा उसमें जरूर करिये कि जो भी छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए भी विशेष सुविधा प्राप्त हो और किसी पर यह बंदिश लगाने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी इतनी ही कॉल्स होंगी। जिस तरह से सभी मिनिस्टर्स को टेलीफोन की सभी कॉल्स फ्री हैं, उसी तरह से उनकी भी सभी कॉल्स फ्री हों। जिस तरह से मिनिस्टर्स को कितने पी.एस., कितने पी.ए. या चपरासी देने का मापदंड बना हुआ है, वैसे ही वे सब सुविधायें उनको भी मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मैंने माननीय सदस्यों के कई सुझाव सुने हैं। मैंने यह क्लेम नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़ी सुविधायें लेकर आया हूं। यह एक हम्बल शुरूआत है। 11वीं और 12वीं व्हिप कांफ्रेस के अंदर जो सिफारिशें हुई, वे मेरे

सामने हैं। 11वीं ऑल इंडिया चीफ व्हिप्स जनवरी 1994 को बंगलौर में हुई थी–

[अनुवाद]

"जनवरी, 1994 में बंगलौर में आयोजित 11वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई:–

"संसद और राज्य विधानमण्डलों में मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों के मुख्य सचेतकों को सांविधिक मान्यता देकर सचिवालयीय सहायता, टेलीफोन सुविधा और विधान मंडल परिसर में कार्यालय-स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए।"

"21 अगस्त और 22 अगस्त 1997 को श्रीनगर में आयोजित 12वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में सचेतकों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आगे विचार-विमर्श हुआ।"

[हिन्दी]

उन्होंने इन मुख्य सुविधाओं के बारे में कहा था। अभी कमरों की बात उठी। पार्लियामैंट में जो कमरे हैं, वे सामने हैं। आज स्थिति यह है कि हम मिनिस्टर्स को भी पूरे कमरें नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारे इन्द्रजीत गप्ता की अध्यक्षता में इलेक्शन रिफार्म्स के बारे में कमेटी बनी थी। उसके लिए एक कमरे की आवश्यकता थी। मैंने एनेक्सी मे जो मेरा कमरा था, मिनिस्टर का कमरा है, वह मैंने आपको दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मुझे नहीं मालूम था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन लाल खुराना : मैं यह कह रहा हूं कि जो नयी बिल्डिंग बन रही है, उसमें जब व्यवस्था पूरी होगी तो उसमें देखा जायेगा। अभी जैसे डिप्टी लीडर का सुझाव आया है क्योंकि जो रिकमेंडेशन्स थी, वे केवल चीफ व्हिप्स और लीडर के बारे में थी। अब डिप्टी लीडर का मामला सामने आया है। जिस समय यह रूल्स बनेंगे, उसमें डिप्टी लीडर का मामला तो नहीं आ पायेगा लेकिन रुम्स के बारे है या कुछ और चीजों के बारे में है, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा। आपसे निवेदन है कि यह एक हम्बल प्रारंभ है। इसका फायदा यह होगा कि बाकी स्टेट्स भी कर सकती है। हम जब भी उनसे कहते थे तो वह कहते थे कि पहले पार्लियामैंट तो पास करें, उसके बाद और स्टेट्स करेंगी। जब पार्लियामैंट पास करेंगी तो स्टेट्स में भी प्रारंभ होगा। उसके बाद जो अनुभव आयेंगे, उसको हम और इम्प्रूव करते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : मेरा निवेदन है कि जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, उनको आप दें।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीय पार्टियां काफी है। ...*(व्यवधान)* अभी कमरा नहीं है। हम ऐसे ही नहीं पास करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को सुविधाएं प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, कल बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हुआ था कि यह पहले से सूचित कर दें कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस का समय खत्म होने के बाद रेलवे बजट की सप्लीमैंट्री ग्रांट्स ली जाएंगी और उसे आज ही समाप्त करना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस के बाद हाफ ऐन आवर डिस्कशन भी है।

श्री मदन लाल खुराना : ठीक है, छः बजे के बाद रेलवे की ग्रांट्स शुरू हो जाएंगी।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : इन्होंने तो एक मिनिस्टर का रेलवे का पास कैंसिल करवा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पिटीशन कर दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

न सलाउद्दीन ओवेसी – उपस्थित नहीं हैं।

अपराह्न 3.12 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 151क से 151ग तक का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खंड 2 दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.12½ बजे

कीमत नियंत्रण विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि समस्त उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के अवधारण के प्रयोजन के लिए एक आयोग का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि समस्त उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के अवधारण के प्रयोजन के लिए एक आयोग का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.13 बजे

प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.14 बजे

गौ-वध पर पाबंदी विधेयक*

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ और गोवंश के वध का प्रतिषेध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि गौ और गोवंश के वध का प्रतिषेध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न $3.14^1/_2$ बजे

महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों की संरक्षा विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों की संरक्षा और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों की संरक्षा और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.15 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 198 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री के.सी. कोंडय्या (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.सी. कोंडय्या : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.15½ बजे

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती सुखदा मिश्र (इटावा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.16 बजे

संविधान संशोधन विधेयक*

(उद्देशिका का संशोधन आदि)

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.16½ बजे

राष्ट्रीय उपवन विधेयक*

[अनुवाद]

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय उपवनों की स्थापना और नियंत्रण तथा उनसे संबद्ध मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय उपवनों की स्थापना और नियंत्रण तथा उनसे संबद्ध मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.17 बजे

पर्यटन संवर्धन विधेयक*

[अनुवाद]

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में पर्यटन संवर्धन की दृष्टि से उपाय करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में पर्यटन संवर्धन की दृष्टि से उपाय करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.18 बजे

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक*

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के बीच नदियों के समान जल के बंटवारे के लिए अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुपंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राज्यों के बीच नदियों के समान जल के बंटवारे के लिए अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.19 बजे

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक*

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है:

"कि देश में व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.20 बजे

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है:

"कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई. अहमद : महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.21 बजे

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निधि स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निधि स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.22 बजे

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.23 बजे

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक – *जारी*

(धारा 16 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा मद संख्या 24 को लेगी। श्री वारकला राधाकृष्णन।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि विद्यमान भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 में अनेक त्रुटियां हैं। मेरी पहली बात भूमि अधिग्रहण हेतु दिए गए मुआवजे के बारे में है। मुआवजा दिए जाने सम्बन्धी निर्णय में काफी विलम्ब होता है। अब, इसके लिए कलैक्टर सक्षम अधिकारी है और वहां अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पूरा करने में कई महीने और यहां तक कि कई वर्ष भी लग जाते हैं। फिर, मुआवजे हेतु मामले को सिविल न्यायालय को भेजने में भी अनेक वर्ष लगते हैं। अत:, परिणाम यह होता है कि निर्धन किसान को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उसे सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता और इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। अत:, इस दुर्वह प्रक्रिया से बचना होगा ताकि दु:खी किसानों को उचित समय पर मुआवजा मिल सके। इस प्रयोजन हेतु विद्यमान अधिनियम में उल्लिखित प्रक्रिया को सरल बनाना होगा।

सम्पत्ति में सुधार हेतु दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में भी विलमब होता है। यह राशि सही समय पर नहीं मिलती। यहां तक कि दिए जाने वाले मुआवजे की राशि भी बहुत कम होती है और राजस्व अधिकारी द्वारा तय मुआवजा राशि बाजार

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

मूल्य से भी बहुत कम होती है। इसके परिणामस्वरूप निर्धन किसान को हानि होती है जिसने अपनी संपदा में बहुमूल्य सुधार किए हैं। अत:, इन सभी बातों के संबध में बहुत भारी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का इस शर्त के साथ समर्थन करता हूं कि इसमें उक्त उपबंध किए जाएं।

इसके बाद मैं एक और पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सम्पत्ति का अग्रिम रूप से कब्जा लिए जाने के संबंध में एक प्रावधान है। जब सम्पत्ति का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जाता है, तो सरकार अथवा अधिग्रहण करने वाला प्राधिकरण मुआवजे का भुगतान किए बिना भी सम्पत्ति पर कब्जा कर सकता है। इससे भी कुछ कठिनाईयां होती हैं क्योंकि भूमि का कब्जा लिया जाता है। संविधान राजस्व अधिकारी किसान, अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति छिन जाती है, के प्रति न्याय करने में कोई रुचि नहीं लेते। ऐसी स्थिति निरन्तर नहीं बनी रहनी चाहियें। इसे रोकना होगा।

मैं इस प्रयोजनार्थ एव अन्य सुझाव देना चाहता हूं। जमीन का एक बार अग्रिम कब्जा लेने के पश्चात् इसे कई वर्षों तक बेकार रखा जाता है। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं जहां राजस्व अधिकारियों ने संपत्ति का कब्जा लेने के पश्चात् उस पर 15-20 वर्ष तक कोई सुधार कार्य न करते हुए उसे बेकार रखा। संपत्ति को बेकार अथवा परती रखा जाता है। वहां पर खेती भी संभव नहीं होती है। अंत में भूमि अधिग्रहण अधिकारी यह कह देते हैं कि संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। तब संपत्ति को बिना किसी सुधार कार्य किये इसके मालिक को लौटाना होता है। अत: देरी की इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिये। संपत्ति का अधिग्रहण करने के पश्चात् सरकार अथवा अधिग्रहण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि संपत्ति की आशयित प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। संपत्ति का अग्रिम कब्जा लेने की समय सीमा होनी चाहिये। अग्रिम कब्जा लेकर संपत्ति का अधिग्रहण करने और इसे अनेक वर्षों तक बेकार रखने से पीड़ित व्यक्ति के साथ वास्तव में अन्याय किया जाता है। अत: मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। यह एक अथवा दो वर्ष होनी चाहिये इससे अधिक नहीं। संपत्ति को उस पर कोई कार्य किये बिना इतनी अनिश्चित अवधि तक कब्जे में रखना न केवल किसान-भू-स्वामी के हित के विरुद्ध होगा बल्कि इससे राष्ट्र को भी क्षति होगी, यद्यपि यह सरकार द्वारा ही किया जाता है। किसी भी हालत में, संपत्ति का कब्जा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लिया जाना चाहिये और उस सार्वजनिक प्रयोजन को अल्पावधि में सिद्ध किया जाना चाहिये जिसके बिना प्रक्रिया को लम्बे समय तक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह दूसरा पक्ष है जिसे संबंधित अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिये। अत: वर्तमान कानून में इन मामलों के संबंध में मौजूदा कानून में कुछ संशोधन किये जाने चाहियें।

मुझे ज्ञात है कि नगरपालिका द्वारा भू-संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन नगरपालिका ने उसका कुछ नहीं किया। वे संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं लेते। वे पीड़ित व्यक्ति को धन देने के लिये उसे खजाने तक में जमा नहीं कराते। नगरपालिका अथवा स्थानीय निकाय, जो भी प्रयोज्य हो, काफी समय तक चुप्पी साधे रहते हैं। वे अपेक्षित धनराशि की अदायगी किये बिना संपत्ति को काफी समय तक बेकार रखते है। उससे उस किसान को, जिसकी भूमि अधिगृहीत की जाती है, काफी हानि होती है। अत: ऐसी अनिश्चित स्थिति नहीं होनी चाहिये। किसानों को देश में ऐसी कुछेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: बेहतर यहां होगा कि इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये वर्तमान कानून में ऐसे संशोधन किये जाएं जोकि वर्तमान स्थितियों के अनुकूल हों।

इन टिप्पणियों के साथ मैं अपने साथी द्वारा पुर:स्थापित किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस बात से हर प्रकार से सहमत हूं कि वर्तमान कानून में संशोधन किये जाने चाहियें। उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किये जाना न्यायसंगत और उचित है।

लेकिन मैं विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य की टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। यह टिप्पणी नहीं है।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और संबंधित मंत्री को इन सब मामलों पर विचार कर एक नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में राष्ट्र और किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : सभापति जी, लैण्ड एक्वीज़ीशन ऐक्ट जिसको हम पास करना चाहते हैं, इसकी स्थिति यह है कि इस लैण्ड ऐक्वीज़ीशन ऐक्ट का बहुत दुरुपयोग देश के अंदर हो रहा है। उसका तरीका यह है कि दो तरह का लैण्ड ऐक्वीजीशन मुख्यत: देखा गया है। एक ऑर्डिनेरी प्रोसेस और दूसरा इमरजेन्सी प्रोसेस। इन दो के तहत लिया जाए तो कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिसको आर्डिनेरी प्रोसेस में लिया जाना चाहिए वह इमरजेन्सी प्रोसेस में ले लिया जाता है और जिसे इमरजेन्सी प्रोसेस में लिया जाना चाहिए, वह ऑर्डिनेरी प्रोसेस में ले लिया जाता है।

[श्री हीरा लाल राय]

इसलिए क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन होना चाहिए कि कौन ऑर्डिनेरी प्रोसेस का केस बनता है और कौन सा इमरजेन्सी प्रोसेस का केस बनता है।

दूसरी बात यह है कि जब हम किसी किसान की जमीन लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसका वैल्यूएशन इस तरह से होता है कि इसके पहले जो ज़मीन लिखाई गई है, उसी का पैसा उसको देना पड़ता है, लेकिन जो लोग लैण्ड ऐक्वीज़ीशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके जमीन लेना चाहते हैं, वह चालाकी करते हैं कि एक दो महीने पहले कोई जमीन लिखवा लेते हैं। पैसा तो बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन कम पैसा लिखवाते हैं। नतीजा यह होता है कि वही लिखाया हुआ दाम जमीन का लगता है जो बहुत खतरनाक चीज़ है। इस तरह से लैण्ड ऐक्वीज़ीशन प्रोसेस अच्छी चीज़ है। पब्लिक पर्पसेज़ में इसको ऐक्वायर किया जाता है, लेकिन उसमें धांधली की काफी गुंजाइश रहती है। इसलिए उन ...विचार करते हुए इस बिल को पास करना

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत जी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में संशोधन करने वाला जो विधेयक पेश किया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से जब भी सरकार द्वारा किसी जमीन का अधिग्रहण होता है तो अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता कि वास्तव में हम जिस भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि का अधिग्रहण करने के बाद इसका उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या इस समय जो वर्तमान स्थिति में है, इसमें ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बार बहुत उपजाऊ भूमि जो किसानों के हित में होती है, उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और वर्षों तक उसका उचित मुआवजा गरीब किसानों और काश्तकारों को नहीं मिल पाता है। मैं गोरखपुर की बात करता हूं। वहां पर नदी के किनारे तटबंध बनाने के लिए कुछ जमीनें किसानों की ली गई थी। आज 18-20 वर्ष हो गए हैं परंतु जिन किसानों की जमीन उसमें चली गई थी, उन किसानों को आज तक उसका उचित मुआवजा नहीं मिला। यही स्थिति गोरखपुर में गीडा की है। वहां पर किसानों की जो जमीनें अधिग्रहीत की गई थी, उन जमीनों का उचित मुआवजा न मिलने के कारण सरकार को अरबों रुपये का घाटा हुआ था और साथ-साथ पिछले आठ-दस वर्षों से जो नोएडा की तर्ज पर वहां विकास करने की बात की गई थी, वह भी बेमानी सिद्ध हुई। वहां न तो किसान अपनी खेती कर पा रहे हैं और न ही उस जमीन का उपयोग किसी प्रकार के उद्योग धंधों को लगाने में किया जा रहा है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अक्सर यह होता है कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों और वन में रहने वाले गरीब जनजातीय लोगों का शोषण होता है। उनको सरकार के द्वारा जबरदस्ती उनकी जमीन से हटा दिया जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर इसके संबंध में संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव हमें करना चाहिए, जिससे कि भूमि अधिग्रहण के नाम जो उत्पीड़न और शोषण होता है, वर्षों-वर्षों तक वहां के स्थानीय नागरिकों और गरीब किसानों का शोषण होता है, उनको उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन सभी का यह शोषण और उत्पीड़न बंद होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : महोदय, मैं श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारी अधिनियम पुस्तिका में संभवतः अभी भी कुछ ऐसे कानून हैं जोकि सदियों पुराने हैं। भूमि अर्जन अधिनियम में किया गया संशोधन – मेरे विचार से, जैसा कि मुझे याद है, अंतिम संशोधन 1984 में किया गया था – अधिनियम में व्याप्त कुछ विसंगतियों को दूर करने अथवा अधिनियम में किये जाने वाले सामयिक परिवर्तनों के बारे में था। लेकिन तथ्य यह है कि इस अधिनियम में अभी भी अनेक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है और हमारे जैसे विकासशील समाज में सरकार को विभिन्न कारणों से भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है और जिलाधीश, जिसके पास अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण का अधिकार होता है, अपने स्वैच्छाधिकारों के कारण ऐसा करता है। वास्तव में जब जिलाधीश अथवा किसी अन्य अधिकारी को, चाहे वह कोई भी हो, इतनी अधिक शक्तियां मिल जाती हैं, और जिनकी कोई सीमा नहीं होती तो संभवतः इससे भू-स्वामियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

वास्तव में तथ्य यह है कि यह अब एक षड्यंत्र बन कर रह गया है। हम सब यह जानते हैं कि भूमि का अधिग्रहण सरकारी प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। और आजकल अर्थव्यवस्था में मंदी का रुख होने के कारण भूमि की बिक्री रुक गई है। भूमि का मूल्य भी नहीं बढ़ रहा और आजकल भूमि कोई अधिक आकर्षक चीज नहीं रही। लेकिन तथ्य यह है कि न्यायालयों द्वारा भूमि की तीन अथवा चार गुणा कीमत लगाई जा रही है और मैं संसद में यह नहीं कह सकता कि न्यायालयों में कदाचार अथवा भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि मैं संसद में यह कहता हूं कि शायद न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो यह कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम संबद्ध पक्षों की चालों को जानते हैं कि वकीलों तथा

न्यायालयों के साथ मिलीभगत करके भू-स्वामियों को कई मामलों में अनुचित मुआवजा दिया जा रहा है और भूमि अर्जन के मामले अनेक वकीलों के लिये काफी लाभकारी हो गये हैं।

मैं किसी पर दोषारोषण नहीं कर रहा हूं। लेकिन तथ्य यह है कि न्यायालयों में इस तरह के मामले कई वर्षों से लंबित हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि उचित सीमाओं को पार कर रही है। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि न्यायालयों द्वारा भूमि की तीन अथवा चार गुणा कीमत दी जा रही है जिसे आप कदाचार अथवा उचित कीमत कुछ भी कह सकते हैं और जो कुछ न्यायालयों द्वारा दिया जाता है उसे पावन समझा जाता है और उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जाता। सरकार धन लुटा रही है और अनेक मामलों में यह काफी आकर्षक व्यवसाय बन गया है।

एक अन्य बात यह है कि जैसाकि मेरे माननीय साथी श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि सार्वजनिक प्रयोजन क्या है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वास्तव में कितनी भूमि की आवश्यकता है। इन बातों पर ध्यान दिए बिना ही समूचे क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया जाता है। वास्तव में अनेक मामलों में ऐसा हो रहा है कि सरकार भूमि की सही आवश्यकता पर विचार न करके भूमि अर्जित कर रही है, चाहे यह उद्योगों के लिये हो अथवा किसी सरकारी प्रयोजन के लिये, कितनी भूमि की आवश्यकता है, इस संबंध में प्राथमिक अध्ययन अथवा सही अध्ययन किये बिना समूचे क्षेत्र ही अवरुद्ध कर दिया जाता है। आखिरकार गरीब भू-स्वामी भूमि पर कुछ करना चाहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि समूचा क्षेत्र ही अवरुद्ध कर दिया जाता है। किसी को पता नहीं होता कि कितना समय लगेगा। जहां तक धारा 28क के अन्तर्गत भूमि के न्यूनतम मूल्य का प्रश्न है, मेरे हिसाब से वह संगत बात है क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन अथवा औद्योगिक प्रयोजन हेतु सरकार की भूमि की आवश्यकता पर स्थानीय स्तर पर विचार किया जा सकता है।

किसी विशेष उद्योग अथवा विशेष सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता का भली-भांति पता लगाया जा सकता है। यदि किसी प्रयोजन हेतु 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और यदि समूचा क्षेत्र ही अवरुद्ध कर दिया जाता है तो इससे भू-स्वामी को नुकसान होता है। अनेक मामलों में भू-स्वामी गरीब अथवा पांच सेन्ट अथवा दस सेन्ट का मालिक हो सकता है। अनेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि औद्योगिक क्षेत्र की परिधि में होती है जोकि सदैव संकट की स्थिति में होती है। वे लोग ऐसी भूमि पर कोई सुधार कार्य भी नहीं कर सकते। वे अपनी भूमि पर किसी भवन आदि का निर्माण भी नहीं कर सकते क्योंकि हर समय संकट बना रहता है कि सरकार इसे विस्तार कार्य हेतु अपने कब्जे में ले सकती है। अतः मूलतः यह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतः भूमि अर्जन कार्य को युक्तियुक्त बनाये जाने और इसकी वैज्ञानिक परिभाषा किये जाने की आवश्यकता है। इसीलिए भूमि अर्जन अधिनियम में बहुत संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। संभवतः सरकार द्वारा सभा में संशोधन अधिकारिक रूप से रखना चाहिये था। श्री भगवान शंकर रावत ने उस पुराने नियम को तर्कसंगत बनाने हेतु कुछ अच्छे संशोधन लाने के लिए परिश्रम किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे बहुत से संशोधनों से इस कानून को नवीनतम बनाया जा सकता है और इससे उन त्रुटियों अथवा कमियों को सुधारा जा सकता है जो इस कानून में विद्यमान हैं।

प्रस्तावित संशोधनों में से कुछ निश्चित ही इस कानून को अधिक प्रगतिशील और आधुनिक बना देंगे। अतः इस संकल्प को पारित करने के साथ ही सीमित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः किसी गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प इस सभा में स्वीकार कर लिया जाता है। सरकार यह सोचती है कि यह तो मात्र गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प है जब किसी संकल्प को स्वीकार किया जाता है तो संभवतः सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है। मैं नहीं जानता कि क्या मैं 'अनिवार्य' शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। किन्तु यह सरकार की जिम्मेदारी है और इसे सभा में व्यक्त किये गये विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यहां बिना किसी विवाद के, चर्चा में भग लेने वाले किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि इन प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि अधिनियम में संशोधन की अत्यावश्यकता के प्रति सर्वसम्मति है। अतः एक सदी पुराने इस भूमि अर्जन अधिनियम में बहुत कम संशोधन आये हैं। इसमें केवल एक बार बहुत छोटे संशोधनों के प्रस्ताव किए गए थे।

अब एक गैर-सरकारी सदस्य के रूप में श्री भगवान शंकर रावत द्वारा लाया गया संशोधन इस स्थिति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि इस प्रकार के कानून में किस तरह के और कैसे परिवर्तनों की आवश्यकता है। संभवतः हमारे जैसे समाज में विकासात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये क्योंकि अधिकारियों के पास कुछ अधिकार तो होने चाहिये। अन्यथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक उद्देश्य में टकराव होगा। अतः स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक उद्देश्य अथवा सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता मिलती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में कलेक्टरों के जो अधिकार हैं या फिर संबंधित अधिकारियों के जो

[श्री पी.सी. चाक्को]

अधिकार हैं वे अति आवश्यक हैं। संभवत: उन अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही, ये अधिकार एक उचित सीमा के बाद वैयक्तिक स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाएं। यहां एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरंतर खतरा है और उसे न्याय देर से मिलता है क्योंकि इस संशोधन में ऐसा उल्लेख किया गया है कि यदि इसका प्रयोग दस वर्ष तक नहीं किया गया तो इसे वापस लिया जा सकता है। दस वर्ष भी बहुत लम्बा समय है। अत: दस वर्षों की अवधि में बहुत कुछ हो सकता है। यदि अर्थव्यवस्था अस्थिर दशा में है तो संपत्ति का मूल्य कितना बढ़ सकता है? हमने गत वर्षों में ऐसा देखा है। पांच वर्षों या दस वर्षों की अवधि में संपत्ति का मूल्य तीन या चार गुना बढ़ जाता है। यदि भाजपा सरकार चलती रहे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि संपत्ति की कीमतें कम हो रही हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति समग्र रूप से बिगड़ रही है।

प्रो. **कुरियन** (मवेलीकारा) : मानव जीवन का मूल्य

श्री पी.सी. चाक्को : सभी कुछ बिगड़ रहा है। जैसा कि प्रो. कुरियन ने कहा मानव जीवन का भी मूल्य कम हो रहा है। मैं नहीं जानता कि मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी को इस बात की जानकारी है या नहीं यह खतरा वहां नहीं है क्योंकि यदि सारी भूमि अवरुद्ध कर दी जायेगी तो जब तक आपकी सरकार है तब तक भू-स्वामियों को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन उस स्थिति में जहां अर्थव्यवस्था को एक उचित स्तर तक विकास करना है, वहां भूमि के दाम कई गुना बढ़ेंगे। दो या तीन वर्षों की अवधि में यह सौ या दो सौ प्रतिशत बढ़ जायेंगे। गरीब भू-स्वामियों को हानि पहुंचाते हुये भूमि अवरुद्ध करना एक, बहुत बड़ा अन्याय है। श्री भगवान शंकर रावत ने दस वर्ष के सीमा निर्धारण का सुझाव दिया है। यदि इसका उपयोग नहीं होता है तो कृपया इसे सुधार प्रभारों के साथ वापस भेज दिया जाये। मैं महसूस करता हूं कि इस संबंध में सभी की सामूहिक राय बने और वह यह देखें कि वहां समय सीमा निर्धारित हों। इससे अच्छा संदेश मिलेगा। हमारे समाज और संविधान में वैयक्तिक स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज का हमेशा से एक अतिरिक्त गुण रहा है। वैयक्तिक स्वतंत्रता में सरकार अथवा अधिकारियों के अधिकारों की असीमित तरीके से अवहेलना के अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिये। यह स्थिति नहीं आनी चाहिये और जहां तक इस पहलू का संबंध है मैं इस विधेयक का सच्चे मन से स्वागत करता हूं। यदि सीमा निर्धारण, कुछ और कम करके पांच वर्ष, तीन वर्ष या कोई उपयुक्त अवधि के लिए कर दिया जाता है तो जनता के लिये यह अधिक उपयोगी होगा।

समाज सेवक के रूप में, दिन-प्रतिदिन के जीवन में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां ऐसी बातें हो रही हैं। हमारी वैधिक प्रणाली में यह एक प्रचलित कहावत है कि देर से न्याय मिलना, न्याय न मिलने के बराबर है। यदि पन्द्रह वर्ष के बाद किसी के साथ न्याय किया जाता है तो किसको लाभ होगा? न्याय करने में अत्यधिक विलम्ब होता है। इस प्रकार के सभी मामलों में ऐसा ही हो रहा है। संभवत: ऐसे प्रस्तावित छोटे-छोटे संशोधन सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। सत्तापक्ष के एक बहुत जिम्मेदार सदस्य ने इस प्रस्ताव को पेश किया है। कभी-कभी यदि यह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक होता है और यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को क्या होगा? तब यह सरकार के लिये बाध्यकारी हो जाता है। यह सभी बातें वहां हैं। हमने कार्य प्रणाली को लचीला बना दिया है। अत: सरकार द्वारा इस विधेयक को पारित करने में कोई हानि नहीं है। यदि यह विधेयक सभा के द्वारा पारित किया जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी को हानि होगी। इस सभा की ऐसी परंपरा है कि मंत्री महोदय अनुरोध करते हैं और हम सभी अच्छी भावना से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम विधेयक वापस लेते हैं और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। यदि सरकार यह गारंटी दे कि सरकार व्यापक कानून लाने जा रही है तब हम समझ सकते हैं। अन्यथा इस विधेयक का यदि एक कदम भी आगे बढ़ाने की दिशा में है और यह कदम प्रशंसनीय भी है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिये और मैं यह महसूस करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, जिसमें अनेकों संशोधनों की आवश्यकता है, की दिशा में यह एक बढ़ा हुआ कदम है। यह भू-स्वामियों की सहायता करेगा और उन अधिकारियों के अतिक्रमणकारी अधिकारों को कम करेगा जो वैयक्तिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुये अव्यवस्थित ढंग से अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जा सकता है और इस पूरी सभा के सभी सदस्य जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, इस बारे में सर्वसम्मत्त हैं और कह रहे हैं कि यह स्वागत योग्य संशोधन है। इस सभा के सभी दलों को इन संशोधनों के प्रति सहमति देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री भगवान शंकर रावत को बधाई देता हूं। इसका प्रारूप, बड़ी अच्छी कानूनी भाषा में और बड़े वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है और यह विधेयक इस सभा में निश्चित रूप से सभी की प्रशंसा के योग्य है।

मैं श्री भगवान शंकर रावत को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति जी, भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो संशोधन बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आदरणीय जेठमलानी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बड़े भाग्य से आप हिन्दुस्तान के शहरी विभाग के मंत्री बने हैं। आज पूरे देश का शहरीकरण हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे शहरी अर्थव्यवस्था में बदल रही है। हिन्दुस्तान के लाखों गांव धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। हजारों की संख्या में नये-नये शहर बस रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे हमारे देश की व्यवस्था अच्छी हो। आज स्थिति यह हो गयी है कि शहरों में लोगों की नारकीय स्थिति हो रही है। आज शहरों में काफी प्रदूषण है जिसकी वजह से लोगों की हालत खराब हो रही है। वहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और न ही सड़कें अच्छी हैं। इसके बावजूद भी लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहर सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि हिन्दुस्तान के जितने भी शहरी इलाके में एक लाख से अधिक आबादी है, वहां एक डेवलपमैंट अथारिटी कायम की जानी चाहिए। आप जो जमीन ले रहे हैं, उस जमीन का विकास बढ़िया ढंग से किया जाना चाहिए और जिन किसानों की जमीन आप ले रहे हैं, उन किसानों को उसका उचित दाम मिलना चाहिए। यानी आप मिट्टी के दाम उनकी जमीन को लें और फिर सोने के दाम उस जमीन को शहर में बसने वालों को बेचें, यह भी अच्छी बात नहीं है। आप जिन किसानों की जमीन ले रहे हैं, उनको उसका उचित दाम मिलना चाहिए और उसके बाद एक डेवलपमैंट अथारिटी बननी चाहिए। वह डेवलपमैंट अथारिटी बनने के बाद उस शहर में कितने लोग रहेंगे, उन रहने वाले लोगों को कितनी मात्रा में पानी मिले, बिजली मिले, कितनी सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे दिमाग में रखकर ही शहरीकरण, नागरीकरण या शहरों का विकास किया जाना चाहिए। आज देश की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग नौकरी करने आते हैं। उनकी तनख्वाह तीन हजार रुपये हैं लेकिन तीन हजार रुपये में एक कमरे का मकान नहीं मिलता। वे कहां रहेंगे, उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तीन हजार रुपये तनख्वाह है और तीन हजार रुपये में क्वार्टर मिल रहा है। दिल्ली में आप इतने लोगों को कैसे ऐलाऊ करते हैं। यदि दिल्ली में पचास लाख लोगों के लिए पानी, बिजली की व्यवस्था है, पचास लाख लोगों के लिए ही सड़क है तो इसमें यदि दो करोड़ की पौपुलेशन रहने लगेगी तो न ही किसी को पानी मिलेगा, न बिजली मिलेगी, न किसी को रहने के लिए अच्छे आवास मिलेंगे और न ही सड़कें मिलेंगी। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसा तेज-तर्रार देश का योग्य व्यक्ति आज शहरी विकास मंत्री बना और आपके रहते हुए यदि हिन्दुस्तान की व्यवस्था का नए संदर्भ में निर्माण नहीं हुआ, यदि नए ढंग के शहर विकसित नहीं हुए नई डैवलपमैंट अथॉरिटी नहीं बनी, किसानों को अच्छा न्याय नहीं मिला और जो शहर बसे, उनमें सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई तो मंत्री तो बहुत से आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप हिन्दुस्तान के माने हुए विधिवेता हैं और आप जैसे लोग पुनः शायद बहुत कम हों, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है क्योंकि यह आपका ही कानून है, मुझे प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर सारे शहर नर्क बन रहे हैं, नर्क झूठा हो गया है, गांवों में जिले के स्तर के जो शहर हैं, उनकी स्थिति इतनी भयावह है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कौसमोपोलीटन सिटी हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि किसी भी जिन्दा शहर के लिए यह जरूरी है कि उस शहर की बिजली, पानी की व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से हो, सड़कें ठीक हों। इन्हीं सब कामों के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है। भूमि अधिग्रहण के दो ही औब्जैक्टिव्ज हैं कि नए शहर में जो फैलाव होता है, उसमें अच्छे ढंग से लोगों के बसने की व्यवस्था की जाए और जो जमीन आप लेते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचता है, हर वर्ष किसान रोते हैं कि हमसे मिट्टी के दाम जमीन ली जाती है और वही जमीन साल भर बाद सोने के दाम बिकने लगती है। आपके रहते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि आपके माध्यम से हिन्दुस्तान के नगरीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया इतनी अच्छी हो कि दुनिया के लिए एक नकल की वस्तु बने।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री भगवान शंकर रावत जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने सही समय पर सही बात की है, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक लाकर बहुत अच्छा काम किया है। यह सन् 1894 का कानून है। उस समय शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी और अब शहरों में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक कलैक्टर को यह अधिकार दे दिया गया है कि किसी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण कर ले और औने-पौने मामूली दामों में उसको क्लेम दे दिया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ही क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में विकास प्राधिकरण बने, उन विकास प्राधिकरणों ने दो रुपये गज और तीन रुपये गज में किसानों की

[श्री राजवीर सिंह]

भूमि ले ली और रहने वालों को वह भूमि 200 रुपये गज और 300 रुपये गज बेची गई। जो जमीन उस समय नहीं बंटी थी, आज बची है तो वह 2000 रुपये गज और 3000 रुपये गज बिक रही है। सरकारी एजेंसियां इतना मुनाफा कमाये और गरीब किसान, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, उनको दो रुपये गज और चार रुपये गज का मुआवजा मिल जाये, यह तो उनके साथ अन्याय है।

आज भी ऐसे किसानों की भूमि लेकर पड़ी हुई है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बड़ी-बड़ी फैक्टरी के मालिक कलैक्टरों से मिलकर, सरकारों से मिलकर हजारों बीघा जमीन ले लेते हैं और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। अभी बरेली में ही कई फैक्टरियां ऐसी हैं, जिनके पास काफी जमीन बेकार पड़ी है, उन्होंने उस समय सस्ते में ले ली है, लेकिन अब वे उसको अपनी बाउण्ड्री के अन्दर लिए हुए हैं, या तो उस पर उन्होंने पेड़ [illegible] जब सीलिंग का मामला चला था तो यह लगा था [illegible] चली जायेगी तो थोड़े बहुत पेड़ लगा दिये। वे पेड़ [illegible] कानून से बचने के लिए लगाये गये थे। अब उन किसानों की जमीन, जिनको जमीन 40-50 साल पहले मामूली पैसों पर ले ली गई, आज वही जमीन बहुत कीमत वाली जमीन हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से, हमारी शहरी विकास मंत्री जी बैठे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हैं, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों का विकास ठीक से हो, इसके लिए मैं यह चाहूंगा कि उन जमीनों को वापस लिया जाये और उन किसानों को वह जमीन वापस दी जाये।

इन्होंने जो कहा है कि दस वर्ष में योजना लागू होनी चाहिए। यह बात सच है, मैं तो चाक्को जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि दस वर्ष का समय भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी फैक्टरी लगनी है, कोई भी विकास होना है, कोई प्राधिकरण किसी चीज को विकसित करना चाहता है तो उसके लिए पांच साल से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि यह अच्छा बिल है और इस बिल पर सहमति है, सर्वसम्मति है, चाक्को जी कह रहे थे कि बी.जे.पी. की सरकार है, यह बात सच है कि 1894 में बी.जे.पी. की सरकार नहीं थी, यह बात भी सच है कि 1894 के बाद से लेकर 1998 तक बी.जे.पी. की सरकार नहीं थी। 104 साल के बाद भी बी.जे.पी. की सरकार तो आज भी नहीं है, बी.जे.पी. के मित्रों की सरकार है, बी.जे.पी. और बी.जे.पी. सहित अन्य दलों की सरकार है। मगर उसके बावजूद भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपको यह चीज याद आई कि बहुत खराब स्थिति है, किसानों की दयनीय स्थिति है। उससे बचने के लिए आपने इसका समर्थन किया है, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। यह सर्व-सम्मत राय है, यहां पर अधिकांश किसानों के प्रतिनिधि आते हैं, शहरी स्थिति में कल्पनाथ राय जी ने जो बात कही है, वह अपनी जगह सच है। शहर आज स्लम बनते जा रहे हैं।

एक बात यह भी देखनी पड़ेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ भाग क्यों रहे हैं। यह एक बहुत अहम मुद्दा है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में हम उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैर पा रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? हिन्दुस्तान की 50 साल की आजादी के बाद आज भी हजारों गांव ऐसे हैं, जहां पैदल जाना भी मुश्किल है। वहां बैलगाड़ियां नहीं जा सकतीं, लोग पैदल नहीं जा सकते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अगर उनके घर में बच्चा बीमार हो जाये या किसी की पत्नी बीमार हो जाये तो उसको ईलाज करने के लिए भी नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो वह तुरन्त शहरों की तरफ भागता है, तहसील केन्द्र या जिला केन्द्र की तरफ भागता है और वहां जाकर 10, 20, 50 या 100 गज जमीन लेकर एक छोटा-मोटा मकान बनाकर रहना शुरू कर देता है। इसके कारण परेशानी क्या हो रही है कि शहरी विकास में भी अड़चन आ रही है। जहां जिसकी जैसी मर्जी आती है, वही मकान बना लेता है। वहां पानी निकलने के लिए नाली नहीं है, बरसात आती है तो बाढ़ आती है, उनके घर डूबने लगते हैं। मैंने तो ऐसे-ऐसे मकान देखे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि विकास प्राधिकरण करते क्या हैं। विकास प्राधिकरण का काम है कि बिना नक्शा पास किये, बिना अनुमति के मकान नहीं बनना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

मगर विकास प्राधिकरण सोते रहते हैं और मकान बनाए जाते हैं। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि ये सड़क के लैवल से एक मंजिल नीचे तक मकान बनाते हैं। हमारे बरेली में गणेश नगर में एक कालोनी बनी है। हमने सोचा कि वहां पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जाए, जिससे वहां का पानी नाले के माध्यम से नदी में चला जाए। लेकिन जब बारिश हुई तो नदी का पानी नाली से होते हुए कालोनी में आ गया और पूरी कालोनी पानी से भर गई, ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि विकास प्राधिकरण ने वहां क्या काम किया होगा।

शहरों के जो विकास प्राधिकरण हैं, वे भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस संशोधन

को पास किया जाए। ये छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिनके कारण शहरों में स्लम बनते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में देखिए, यहां बिजली, पानी, यातायात की समस्या खराब हो गई है। वह इसलिए हुई है कि गांवों के लोग रोजगार न होने के कारण शहरों में रोजगार और शिक्षा के लिए आते हैं और झुग्गी-झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं।

सभापति महोदय : सभा की अनुमति हो तो इस बिल के लिए आधा घंटे का समय और बढ़ा दें, क्योंकि मंत्रीजी भी जवाब देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री राजवीर सिंह : मेरा अनुरोध है कि भगवान शंकर रावत जी ने जो संशोधन विधेयक यहां रखा है, उसे सर्वसम्मति से पास किया जाए और सरकार उसे एडाप्ट करे। भूमि अधिग्रहण में शहरी लोग पीड़ित नहीं होते, बल्कि ग्रामीण लोग, किसान पीड़ित होते हैं। किसानों के प्रति चुनावों के समय लोग बहुत चिंतित रहते हैं। उस समय लोग कहते हैं - उत्तम खेती, मध्यम बान, निखद चाकरी, भीख निदान। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस समय निखद खेती हो गई है। 50 वर्षों में किसानों की खेती की हालत खराब होती जा रही है।

अभी हमने देखा कि आलू और प्याज काफी महंगे हो गए थे और उस पर बड़ा शोर मचा था। लेकिन आज किसान ने आलू इतना बो दिया कि उसका आलू कोई दो रुपए किलो भी लेने को तैयार नहीं है। इस समय का आलू कोल्ड स्टोरेज में भी रखने लायक नहीं है, क्योंकि वह कच्चा है। देखा जाए तो किसान फसल के समय भी मारा जाता है, जब अपना उत्पाद बेचने जाता है, तब भी मारा जाता है और जब उसकी जमीन ली जाती है, तब भी मारा जाता है। मेरा निवेदन है कि जब उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए तो उसके दाम निश्चित किए जाएं। अगर विकास प्राधिकरण उससे ली हुई जमीन को 1000 रुपए मीटर बेचता है तो किसान को उसका दाम 500-600 रुपए मीटर मिलना चाहिए, जबकि अभी उसको दस या बीस रुपए मीटर ही दिया जाता है। यह ठीक है कि विकास प्राधिकरण का खर्च जमीन के विकास पर होता है, लेकिन वह कितना खर्च करता है इसको भी देखना चाहिए। विकास प्राधिकरण मुनाफाखोर संस्था नहीं होनी चाहिए, लोगों को सुविधा देने वाली संस्था होनी चाहिए, मगर आज विकास प्राधिकरण मुनाफाखोर संस्थाएं बनती जा रही हैं।

मैं माननीय सदस्य भगवान शंकर रावत जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने समय पर सही बात उठाई है, जिसको 50 वर्षों से किसी ने नहीं देखा इसलिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की चिंता और भावनाओं को समझता हूं। मैं श्री रावत द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करता हूं, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गौर कर लिया है। मुझे कई विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों की ओर से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। यदि आप प्रारूप विधेयक को देखेंगे तो यह पाएंगे कि इसमें कई अच्छे सुझाव दिए गए हैं। मैं सभा में एक अत्यधिक व्यापक विधेयक रखने जा रहा हूं। इसलिए मैं श्री रावत द्वारा सभा में रखे गए विधेयक को, इसके वर्तमान स्वरूप में और विषय वस्तु के साथ स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

अतएव, माननीय सदस्य से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : महोदय, माननीय रावत जी ने जो संशोधन दिए हैं उनको भी क्या आप इस बिल में शामिल करेंगे?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के कुछ प्रावधानों से सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : आप नया बिल क्या इस सत्र में या अगले सत्र में लायेंगे?

श्री बाबागौड़ा पाटील : इसी सत्र में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत करने की बात कही है, क्या वह विधेयक शहरी कानून में परिवर्तन करने

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

से संबंधित है या ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसमें शामिल किया जायेगा या दोनों के बारे में होगा? कारण यह कि शहरी हदबंदी के बारे में बात चल रही है, क्या यह उससे अलग होगा तथा क्या दूसरे विधेयक में इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे या नहीं - इस बारे में बतायें?

[अनुवाद]

श्री बाबागौडा पाटील : निश्चित रूप से यह तो सबके लिए लागू होगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, जब को ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लेकर आना पड़ा। मुझे अभी भी थोड़ी सी वेदना हो रही है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि सदन में प्रस्तुत सुझाव बहुत अच्छे हैं, काश! उन सुझावों को उन्होंने परिभाषित कर दिया होता कि कौन से सुझाव उनको पसन्द आए और कौन से सुझाव खराब रहे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी पूरी निष्ठा और गम्भीरता के साथ जिन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है, उनकी ओर ध्यान देंगे। मैं पहले जो विचार रख चुका हूं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, किसानों की स्थिति बहुत खराब है। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट का जहां तक मामला है, उसमें छोटे किसान उत्पीड़ित हुए हैं और वे दया के पात्र हैं। मैं आपका ध्यान ऑल इंडिया सैंसस रिपोर्ट ऑन एग्रिकल्चर, 1985-86, जो 1992 में पब्लिश हुई है, की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें मार्जिनल होल्डिर्स, जिनके पास एक हैक्टेयर से कम जमीन है, उनका कुल प्रतिशत 17.8 प्रतिशत है। जिनके पास एक हैक्टेयर से लेकर दो हैक्टेयर जमीन है, ऐसे किसान 18.4 प्रतिशत हैं। 76 प्रतिशत किसानों के पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, लेकिन वे अपना जीवनयापन कर रहे हैं। साथ ही मार्जिनल किसानों के पास खेती का एव्रेज साइज 0.39 हैक्टेयर है। छोटे भूखण्ड का एव्रेज साइज 1.43 हैक्टेयर है। इसके साथ ही ऐसे किसान जिनकी जमीन कानून के तहत ले ली गई है और सरकार सोच लेती है कि थोड़ी सी जमीन ली है, लेकिन किसान का सारा फार्च्युन, उसके पालने के साधन समाप्त हो जाते हैं।

अपराह्न 4.09 बजे

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय *पीठासीन हुए*]

जहां तक सिंचाई सुविधाओं का संबंध है, देश में 55 फीसदी जमीन नॉन-इरिगेटेड है, 17.8 फीसदी पार्शियली इरिगेटेड है, 27 फीसदी इरिगेटेड है। इसलिए इस कानून के तहत जिसकी इरिगेटेड जमीन चली गई, उसका तो सदा-सर्वदा के लिए सत्यानाश हो गया। उसकी आजीविका नष्ट हो जाती है। मैं आपका ध्यान लॉ-कमीशन की रिपोर्ट, जिसको प्रख्यात कानून विशेषज्ञ, श्री एम.सी. शीतलवाट ने 16 सितम्बर, 1958 को पेश किया था, की ओर दिलाना चाहता हूं।

विधि आयोग की दसवीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा था:-

[अनुवाद]

> "जहां तक संभव हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे उसकी सम्पत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करके उससे वंचित कर दिया गया हो, इतना मुआवजा दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं को अधिग्रहण से पहले की स्थिति में ला सके। ऐसे अधिग्रहण से लाभान्वित होने वाले समुदाय को सम्पत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी।"

[हिन्दी]

आज स्थिति यह होती है कि सरकार मुआवजा देती है तो तीन प्रकार का देती है - पहला मुआवजा जमीन की राशि का देती है, दूसरा सांत्वना राशि का देती है कि हमने तुम्हें बिलकुल बेरोजगार कर दिया, चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, तुम्हारे बीबी-बच्चों को बेरोजगार कर दिया, इसलिए तुम्हें वे सांत्वना दे रहे हैं। तीसरा इस बात का देती है कि जब दफा चार का नोटीफिकेशन हुआ और उसके बाद 12 प्रतिशत के हिसाब से एवार्ड बढ़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या वह मुआवजे की राशि नहीं है लेकिन सरकार कहती है कि जो हमने लैंड एक्वीजिशन का असली मुआवजा बनाया उस पर ब्याज देंगे लेकिन सांत्वना राशि पर ब्याज नहीं देंगे, जो तीसरा किराया देंगे उस पर ब्याज नहीं देंगे, यह तरीका गलत है। इस मुआवजे की टोटल राशि पर ब्याज मिलना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। मुझे इसमें बड़ी भारी विसंगति नजर आती है, जो कास्ट ऑफ कम्पनसेशन लैंड

एक्वीजिशन का तैयार होता है उसमें सरकार का एक कानून है और जब किसान की जमीन को कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जाए तो दूसरा कानून है। वे कहते हैं कि हमने परता रेट बनाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ का रेट दूसरा है और अगर कहीं वेल्थ टैक्स का मामला फंस जाए तो तीसरा रेट लागू हो जाता है। आखिर सरकार एक, एक संविधान के अंतर्गत चलने वाली सरकारों के तीन-तीन कानून क्यों हैं? किसान से जमीन लेंगे तो एक कानून हमारा रहेगा, जैसे चाहेंगे वैसे छीन लेंगे। दूसरा कानून जब टैक्स के लिए करेंगे, वैल्थ टैक्स लगाना होगा तो कहेंगे कि हम तुम पर इसकी इतनी मालियत गिनते हैं इसलिए तुम पर इस रेट पर टैक्स लगाएंगे। उसकी मालियत बहुत ऊंची लगाई जाती है। जब स्टाम्प ड्यूटी का खरीद-फरोख्त का मामला आया तो राज्य सरकार कहती है कि इसमें तो हम दो हजार रुपए प्रति गज लेंगे या इतने लाख रुपए बीघा लेंगे, वास्तव में मार्केट कास्ट कुछ भी हो। कानून को, इस विसंगति को समाप्त करना होगा। ये तीन प्रकार की परिभाषाएं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

महोदय, हाईकोर्ट में अगर अपील प्रस्तुत करनी है तो अधिकांश स्टेट में सात प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जब किसान मुआवजे की राशि पर क्लेम करना चाहता है तो वह सात प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी के लिए पैसा कहां से लाए। मैं श्री प्रकाश सिंह बादल को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने यह व्यवस्था की है, जैसा मुझे बताया गया कि 100 रुपए का स्टाम्प लगाइए और अपील फाइल कर दीजिए। किसान फाइल कर सकता है लेकिन जो सात प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी उसके टोटल अमाउंट पर लगेगी, फिर किसान अपील दाखिल नहीं कर पाता। किसान या तो लुटता है या जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि फिर वह किसी बिचौलिए को ढूंढ़ता है कि कोई पैसे वाला मुझ से मुआवजे की राशि खरीद ले, वह मुकदमा लड़ता रहे, अगर कुछ मिल जाए तो वह कमा ले और इस तरह किसान गरीब का गरीब ही रहता है। अगर हाईकोर्ट से पैसा मिल भी गया तो उसमें मिली बड़ी राशि, वह जो मुकदमा लड़ता है और जो पैसा इनवेस्ट करता है, जो मुकदमा लड़ने के लिए हाईकोर्ट में खर्च करता है वह उसकी जेब में जाती है, जो स्वाभाविक भी है।

महोदय, अगर पंजाब की सरकार इसे लागू कर सकती है तो इस प्रावधान को केन्द्रीय कानून में भी समाविष्ट किया जाना चाहिए। इंडियन लिमिटेशन एक्ट हिन्दुस्तान में सब जगह लगता है लेकिन इस कानून में लागू नहीं किया जाता। इससे ज्यादा अन्याय और अंधेर कहीं नहीं हो सकता। अगर इंसान चौराहे पर किसी की हत्या कर दे, कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं है लेकिन जिसकी जमीन छिन जाए उसके लिए लिमिटेशन है उसे रोक दिया जाता है। अगर छोटा अपराध भी कोई करे, चौराहे पर किसी की चेन छीन ले तो भी उसके लिए एक लिमिटेशन है कि ऐसे अपराध के लिए इतने दिन तक वह मुकदमा कर सकता है। उसके बाद अगर सरकार मुकदमा चलाना चाहती है तो उसे लिमिटेशन एक्ट में फायदा मिलता है। थप्पड़ भी मार दे तो भी मिलेगा। लेकिन जमीन सारी की सारी लुट जाए, तब भी इंडियन लिमिटेशन एक्ट का फायदा नहीं मिलता है। यह जो उपनिवेशवादी कानून है, इस कानून से किसान को निजात दिलाइये। आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने के बाद अगले दौर में जब यह देश चल रहा है तब हमें इस जन-विरोधी कानून को बदलने का संकल्प लेना होगा और शासन को सोचना होगा कि किसान जब स्वेच्छा से अपनी जमीन को नहीं देते हैं तो कानून और डंडे के जोर से उनकी जमीन ली जाती है तो मुआवजा भी उसके हिसाब से मिलना चाहिए, लॉ कमीशन के हिसाब से मिलना चाहिए। एक चीज जब सरकार अपनी गर्ज के कारण लेती है तो किसान को उसकी जमीन का पूरा दाम देना चाहिए। ब्याज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक आर्टिकल में देख रहा था जोकि किसी एडवोकेट के.सी. जैन का लिखा हुआ था। ब्याज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले व्यू यह था कि वह मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मित्र सुबह चर्चा कर रहे थे और उच्चतम न्यायालय की बात हो रही थी। किसी वकील साहब ने उच्चतम न्यायालय में केस आर्गू करते समय पिछली नजीरों को, मुकदमें के फैसलों को दिखाया नहीं। जिसके कारण उच्चतम न्यायालय ने एक दूसरा फैसला कर दिया। हमें इस न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी चिंतन करना होगा कि क्या सारी जिम्मेदारी किसान की ही है कि वह सारा कानून दिखाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाऊंसमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वह हिन्दुस्तान की लैंड का कानून होता है। इसलिए न्यायाधीश को भी कानून के बारे में कुछ नोटिस लेने का दायित्व लेना होगा। इस मामले में यह हुआ कि पिछले सारे कानूनों को समाप्त कर दिया गया और वे कानून उसमें डिटिंगविश भी नहीं किए गये और किसान की लूट की तैयारी शुरू हो गयी। इसलिए मैंने यह बात कही कि ब्याज के मामले में इस व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। कारण यह है कि 20 साल बाद जब किसान को ब्याज मिलता है तो मुआवजे के रूप में थोड़ी सी राशि किसान को मिल जाती है, लेकिन पूरा ब्याज नहीं मिलता है। अगर सरकार का पैसा किसान ने देना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज लेगी लेकिन इस पर साधारण ब्याज देने में भी सरकार गुरेज करेगी। मैं कहता हूं कि किसान को ब्याज की पूरी राशि मिलनी चाहिए।

दूसरा, सरकार किसान की भूमि को ऐसे समय पर अधिगृहित करे जबकि किसान की फसल खेत में न हो। मुझे एक उदाहरण

[श्री भगवान शंकर रावत]

आगरा का मालूम है। धाधूपुरा गांव के किसानों के साथ भी सरकार धांधली कर रही है। उन्होंने रबी की फसल बोई हुई है और सरकार कहती है कि अभी कब्जा लेंगे। किसान ने लैंड डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेकर खाद खरीदा, बीज लिया, सिंचाई की व्यवस्था की और जब सारी दौलत लुटाने के बाद उसकी फसल लहलहा रही है तो प्रशासन कहता है कि कल ही कब्जा ले लेंगे। किसान रोता है और कहता है कि हमारे ऊपर चाहे तलवार चला दो लेकिन फसल को सुरक्षित रहने दो, हमारे बच्चों के सामने पड़ा निवाला हमसे मत छीनो। आज वह इसके लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन की खुशामद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें फसल पकने तक की मौहलत दे दो, लेकिन सरकार में बैठे अधिष्ठाता लोग पिघलते नहीं हैं। इस तरह से किसान लूटा जाता है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें जो बात पसंद न आई हो, उसका वे [illegible] दें।

मैं चाहूंगा कि निश्चित अवधि के अंदर इस पर विधेयक लेकर आएं और किसान को राहत दें। मैं चाहूंगा कि अगले सत्र में ही माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेकर आएं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : महोदय हम आर.आर. नीति को इस विधेयक के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि संभव हुआ तो हम इस विधेयक को इसी सत्र में रखने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी भावनात्मक अपील पर गौर किया है। इसलिए मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं इस विश्वास के साथ कि लैण्ड ऐक्वीज़ीशन के मामले में वे उचित कानून बनाएंगे और किसानों को राहत देंगे।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 4.21 बजे

[हिन्दी]

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और रखने संबंधी विधेयक*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और रखने तथा फोटो पहचान पत्र जारी करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और रखने तथा फोटो पहचान पत्र जारी करने हेतु विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.22 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.23 बजे

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.23½ बजे

[हिन्दी]

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(10वीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.24 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 29क आदि का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

[श्री मोहन सिंह]

[अनुवाद]

"राज्य सभी नागरिकों को प्राथमिक विद्यालय स्तर पर वर्दी, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मेरा इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एक व्यापक आधार और व्यापक दृष्टिकोण है। भारत का संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों की धारा 45 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया था कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि आजादी के दस साल के भीतर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये। लेकिन आज जब हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम दुनिया के सबल और एक अच्छे राष्ट्र ... सिद्ध करने के प्रयास में लगे हैं, उस समय ... ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो पाते ... संगठन 'यूनेस्को' की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दो-तिहाई निरक्षर भारत में निवास करते हैं - यह हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय मंत्री जी ने एक दिन प्रश्न का जवाब देते हुए इस बात को कहा था कि मानव की उत्कृष्टता की दृष्टि से दुनिया के 174 देशों में हम 139वें नम्बर पर हैं और पिछले सात-आठ वर्षों में हमारा स्तर और स्थिति लगातार घटी है, 131वें स्थान से घटकर अब हम 139वें नम्बर पर पहुंच गये हैं और इसमें कही कोई रुकावट की सूरत हमें दिखायी नहीं पड़ती।

हमारे देश में शिक्षा में परिवर्तन संबंधी अनेक आयोग गठित हुए। एक महत्वपूर्ण आयोग 1964 में डा. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। उस कमीशन ने दो बड़ी वॉल्यूमिनस आकार-प्रकार की लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उस रिपोर्ट में नेबरहुड स्कूल की चर्चा की गई। नेबरहुड स्कूल की चर्चा हमारे देश की संस्कृति, हमारी परम्परा की बड़ी पुरानी मिसाल है, जिसे हमारे देश में कृष्ण-सुदामा परम्परा कहा जाता था। जिसे आज चरवाहा विद्यालय के नाम से एक राज्य में चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। यह नेबरहुड स्कूल क्या है। दुनिया के बहुत सारे सम्पन्न देशों ने एक इलाके विशेष में सरकार की ओर से, सरकारी संस्थाओं की ओर से या स्थानीय निकायों की ओर से खोली हुई एक संस्था है। जिसमें एक इलाके का रहने वाला सफाईकर्मी, उस इलाके में रहने वाला डी.एम., उस इलाके में रहने वाला उद्योगपति और पूंजीपति आदि सभी वर्गों के लोगों के बच्चे अनिवार्यत: उसी विद्यालय में पढ़ें, जिससे कि एक नये संस्कार, एक नये समाज और एक नये व्यक्ति की रचना हम समाज में देख सकें, यही नेबरहुड स्कूल की कल्पना थी। हमारा यह विधेयक उसी कल्पना को लेकर है। सरकार इस बात का प्रयास करे कि हमारे देश में जो बच्चा पैदा होता है, अनिवार्य रूप से सरकार उसको प्राथमिक स्तर की शिक्षा देगी, अनिवार्य रूप से उसको बिना फीस लिये हुए शिक्षा देगी, अनिवार्य रूप से उसको एक जैसी एक तरह के लोगों की शिक्षा देगी। मैं समझता हूं कि आज प्राथमिक शिक्षा की स्थिति हमारे देश में लगातार खराब हो रही है।

सभापति महोदय, यहां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सीमा तक कामयाब हुआ है। आज गांव में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी व्यवस्था पहले जिला बोर्ड, जिला परिषद की ओर से हुआ करती थी, जिनका उन पर एक अंकुश था, आधार था, उसको आज सरकार ने जिला परिषद के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथ में लेने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई। आज स्कूल नहीं हैं, प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं, उन पाठशालाओं में अध्यापक नहीं हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। जिस देश की आधी आबादी के करीब निरक्षर हों, जिस देश की प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चे न हों, यह एक दुविधा और विडम्बना की स्थिति है, जिस पर आज सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसीलिए हम बार-बार इस देश में इस बात को कहते रहे कि हमारे बजट का दसवां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो। मानव विकास के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन हम लगातार आठ-नौ पंचवर्षीय योजनाएं बनाते चले गए, परन्तु शिक्षा के ऊपर मात्र एक, दो, तीन या चार फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। अब जो मंत्री जी आए हैं, वे कहते हैं कि हम इसको छ: फीसदी कर देंगे। बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन वह खर्चा करने के बाद भी इन प्राथमिक विद्यालयों की और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की गुणवत्ता, उनमें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर, उसकी गुणवत्ता के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में जब हम उसके ऊपर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति बहुत ही अंधकारमय है।

समाज के सम्भ्रान्त लोगों ने अपने बच्चों को अलग शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कर ली है। संयोग से कल ही मैं एक ऐसे आवासीय विद्यालय में गया जहां प्राथमिक स्तर तक शिक्षा दी जाती है। वह निजी हाथों में है और निरे देहात में उस विद्यालय को

दा जाय।

खोलने का प्रयास किया गया है। मैंने बच्चों को यूनीफॉर्म में देखा। मैंने उनको सुना, सबके उच्चारण ठीक है। सबका कंठ अच्छा है। सबकी सेहत अच्छी है। सभी बच्चों को आवासीय विद्यालय में एक जैसे संस्कार, जाति व धर्म से ऊपर उठकर दिए जा रहे हैं कि हम मनुष्य हैं और भारत के नागरिक हैं। मैंने प्रबन्धकों से कहा कि आप ऐसे पुनीत संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर व्यय कितना है, फीस कितनी है, तो मालूम हुआ कि एक वर्ष में विद्यालय में रहने, भोजन एवं पढ़ाई के खर्च के रूप में उनके अभिभावकों से 45 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। प्राथमिक से भी नीचे के स्तर की शिक्षा जिसको अब आप नर्सरी कह सकते हैं वहां से लेकर कक्षा पांच तक की शिक्षा के एक वर्ष में बच्चों को अभिभावकों से 45 हजार रुपए लिए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, जिस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आबादी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 फीसदी के आसपास है जो दूसरे आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार 30 फीसदी है, तो उनके बच्चे 45 हजार रुपए देकर इस तरह की शिक्षा लेने में क्या सक्षम हैं? हमने इस देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं - शिलौंग, नैनीताल, मसूरी और शिमला तथा ऊटी आदि जगहों पर इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल खोले हैं जहां अलग तरह के संस्कार दिए जाते हैं और जहां ट्यूशन फी के रूप में 22 हजार से लेकर 35 हजार रुपए तक लिए जाते हैं और थोड़े से, दिखावटी तौर पर ऐसे बच्चे जिनको मेधावी कहा जाता है, उन्हें बिना फीस के भर्ती किया जाता है। इस प्रकार से एक-दो प्रतिशत वे भी प्रवेश पा जाते हैं, लेकिन समाज की बहुसंख्यक आबादी, जिसकी क्षमता, जिसकी हैसियत इस तरह की फीस देने की नहीं है, उसके बच्चों का क्या होगा, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में क्या होगा?

सभापति महोदय, इस देश में एक बार पं. पन्त जी, इस देश के शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने एक नए तरह के विद्यालय खोलने की अवधारणा बनाई। उनको अब खोलने का प्रयास किया जा रहा है और उनको खोला जा रहा है, लेकिन उसमें भी पूरे जिले से कितने बच्चे आते हैं, यह देखने की बात है। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के नाम से जाना गया है। इनमें जिले से मुश्किल से 200-250 बच्चों को ही प्रवेश देने की क्षमता है, जो बहुत ही कम है। इसलिए कम से कम प्राथमिक शिक्षा को हम समाज में एक जैसे इन्सान, भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले संस्कार पैदा करने के लिए भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं, तो कम से कम प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई-लिखाई अनिवार्य होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और बिना फीस के होनी चाहिए। तभी हम एक नए तरह का समाज इस देश में बना सकते हैं और तभी हम यह कह सकते हैं कि हम भारत को एक सभ्य देश बनाना चाहते हैं।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को इस मंशा के साथ प्रस्तुत करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी मंशा को समझेंगे, मेरी भावना को समझेंगे और किस तरह विधेयक रखा जाए और किस धारा में जोड़ा जाए यह देखें। मैं इसको फंडामेंटल चैप्टर में जुड़वाना चाहता हूं क्योंकि जो नीति-निर्देशक तत्व हैं वे सरकार के प्रयास के कारण हैं, कारक तो हैं, लेकिन सरकार ने किस तरह के प्रयास इतने दिनों में किए हैं, उनका परिणाम हमने देख लिया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, निशुल्क और एक जैसी हो और अपने देश की जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना करने वाली सरकार बैठी है उसका यह बुनियादी कर्त्तव्य हो। तभी मैं समझता हूं कि यह बात इस देश में पूरी हो सकती है।

इन शब्दों के साथ, चूंकि आपने दो घंटे का समय निर्धारित किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसका अनुकूल उत्तर देंगे और सभी माननीय सदस्य इसमें हिस्सेदारी कर सकें, उन सबको अवसर देने के लिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : माननीय सभापति जी, आज सदन के बहुत विद्वान सदस्य माननीय मोहन सिंह जी ने अपने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जो आख्यान सदन के समक्ष रखा है, उसमें हम सबकी सहमति भी है और समर्थन भी है। श्री मुरली मनोहर जोशी जी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कमांड रखने वाले सज्जन हैं, वे आज हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं कि आखिर संविधान प्रदत्त जो हमारी व्यवस्थायें हैं, उनका हम स्वयं एजुकेशन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कैसे ठीक से निर्वहन कर सकें और समाज को भी आलोकित कर सकें। मैं एनलाइटनमैंट पर नहीं कह रहा हूं, मैं मूल रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो राष्ट्रीय एजेंडा है, उसके पैरा -चार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें एक बिन्दू है - छह फीसदी सकल घरेलू उत्पाद जहां पहुंच रहा है वहीं गैर-सरकारी व्यय बढ़ चुका है। लेकिन कमिटमैंट है कि हम पांचवीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में किये गये प्रावधान को कार्यान्वित करेंगे। संविधान में पांचवीं कक्षा तक बेसिक एजुकेशन को अनिवार्य करने के लिए फंडामैंटल राइट्स में उसको शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं हुई है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने यहां इंगित किया है। पूरे भारत में यदि देखें तो जहां बाल मजदूर अधिक हैं वहां बेसिक एजुकेशन अधिक नहीं है,

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

उसके बारे में यह सदन और पूरा देश अवगत है। वे नन्हें-मुन्ने बालक जिनके कंधों पर बस्ते होने चाहिए, वे सुबह-सुबह एक झोला लेकर कचरा बीनने के लिए चल पड़ते हैं। इसके लिए वे कहां-कहां चक्कर काटते हैं तथा झूठन से अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए सामान खोजते हैं। क्या यह तस्वीर अच्छी है?

पिछली बार माननीय श्री पी.वी. नरसिंह राव जी ने एक घोषणा की थी कि हम आठवीं स्तर तक के बच्चों को नि:शुल्क भोजन करायेंगे। आज उसकी स्थिति क्या है? आज कितने लोगों को वह भोजन मिल रहा है। क्या वह व्यावहारिक है? क्या उसकी अनिवार्यता को हमने रेखांकित किया है - यह सवाल हमारे सामने हैं। इस विधेयक में जिन कारणों और उद्देश्यों का विवरण है उसमें गरीब लोगों के लिए स्पष्ट कहा गया है:

> लोग अपने बच्चों को साधनों के अभाव में विद्यालय भेज नहीं पाते हैं।

इस देश का भविष्य ठीक करना है तो नन्हे-मुन्ने बालक-बालिकाओं को जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, जो वनांचलों में रहते हैं, जो पहाड़ों पर बसते हैं, हम कैसे बेसिक एजुकेशन दे सकें? इस देश में बहुत तरह की बहस चला करती है। नयी शिक्षा नीति पर बातें चलती हैं। यूनीवर्सिटी कैम्पस से लेकर बुद्धिजीवियों की संगोष्ठियों में एजुकेशन सिस्टम पर बहस चलती है। कि हम लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को कहां तक लागू करें, कैसे करें या कैसे न करें। यहां पर यूनीवर्सलाईजेशन ऑफ एजूकेशन पर शिक्षा की सर्व-व्यापकता यूनीवर्सलाईजेशन ऑफ बेसिक एजूकेशन की बहस चलती है लेकिन अन्तत: नतीजा क्या होता है। ऐजूकेशन, स्वास्थ्य स्टेट और खासकर पब्लिक वैल्फेयर स्टेट के अनिवार्य कर्तव्य में शामिल है लेकिन उसके बाद भी क्या हालत है। गांवों में यदि प्राईमरी स्कूल हैं तो भवन नहीं हैं, यदि प्राईमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षक नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं है, चाक-मिट्टी नहीं है। कैसे हमारे देश के भविष्य अपने इस प्राथमिक दायित्व को पूरा करेंगे। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम अपने आपको अध्यात्मवादी देश के नागरिक मानते हैं और कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य के अंदर मनुष्यता का उद्घाटन करने वाली सबसे बड़ी विद्या है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है। इसलिए यदि हम संजीदगी के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं तो यह विधेयक अपने आप में आने वाले समय के लिए रेखांकित करने वाला विधेयक साबित होगा।

यहां पर चर्चा होती है कि हम ऐजूकेशन में आचार्य रामामूर्ति आयोग की विभिन्न सिफारिशों को लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद स्टेट्स की हालत क्या है, स्टेट्स के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, सरस्वती वंदना पर क्या हंगामा किया जाता है - इस भारत भूमि में। वहां जब 'धर्म चक्र प्रवर्तनाय:' पर हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य माननीय आडवाणी जी बोल रहे थे, मैं उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं मानता, लेकिन आखिर हम कहां जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जहां हम सब प्रकार की संस्कृति और संस्कार को शिक्षा से जोड़कर रखें, वहां यदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हमारे शिक्षा मंत्री नान-ईशूज पर लड़ते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें।

साक्षरता के नाम पर जो चल रहा है, उस पर भी मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साक्षरता के लिए पिछली सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई जैसे प्रौढ़ शिक्षा मिशन, गैर-सरकारी आंदोलन हो या सरकारी आंदोलन हो, आज उनकी हालत क्या हो रही है। मध्य प्रदेश में बी.जी.वी.एस., भारत ज्ञान-विज्ञान समिति को पहले दिया गया, वह कुछ नहीं कर सकी। अब कलैक्टर के मार्फत शिक्षा और साक्षरता की बात की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इस शताब्दी का यदि सबसे बड़ा सरकारी फ्रॉड किसी को कहा जाए, तो साक्षरता को कह सकते हैं जहां कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ घोटाला हो रहा है। यदि उसी राशि को हम बेसिक एजुकेशन के क्षेत्र में डाल दें तो उसका रिजल्ट आएगा, उससे स्थिति में कुछ सुधार होगा। आज मेरे लोंक सभा क्षेत्र के नवोदय विद्यालय की स्थिति क्या है, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मानव संसाधन मंत्री पूरे देश में घूम चुके हैं, वे जानते हैं कि कैसे-कैसे लोग, किस ढंग से निवास करते हैं और कैसे-कैसे विद्या अध्ययन करते हैं। महासमुन्द का नवोदय विद्यालय जब से ओपन हुआ है, वहां प्राचार्य नहीं है, भवन नहीं है, पहली क्लास में भर्ती नहीं हुई क्योंकि उनके पास भवन की व्यवस्था नहीं है। हम करें तो क्या करें। यह स्थिति है और इसीलिए लगता है कि कहीं न कहीं वैधानिक बाध्यताएं हमारे साथ हों, अनिवार्यताएं हमारे साथ जुड़ी हो, तब पूरे समाज का ध्यान बेसिक ऐजूकेशन की तरफ जाएगा, पूरे संस्कारों को ठीक करने की तरफ जाएगा, ऐसा मैं अपनी ओर से मानता हूं।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बेसिक ऐजूकेशन के मामले में पूरा देश आपके साथ है, पूरा सदन आपके साथ है, आप निरंतर इस विषय पर आगे बढ़िए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं श्री मोहन सिंह द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। अब,

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में दो तरह के अधिकार दिए गए हैं। दुर्भाग्य से, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल प्राथमिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान एक अन्यायपूर्ण अधिकार है। हमने 50 वर्ष पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है। आधी सदी बीत चुकी है। भारत में विद्यमान स्थिति की समीक्षा करने का यही उचित समय है। संयुक्त राष्ट्र का घोषणापत्र भी विद्यमान है। उसने यह सत्यनिष्ठ घोषणा की है कि अगली शताब्दी के शुरू होने तक पूरी मानवता को साक्षर हो जाना चाहिए। यह घोषणा पूरे विश्व में लागू की गई है। यह विश्वव्यापी घोषणा है। जनसंख्या वृद्धि जैसे मामलों में, अगली शताब्दी के शुरू होने तक भारत का विश्व में पहला स्थान होगा। इस संबंध में हम चीन से आगे निकल जाएंगे और भारत को विश्व में सबसे ज्यादा निरक्षर लोगों वाला पहला देश बनना होगा। हमें यह कहते हुए शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे अनपढ़ लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। वर्तमान स्थिति यही है। आजादी के 50 वर्ष बाद, हमने इस क्षेत्र में कोई ज्यादा कार्य नहीं किया है।

इस अवसर पर, मुझे आपको अपने राज्य केरल के बारे में कुछ अवश्य बताना चाहिए। केरल एक ऐसा राज्य है, जिसने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य वर्ष 1990 में प्राप्त कर लिया है। विभिन्न मिशनों के माध्यम से लगभग पूर्ण साक्षरता प्राप्त की जा सकी। वहां की सरकार ने पहल की और लगभग आठ वर्ष पहले यह सत्यनिष्ठ घोषणा की थी कि हमें पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में, अनेक एजेंसियों ने सार्वजनिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। केरल राज्य ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया? यह लक्ष्य अकेले सरकारी तंत्र के माध्यम से हासिल नहीं किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी तंत्र अथवा सरकारी स्कूल अल्पसंख्यक क्षेत्र में हैं। अधिकांश शैक्षणिक संस्थान निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। उनका पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का सीधा-सादा कारण यह था कि वे अपने उद्देश्य के प्रति गम्भीर थे। इस कदम के पीछे राजनैतिक मंशा थी।

केरल के बारे में बोलते हुए क्रिस्टियन मिशनरी और केरल को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने में उनकी भूमिका के संबंध में, मैं यदि कुछ नहीं कहता हूं, तो मैं उनके प्रति अन्याय करूंगा। क्रिस्टियन मिशनरी ने इस राज्य को साक्षर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसने लगभग सभी गांवों में अपने स्कूल खोले हैं और ये स्कूल निचले स्तर पर प्राथमिकता शिक्षा की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं। इस संबंध में मुझे एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना होगा। मुझे इस सदी के समाज सुधारक, श्री नारायण गुरू द्वारा अर्पित सेवाओं के बारे में उल्लेख करना होगा। उन्होंने समाज की उल्लेखनीय सेवा की है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु कार्य किया था, जिनकी वहां जनसंख्या अधिक है। अधिकांश लोग पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। ऐसे लोग भी थे, जिन्हें अछूत समझा जाता था। उन्हें सार्वजनिक सड़क पर चलने नहीं दिया जाता था। उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में वह आगे आए और पिछड़े वर्ग को संगठित किया और यह आह्वान किया कि वे शिक्षा के माध्यम से शक्तिशाली बन सकते हैं। अत:, पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वयं को शिक्षित करके अपना प्रयास सफल करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा था, जिसे कि स्कूल न भेजा गया हो।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास है। 1990 में पूरे राज्य को साक्षर घोषित कर इसे भारत के अन्य राज्यों के लिए आदर्श राज्य बनाया गया था। यह उपलब्धि इसलिए प्राप्त की जा सकी, क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने एक साक्षर आयोग का गठन किया है और इस आयोग के प्रयासों से बड़े पैमाने पर जनता और पुस्तकालय संबंधी संस्थाओं ने लोगों को साक्षर बनाने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

हमारे पूरे राज्य में पुस्तकालय हैं। हमने केरल में पुस्तकालय आंदोलन चलाया। हरेक गांव में, अध्ययन कक्षों सहित तीन अथवा चार पुस्तकालय कार्यरत हैं। इन पुस्तकालयों में अनपढ़ लोगों को रोजाना रात के समय पढ़ाया जाता है और ऐसा पूरे राज्य में किया जाता है। पुस्तकालय आन्दोलन का संचालन सरकारी सहायता के माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि यह कार्य स्वैच्छिक संगठनों के लगनशील कार्य के माध्यम से चलाया जाता है। इन संगठनों ने लोगों को संगठित किया और ये ग्रामीण लोगों को नियंत्रित कर पाए और उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाया। ऐसी स्थिति में, पुस्तकालय आंदोलन द्वारा अर्पित सेवाओं की सराहना करनी होगी और हमें यह बात याद रखनी होगी। युवा संगठनों और अन्य सार्वजनिक संगठनों जैसे अन्य संगठन भी थे, जिन्होंने राज्य को एक साक्षर राज्य बनाने में अपनी भूमिका अदा की। इन सभी स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से, केरल राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करना संभव हो पाया था।

हम भारत के मामले को ही लेते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन, सौभाग्य से, कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्य में साक्षरता का प्रचार-प्रसार करने में रुचि ली है। लेकिन राष्ट्रीय प्रयास के रूप में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने हेतु कुछ भी नहीं किया गया है। अत:, मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव देता

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

हूं कि वह राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करे। इस संबंध में मात्र प्रचार-प्रसार करना ही काफी नहीं है। सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विभिन्न राज्यों में कार्यरत संगठनों को पूरे देश में साक्षरता की अवधारणा का प्रचार-प्रसार करने हेतु कहा जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूर्णतया सफल बनाने हेतु कड़े प्रयास करें। केवल तभी, हमारा देश एक गौरवशाली राष्ट्र बन सकता है।

अब, भारत में केवल 50 प्रतिशत साक्षरता है। शत-प्रतिशत साक्षरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, मेरा यह सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। यह एक न्यायोचित मौलिक अधिकार होना ही चाहिए। भारत में पैदा हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा [illegible] यह देखना देश का प्रमुख कर्त्तव्य है कि बच्चों को [illegible]। इस प्रयोजन हेतु, मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत [illegible] का समर्थन करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में भी इस बात का उल्लेख है। लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। अत:, इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जाता। अत:, इसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना होगा। इसे मौलिक अधिकार बनाना ही काफी नहीं है। हमें इस प्रयोजन हेतु सभी राज्यों के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करना चाहिए क्योंकि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में आता है। केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास करने चाहिए कि देश के सभी लोग साक्षर हों।

इस प्रयोजन हेतु, पर्याप्त बजट प्रावधान करना चाहिए और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो अब केन्द्र सरकार के अधीन है, को और अधिक कारगर बनाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे सभी प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पूर्ण रूप से सफल बनाना चाहिए। अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत अवधारणा का पुरजोर समर्थन करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : सभापति जी, मैं माननीय मोहन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय और बहुत ही उचित समय पर इसे सदन में पेश किया है। प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो और सरकार का दायित्व हो कि प्राइमरी शिक्षा सब लोगों को दे, इसकी व्यवस्था करे, यह बहुत उत्तम विचार है। लेकिन इसे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बना देना और यह कह देना कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, इससे मेरे दृष्टिकोण में कुछ फायदा होने वाला नहीं है।

आज हमारी शिक्षा प्रणाली जिस स्तर पर पहुंच गई है, जिस तौर-तरीके पर पहुंच गई है, अभी यहां नेबरहुड कांसेप्ट का जिक्र किया जा रहा था, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा लेकिन आज हमारी शिक्षा प्रणाली का जो कांसेप्ट हो गया है, जो विचार हो गया है, उससे सिर्फ स्कूल जाना मात्र ही काफी नहीं है। बच्चों को अगर आप प्राइमरी स्कूल कम्पलसरी करे लेकिन उसके साथ-साथ यह भी जरूर बताएं कि हम किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं। आज जो शिक्षा है, उसमें हम दो-तीन बातें देखते हैं। हम लोगों को लिटरेसी मिशन का बुखार चढ़ा है और हम यह चाहते हैं कि आदमी अपने दस्तखत करना जान जाए, उस व्यक्ति को शिक्षित कहने में हमें आनन्द आता है लेकिन इससे राष्ट्र को कोई फायदा नहीं है। आप आंकड़ों का खेल कर सकते हैं। आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे यहां नब्बे प्रतिशत लोग शिक्षित हैं लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंकड़े तैयार करना या बच्चों को सर्टिफिकेट दे देना कि आपने इतने क्लास पास कर लिए हैं और वे नौकरी के लिए चक्कर काटते रहें चाहे समाज में उस प्रकार की शिक्षा की कोई वैल्यू न हो। इस प्रकार की शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम चरित्र निर्माण करें। शिक्षा से एक अच्छा नागरिक तैयार करें। हम व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की दिशा में तैयार करें।

आज जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वे इस वजह से हो रही हैं कि शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार की विचाराधारा से नहीं जोड़ा गया कि हम राष्ट्र के हित के लिए इस व्यवस्था का, इस तौर-तरीके का उपयोग करें। जब तक हम शिक्षा को चरित्र निर्माण के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम राष्ट्र हित के लिए शिक्षा को माध्यम नहीं बनाएंगे। शिक्षा को सिर्फ अनिवार्य करने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उससे नुकसान होगा।

जिस प्रकार की शिक्षा हम आज दे रहे हैं, अगर हम यह तय कर सकें कि इस विचारधारा के आधार पर हम शिक्षा दें तब उसे कम्पलसरी करने का फायदा होगा। अभी नेबरहुड कांसेप्ट की चर्चा हो रही थी, मैं उससे सहमत हूं। यह होना चाहिए लेकिन यह कैसे संभव होगा? आज जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे स्कूलों में है और जिस प्रकार से देश की शिक्षा नीति चल रही है, उसके

अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, वे अपने-अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में भेज सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वे अच्छा नागरिक तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इतने बड़े-बड़े स्कूल अच्छा नागरिक पैदा नहीं कर पा रहे हैं बल्कि स्नॉब्स पैदा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं हैं शायद वे वेस्टर्न कल्चर के लिए अच्छे हों लेकिन हमारी संस्कृति और कल्चर के अनुसार वे नहीं हैं।

पहले हमारी शिक्षा का एक दृष्टिकोण था कि एक परिवार में एक छोटा बच्चा अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से वह पड़ौसियों के साथ व्यवहार करेगा और किस प्रकार से देश के हित में सोचेगा। आज शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेट लेना और पैसा कमाना हो गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

मुझे इस बात को कहते हुए दु:ख होता है कि ये स्कूल स्नोब्स पैदा कर रहे हैं। जैसा कि उदाहरण दिया गया, इन स्कूलों में 45 हजार रुपये साल लिया जाता है, लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं, जहां बच्चे 10-11 हजार रुपए हर महीने दे रहे हैं। छोटे-छोटे स्कूलों में इस स्थिति का होना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में ऐसे स्कूल चल रहे हैं। इस स्थिति में हमको देखना चाहिए कि हम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं।

आपने नेबरहुड कॉन्सैप्ट की बात कही है, यह कॉन्सैप्ट कोई नया नहीं है। पहले हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी। बच्चे गुरु के घर जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। राजा के बेटे राम, उसी गुरु के घर जाते थे, जहां गरीब का बच्चा भी पढ़ता था। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद हमारा दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो गया है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, गुण है, उन सबको हम छोड़ना चाहते हैं। हम उनको भुलाना चाहते हैं। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं कि हम मॉड्रन हो गए हैं, वेस्टर्नाइज हो गए हैं। अगर हम इन पुराने गुणों और पुरानी मान्यताओं को अपनायेंगे, तो हम बैकवर्ड कहलायेंगे या कम्युनल कहलायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इस पर सोचना चाहिए। सदन में सरस्वती वन्दना की बात कही गई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन हमारी जो ऐतिहासिक और पौराणिक विचारधारायें हैं, हमारे जो तौर-तरीके हैं, उनको अपनाने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। आपने नेबरहुड कॉन्सैप्ट की बात कही है, मैं उसका समर्थन करते हुए, आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं, वैसे तो आप जब जवाब देंगे तो बतायेंगे, हमें पुरानी प्रणाली को अपनाने में क्या मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति और पुराने संस्कार वे-ऑफ-लाइफ हैं, जीवन किस प्रकार चलना चाहिए। हमें अपनी पुरानी संस्कृति और संस्कारों की आवश्यकता है।

महोदय, इस प्रकार की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई आसान काम नहीं है। अभी माननीय सदस्य, राधाकृष्ण जी, ने फन्ड्स की बात कही, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा देश विशाल है और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं, इसलिए धन की भी समस्यायें हैं। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं। कारण यह कि वे परिवार के अर्निंग मैम्बर हैं। दस साल की उम्र या उससे पहले से भी वे कमाना शुरू कर देते हैं। यदि किसी परिवार में तीन-चार बच्चे हुए और एक बच्चा दिन-भर कूड़ा-कचरा उठाकर शाम को 20-25 रुपए ले आता है, तो तीन-चार बच्चे मिलकर 100-150 रुपए शाम तक कमा लेते हैं। इस समस्या का निपटारा आप किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार इन बच्चों को स्कूलों में लायेंगे, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा।

जहां तक पर्वतीय क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र और वहां की विषम परिस्थितियों का सवाल है, इन क्षेत्रों की भी अपनी समस्यायें हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं। यदि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपने वही मापदंड अपनाया, जैसे दिल्ली में तीन या चार किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, तो यहां के बच्चे के माता-पिता साइकिल पर बच्चे को बैठाकर स्कूल छोड़ आयेंगे, लेकिन पहाड़ों पर बच्चों को दो-दो, तीन-तीन घन्टे पैदल चलना पड़ता है। ऐसे भी स्कूल हैं, जहां एक तरफ बच्चों को जाने में तीन घन्टे लगते हैं और दूसरी तरफ आने में चार घन्टे लगते हैं। इस प्रकार सात-आठ घन्टे लग जाते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का किस प्रकार निपटारा करेंगे, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए।

माननीय मंत्री जी स्वयं एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसको कम्पलसरी बनाने की व्यवस्था के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करें कि नागरिकों को हम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देना चाहते हैं और उसको सबकी सहमति के साथ लागू करें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खगपति प्रधानी (नवरंगपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं

[श्री खगपति प्रधानी]

इस अनिवार्य, निशुल्क बनाने तथा आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु विधेयक में कही गयी बातों का समर्थन करता हूं।

केरल ऐसा राज्य है जहां शत प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इसका श्रेय प्राथमिक शिक्षा को जाता है। जब तक कोई व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करता, वह साक्षर नहीं बन सकता। यह सर्वप्रथम बात है।

इसके पश्चात् उच्चतर शिक्षा की बात आती है। अत: हमें अपने देश के लोगों के शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों पर अधिक बल देना चाहिये।

महोदय, मैं जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखता हूं। मेरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, हमारे जिले में 18 [illegible] साक्षर हैं तथा हमारे राज्य में 35 प्रतिशत लोग साक्षर [illegible] कार तथा हमारे संविधान द्वारा जनजातीय लोगों तथा कमजोर वर्गों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। संविधान में यह उल्लेख किया गया है:

> "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

महोदय, संविधान द्वारा यह गारन्टी प्रदान की गई है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी हमने केवल 10 प्रतिशत साक्षरता ही प्राप्त की है। जहां तक लोगों को शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न है, इसमें अनेक समस्याएं हैं। टी.आर.डब्ल्यू. विद्यालय बने हुए हैं। उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक छात्रावास की स्थापना की है लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। प्रत्येक छात्रावास में मात्र 40 विद्यार्थी रह सकते हैं और उन्हें 200 रु. प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई लड़का 200 रुपये में किस तरह से अपना निर्वाह कर सकता है। इस 200 रुपये की छात्रवृत्ति राशि में से लगभग 20 से 30 रुपए तेल, साबुन, वस्त्र आदि के लिये काट लिए जाते हैं और शेष 170 अथवा 180 रुपये की राशि से इसे अपना दिन में दो बार का, अर्थात माह में 60 बार, भोजन प्राप्त करना होता है।

पंचायत में, जहां लगभग 3000 से 4000 की आबादी होती है, केवल 40 स्थान होते हैं जोकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित होते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अन्य वर्गों के लिये कोई आवासीय विद्यालय नहीं है। 44,000 की आबादी वाले स्थान पर इन 40 स्थानों के साथ आप शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में साक्षरता अभियान चल रहा है और इसके लिये काफी धनराशि आबंटित की गई है। वे इन लोगों को शिक्षा प्रदान करने तथा उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु अनेक स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना करने जा रहे हैं। जब तक हम इस प्रयोजन हेतु विशेष प्रावधान नहीं करते, हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी।

मैं नहीं समझता कि यह पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल रहेगा। इसके पीछे एकमात्र कारण यही है। हमने प्रत्येक गांव में, पल्ली (छोटा गांव) में विद्यालयों की स्थापना की है। एक विद्यालय में तीन अथवा चार अध्यापक हैं। जैसाकि मेरे पूर्व साथी ने कहा है, अध्यापक गांव से बाहर रहते हैं और वे विद्यालय में काफी दूर से आते हैं और वे वहां एक अथवा दो घंटे रुक कर अपने घर चले जाते हैं।

हम अपने विद्यालयों के भवनों पर काफी धनराशि व्यय कर रहे हैं और अध्यापकों को वेतन प्रदान कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 80 प्रतिशत बालक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं और केवल 20 प्रतिशत विद्यार्थी ही पढ़ना और लिखना सीख पाते हैं।

हमसे इस पूर्ण साक्षरता अभियान से क्या प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है? हम स्वयंसेवी संगठनों पर कोई धनराशि व्यय करने नहीं जा रहे। स्वयंसेवी संगठनों में लोग एक ग्रुप में 12 लोगों को पढ़ाएंगे। अत: कार्य करने वाले इन स्वयंसेवी संगठनों को बिना कोई सहायता दिए और बिना कोई धनराशि प्रदान किये आप उनसे कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षाकृत अधिक बच्चों को प्रशिक्षित अथवा शिक्षित करें?

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे पूर्ण साक्षरता अभियान के इन विद्यालयों विशेषरूप से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में जहां साक्षरता की प्रतिशतता बहुत ही कम है, पर विचार करें। मैंने पहले भी कहा है कि यह दर दस प्रतिशत है। यदि इसमें कोई संदेह हो तो कृपया इसे सत्यापित किया जा सकता है। हमने 50 वर्षों के बाद यही सफलता प्राप्त की है। उन्हें शत-

प्रतिशत साक्षर बनाने में कितने वर्ष और लगेंगे यह मैं नहीं जानता। मैं नहीं समझता कि यह लक्ष्य इस शताब्दी में अथवा अगली शताब्दी में किसी समय प्राप्त किया जा सकता है।

इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे आवासीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये और छात्रवृत्ति राशि में भी पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये ताकि बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी की जा सके। कोई भी बालक इतनी कम धनराशि से छात्रावास नहीं रह सकता और अपना निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिये बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत इतना अधिक है। हमें इसमें कमी करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि संविधान में भी संशोधन किया जाये, यह संशोधन केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के मामले में ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के लोगों के मामले में भी संविधान के प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिये। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों को आवासीय विद्यालयों में अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये ताकि हमें अपनी कोशिश से अधिक साक्षरता प्रतिशत प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि ऐसा समय आयेगा कि हमें कुछ क्षेत्रों में शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और नि:शुल्क किया जाए, इसके लिए माननीय सदस्य मोहन सिंह जी का जो प्रस्ताव है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं श्री मोहन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अहम प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा ही वह शिक्षा है जहां से सभ्यता, संस्कृति और मानव विकास की शुरूआत होती है। लेकिन वह शिक्षा आज बिलकुल नहीं दी जा रही है। आज गांव के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में न भेजकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से खुले हुए निजी शिक्षा-संस्थानों में भेजते हैं। यह बहुत अहम और विचारणीय सवाल है कि ऐसा क्यों है? कौन सी वे स्थितियां हैं और कौन इसके लिए दोषी हैं, यह भी विचारणीय बात है। आज गांव में भी प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ी संख्या में खुलते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल होता है लेकिन निजी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज डर यह है कि अगर शिक्षा का आधार एक नहीं बनाया जाएगा तो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर भी हमला बढ़ता जाएगा। आज गांव के बच्चे शहरों के बड़े-बड़े विद्यालयों में जाते हैं। गांव के लोग किसी तरह से अपने खेत बेचकर अपने बच्चों का वहां नामांकन करा देते हैं लेकिन उसी विद्यालय में पांच लाख की गाड़ी से आने वाले बच्चे भी आते हैं। तब गांव के बच्चे अपने को गरीब पाकर हीन महसूस करते हैं। इसलिए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से इस ढंग की व्यवस्था करनी होगी कि चाहे राजा का बेटा हो या रंक का सब एक समान रहें। यदि एक समान रहने की व्यवस्था नहीं होगी, एक जैसे भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो जो गांवों के गरीब बच्चे हैं, वे मानसिक दृष्टि से कमजोर होना वहीं से शुरू हो जाते हैं।

जहां तक निजी स्कूलों में बच्चों को भेजने का सवाल है, मैं इसके तीन-चार कारण मानता हूं। एक कारण यह है कि आज प्राथमिक विद्यालय में रहने वाले शिक्षकों का राजनीतिकरण हो चुका है। मैं पूरे देश की बात नहीं जानता, मगर मैं जिस प्रांत बिहार से आता हूं, मैं साफतौर पर कहना चाहता हूं कि प्राथमिक विद्यालयों में जितने शिक्षकों के पद होते हैं, उतने शिक्षक नियुक्त नहीं किये जाते। जहां नौ शिक्षकों की रिक्तियां हैं, वहां दो या तीन शिक्षक हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षक विद्यालय जाते भी नहीं हैं। राजनीतिकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देहात की किसी चाय की दुकान पर धोखे से एक ईंट फेंक दी जाए तो किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का ही कपाल फूटेगा क्योंकि स्कूल छोड़कर चाय की दुकान पर बैठे रहना शिक्षकों का काम बन चुका है। इसलिए सबसे पहले राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह शिक्षकों को स्कूलों में जाने के लिए मजबूती से अपने वरीय पदाधिकारियों पर दबाव डाले और इसकी जांच हो ताकि शिक्षक स्कूल जा सकें।

दूसरा कारण मैं यह मानता हूं कि शिक्षकों की बहाली में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके चलते भी योग्य और उचित शिक्षक नहीं आ पाते। मोहन बाबू को सुनकर आश्चर्य होगा कि एक विद्यालय में राम की कथा पढ़ाई जा रही थी। संयोग से डिप्टी इंस्पेक्टर जांच करने वहां चले गए। एक लड़के से उन्होंने पूछा कि बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो वह खड़ा होकर रोने लगा और रोते हुए कहा कि मास्टर साहब, हमने नहीं तोड़ा है, वह बगल वाला लड़का बदमाश है, इसने तोड़ा है। उन्होंने शिक्षक से पूछा कि यह बच्चा क्या उत्तर दे रहा है तो शिक्षक ने कहा कि इस बार गलती माफ कर दीजिए, यह लड़का बदमाश है, इसने जरूर धनुष तोड़ दिया होगा, इसकी मैं पिटाई करूंगा। उसके बाद वह हैडमास्टर साहब के पास गए। उन्होंने पूछा कि जब हमने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा तो बच्चा यह उत्तर दे रहा है और शिक्षक ऐसा उत्तर दे रहा है। आपने कैसे शिक्षक बहाल

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

किये हैं? हैडमास्टर साहब ने कहा कि इस बार गलती माफ कर दीजिए। मैं इसका नाम काटकर निकाल देता हूं। इसको फिर से स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। वह स्कूल के सचिव के पास गए कि आपने कैसा प्रधानाध्यापक और शिक्षक बहाल किया है, तो उन्होंने कहा कि लड़के ने तो गलती कर ही दी, मैं वैसा ही धनुष खरीदकर दे देता हूं, फिर से उसे कोई नहीं तोड़ेगा।

जब इस तरह के शिक्षक और शिक्षा संस्थान चलाने वाली समिति के लोग होंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था से जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इससे भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। ऐसे महकमे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और केन्द्र सरकार को अपने स्तर से व्यवस्था करनी चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में [illegible] से नियुक्ति न हों और जहां राज्य सरकारें आरक्षण से [illegible] हैं, वहां भी केन्द्र सरकार को ऐसा निर्देश जारी [illegible] चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से नियुक्ति न हो सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक राज्य सरकार का नाम लिये बिना कहा था कि प्रैक्टिकल रूप में एक चरवाहा विद्यालय एक राज्य में चलाया जा रहा था। मैं मोहन बाबू से कहना चाहूंगा कि जिस राज्य में आप चरवाहा विद्यालय की चर्चा कर रहे थे, उसे शिक्षा देने की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से चलाया जा रहा था। इस तरह से उसे चलाया जा रहा था कि जो कृषि फार्म की सरकारी जमीन है, उनको हड़पा जाए और एक जाति के लोगों के दखल में वह दी जाए ताकि उस जगह को राजनीति का केन्द्र बिन्दु बनाया जाए और वहां राजनीतिक कार्यालय खोले जाएं। इसलिए वहां का चरवाहा विद्यालय नहीं चल सका। आप बिहार का भ्रमण करें तो पाएंगे कि न कहीं भवन है, न कहीं शिक्षिका हैं, न शिक्षक हैं, न उनमें छात्र हैं, मात्र चरवाहा विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और एक जाति के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। इसलिए कि वहां सरकार की नीयत ठीक नहीं थी और न वहां सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि पढ़ाई हो सके। वह एक राजनीतिक स्टंट था, एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवान न करे कि देश के किसी हिस्से में उस ढंग के चरवाहा विद्यालय को खोलने के प्रस्ताव आयें, नहीं तो अभी जो एक राज्य का दुर्भाग्य है, कहीं यह पूरे देश का दुर्भाग्य न हो जाए।

सभापति महोदय, पहले शिक्षक होते थे जो गुरू के रूप में पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन अब जो शिक्षक विद्यालय में जा रहे हैं, वे गुरू के रूप में नहीं, मास्टर साहब के रूप में जा रहे हैं। गुरू शिक्षा देने का काम करता है और जो उनसे शिक्षा लेता है वह भी उस व्यक्ति को अपने गुरू के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन जब गुरू की नीयत ही ठीक नहीं है तो उस स्थिति में शिक्षा लेने वाले की क्या स्थिति होगी, यह आप सोच सकते हैं। आज शिक्षा का वातावरण कई राज्यों में समाप्त हो चुका है, जिसमें बिहार राज्य प्रमुख है। यहां केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी काफी विद्वान हैं। प्राथमिक शिक्षा के मामले में बिहार का कैसे कल्याण होगा, हम चाहते हैं कि वह इस बारे में गंभीरता से सोचें और कोई उचित राह निकालें।

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो निजी विद्यालय हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। चूंकि ये व्यावसायिक विद्यालय हो चुके हैं। लेकिन इन पर रोक लगाने में तब तक कठिनाई होगी, जब तक कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को मजबूती से संख्या के अनुसार पदस्थापित नहीं किया जायेगा और वहां विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं किया जायेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आज गांवों में यह स्थिति है कि अगर कहीं शिक्षक हैं तो छात्र नहीं हैं और अगर छात्र हैं तो शिक्षक नहीं हैं। यदि दोनों हैं तो विद्यालय भवन नहीं हैं। यदि कहीं भवन है तो डस्टर और चाक तक विद्यालय में नहीं हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए आप आवश्यक कदम उठायें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र से संबंधित दो समस्याओं का जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री जी से करना चाहूंगा। लगभग चार वर्ष से नवोदय विद्यालय सारण, जलालपुर प्रखंड के बंगला गांव में चल रहा है। पहले वहां टीचर ट्रेनिंग स्कूल था, जिसमें आपका विद्यालय चल रहा है। लेकिन सरकारी रुपया न मिलने के कारण वहां नवोदय विद्यालय का अलग से भवन नहीं बन पाया है। वहां जमीन उपलब्ध है। लेकिन बीच में मुझे जानकारी मिली कि वहां के पूर्व मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद जी यह विद्यालय वहां नहीं खोलना चाहते थे। उन्होंने बोम्मई साहब के जमाने में कोई आपत्ति पत्र भेजा था, जिस पर जांच शुरू हो गई। उस विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। लेकिन बोम्मई जी के जमाने में उनकी यह तिकड़म सफल नहीं हो सकी, विद्यालय वहीं पर चल रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि इस बिंदु से संबंधित सारे कागजात लेकर एक-दो दिन में मैं आपसे आपके कार्यालय में मिलूंगा और संबंधित

पेपर्स आपको दूंगा। हम चाहते हैं कि विद्यालय का भवन बनाने के लिए आप केन्द्र सरकार से पैसे का आबंटन कीजिए, ताकि वह विद्यालय सुचारू रूप से चल सके और प्राथमिक शिक्षा वहां सही ढंग से शुरू हो सके। चूंकि आज हम लोग यह मानकर चलते हैं कि नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति अच्छी है। वहां के बच्चे एक अच्छे माहौल का लाभ उठा सकें, अतः आप उस स्कूल को सही ढंग से चालू कराइये।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिस समय चंद्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे, मसरख में एक सैंट्रल स्कूल खोलने की स्वीकृति मिली थी। लेकिन राज्य सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे सकी, जिसके कारण वहां सैंट्रल स्कूल नहीं खुल सकें। हमने आपके यहां पत्र लिखा था, आपने मुझे उत्तर भेजा है कि वहां सैंट्रल स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जमीन उपलब्ध करा दें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि वहां एग्रीकल्चर विभाग की 32 एकड़ जमीन है, जो किसी काम में नहीं आ रही है। आप उस जमीन पर स्कूल खुलवाने हेतु राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगें। लेकिन तब तक अगर आप वहां स्कूल चलाना चाहते हैं तो वहां एक इंटर कालेज है, जिसका मैं सचिव हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको विद्यालय चलाने के लिए और शिक्षकों के रहने के लिए जितने कमरों की जरूरत होगी, मैं आपको उतने कमरों की व्यवस्था करके दे दूंगा, आप मसरख में सैंट्रल स्कूल चालू करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री मोहन सिंह जी को बधाई देता हूं और साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि इस देश की शिक्षा चाहे जितनी प्रगति करे, बिहार की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंभीरता से सोचकर राज्य सरकारों पर निगरानी और अंकुश लगाने का काम करें।

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : सभापति जी, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है और श्री मोहन सिंह जी ने माननीय सदस्यों के दिल को छूने का काम किया है और जिसके माध्यम से पूरे देश की स्थिति की बात हो रही है, इसके लिए मैं उनका बड़ा अहसानमंद हूं। आज यह बात सही है कि संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि सबको शिक्षा दी जाए, लेकिन आज जो हालात हैं उनमें यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस देश में गरीबी बढ़ी है। हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ी है। इसका असर प्राथमिक शिक्षा पर भी पड़ा है। एक कवि ने कहा है - तुतलाता भोला बचपन बिकता हर दुकान में। यह देश की स्थिति है। जिसका बच्चा छोटा है, जिसके पढ़ने की उम्र है, वह पढ़ नहीं रहा है बल्कि पेट की आग को बुझाने के लिए दुकान से टहलुआ का काम कर रहा है। यह स्थिति आज देश में बनी हुई है। जो अनपढ़ लोग हैं वे भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं जिसके कारण देश में गरीबी और बेकारी इतने प्रबल रूप में प्राथमिक शिक्षा को इन्फ्लूएंस कर रही है, जिसका अंदाज नहीं है।

इस देश की जो स्थिति है उसमें यह आवश्यक है कि सबको प्राइमरी शिक्षा मुफ्त मिले और एक जैसी मिले। आज हम अपनी आजादी की 50वीं साल गिरह मना रहे हैं, लेकिन देश में आज भी शिक्षा का एक पैटर्न नहीं कर पाए हैं और तरह-तरह की शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहां गांवों में जो पाठशालाएं हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी ठीक प्रकार से नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा प्रभावित हो रही है। इसके बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया। मैं तो बिहार के कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूं। 1960 के बाद से बिहार में जो कॉलेज खुले वे एक ही जाति और वर्ग के लोगों के लिए खोले गए। प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री होता था, उसकी ही जाति और उसके ही वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार में कॉलेज खोले जाते रहे और उसी जाति का व्यक्ति एस.डी.ओ., कलैक्टर और इंजीनियर बिहार में बनता रहा। तब तो लालू प्रसाद यादव नहीं थे। यहां हमारे ऊपर छींटाकशी की जाती है कि लालू प्रसाद ऐसा कर रहे हैं और वैसा कह रहे हैं। आप बताइए तब तो लालू प्रसाद जी नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह आज से नहीं बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस बात की जांच करा लें कि बिहार में ऐसा हुआ या नहीं।

अपराह्न 5.27 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जिस तरह से एक ही जाति और वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कॉलेज खोले गए, उस बात की जांच कराएं। उससे भी ज्यादा शिक्षा की स्थिति बदतर तब हुई जब लड़कों के नंबर बढ़ाए जाने लगे और बिहार में सब बी.डी.ओ. और मैडीकल आफीसर उसी जाति के लोग बनते चले गए। उस समय लालू यादव कहां था। उस समय तो लालू यादव स्कूल में पढ़ते रहे होंगे। इस प्रकार से छींटाकशी करके बिहार को बदनाम करने की कोशिश यहां की जाती है, वह ठीक नहीं है। इससे बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि पूरा देश बदनाम होगा। बिहार को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जाती है? यह वही बिहार है जहां भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, जहां भगवान महाबीर पैदा हुए। जिसने राजेन्द्र बाबू, जयप्रकाश नारायण और डा. महमूद जैसे लोगों को पैदा किया। उस बिहार में विशेषरूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां आज भी दुनिया की सबसे

[श्री हीरालाल राय]

ज्यादा दौलत है और सबसे अधिक लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसका दुनिया में नाम है। इसलिए बिहार का नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की जो खराब स्थिति है वह केवल बिहार की नहीं है बल्कि पूरे देश की वही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मोहन बाबू ने कहा कि एक लड़का कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो उसके अभिभावकों को 45 या 35 हजार रुपया सालाना फीस देनी होती है। देश में यह असामान्य स्थिति मौजूद है। मैं अपने पड़ोस के राज्य में अपनी रिश्तेदारी में गया। मैंने वहां देखा कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। मैंने पूछा कि क्या कारण है, तो पता लगा कि आज डिप्टी साहब आने वाले हैं। वे केवल इसलिए आने वाले थे कि उस विद्यालय में पढ़ाई-लिखाई के बारे में [illegible] होनी थी और वह शिक्षक, पास के किसी गांव [illegible] अटेंड करने गया था। उसके परिवार वालों ने [illegible] आज उनके भाई की नौकरी चली जाएगी। उसी का कुर्ता पहनकर वह भाई की जगह मास्टरी करने के लिए चला गया। वहां केवल दो ही लड़के थे। जब डिप्टी साहब और मास्टर साहब आये तो उनको मिलाकर चार लोग हो गये। जब लड़के से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरूजी कहां हैं तो वह लड़का थोड़ा हिचकिचाया और हिचकिचा कर भागने लगा। वे कुछ नहीं समझे। उन्होंने कहा कि काहे भाग रहे हो तो मास्टर भी घबरा गये। वहां एक आम का पेड़ गिरा हुआ था। वे तिरछे होकर दौड़े तो उस आम के पेड़ से गिरकर भागे। यह स्थिति बिहार की नहीं है। बिहार को बदनाम करने की साजिश है। आज पूरे देश की यही स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात की है, तो उसे निश्चित रूप से बनाना चाहिए और तेज तरीके से बनाना चाहिए। यहां पर जो भी बातें की गई हैं, मैं उन सबका समर्थन करता हूं।

अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने सैंट्रल स्कूल की बात कही है। वे हमारे छोटे भाई हैं। आपने वह लिख दिया कि सैंट्रल स्कूल छपरा में हो तो हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करें। वह चाहे छपरा में हो या मथुरा में हो। हम लोगों को काम्प्रोमाईज कर लेना चाहिए। इसी तरह नवोदय विद्यालय के बारे में कहा गया है। नवोदय विद्यालय का बोम्मई साहब ने उद्घाटन किया है। वह गरीब इलाके में है। वहां गरीब इलाके में एक स्कूल खुला हुआ है। बंगाल में पहले से चलता है। अगल-बगल में भी स्कूल हैं। मैं उन्हें बढ़ाने या हटाने के लिए नहीं कहता लेकिन नवोदय विद्यालय चले। आज मैं जानता हूं कि बंगाल में नवोदय विद्यालय ठीक से नहीं चल रहे हैं। इसलिए दूसरी जमीन में होना चाहिए। मिसरिख में एजुकेशन बढ़ाने की बात कही गयी है। अगर आप वहां करेंगे तो हम सब साथ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बिहार की स्थिति बहुत खराब है तो आपको पूरा बल देकर बिहार की शिक्षा में सुधार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आपकी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। आज अरबों में इस देश की आबादी हो रही है। अपना देश एक नयी सदी में जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि होने वाले नौनिहालों के साथ भेदभाव न किया जाये। उसके साथ पक्षपात न किया जाये। पैसे के बल पर आज जो अलग तरह की पढ़ाई होती है, उसमें एकरूपता लाई जाये तथा एक ही तरह का पाठ्यक्रम पेश किया जाये। मैं समझता हूं कि इससे देश में बैटर एजुकेशन होगी। इसे करने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री मोहन सिंह जी के विचार का समर्थन करता हूं।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष जी, आधे घंटे की चर्चा का समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपराह्न 5.42 बजे आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, देश के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए माननीय सांसद श्री मोहन सिंह जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाये हैं, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश की शिक्षा व्यवस्था देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो भेदभाव की परम्परा थी, भेदभाव की व्यवस्था थी, वह आजादी मिलने के बाद भी यह भेदभाव की और विषमता की परम्परा नष्ट नहीं हो सकी। यह हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें धन के रूप में लक्ष्मी देवी को पूजा जाता है और जहां शक्ति के रूप में बजरंग बली यानी हनुमान जी की पूजा की जाती है। हमारा देश ऐसा है जहां शिक्षा के नाम पर, सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, जहां पैसे के नाम पर लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है, वहां हमारा देश दुनिया का सबसे निर्धन देश है। जहां शक्ति के रूप में बजरंग बली जी की पूजा की जाती है, वह दुनिया का सबसे कमजोर देश है। जहां सरस्वती देवी के रूप में शिक्षा की पूजा की जाती है, वहीं हमारे देश में अनपढ़, निरक्षर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज जब हमारे कई सत्ता पक्ष के सम्माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए सरस्वती वंदना की बात की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस धर्म व्यवस्था ने, जिन लोगों ने, जिस समाज व्यवस्था ने इस देश के

दलितों, शोषितों, पीड़ितों को भगवान की पूजा के लिए मंदिरों में जाने की मनाही की, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की मनाही की, संस्कृत भाषा पढ़ने की मनाही की, आज वही लोग स्कूलों में जबरदस्ती सरस्वती की पूजा करने की बात थोप रहे हैं, जो उनके लिए शोभा नहीं देता। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम : क्या आप एक मिनट के लिए यील्ड करेंगे। मैं आपको एक ईशू पर करैक्ट करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* यह हमारा धर्म ऐलाव नहीं करता। हमारे वेद-व्यास, जो सबसे बड़े पूज्य भगवान हैं, वे एक दलित के पुत्र थे। ...*(व्यवधान)* आप धर्म का गलत प्रचार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : दलितों, शोषितों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते,

"सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।

मैं यह बताना चाहता हूं कि भाषा और भगवान के नाम पर आज तक जो प्रतिबंध लगाया गया, उस प्रतिबंध को आज फिर से थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यह जबरदस्ती क्यों? मैं इस चर्चा में उस का संदर्भ मात्र देना चाहता हूं, इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता।

हमारे देश में जो स्कूलों की व्यवस्था है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में विषमता फैली हुई है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। रईसों के बच्चों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के बच्चों के लिए अलग स्कूल और गरीबों के बच्चों के लिए अलग स्कूल है। आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, देहात के स्कूल में पढ़ने वाला, जिला परिषद के स्कूल में पढ़ने वाले का स्तर देख लीजिए, कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी के स्कूल देख लीजिए और दूसरी ओर कान्वेंट स्कूल देख लीजिए। उन सारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग प्रकार की है। फिर इस देश के बच्चे का एक जैसा निर्माण कैसे हो सकता है, उन्हें एक जैसा मौका कैसे मिल सकता है? इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमता हैं, उसे नष्ट करने के लिए श्री मोहन सिंह जो संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे देश में कई योजनाएं चलाई गईं नैशनल लिट्रैसी कैम्पेन चलाया गया, औप्रेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, उसके बावजूद भी आज हमारे देश के गांवों में पढ़ने वाला बच्चा, निर्धन, गरीब होने की वजह से, जिनके माता-पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, हाथ पर, पत्ते पर खाने वाले लोग, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि 6-7 साल का बच्चा अपने माता-पिता के साथ अपने घर-संसार को चलाने के लिए, बेचारा स्कूल, बस्ता, किताबें छोड़कर रास्ते पर भटकता है, कहीं कागज चुनता है, कहीं कूड़ा-कचरा बेचता है, चाय की दुकानों, होटलों, कारखानों में काम करता है और वहीं उसका बचपन खो जाता है जो हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बच्चे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और इसीलिए इस देश के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हम एक तरफ क्वालीफिकेशन्स की बात करते हैं, एक तरफ मैरिट की बात करते हैं लेकिन मैरिट किस चीज की होनी चाहिए, जब समान दर्जा नहीं मिलेगा, समान संधि नहीं मिलेगी, समान ऑपौरचुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर गुणवत्ता और मेरिट की बात किस आधार पर कर सकते हैं। इसीलिए डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में, जैसे कि हमारे बुजुर्ग सांसद ने कहा कि इस देश का जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको शिक्षा से उपेक्षित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, जिस व्यवस्था में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। जिस व्यवस्था में शम्बूक को शिक्षा लेने के अपराध में मार डाला, वही व्यवस्था आज भी इस देश में कायम है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था ध्वस्त होनी चाहिए। लिखना-पढ़ना आना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे बच्चों में विज्ञानवादी दृष्टिकोण भी आनी चाहिए, मानवतावादी दृष्टिकोण भी आना चाहिए, समानता का, भाईचारे का दृष्टिकोण भी आना चाहिए, सैकुलर दृष्टिकोण भी हमारे बच्चों में आना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा का स्तर होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम प्राइमरी शिक्षा तक सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। यह न हो कि कोई कॉन्वेंट में जा रहा है, कोई देहरादून स्कूल में पढ़ रहा है, कोई शिमला के स्कूल में पढ़ रहा है, कोई पंचगनी, महाबलेश्वर के स्कूल में पढ़ रहा है, कोई मुंबई के बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमारा बच्चा, जो गांव देहातों के स्कूल में जाता है, जहां स्कूल का भवन होता है तो छत नदारद होती है, जहां ब्लैक-बोर्ड होता है तो चाक स्टिक नहीं होती, चाक स्टिक और ब्लैक बोर्ड होता है तो शिक्षक नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, टीचर होता है तो विद्यार्थी नहीं होते, ऐसी हमारी शिक्षा की स्थिति आज देश में है।

इसीलिए इस विधेयक को समर्थन देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में गरीबी अमीरी की जो भेदभावमूलक शिक्षा व्यवस्था है, इसको बन्द करना है और सभी को समान मौका देना है, चाहे गांव देहात में रहने वाला हो, चाहे हमारे बहुजन समाज

[प्रो. जोगेन्द्र कवाडे]

का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे जंगल पहाड़ में रहने वाला हमारे आदिवासी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। जो विधेयक मोहन सिंह जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमारे देश का बच्चा यह कह रहा है, हमारे ग्रामीण भाग में रहने वाले, देहातों में रहने वाले बच्चे कह रहे हैं:

'मानता हूं, मैं भटकता हूं, स्वर भरे कोई बुलाये तो,
रोशनी का मैं नहीं दुश्मन, वह किरण कोई दिखाये तो।'

उस शिक्षा की रोशनी की किरण को हमारा गांव का, देहात [illegible]-झोंपड़ी में रहने वाला हमारा गरीब का बच्चा [illegible] उनसे उनको वंचित न करें। इसीलिए हमारे [illegible] जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में प्राथमिक शिक्षा का समावेश करने का जो प्रस्ताव मोहन सिंह जी लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं मोहन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देकर जय भीम करता हूं।

अपराह्न 5.43 बजे

जनसंख्या नियंत्रण (विशेष उपबंध) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा शुरू करने से पहले श्री सत्य पाल जैन द्वारा एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

श्री सत्यपाल जैन अब अपने विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु सभा की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला ने इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध हेतु नोटिस दिया है। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः, मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित।

प्रश्न यह है:

"कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इस बिल का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक की बारी आने पर शुक्रवार को इस पर पुनः चर्चा की जाएगी। तब आप इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए अपना नाम दे सकते हैं।

अपराह्न 5.45 बजे

आधे घंटे की चर्चा

चीनी के आयात शुल्क में वृद्धि

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 21 के चर्चा हेतु लेंगे। श्री के.एस. राव।

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, सामान्यतः सरकार द्वारा प्रतिपादित अथवा घोषित नीति में राष्ट्रीय हित को हमेशा

ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदारीकरण में विश्वास रखने वाले अधिकांश देश भी अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हैं। प्रतिदिन उदारीकरण एवं सामान की निर्मुक्त आवाजाही आदि की वकालत करने वाले अमरीका जैसे देश भी राष्ट्रीय हित को प्रभावित होते देख कुछ वस्तुओं का अपने बाजार में प्रवेश रोकने के लिए एंटी-डम्पिंग शुल्क लगा देते हैं। एक देश जो कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर ज्यादा निर्भर है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार की नीतियां देश विरोधी हैं, विशेष रूप से तब, जबकि खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह घोषणा करते हैं कि देश में उपलब्ध चीनी का भण्डार देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त है और बाजार में भी इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। यह बात मेरी समझ से परे है कि वित्त मंत्री ने चीनी उद्योग के अनुरोध पर कार्यवाही क्यों नहीं की जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की लगभग 40,000 करोड़ रुपये की राशि लगी हुई है। यहां केवल धनराशि का ही प्रश्न नहीं है अपितु जैसा कि आप जानते हैं, 45 मिलियन गन्ना उत्पादक और लगभग दो मिलियन श्रमिक चीनी उद्योग पर आश्रित हैं। ये सभी सरकार की चीनी आयात को शुल्क-मुक्त किए जाने सम्बन्धी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और काफी जोर दिए जाने पर सरकार ने इस पर केवल पांच प्रतिशत कर लगाने की बात मानी है, जबकि देश के कृषक समुदाय और गन्ना उत्पादकों की यह मांग थी कि घरेलू उद्योगों को बचाने तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु इस शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाए।

यह विदित है कि माननीय खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री ने इस शुल्क को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध करते हुए वित्त मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है। तथापि, वित्त मंत्री ने न केवल गन्ना उत्पादकों की उचित मांग को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि अपने सहयोगी माननीय खाद्य मंत्री के अनुरोध को भी ठुकरा दिया है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि इसके क्या कारण हैं।

ऐसे दृष्टांत हैं जब हमने माननीय वित्त मंत्री का ध्यान तैयार माल के उत्पादन हेतु कुछ अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात पर अधिक शुल्क लगाने की ओर दिलाया है। जब भारतीय उद्योगपति 10 प्रतिशत कलपुर्जों के आयात से माल के शत-प्रतिशत उत्पादन के लिए तैयार हैं तो आयात शुल्क ज्यादा है, जबकि माल के शत प्रतिशत आयात पर आयात शुल्क कम है। यह बहुत बड़ी विसंगति है। जहां वह राष्ट्र हित के विरुद्ध ऐसा कर सकते हैं, वहीं यह भी सम्भव है कि वह यहां भी ऐसा ही करना चाहते हों। कुछ निहित स्वार्थों की सहायता से, वह किसानों और देश के हितों की परवाह किए बिना चीनी का आयात करना चाहते हैं।

विभिन्न अवसरों पर आयात और निर्यात की इन अनियमित नीतियों से देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम यह बात समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति हथियार, विमान और बड़े कंप्यूटर बनाने के क्षेत्र में, जहां लाभप्रदता 1000 प्रतिशत है, बेहतर नहीं है। भेषज और औषधों के फार्मूलेशनों के क्षेत्र में दूसरे देश 1000 प्रतिशत, 100 प्रतिशत लाभ अर्जित कर रहे है, जबकि हमारे देश में इन कृषि आधारित क्षेत्रों में लाभप्रदता बहुत कम है। हमारे पास बेहतर अनुसंधान और विकास सुविधाएं नहीं हैं। इस देश में फलीभूत हो रहे उद्योग का विनाश नहीं किया जाना चाहिए। चीनी उद्योग एक ऐसा ही उद्योग है। इसे केबिनेट के एक माननीय मंत्री के इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जबकि दूसरे माननीय मंत्री इस वास्तविकता को समझते और मानते हैं।

महोदय, मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। चीनी उद्योग गत एक वर्ष से सरकार पर बार-बार यह प्रभाव डालता रहा है कि यदि सरकार इस संबंध में कार्यवाही नहीं करती है और अन्य देशों से चीनी का आयात बंद नहीं करती है, तो इस देश में लगभग 450 चीनी मिलें रुग्ण हो जाएंगी।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हम पाकिस्तान से चीनी का आयात कर रहे हैं जिसका उत्पादन तीन मिलियन टन है, जबकि हमारा चीनी उत्पादन लगभग 15.5 मिलियन टन है। चीनी उद्योग ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार की उचित नीतियों से वे चीनी का निर्यात भी कर सकते हैं और प्रति वर्ष 4000 करोड़ रुपये की राशि अर्जित कर सकते हैं। गत एक वर्ष में लगभग एक मिलियन टन चीनी का आयात करके देश को 1200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है। मंत्री महोदय हर रोज विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा भण्डार और व्यापार घाटे के महत्व के बारे में बात करते हैं। जहां वे विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने के बारे में हो-हल्ला करते रहते हैं, वहीं मैं यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने इस संबंध में 400 करोड़ रुपये का घाटा क्यों उठाया। जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हमारे देश में ऐसे प्रगतिशील किसानों की कमी है जो चीनी और गन्ने का पर्याप्त उत्पादन कर सकें? हमारे पास चीनी का अधिक उत्पादन करने हेतु पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और क्षमता है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हमारी उत्पादन क्षमता कम हो रही है और किसान प्रभावित हो रहे हैं।

महोदय, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जहां गन्ने का उत्पादन हो रहा है, सरकार की अस्थिर नीतियों के कारण किसान गन्ने को छोड़कर अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे हैं। यदि कुछ समय में ही बड़ी संख्या में किसान गन्ने की बजाय अन्य फसलों का

[श्री के.एस. राव]

उत्पादन करने लगें तो वास्तव में चीनी का आयात करने की आवश्यकता होगी और हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी बजाय, यदि सरकार इस विषय की विस्तार से जांच करे, समस्याओं को समझे और इस देश के किसानों को प्रोत्साहित करे, तो हम न केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बल्कि अन्य देशों को निर्यात हेतु भी प्रचुर मात्रा में चीनी का उत्पादन कर सकते हैं।

महोदय, मैंने अपने माननीय सहयोगियों और माननीय अध्यक्ष का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहा था कि कुछ मंत्रियों की नीति राष्ट्र को कैसे प्रभावित कर रही है। इस मामले विशेष में, यह बात सभी को विदित है कि वित्त मंत्री अपने सहयोगियों की बात भी नहीं मान रहे हैं। अतः मैं यह चाहता हूं कि पूरी सभा एकमत होकर देश में चीनी के आयात को रोके, हमारे देश में और चीनी का उत्पादन करने की क्षमता है।

[illegible] निर्माताओं का कहना है कि देश में चीनी की उत्पादन लागत, अनियमित नीतियों के होने के बावजूद भी, 12 रुपये प्रति किलोग्राम आ रही है और आयातित चीनी पर 10 से 15 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने पर भी इसकी कीमत केवल 14 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इसका यह तात्पर्य है कि कीमतों को घटाने पर भी न तो अधिक बचत होगी और न ही उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ऐसी स्थिति में, चीनी का आयात करने की क्या आवश्यकता है?

इसी प्रकार, मैं यह समझता हूं कि चीनी के उत्पादन पर सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपये की कर राशि प्राप्त हो रही है। यदि सरकार चाहे तो स्थानीय उत्पाद शुल्क को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत कर सकती है। इस प्रकार हम कई अन्य उपाय ढूंढकर केवल चीनी का ही नहीं अपितु विभिन्न अन्य खाद्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे।

महोदय, वे खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री हैं और हाल ही में कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। क्या हमारे देश में इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले किसानों की कमी है? वे इनका उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं? वे इनका उत्पादन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका समर्थन मूल्य बहुत कम है। यदि किसानों को किसी विशेष फसल की खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो यह स्वाभाविक है कि वे उस फसल की खेती नहीं करेंगे। इस स्थिति में देश का व्यापारी समुदाय, निर्यातक और आयातक ही लाभ उठाएंगे। उनका कहना है कि देश में उस विशेष वस्तु की अत्यधिक कमी है, इसके बाद कीमतें बढ़ जाएंगी और तत्पश्चात् वे यह कहेंगे कि इसका आयात करना होगा। आयात करने के बाद कीमतें फिर कम हो जायेंगी और किसान इसकी खेती से फिर भी विमुख रहेंगे। यदि सरकार किसानों के लिए उचित समर्थन मूल्य देने का निर्णय लेती है तो लोग देश के लिए आवश्यक कृषि उत्पादों का अन्य देशों की तुलना में देश में ही अपेक्षाकृत सस्ती दर पर उत्पादन कर सकते हैं। कई बार हम यह देखते हैं कि किसानों को बहुत कम कीमतें मिल रही हैं। परन्तु जब उत्पाद किसान के हाथ से निकलकर कमीशन एजेंटों अथवा व्यापारियों के हाथ में पहुंचता है तो इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हमें इस विसंगति को दूर करना होगा। अतः किसानों को बढ़ी हुई कीमतें देने से उपभोक्ता प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह उद्योग सरकार की अनियमित आयात और निर्यात संबंध नीति अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अभाव में प्रभावित हो रहा है। माननीय मंत्री पहले ही इस बात का समर्थन कर चुके हैं। माननीय मंत्री से अधिक मैं माननीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी सभा से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को महसूस करें कि गलत नीतियों के कारण यह देश किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। हमें अन्य देशों से चीनी के आयात पर रोक लगाने और किसानों, गन्ना उत्पादकों एवं चीनी मिल उद्योग को सही कीमत देने संबंधी मामले का सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार दो और माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राव जी ने जो बातें कहीं हैं, उनसे दो-तीन बातें उत्पन्न होती हैं, जिनके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं। वर्तमान में हमारे यहां जो चीनी का स्टाक है, वह पर्याप्त है। आने वाले समय में जो चीनी का उत्पादन होने वाला है और जो सरकारी आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार चीनी का इतना उत्पादन होगा कि हमें किसी प्रकार चीनी के आयात की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी दशा में बाहर से जो चीनी आयात होती है, उस पर शुल्क लगाकर आयात को रोक सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि चीनी को आयात करने की स्थिति क्यों पैदा होती है? बार-बार चीनी आयात करने की बात कही जाती है, इससे देश में किसी प्रकार चीनी का संकट न होते हुए भी चीनी का संकट पैदा हो जाता है। वैसे स्थिति का अनुमान लगाकर ही चीनी का आयात किया जाता है। मैं आपके माध्यम से एक बात मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। पहले चीनी का आयात नाफेड के द्वारा हुआ था। कम दामों पर सौदा हुआ

था, लेकिन बाद में ज्यादा दामों पर किया गया। जो जहाज अमरीका से आने वाला था, वह दूसरी जगह चला गया, इससे चीनी के दाम बढ़ गए और चीनी का दाम 400 डालर प्रतिटन हो गया। इस कारण भी चीनी काफी महंगी हो गई। यह घोटाला भी चीनी घोटाला के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत को 28.75 लाख डालर विदेशी मुद्रा की हानि हुई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा न होने दे और कृत्रिम अभाव चीनी का पैदा करके जो संकट खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार क्या करना चाहती है? माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि इस समय देश में चीनी के स्टाक की सीमा क्या है?

साथ-साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वर्तमान में किसानों को उनके उत्पादन का दाम अत्यधिक कम है, उन्हें पूरा दाम दिया जाना चाहिए। मैं एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं। गन्ना उत्पादकों की करोड़ों रुपए की राशि अलग-अलग मिलों के पास हो गई है। मिलें काफी पुरानी हो गई हैं और इनको आधुनिक बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1997-98 में साफ-साफ कहा गया है कि चीनी विकास कोष खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा 1996-97 में आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्यक्रमों के लिए तीन सहकारी मिलों को ऋण सहायता दी गई थी और अन्य मिलों को जो सहायता दी गई थी, उसके बाद भी उनका आधुनिकीकरण न होने से और विस्तार न होने से लाभ नहीं हुआ है। हमारी जो पुरानी चीनी मिलें हैं, उनकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टि से उनको ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

मैं एक बात पेमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। किसानों के गन्ने का पेमेंट समय पर होना चाहिए। शुगर केन एक्ट बना हुआ है, शुगर केन कंट्रोल आर्डर भी है, उसमें प्रावधान उस एक्ट के अनुसार प्रावधान हैं कि अगर 15 दिनों के अन्दर किसानों को पेमेंट नहीं होता है, तो उनको ब्याज के साथ पेमेंट होगा। लेकिन कई चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनका पेमेंट के साथ ब्याज भी दिलाने की व्यवस्था करे और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कदम उठाए। जगह-जगह सहकारी समितियां बनी हुई हैं केन काउंसिल भी बनी हुई है। और जहां-जहां भी इनके द्वारा गन्ना उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं, इन कार्यक्रमों पर काफी पैसा खर्च होता है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इस कारण भी चीनी मिलें बन्द होती जा रही हैं और हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। चीनी मिलें बन्द न हो, उनको आर्थिक सहायता दी जाए और किसानों को पर्याप्त राशि दी जाए तथा आयात के बारे में पुनर्विचार करे व घोटाले को रोकने का सरकार प्रयत्न करे।

अपराह्न 6.00 बजे

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आधे घंटे की चर्चा में अभी दस मिनट कुल हुए हैं और मेरे तीन प्रश्न हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप तीन प्रश्नों को एक प्रश्न के रूप में पूछिए।

श्री अमर पाल सिंह : महोदय, ठीक है। 1991-92 में हमारा देश चीनी का निर्यात कर रहा था। किसान ने गन्ने का अधिक उत्पादन किया था लेकिन उसकी आर्थिक दुर्दशा हो गई। खेत में गन्ना जलाना पड़ा, इस कारण गन्ने का उत्पादन गिरा। 1994-95 में शुगर का उत्पादन कम हुआ और देश में चीनी का संकट पैदा हुआ तथा 20 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति किलो चीनी बिकी। 1994-95 में चीनी आयात करनी पड़ी, देश को घाटा उठाना पड़ा।

महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया था कि प्याज का उत्पादन अधिक हुआ, प्याज खेत में सड़ गया इसलिए महंगा हो गया। आलू भी महंगा हो गया क्योंकि यह भी 1996-97 में सड़ गया और उसकी आर्थिक दुर्दशा हुई। अब यह जो आयात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या बात है? 10 अक्तूबर को 54 लाख टन चीनी का स्टाक था और 100 लाख टन चीनी पैदा होने का अनुमान है। वार्षिक खपत 143 लाख टन है इसलिए चीनी आयात पर अविलम्ब प्रतिबंध लगना चाहिए। डब्ल्यू.टी.ओ. में भी 150 प्रतिशत तक आयात शुल्क लग सकता है, इस प्रकार अविलम्ब 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम पंजाब से दस रुपए और हरियाणा से प्रति क्विंटल कम है तथा मिलों की रिकवरी हरियाणा और पंजाब से ज्यादा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या उपाय करेंगे? उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका निराकरण करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेंगे, कुछ आदेश जारी करेंगे या गन्ना किसानों को इस तरह लुटने देंगे। देश में विद्युत की कमी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा कि एक ही सवाल कहें।

श्री अमर पाल सिंह : मेरा एक ही सवाल कंटीन्यू है। महोदय, दुनिया भर में विद्युत की कमी है और चीनी उद्योग

[श्री अमर पाल सिंह]

में विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है। वर्ल्ड में जो 25,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन क्रेश कर रही है वह चीनी मिल खोई से अल्ट्रामॉडर्न और हाई प्रेशर बॉयलर लगा कर 25 मेगावाट विद्युत प्रतिदिन उत्पादन कर रही है। हमारे देश में ऐसी-ऐसी मिलें हैं जो एक लाख क्विंटल गन्ना पेर रही हैं, जो सौ मेगावाट प्रतिदिन बना सकती हैं। 50,000 मेगावाट विद्युत बना सकती है। क्या उन्हें सरकार कुछ विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए राहत देगी? धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नाम दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपका नाम पुकारा था तो उस समय आप कहां थे? अब आपका अधिकार नहीं है फिर भी मैं आपको केवल एक प्रश्न पूछने का अवसर देता हूं। इसमें भाषण नहीं होता। रूल क्लियर है, यहां स्टेटमेंट बनने के बाद जो प्रश्न पूछते हैं उनमें दो माननीय सदस्यों के नाम होते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे चीनी पर पूछने के लिए मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति इस समय गन्ना उत्पादकों के चीनी मिलों की है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, कल्याण सिंह जी ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर मना किया है कि चीनी का आयात न किया जाए। पिछले वर्ष का करीब 200 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान का किसानों का बाकी है। क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई कारगर कदम किसानों के हित के लिए उठाएंगे ताकि इसमें किसानों का हित हो सके और किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियमानुसार आधे घंटे की चर्चा में केवल तीन माननीय सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं। एक विशेष मामले के रूप में मैं आपको केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। अतः केवल तीन माननीय सदस्य एक-एक लघु प्रश्न पूछ सकते हैं। तत्पश्चात् माननीय मंत्री उत्तर देंगे। इसके बाद इसे एक परम्परा नहीं माना जायेगा।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे गन्ना उद्योग और गन्ना उत्पादक किसान प्रभावित हो रहे हैं।

माननीय मंत्री, श्री मदन लाल खुराना अभी-अभी यहां आए हैं। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर सभा में एक वक्तव्य दिया था। श्री खुराना को यह याद होगा कि उन्होंने भी इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि सरकार चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। 3 दिसम्बर, 1998 को उन्होंने यह कहा था कि सरकार इस विषय पर दो या तीन के भीतर विचार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी यह कहा था कि वे इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। तो फिर समस्या किस बात की है?

यह आरोप है कि कुछ ऊंचे लोग पाकिस्तान से चीनी का आयात कर रहे हैं और सिर्फ उनको आयात करने की अनुमति देने के लिए आयात शुल्क नहीं बढ़ाया जा रहा है।

मैं सरकार द्वारा इस बारे में लिए गए निर्णय के संबंध में सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। क्या सरकार आयात शुल्क को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर रही है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी का बयान रेडियो और टी.वी. पर आया कि सरकार चीनी का आयात नहीं करेगी। उनके बयान को मद्देनजर रखते हुए श्री खुराना जी ने संसद में कहा कि अब दो-तीन दिनों के बाद चीनी का आयात नहीं होगा। वाणिज्य मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े जी ने कहा कि अब चीनी का आयात नहीं होगा। खाद्य मंत्री श्री बरनाला जी ने कहा कि चीनी का आयात होगा तो 40 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन आज भी चीनी का आयात भारी मात्रा में हो रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 150 लाख टन चीनी का उत्पादन होने वाला है और 54 लाख टन हमारे पास पहले से ही है, तो 205 लाख टन चीनी जब आपके पास है और कुल 150 लाख टन की आपको आवश्यकता है, फिर विदेश से चीनी मंगाकर हिन्दुस्तान के चीनी उद्योग को नष्ट करने का सरकार क्यों प्रयास कर रही है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आज चीनी मिलों की दुर्दशा हो रही है। पहले चीनी मिलों को लाइसेंस लेना पड़ता था लेकिन इस सरकार ने चीनो मिलों को डी-लाइसेंस कर दिया है। जब लाइसेंस था तब चीनी मिलों को बनाने के लिए दो साल पहले लाइसेंस दिये गये थे लेकिन उन्होंने अभी तक चीनी मिलें लगाई नहीं हैं और अब डी-लाइसेंस कर दिया गया है। क्या यह गन्ना किसानों के हित में होगा कि वहां पर छूट दे दी जाए क्योंकि हमको यह बताया गया है कि जहां लाइसेंस इश्यू है और लाइसेंस धारक अगर मना करेंगे तो वहां नयी चीनी मिलें नहीं लगाई जाएंगी, और वे मना नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि किसानों को बहुत परेशानी है, नयी चीनी मिलें बन नहीं रही हैं। मैं स्पैसिफिक प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने दो-दो, तीन-तीन साल से बेचने के लिए लाइसेंस ले रखे थे ऐसे फ्रॉड लोगों के लाइसेंस आप रद्द करेंगे जिससे नये लोग चीनी मिलें लगा सकें।

[अनुवाद]

श्री के. पलानी स्वामी (तिरूचेंगोडे) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु में यही एकमात्र लाभकारी फसल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास चीनी का पर्याप्त भण्डार है तो सरकार को चीनी के आयात की क्या आवश्यकता है।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : केरल राज्य चीनी और गन्ने के मामले में शत-प्रतिशत उपभोक्ता राज्य है।

पहले, केन्द्र सरकार द्वारा राशन की दुकानों और उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए चीनी का कोटा जारी किया जाता था। अब, लाइसेंस समाप्त कर दिए जाने के बाद, स्थिति बदल गयी है और केन्द्र सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम, दोनों चीनी की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। राशन की दुकानों में चीनी की बहुत कम मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। अतः, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह चीनी की आपूर्ति को पहले की तरह बहाल करे ताकि राशन की दुकानों के माध्यम से इसकी आम आदमी के लिए बिक्री की जा सके। हमारे यहां एक अत्यंत कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और यह प्रणाली अब संकट में है क्योंकि हमें केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में चीनी नहीं मिलती है। इसलिए, मैं माननीय खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसकी आपूर्ति को पहले की तरह जारी रखा जाए।

श्री शरद पवार (बारामती) : केरल के हमारे माननीय मित्र ने अभी-अभी यह मुद्दा उठाया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की कमी है। ऐसा प्रबंधन संबंधी समस्या के कारण हुआ है क्योंकि पिछले वर्ष 45 प्रतिशत का अतिरिक्त भण्डार था। इस वर्ष इसका सामान्य उत्पादन देश की आवश्यकता से कहीं अधिक होगा। इस पृष्ठभूमि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी दुकान अथवा किसी उचित दर की दुकान के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रबंधन संबंधी समस्या थी। मेरे विचार से इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को थोड़ा प्रयास करना होगा।

दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 10 लाख टन से भी अधिक चीनी का पहले ही आयात किया जा चुका है और हमारी जानकारी के अनुसार 19 लाख टन और चीनी के आयात के लिए समझौता किया गया है। इससे गन्ने की खेती में लगा समग्र कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। मेरे विचार से सरकार के लिए ठोस निर्णय लेने का यह सही समय है। शीर्ष स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री स्तर पर कई बैठकें की गईं। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि वास्तव में हो क्या रहा है। सरकार द्वारा इसके आयात पर भारी शुल्क लगाए जाने, इसके आयात को रोके जाने और देश के किसानों को बचाने का यही उपयुक्त समय है।

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो चीनी उद्योग के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए हैं, वे वास्तव में बहुत ही रेलीवेण्ट हैं क्योंकि यह ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इसमें जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने सबसे पहले कहा था कि करीब दो मिलियन लेबर का सवाल है और साथ-साथ किसानों की काफी समस्याएं भी हैं जिनका निदान होना चाहिए। दो-तीन प्रश्न आज उठाए गए हैं। एक प्रश्न उठाया गया कि जो पांच प्रतिशत लेवी हुई है, इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है और मांग की गई कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह भी उठाया गया कि किसानों को गन्ने का मूल्य कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम मिलता है। पंजाब तथा हरियाणा में ज्यादा बताया गया है और उत्तर प्रदेश में कम बताया गया है। यह कहा गया कि गन्ने के मूल्य में कोई यूनैनिमिटी नहीं है और यूनैनिमिटी होनी चाहिए। मैं इसमें से हरेक पर संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा।

पहली बात यह है कि इस साल जो बकाया है, उस बकाया के संबंध में मेरा कहना है कि अगर पिछला रिकार्ड देख लिया जाए तो 1995-96 में 625.88 करोड़ रुपया बकाया था जो 6.9 प्रतिशत होता है। 1996-97 में 389.4 करोड़ रुपया बकाया था जो 5.34 प्रतिशत होता है और इस वर्ष 1998-99 में मात्र 130.89 करोड़ रुपया बकाया है, जो टोटल पेमेण्ट हुआ है, उसका 5.63

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

परसेंट है। हमारा कहना यह है कि सबसे कम बकाया इस वर्ष में है और जो भी बकाया बाकी रह गया है, इसके संबंध में मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक मुख्य मंत्री को केटागरिकली लिख दिया गया है कि इनकी पेमेण्ट जल्दी से जल्दी करें।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र वर्मा (कैराना) : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियम उद्धृत करना होगा। आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

वर्मा : मैं नहीं जानता। माननीय मंत्री जी जो कह ... से संबंधित कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं है तो आप व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्यों उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मंत्री जी यही कह दें कि जो बकाया पड़ा है उस पर सरकार के कानून के मुताबिक 15 फीसदी का सूद क्यों नहीं दिलवाते, क्या आप वह सूद दिलवायेंगे?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों का पेमेन्ट का अधिकार पूरी तरह से हर राज्य सरकार का है। यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनको पेमेन्ट करें। हमने हर एक मुख्य मंत्री को लिखा है कि वह जल्दी से जल्दी किसानों का पेमेन्ट करें। उनका पेमेन्ट करने का उत्तरदायित्व पूरी तरीके से राज्य सरकारों का है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न किया था कि जो बकाया है उस पर शुगर केन एक्ट केन्द्र का है और वह इंटरेस्ट राज्य सरकारें नहीं दिलवाती हैं और मिल वाले भी नहीं देते हैं। फिर एक्ट का पालन क्यों नहीं हो रहा है। आप उस एक्ट का पालन क्यों नहीं करवाते हैं कि अगर उनको लेट पेमेन्ट दिया जाता है तो उनको इंटरेस्ट दिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पांडेय जी ने जो प्रश्न उठाया है कि इनके बकाये पर सूद क्यों नहीं दिया जा रहा है। उस पर मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि यह राज्य सरकारों को देना है। जहां मैंने यह लिखा है कि इनका पेमेन्ट जल्दी किया जाए, वहीं इस विषय में प्रत्येक राज्य सरकार के लिए हम लिखेंगे कि केन्द्र सरकार के कानून का अनुपालन किया जाए।

दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि हर स्टेट में कीमतें डिफर कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 80 से 82 रुपये है, पंजाब और हरियाणा में 90 से 95 रुपये है तथा अन्य प्रदेशों में अलग-अलग कीमतें हैं। एस.एम.पी. प्राइस केन्द्र सरकार तय करती है, एस.एम.पी. प्राइस 52.70 रुपये हम लोगों ने तय किया है।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : यह बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव : हां, हर एक राज्य सरकार ने इसमें सपोर्ट प्राइस मिलाकर उसको बढ़ाया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 रुपये से 82 रुपये है। जहां तक पंजाब और हरियाणा का प्रश्न है, वहां हमने इस संबंध में मालूमात की तो वहां चीनी मिलों में जो क्रशिंग कैपेसिटी है, उसके मुकाबले वहां गन्ने का उत्पादन कम है। वहां की सरकार ने इन्सैंटिव दिया है कि वह 90-95 रुपये देकर गन्ना किसानों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो। इस तरह का अधिकार प्रत्येक राज्य सरकार को है कि वह गन्ने का उत्पादन बढ़ाये तथा राज्य गन्ना किसानों का मूल्य उनकी सुविधा, उनकी लागत मूल्य के अनुसार तय करे। यह हर राज्य सरकार का कर्त्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद इम्पोर्ट का प्रश्न आता है। जिस पर हमारे माननीय नेता विरोधी दल प्रधान मंत्री जी के पास गये थे और मैं समझता हूं कि आपके साथ एन.एस.सी.एफ. के लोग भी थे। माननीय नेता विरोधी दल जब प्रधान मंत्री जी के पास गये थे, तब बरनाला साहब और मैं वहां मौजूद थे। आपका यही कहना था कि हमारे यहां इस समय जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसमें हर देश की इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे यहां से ज्यादा है, यह पांच फीसदी से अधिक है। लेकिन हमारे देश में इम्पोर्ट ड्यूटी कम है और उसका अंजाम यह हो रहा है कि हमारे यहां काफी चीनी इम्पोर्ट हो रही है, जो मुख्यत: पाकिस्तान से इम्पोर्ट हो रही है। इस साल जो चीनी इम्पोर्ट हुई है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अक्टूबर, 1997 तक 6,96,175 लाख टन चीनी इम्पोर्ट हुई है। अब नवम्बर और दिसम्बर मास का सवाल आता है। इसके बारे में आपका यह कहना था कि ...*(व्यवधान)*

श्री अमर पाल सिंह : क्या आपके आंकड़े गलत हैं?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : आंकड़े गलत नहीं हैं, यह आंकड़े मैं लेकर ही बता रहा हूं। अक्टूबर में 84,433 टन हुई है और नवम्बर में 49139 टन हुई है। हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने रिमार्क किया कि हमारा इम्पोर्ट कम होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि यह अक्टूबर में 84,433 से घटकर 49,139 रह गई है। जहां तक इम्पोर्ट का प्रश्न है, उसमें हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी कम है। इस बात को प्रधान मंत्री जी ने भी माना इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, इसकी रिपोर्ट सी.सी.पी. में पहुंच चुकी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : यह प्रक्रिया कब तक चलेगी?

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव : सी.सी.पी. के पास हमारे यहां से बरनाला साहब ने नोट भेजा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ही प्रातः मैंने प्रधान मंत्री जी से बात की है। इस संबंध में हमारे माननीय मंत्री खुराना जी ने जैसा कहा है, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। यह बात सही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जितना इम्पोर्ट हुआ है वह टोटल कंजम्पशन का पांच-छः प्रतिशत है। यह इम्पोर्ट पाकिस्तान से हुआ है, इस बात को मैं मानता हूं। मैं इस बात को भी स्वीकार कर रहा हूं कि पाकिस्तान चीनी को सब्सीडाइज कर रहा है। इसलिए चीनी का इम्पोर्ट हुआ है, लेकिन वह इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जो हमारी वित्तीय स्थिति को गड़बड़ कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा नया वर्ष 1999 आ रहा है, उसमें मुझे उम्मीद है कि गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा। चीनी के ऊपर लेवी पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़नी चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः सरकार इस बात पर सहमत है और इस समस्या का जल्दी निदान होगा।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : इसका निपटारा कब तक हो जाएगा?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : इसे चालू वर्ष में शीघ्र ही निपटा लिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : आपने कितने प्रतिशत लेवी बढ़ाने का रिकमैंड किया है?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : हमने 40 प्रतिशत की रिकमेंडेशन भेजी है।

मान्यवर चीनी उद्योग के बारे में सबको चिन्ता है। सरकार को भी चिन्ता है और हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में डम्पिंग हो। यहां डम्पिंग का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि डंपिंग तभी होती है जब कास्ट आफ प्रोडक्शन से सेल प्राइस लोअर हो जाए। सारे देश में चीनी की कीमत स्टैगनेट है। इसकी कीमत स्थाई है। कम नहीं हुई है। थोड़ी बढ़ी जरूर है। इसलिए डंपिंग का सवाल ही नहीं है। डंपिंग तब होती, जब हमारे देश में चीनी की कीमत कम हो गई होती, लेकिन चीनी की कीमत हमारे देश में कम नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा राधाकृष्णन जी ने कहा कि उनके पास केरल राज्य में समय से चीनी नहीं पहुंचती है जिससे कठिनाई होती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे पास चीनी की कमी नहीं है। चीनी पहुंचने में जो कठिनाई है, उसे दूर किया जाएगा। मैंने इसे नोट कर लिया है और इसकी जांच करूंगा।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : मंत्री जी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान साढ़े चार रुपए प्रति किलो सबसिडी दे रहा है, क्यों? डंपिंग के लिए ही तो दे रहा है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में डंपिंग नहीं हो रही है। डंपिंग तब होती, जब चीनी की कीमत गिर जाती। देश में चीनी के संबंध में सारे आंकड़े आपके पास भी हैं और हमारे पास भी है। आपको मालूम ही है कि चीनी की प्राइस स्टैगनैंट है। चीनी पहुंचाने में जो देरी हो रही है, उसके पीछे कुछ निहित स्वार्थ के लोग हैं जिन्होंने आलू और प्याज की कृत्रिम कमी पैदा कर स्थिति का लाभ उठाया, वही लोग अब चीनी के बारे में भी ऐसी स्थिति पैदा कर के लाभ उठाना चाहते हैं जिस चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।

श्री शरद पवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर करने को कहा गया है। यदि चीनी मिल मालिक ऐसा नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करने

[श्री शरद पवार]

का प्रावीजन आर्डर में है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती से सूचना देने की आवश्यकता है ताकि किसानों को अपनी उपज का मूल्य जल्दी से जल्दी मिले। दूसरे जहां तक इम्पोर्ट के बारे में

[अनुवाद]

वस्तुतः, हमारी जानकारी के अनुसार, खाद्य मंत्री ने वित्त और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है परन्तु मुझे वित्त मंत्री जी से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने यह कहा है कि इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं है। हम शुल्क बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं और हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने मुझे इस प्रकार का उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

...न सिंह यादव : हमारी ओर से जो 40 प्रतिशत का रिकमेंडशन गई थी, उसके बारे में उनकी राय यह है कि 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए। वे इससे डिफरेंट राय रखते हैं, लेकिन इस पर फायनल डिसीजन होना है और जो कलेक्टिव डिसीजन होगा, वह सबको मान्य होगा।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : संयुक्त राज्य अमरीका जैसा देश चीनी पर 140 प्रतिशत आयात शुल्क दे रहा है।

जब अमरीका में चीनी पर 140 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जा रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या कठिनाई है?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : सिर्फ अमरीका में ही नहीं अपितु मैं कह सकता हूं कि कई अन्य देशों में भी आयात शुल्क बहुत अधिक लगाया जा रहा है और केवल भारत में ही यह 5 प्रतिशत है। वर्ष 1994 से पहले इस पर आयात शुल्क था ही नहीं। अब यह पांच प्रतिशत है। हम आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : आप पाकिस्तान से आयात पर 36 प्रतिशत शुल्क को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान से कौन आयात करना चाहता है?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : भारत सरकार वो कतई आयात नहीं कर रही है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : आयात करने वाले निजी व्यापारी कौन हैं?

[हिन्दी]

आप बताइए कि कौन इम्पोर्ट कर रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री अमर पाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि जो चीनी उद्योग विद्युत बनाना चाहती हैं, क्या भारत सरकार उनको प्रोत्साहन देगी? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : उसमें बड़े-बड़े लोगों के रिश्तेदार हैं। आप बताइए कि वे किसके रिश्तेदार हैं? ...*(व्यवधान)* 40 परसेंट ड्यूटी पाकिस्तान की मिलों की बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल सिंह यादव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि केवल पाकिस्तान और यू.एस.ए. का प्रश्न नहीं है। दुनिया के हर मुल्क के अन्दर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। हमारी कंट्री के अंदर यह केवल पांच परसेंट है।

[अनुवाद]

केवल पाकिस्तान ही नहीं अपितु कई अन्य देश भारत को चीनी का निर्यात कर रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : अन्य देश अपने किसानों का संरक्षण कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : हम भी आयात शुल्क बढ़ाकर अपने किसानों का संरक्षण कर रहे हैं। हम इसका आयात करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : मेरा प्रश्न था कि जो चीनी उद्योग 25 मेगावाट विद्युत का प्रतिदिन उत्पादन करेंगे, क्या भारत सरकार उनको राहत देगी?

श्री सत्यपाल सिंह यादव : ऐसा कोई विचार अंडर कंसीडरेशन नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिखकर भेज दें तो उनके प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

अपराह्न 6.28 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-99

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1998-99 के लिए बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार आरम्भ करेगी जिन पर चर्चा और मतदान के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 2 और 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

[हिन्दी]

श्री माधवराव पाटील (नासिक) : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 15 साल से नासिक से मुम्बई तक चलने वाली गाड़ी के लिए मांग की गयी है लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मेरा रेल मंत्री से आग्रह है कि नासिक से मुम्बई तक एक नयी रेलगाड़ी जल्द से जल्द चलाई जाये। इसी के साथ मुम्बई से जो लोकल गाड़ी चलती है, उसे ईगदपुरी तक किया जाये और गीतांजली एक्सप्रैस का स्टापेज मुम्बई से नासिक तक किया जाये। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री की इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी पुरानी मांग को पूरा किया है। बरेली में चौपला पर ओवर हैड ब्रिज बनाना इन अनुदान मांगों में शामिल है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सत्र के बाद वे उसका शिलान्यास करने बरेली कब आ रहे हैं, कृपया समय, तारीख निश्चित करें।

हमने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रैस की मांग की थी। उन्होंने एक राजधानी वाया बरेली-लखनऊ दी है, हालांकि उससे हमें कितना लाभ होगा, यह देखना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, मंत्री जी आज शायद हां कह देंगे, उनकी बड़ी कृपा होगी क्योंकि वे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहां से लखनऊ वाया बरेली एक शताब्दी गाड़ी चलाने की बात थी क्योंकि बरेली और मुरादाबाद इतने महत्वपूर्ण टाउन हैं, जहां से एक्सपोर्ट होता है, विदेशी व्यापारी वहां आते हैं। बरेली और मुरादाबाद में अच्छे होटल नहीं हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है इसलिए वे चाहते हैं कि हम सुबह जाएं और रात को वापिस दिल्ली लौटकर आ जाएं। इसलिए शताब्दी एक्सप्रैस चलाना अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने और मेरे सहयोगी श्री संतोष गंगवार, जो मंत्री बन गए हैं, बार-बार आपसे आग्रह किया है।

आपने रेल बजट में बड़ी अच्छी घोषणा की थी कि रेलवे से प्लास्टिक की विदाई। मगर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी रेलवे के बैड रोल प्लास्टिक के बैग में आते हैं, आज भी ट्रेन में प्लास्टिक के ग्लास चल रहे हैं, प्लास्टिक का बोलबाला है। मुझे लगता है कि रेल मंत्री के आदेशों का रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल पालन नहीं किया है। रेल मंत्री उस पर ध्यान देंगे।

कछला ब्रिज, गंगा पर एक बहुत पुराना पुल है। वहां छोटी लाइन से बड़ी लाइन हो रही है। वह पुल ऐसा है जिसमें रोड और रेल एक ही पुल से गुजरती हैं। इसके लिए नोटिस दे दिया गया है। वहां अभी तक रोड की व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मैं रेल मंत्री को कहना चाहता हूं कि उसे खोलने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर लें क्योंकि आगरा और नैनीताल को जोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है, अगर वह बंद हो गया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

बरेली जंक्शन बहुत बड़ा स्टेशन है। उसमें प्लेटफार्म नम्बर दो पर ट्रेनें दिल्ली की तरफ आती हैं। लम्बे-लम्बे रैक हैं, बारिश होती है लेकिन वहां पर छत नहीं है, वैसे प्लेटफार्म नम्बर एक पर छत डाली गई है। वहां छत डालनी चहिए और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। दो घंटे का समय है और मैं अपनी पार्टी के तरफ से पहला वक्ता हूं। मुझे कुछ तो समझना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी को तो कहना पड़ेगा, मंत्री जी के कहने से सदन थोड़ी चलेगा, सदन तो आपके कहने से चलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ही कह रहा हूं।

श्री राजवीर सिंह : बरेली चंदौसी रोड पर पैसेंजर ट्रेन चलती है। उसमें दो या तीन डिब्बे लगकर आते हैं। वहां रोड नहीं है इसलिए बहुत भीड़ होती है। मैं चाहता हूं कि उसमें डिब्बे बढ़ाए जाएं। लोग छत पर बैठते हैं, इंजन और गाड़ियों के डिब्बे के जोड़ पर बैठते हैं, रोज एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, उसमें दो या तीन कोचेज ज्यादा लगाने चाहिए।

रामनगर जैनियों का बहुत बड़ा स्थान है जहां हजारों, लाखों जैनी रोज आते हैं। उसके लिए रेवती-बाड़ा-खोड़ा रेलवे स्टेशन है। उसका प्लेटफार्म ऊंचा करना आज से पांच साल पहले से तय है लेकिन पता नहीं वह किस खटाई में चला गया है, उसका पैसा भी पहुंच गया है, सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। वह बनना चाहिए।

बरेली स्टेशन के पास एक चनेली रेलवे स्टेशन है जहां पर सामान आता हैं, कोयले की साइडिंग है, वहां सीमेंट उतरता है, रैक्स उतरते हैं, मगर वहां किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चनेली रेलवे स्टेशन कैंट एरिया में आता है, वहां मंजदूरों के बैठने ... चाहिए, जो व्यापारी आते हैं, उनके बैठने के ... बनानी चाहिए और चनेदी की अपग्रेडिंग करनी चाहिए, वहां ट्रेनें भी रोकनी चाहिए जिससे बरेली जंक्शन का बोझ कुछ कम हो। एन.ई. रेलवे में बरेली और बदायूं के बीच में घटपुरी और मकरन्दपुर दो स्टेशन हैं, वहां पर उस्ता नाम का एक गांव है, वहां पर रेलवे क्रासिंग नहीं है। इधर सड़क बनी हुई है, उधर सड़क बनी हुई है, मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कानूनी अड़चन अपने डिपार्टमेंट से न लगवायें, वे वहां पर एक रेलवे समपार बनाने की कृपा करें। नहीं तो वहां किसानों को बहुत कठिनाई हो रही है, वहां की हजारों चिट्ठियां आ चुकी हैं और वे मैं रेल मंत्री जी को भेज चुका हूं।

आखिर मैं एक मांग और कर रहा हूं, यह बहुत पुरानी मांग है। चंदौसी से फरूर्खाबाद के लिए एक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पिछली बार हुआ था। चंदौसी, बिसौली, वजीरगंज, दातागंज होते हुए फरूर्खाबाद के लिए हो, इससे दो लाभ होंगे, एक तो जो मेन लाइन है, इसका रश कम हो जायेगा। अभी वाया कानपुर जाना पड़ता है या वाया बरेली-लखनऊ जाना पड़ता है, उसका रश कम होगा और इधर से एक तीसरी लाइन निकल जायेगी। कितनी बार ट्रेनें गिरती हैं, कहीं डिब्बे गिर जाते हैं और आठ-आठ दिन के लिए रेलवे लाइन बन्द हो जाती है, इसलिए एक लूप लाइन या विशेष रूप से एक छोटी लाइन इधर से निकल जाये, लाइन बना दी जाये तो यातायात की सुविधा होगी।

अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप एक सवाल पूछना चाहते थे न?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जी, बहुत संक्षेप में।

दुनिया में जब कहीं भी कोई जनतंत्र का नाम नहीं जानता था तो वैशाली में जनतंत्र था, आज से 3000 वर्ष पहले लिच्छवि जनतंत्र था। माननीय मंत्री जी ने एक आश्वासन भी सदन को दिया था या कुछ विज्ञापन दिये थे, जब बुद्ध सर्किट चलता है। वैशाली में जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि थी। भगवान बुद्ध का वहां अस्थि कलश भी मिला है, इतिहास की खुदाई होती है और ऐतिहासिक जगह है। भगवान महावीर की जन्मभूमि है। वैशाली इस तरह का ऐतिहासिक स्थल है। उसकी रेलवे लाइन से दूरी कहीं भी कम से कम 40-50 किलोमीटर से कम नहीं है। हाजीपुर से लालगंज, वैशाली, सरैया, देवरिया, साहेबगंज होते हुए केशरिया, अरेराज होते हुए, अरेराज भी बड़ा भारी स्थान है। हाजीपुर से सुगौली रेलवे लाइन है। माननीय मंत्री जी को हम याद दिला दें, पूर्व मंत्री श्री राम विलास पासवान जी ने 1997 में 17 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्य दिवस पर सर्वेक्षण का शिलान्यास किया। सर्वेक्षण हो भी गया। हमने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब इन्होंने दिया है कि सर्वेक्षण हो गया। 150 करोड़ रुपये के करीब खर्चा उसमें होना है, हाजीपुर से सुगौली तक, जो सन् 1904 से वहां रेलवे लाइन की मांग हो रही हैं, 94 वर्ष की मांग को हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी पूरा करें और इस कलंक को मिटाये। राष्ट्रपति जी वहां कई बार गये, रेल मंत्री गये, पुराने कई मंत्री गये, सभी लोगों ने कहा कि इसे रेलवे लाइन से जोड़ना चाहिए, बुद्ध सर्किट पूरा होना चाहिए। उसको रेलवे लाइन से जोड़ना अनिवार्य है। सर्वेक्षण का कार्यपूर्ण पूरा हो गया। हम केवल यही जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी भी वहां गये थे, ये वहां का हींग, हल्दी सब जानते हैं, ये वहां कई बार गये हैं, वहां बोल चुके हैं कि काम तुरन्त होगा, तुरन्त होगा। अब वहां हमारे लिए संकट है, करीब दो पूर्व पूरे होने जा रहे हैं, सर्वेक्षण हो गया, वहां लोग कहते हैं कि यह असली शिलान्यास है कि जाली शिलान्यास है? इसीलिए इस बार बजट के उपबन्ध करा दें और कब शिलान्यास करेंगे, यह तिथि सुनिश्चित कर दें, चूंकि वह ऐतिहासिक स्थल को जोड़ना ऐतिहासिक काम होगा, तब हम इनको धन्यवाद देंगे। अन्यथा हम मानेंगे कि यह जाली शिलान्यास था। पहले के मंत्री के समय में पटना पुल का शिलान्यास हुआ,

प्रधान मंत्री जी ने किया, एक लाख आदमी की भीड़ थी और बिहार के सारे बड़े लोग वहां जुटे हुए थे। पटना से गंगा पर रेल ब्रिज बनाने का शिलान्यास हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : उस समय आप भी तो मंत्री थे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए हम असली बात बता रहे हैं। मंत्री नहीं होते तो असली बात कैसे बताते।

बस, मैं खत्म कर रहा हूं। वहां शिलान्यास हुआ और नीतिश जी कहते हैं कि वह जाली शिलान्यास था और सर्वेक्षण का शिलान्यास था, असली पुल का शिलान्यास नहीं था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि शिलान्यास किये हुए इतने दिन हो गये, उस पर काम शुरू नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि अब सर्वेक्षण में ही समय लगेगा। कितना समय लगेगा सर्वेक्षण में, और शिलान्यास के बाद सर्वेक्षण होता है या कार्य शुरू होता है, इसलिए आप उस पर तुरंत कार्य शुरू करवाएं। इस तरह की स्थिति बिहार की है। पूरे देशभर में हल्ला होता है कि बिहार से पासवान जी भी रेल मंत्री हुए, नीतीश जी भी हैं इसलिए सारा विकास बिहार में हो रहा है, देश का हिस्सा बिहार में जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा, हम लोग मुफ्त में कलंकित हो रहे हैं। इसलिए कलंकित भी हुए और कुछ मिला भी नहीं। हमारे गांव में एक कहावत है - 'जात गंवाए और भात भी न खाए'। यही स्थिति बिहार की हो रही है। हाजीपुर से सुगली रेलमार्ग की कब शुरूआत होगी, आप बजट में इसका प्रावधान करवा लें, ओ.सी.एफ. से भी हो सकता है। वहां दुनिया भर से बौद्धिस्ट आते हैं। जापान से हजारों लोग आते हैं। रोज दस-बीस ट्यूरिस्ट बसें चलती हैं। घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां के लोग रेल लाइन की बड़ी जरूरत महसूस करते हैं। आप जांच-पड़ताल करवा लें, यह वायबल भी होगा। इसलिए इन दोनों मांगों को रेल मंत्री जी पूरा करें। इसका शिलान्यास कब होगा, कब बजट आएगा और कब काम होगा, यह हम जानना चाहते हैं? अगर ये दोनों काम हो गए तो हम मानेंगे कि रेल मंत्री जी काबिल हैं, अच्छा काम करते हैं, वरना जनता की मार से बचने के लिए हम कह देंगे कि इनकी वजह से यह नहीं हुआ ।

राजधानी ट्रेन हाजीपुर से मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर होकर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लोगों की मांग है कि यह मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर होकर जाए, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन लोगों को सुविधा हो जाएगी। फरीदाबाद में बिहार के बहुत से लोग हैं। वे कहते हैं दिल्ली-फरीदाबाद होते हुए पटना तक सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए। मैं चाहता हूं कि उनकी इस मांग को भी पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या कम है। इससे पता लगता है कि इन मांगों को पारित कराए जाने में उनकी रुचि नहीं है। यद्यपि हम विपक्ष में बैठे हैं, हम उनकी रेलवे की अनुदानों की मांगों को पारित कराने में सहायता कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मेरी बात सुनें और उन एक-दो बातों को नोट करें जो मैं उनके सामने रखने जा रहा हूं।

हमारे देश में, कई रेलमार्गों पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। भारी धनराशि लगाकर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाता है। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जब कभी आमान-परिवर्तन हुआ है तो उससे संबंधित क्षेत्रों को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने में सहायता मिली है। उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है।

महोदय, रेलवे द्वारा आमान-परिवर्तन करते समय यात्री सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। जहां कहीं पर मीटर गेज लाइन है वहां प्लेटफार्म काफी नीचे हैं। उन्हें निम्न तल प्लेटफार्म कहा जाता है। मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाता है तो कोई भी यह मांग नहीं करता है कि प्लेटफार्म के तल को भी ऊंचा किया जाना चाहिए। यह काम करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, आंध्र प्रदेश में मैंने देखा है कि अनेक रेलमार्गों पर पुराने नीचे तल वाले प्लेटफार्म काम में आ रहे हैं। रेलवे उन निम्न तल प्लेटफार्मों को ऊंचा करने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहा है। उदाहरण के लिए, मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसा एक रेलमार्ग गुंटूर से गुंटकाल तक का रेलमार्ग है जो नांदयाल होकर जाता है।

वास्तव में, स्टेशन भी दशकों पुराने हैं और अनेक स्टेशनों पर नवीकरण कार्य नहीं किया गया है। प्लेटफार्म बहुत नीचे हैं और वहां अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल से यात्रा करने वाले ग्रामीणों को वास्तव में क्षतिपूर्ति का ज्ञान नहीं है कि जब कभी रेलवे की लापरवाही से दुर्घटना हो तब वे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। मैं रेलमंत्री जी से इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करूंगा और वे यह देखें कि प्लेटफार्म ऊंचे किए जाएं। इसके बाद स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था को भी सुधारना होगा।

महोदय, मैं रेलवे की लापरवाही का एक उत्कृष्ट उदाहरण देता हूं। विजयवाड़ा मंडल में तोनाकोंडा नामक एक रेलवे स्टेशन है। जब उस लाइन पर मीटर गेज लाइन वाली रेलगाड़ियां चलती थीं तो वहां पर दो प्लेटफार्मों को जोड़ने वाला पैदल

[श्री कोनीजेटी रोसैया]

यात्रियों हेतु ऊपरि पुल था। किन्तु जब लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया था तो रेल अधिकारियों ने कहा था कि वे आमान परिवर्तन के बाद उस पुल का पुनर्निर्माण करेंगे और उन्होंने उसे हटा दिया। अब तीन साल बाद भी वह ऊपरिपुल दोबारा नहीं बनाया गया है। मैंने रेल मंत्री सहित रेल प्राधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं। मैं रेल अधिकारियों से भी मिला। वे धनराशि की अनुपलब्धता के कारण उसे दोबारा बनाने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित भी है कि आमान परिवर्तन के समय विद्यमान सुविधा को हटा दिया गया। आखिरकार उस क्षेत्र के लोग अपने लिए उस ऊपरिपुल के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले की भी जांच करेंगे।

बजट में अन्य बातों के अतिरिक्त यात्री सुविधाओं के आवंटन में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। यात्री सुविधाओं हेतु आवंटन बहुत ही कम है। रेलवे बजट कई गुना बढ़ा है किंतु स्टेशनों, प्लेटफार्मों का सुधार, रोशनी की व्यवस्था, सुरक्षित जलापूर्ति, प्लेटफार्म पर शेड आदि जैसी यात्री सुविधाओं के लिए कुछ धनराशि की जरूरत है, और इन चीजों के लिए रेल बजट में आनुपातिक वृद्धि नहीं की जा रही है। अतः मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे यात्रियों की भलाई और उनके कल्याण के लिए इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अपने चंद सुझाव प्रस्तुत करूंगा। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नवसृजित जनपद कौशाम्बी आता है, जैसा अभी रघुवंश प्रसाद जी ने बताया कि कौशाम्बी राजा उज्जैन की राजधानी और बौद्धिक स्थल भी है। चीन और जापान से, तमाम विदेशों से लोग वहां आते हैं। वह जैनियों का तीर्थ-स्थल भी है और इसके पहले भी जब रेल बजट प्रस्तुत हुआ था तो मैंने मांग रखी थी। माननीय मंत्री जी को याद होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपसे आपके चेम्बर में मिलकर आवेदन किया था कि एक ट्रेन महानंदा एक्सप्रेस है जिसका ठहराव पहले खागा, सिराधू और भरवारी स्टेशनों पर एक-एक मिनट के लिए था और जो डेली पैसेंजर्स के लिए उत्तर प्रदेश से बिहार को जोड़ने के लिए एक अच्छा रास्ता था। यात्रियों को आने-जाने की सुविधा थी लेकिन इस ट्रेन के ठहराव को बंद कर दिया गया है जिससे डेली पैसेंजर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विदेशी पर्यटकों का हमेशा आना-जाना होता है, इसलिए चूंकि बिहार भी बौद्ध स्थली रहा है और कौशाम्बी बौद्ध स्थली रही है, इसलिए इस महानंदा एक्सप्रैस का भनवारी, सिराधू और खागा स्टेशनों पर एक-एक मिनट का ठहराव करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारे विदेशी पर्यटकों को बड़ी सुविधा हो जाएगी।

दूसरे, मैं शताब्दी एक्सप्रैस के बारे में कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद आजादी से लेकर आज तक अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो गए हैं और आजादी की लड़ाई आनन्द भवन और स्वराज भवन से लड़ी गई। आपने तमाम देश में शताब्दी एक्सप्रैस को चलाने का काम किया है, लेकिन इलाहाबाद से आपने शताब्दी एक्सप्रैस को नहीं चलाया है। इलाहाबाद के लोगों की बहुत दिनों से मांग रही है कि दिल्ली से इलाहाबाद के बीच शताब्दी एक्सप्रैस को चलाया जाए। इस बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था और इसके पहले बहुत सारे साथियों ने आपसे मिलकर इस गाड़ी की मांग की है।

दूसरी बात, मैं कौशाम्बी जनपद को जोड़ने के बारे में कहना चाहता हूं। यहां से जो रेलवे का ट्रैक जाता है, उस ट्रैक पर रेलवे के फाटक पड़ते हैं, जहां घन्टों ट्रैफिक जाम रहता है। इससे विदेशी पर्यटकों और वहां के तमाम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि भरवारी पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। इसके साथ ही मंदर पर भी ओवर ब्रिज बनाने से तमाम लोगों को सुविधा होगी।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बिहार से 11-अप सियालदा एक्सप्रैस आती है। हम लोग इटावा से इस गाड़ी में चले और दो सांसद फर्स्ट क्लास से आ रहे थे, उस बोगी में शीशे नहीं होने से इतनी हवा लग रही थी कि हम लोग ठिठुर रहे थे। मेरा निवेदन है कि कम से कम फर्स्ट क्लास में शीशों की व्यवस्था कर दें, जिससे असुविधा न हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, अब आप को अपनी बात समाप्त करनी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, इस ओर देखिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अपनी बात समाप्त करते हुए, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी मांगों को मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बिन्दुओं पर सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स हैं। आपको दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए। यह जनरल बजट नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, अन्य माननीय सदस्यों ने भी मांगे पेश की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बातों पर बात कहनी है। इसको आज पास करने के लिए सोच रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको सहयोग करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स हैं। इन्हीं दो बिन्दुओं पर बोलना चाहिए। नहीं तो आज यह पास नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रेलवे भारत का एक लघुरूप है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। रेलवे उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सम्पूर्ण भारत को जोड़ता है। एक रेलगाड़ी की बोगियों या डिब्बों के यात्री भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के होते हैं और भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे भिन्न-भिन्न संस्कृति और धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ही रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री के समक्ष रेल सुविधाओं को बढ़ाने हेतु रखी गई मांग पर सहमति हो जाएगी। निस्संदेह ये साधारण मांगें हैं किन्तु ये मात्र मांगें भर हैं। रेल मंत्री या किस अन्य व्यक्ति के लिए धन की कम अपर्याप्तता के कारण इन सभी मांगों को पूरा कर पाना संभव नहीं है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे अधिक धनराशि आवंटित करें। मैं समझता हूं कि हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत सरकार से रेलवे के लिए अधिक बजटीय सहायता देने की मांग करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान एक अन्य पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रतिदिन हम सुबह के समाचारपत्रों में अधिकाधिक रेल दुर्घटनाएं होने की खबर पढ़ते हैं और तत्पश्चात् माननीय रेल मंत्री या रेल राज्य मंत्री या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दुर्घटनास्थल की ओर दौड़ रहे होते हैं। वे कुछ व्यक्तियों की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करते हैं। रेलमंत्री प्रेस के समक्ष यह बयान देते हैं कि वे चिकित्सा सहायता भेज रहे हैं आदि-आदि।

यह रेल दुर्घटना तकनीकी चूक या मानव चूक के कारण हो सकती है।

इसके अनेक कारण हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस मामले की गंभीरता से जांच करने का आग्रह करता हूं क्योंकि हमारी सिगनल प्रणाली बहुत ही निम्न स्तर की है। सिगनल प्रणाली को सुधारा जाना चाहिए। जिन रेलपथों पर हमारी रेलगाड़ियां चल रही हैं वे बहुत पुराने हैं और उनमें से अधिकांश रेलपथ अंग्रेजों द्वारा बिछाए गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ही कम रेलपथ बिछाए गए हैं। रेलवे उन्हीं पुराने रेलपथों का प्रयोग करता आ रहा है। अत: मैं रेलमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय रेल मंत्री।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं अभी नहीं बोला हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, पहले उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : अंत में, महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में अधिकतर दलित और पद-दलित लोग रहते हैं। यह कलकत्ता शहर से काफी दूर है। गत वर्ष, माननीय रेल मंत्री जी ने पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल के अंतर्गत बसीरहाट खंड के लिए विद्युतीकरण हेतु एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी।

मैं रेलमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे शेष धनराशि के लिए बजटीय सहायता प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको बात समाप्त करनी होगी।

चक्रवर्ती : महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा

महोदय, मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे सियालदाह मंडल के अंतर्गत स्थित इस खंड के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए और धनराशि मंजूर करें। माननीय रेल मंत्री जी उक्त परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर चुके हैं।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वे इस संबंध में कुछ कार्यवाही करेंगे।

महोदय अर्कोनम प्रमुख जंक्शन है और यह काटपाडी, कोयम्बटूर, चेनगलपेट, तिरुपति और चेन्नई के बीचों बीच स्थित है। अर्कोनम एक प्रमुख शहर है और इसकी जनसंख्या पांच लाख से भी अधिक है। अर्कोनम रेलवे जंक्शन से रोजाना देश के विभिन्न भागों से दो लाख से भी ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। अर्कोनम और काटपाडी तथा अर्कोनम और तिरुपति के बीच विद्युत चालित गाड़ियां चलाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। मैंने अनेक बार माननीय रेल मंत्री से मुलाकात की है और उन्हें इस संबंध में आवश्यक पत्र भी दिए हैं। इस रेल मार्ग पर ई.एम.यू. गाड़ियां चलाना बहुत आवश्यक है।

अतः, मेरा माननीय रेलमंत्री से यह अनुरोध है कि वे अर्कोनम से तिरुपति और अर्कोनम से काटपाडी तक विद्युत चालित गाड़ियां स्वीकृत करें और इस क्षेत्र के लाखों लोगों की मांग को पूरा करें। दक्षिण क्षेत्र में ई.एम.यू. गाड़ियां शीघ्र आवंटित करना आवश्यक हो गया है।

सायं 7.00 बजे

मेरा माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध है कि सुपरफास्ट गाड़ी का अर्कोनम में भी ठहराव होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि यहां से रोजाना दो लाख लोग यात्रा करते हैं। यद्यपि गाड़ियां तो उपलब्ध हैं, लेकिन वे ऐसा महसूस करते हैं कि इनकी गाड़ियों की संख्या कम है। अत: लोगों की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि वृंदावन एक्सप्रेस, चेरन एक्सप्रेस और चेन्नई-मुम्बई एक्सप्रेस गाड़ियों का अर्कोनम रेलवे स्टेशन पर कम-से-कम दो मिनट का ठहराव दिया जाए।

मैसूर-तिरुपति द्रुतगामी फास्ट पैसेंजर को अर्कोनम के बाहर से निकालने की बजाय अर्कोनम जंक्शन के रास्ते से चलाया जाए।

अर्कोनम और काटपाड़ी के बीच एक सम्पर्क गाड़ी भी चलती है तथा यह गाड़ी अर्कोनम से सुबह लगभग 6.15 बजे चलती है और काटपाड़ी सुबह 8.00 बजे पहुंच जाती है। अतः, यह गाड़ी सुबह 8.00 बजे से सांय 5.15 बजे तक वहीं खड़ी रहती है। अत: मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे इस गाड़ी को इस समय के दौरान चलवाकर दो लाख से भी ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मैं नई गाड़ी की मांग नहीं कर रहा हूं।

इंटर स्टेट एक्सप्रेस नामक एक और गाड़ी भी है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच फास्ट पैसेंजर के रूप में चला करती थी। अब इसे एक्सप्रेस गाड़ी बना दिया गया है। रेल किराये में भी वृद्धि कर दी गई है। अतः, लोगों को इस कारण असुविधा हो रही है और निर्धन लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः, इस गाड़ी को पुन: फास्ट पैसेंजर गाड़ी के रूप में परिवर्तित किया जाए। अपने दल की ओर से, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) का समर्थन करता हूं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, गत वर्ष माननीय रेल मंत्री ने तंजाबूर-नागौर रेल लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने हेतु 4 करोड़ रुपये आवंटित किये थे, लेकिन इस धनराशि को किसी अन्य परियोजना पर लगा दिया गया था। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे इस कार्य के

लिए कुछ धनराशि /आवंटित करें, क्योंकि आमान परिवर्तन का यह कार्य काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है।

तंजावूर-विलुपुरम रेल लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने हेतु उन्होंने यह घोषणा की है कि वे इस प्रयोजन हेतु मुख्य बजट में 85 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे। लेकिन, इसके बाद हम सभा में यह मांग करते आ रहे हैं कि इसके लिए पूरी धनराशि आवंटित की जाए; अन्यथा, इस परियोजना को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। उस समय माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे इसके लिए 85 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे और यह कार्य इसी वर्ष शुरू करा देंगे। लेकिन, हमें यह पता चला है कि अभी तक इसकी योजना आयोग से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे योजना आयोग से अनुमति प्राप्त कर इस कार्य को शीघ्र करवाएं।

परसों, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमें 1,65,000 वैगनों की जरूरत है, लेकिन वैगन इण्डिया लिमिटेड प्रति वर्ष केवल 29000 वैगनों का निर्माण करती है। हमें प्रतिवर्ष 4000 वैगनों की आवश्यकता है। त्रिची स्थित अत्यंत पुरानी गोल्डन ट्रेक वर्कशाप का उन्नयन वैगनों का निर्माण करने वाले वर्कशाप के रूप में किया जाए। इस वर्कशाप में काफी अनुभवी कर्मचारी कार्यरत हैं और इसमें काफी क्षेत्र उपलब्ध है।

हमें तंजावूर और त्रिची के बीच एक नई एक्सप्रेस गाड़ी की आवश्यकता है, जिसे पहले ही बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है। लेकिन अभी तक हमें नई गाड़ियां नहीं मिल रही हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कोयम्बटूर के लिए एक ऐसी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए, जिसमें कि प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित डिब्बों की सुविधा हो।

चेन्नई और रामेश्वरम के बीच चल रही एक सदी पुरानी 'रामेश्वरम एक्सप्रेस' का नाम बदल कर 'सेतु एक्सप्रेस' कर दिया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसके पुराने नाम को ही बरकरार रखा जाए, जोकि एक प्रतिष्ठित नाम है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मैंने मंत्री जी का ध्यान बगाह-छितौनी होते हुए गोरखपुर को और कप्तान गंज से सिवान तक जो बड़ी लाइन बन रही है उसकी ओर दिलाया था। कप्तान गंज के बाद सिवान तक बड़ी लाइन नहीं होगी तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मैंने इस संबंध में मंत्री जी को पत्र लिखा था और पूछा था कि यह रेल लाइन कब तक बन जाएगी और कप्तान गंज से सिवान तक बड़ी लाइन बनेगी या नहीं बनेगी। मंत्री जी ने अपने 13 जुलाई, 1998 के पत्र में लिखा है कि छितौनी से गोरखपुर और कप्तान गंज से सिवान तक लाइनों के अमान परिवर्तन के संबंध में कृपया अपने 22 जून, 1998 के पत्र का अवलोकन करें। छितौनी-गोरखपुर लाइन का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है और इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। कप्तानगंज-सीवान लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में विचार करना संभव होगा।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो बताएं कि सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है या नहीं।

दूसरा निवेदन यह है कि छितौनी का जो रेलवे पुल है उसके साथ-साथ रोड पुल भी सैंक्शन्ड है। रोड पुल के लिए बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपया दे दिया है और सेन्टर ने भी दे दिया है। अगर रोड पुल नहीं बना तो उसकी मंशा पूरी नहीं होगी। वह जंगल-पाटी का इलाका है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि छितौनी वाला रोड पुल कब तक बन जाएगा। मंत्री जी यह भी बताएं सारे विभागों के रुपये मिल गए हैं या नहीं? अगर मिल गए हैं तो कब तक बन जाएगा?

दूसरा निवेदन यह है कि गोरखपुर से दिल्ली जो वैशाली एक्सप्रेस चलती है, उसमें देखिये तो ऊपर से नीचे तक ट्रेन में लोग लदे रहते हैं। लोगों की डिमाण्ड है कि कम से कम गोरखपुर से दिल्ली तक या तो डुप्लीकेट वैशाली एक्सप्रेस चलाएं या कोई नयी ट्रेन चलाएं। मंत्री जी ने खुद इसकी हालत देखी है और मैं समझता हूं कि इस बारे में भी मंत्री जी विचार करेंगे।

मंत्री जी को हमने एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में मंत्री जी ने लिखा कि 'आपके पत्र में कुशीनगर, सेवाही, दुदही, कटकुइयां और लक्ष्मीगंज रेलवे स्टेशन की पहुंच सड़क की मरम्मती के

[श्री राम नगीना मिश्र]

संबंध में लिखा था, उस मामले को हम दिखवा रहे हैं।' इस बात को छः महीने हो गए हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका भी आदेश देकर बनवा दें।

एक और बात मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले थ्री टियर में लोग टिकट लेकर चलते थे मगर अब उसकी जगह जनरल टिकट मिलती हैं। थ्री टियर में जाने पर शरीफ लोग तो 32 रुपये देते हैं और 20 रुपये वह सरचार्ज देते हैं और बाकी लोग सुविधा शुल्क देकर चले जाते हैं। इससे रेलवे को लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। मंत्री जी इसकी जांच कराएं और थ्री टियर टिकट की बिक्री पहले की तरह कराई जाए। बिहार से जो ट्रेन आती हैं, उनकी हालत आप देखें तो अधिकांश लोग बिना टिकट के चलते हैं। यह सिर्फ बिहार की बात ही नहीं है। लेकिन बिहार से आने वाली गाड़ियों में तो ए.सी. और फर्स्ट [illegible] बैठना मुश्किल हो गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी [illegible] निर्वाह करें। ...*(व्यवधान)*

संसद सदस्यों के नाम पर फर्जी लोग भी रेल यात्रा कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये रेलवे का इससे नुकसान हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और ए.सी. फर्स्ट क्लास की हालत देखें तो उसमें भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रेनों में डकैतियां हो रही हैं, इसकी सुरक्षा का भी प्रबंध करना चाहिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भोजनालय बिल्कुल बेकार पड़ा है। अगर प्राइवट केटरर को भी दे देते तो कुछ आमदनी तो हो जाती। मैं चाहूंगा कि उसका भी सुधार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्राइवेट केटरर को देने का सुझाव दे रहे हैं?

श्री राम नगीना मिश्र : या तो सुधार करें या प्राइवेट केटरर को दे दें। वह भोजनालय बेकार पड़ा हुआ है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। वहां जाने पर खाना नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलती है और इतनी बड़ी बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में गौर करें। हमें आशा है कि मंत्री जी इन मांगों पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य में यह आम शिकायत है कि इस राज्य की रेलवे अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। वह शिकायत कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा भी यही विचार है। यदि शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया, तो मुझे मजबूर होकर रेल मंडल कार्यालय, त्रिवेंद्रम के सामने सत्याग्रह करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए सूचना भी दी है। संक्षेप में, मैं यही कहना चाहता हूं।

मेरी सबसे पहली और प्रमुख मांग त्रिवेंद्रम-एर्णाकुलम खंड का विद्युतीकरण किए जाने के बारे में है। राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड को पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि वह इस प्रयोजन हेतु रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। इस आशय का एक समझौता भी हुआ है। तथापि, रेल मंत्रालय ने इस कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया है। इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

अब, मैं शोरनपुर-मंगलौर खंड के दोहरीकरण कार्य के मुद्दे पर आता हूं। यह कार्य प्रगति पर नहीं है। लम्बे समय से जनता की यह आम माग है। जनता द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, वे इस कार्य को नहीं कर रहे हैं। अतः, इस कार्य को शीघ्र पूरा करना चाहिए।

मैं क्विलोन-त्रिवेंद्रम खंड के दोहरीकरण के बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूं। इस कार्य की प्रगति भी केरल की जनता की अपेक्षानुसार नहीं हो रही है। बल्कि इस कार्य की स्थिति शोचनीय है।

अब, मैं त्रिवेंद्रम केन्द्रीय स्टेशन के विकास के मुद्दे को लेता हूं। हम देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने स्टेशन के आसपास के अधिकांश भवनों का कब्जा रेलवे को दे दिया है। केरल राज्य बिजली बोर्ड के मुख्यालय को वर्षों पहले रेलवे को सौंप दिया गया था, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर रहा है और इसे बिना किसी कार्य क खाली रखा हुआ है। राज्य सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के केन्द्रीय कार्यालय को भी रेलवे को सौंप दिया था, लेकिन यह भी बेकार रखा हुआ है। इस स्थान का टैक्सी मालिकों से राजस्व संग्रहण करने हेतु टैक्सी स्टैंड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने स्टेशन के नजदीक कुछ होटलों का अधिग्रहण कर लिया है। उन्हें बिना किसी निर्माण कार्य शुरू किए खाली रखा जा रहा है। स्थिति

शोचनीय है। अत: त्रिवेन्द्रम केन्द्रीय स्टेशन के सुधार की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएं। रेलवे बोर्ड इस स्टेशन को पहले ही माडल स्टेशन घोषित कर चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इस स्टेशन से रेलवे को राजस्व प्राप्त हो रहा है, इसका स्थान दक्षिण रेलवे में मद्रास सेंट्रल के बाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे प्राधिकारियों को त्रिवेंद्रम केन्द्रीय स्टेशन से काफी फायदा होता है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मांग, अर्थात् कोंकण रेलवे के बारे में संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पहले ही पांच मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं एक और महत्वपूर्ण मांग अर्थात् कोंकण रेलवे के बारे में संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। ऐसा कहा जाता है कि यह घाटे में चल रही है। यदि इसे लाभप्रद बनाना है, तो मंगलौर-सोनपुर खंड के दोहरीकरण की दिशा में तत्काल कदम उठाये जाएं।

अब, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् गाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में उल्लेख करता हूं। हम गाड़ियों में जोखिम उठाकर चलते हैं। यदि हम रात्रि के समय यात्रा करते हैं, तो हमें विश्वास नहीं है कि हम सुबह तक जीवित रहेंगे या नहीं। लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का भरोसा नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि रेल यात्रा अत्यंत जोखिम भरी है, लोगों को केवल इसी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यात्रा का कोई अन्य साधन नहीं है। अत:, रेलवे अधिकारियों को गाड़ियों को सही समय पर चलाने हेतु तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए। हम टेलीविजन पर अक्सर यह देखते हैं कि त्रिवेंद्रम-मंगलौर एक्सप्रेस 23 घंटे की देरी से चलती है। कभी-कभी, यह देरी लगभग दो से तीन घंटे की होती है और अधिकांश गाड़ियों के संबंध में यह बहुत आम बात है। आखिरकार, जीवन क्षणभंगुर है। इसे रेल यात्रा में ही व्यतीत नहीं किया जाना चाहिए। अत: रेल अधिकारियों को गाड़ियां सही समय पर चलाने के लिए तत्काल कदम उठाकर जनता की सहायता करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : हां, तो मेरा उनसे यह अनुरोध है कि कम-से-कम नियत समय का पालन करने की कोशिश तो कीजिए, क्योंकि समय बहुमूल्य है। मनुष्य का जीवन बहुत कम है और इसे अनावश्यक रूप से रेलगाड़ियों में व्यतीत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे गाड़ियों के देरी से चलने के कारण अपने जीवन का अधिकांश समय रेलों में बिताना पड़ता है।

प्रयोग होने वाले सवारी अथवा माल डिब्बों की क्या दशा है? हम बारिश के मौसम में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि बारिश का पूरा पानी सवारी डिब्बे में घुस जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : जी हां, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कम-से-कम हमें कुछ और अच्छे सवारी डिब्बे तो उपलब्ध करवा दीजिए।

वारकला के बारे में, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि गाड़ियों का वारकला स्टेशन पर ठहराव दें। मैंने आपको नोटिस दिया हुआ है। यदि ऐसा नहीं किया गया,. तो मुझे विवश होकर अपनी इस वृद्धावस्था में संबंधित कार्यालय के सामने सत्याग्रह करना पड़ेगा। अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु बात यह है कि रेलवे को निर्धारित समय का सही तरीके से पालन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : रेलगाड़ी उनके आन्दोलन के कारण देरी से चलेगी।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की चूंकि अनुपूरक मांगें पास करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं इसलिए मैं भी अनुपूरक मांग ही करूंगा। बिहार में समस्तीपुर से खगरिया मीटर गेज लाइन है। वहां के लोगों की बहुत पुरानी

[प्रो. अजित कुमार मेहता]

मांग है कि उसे ब्राड गेज में बदला जाए क्योंकि समस्तीपुर और खगरिया के बीच में ऐसे स्टेशन हैं कि जहां पर मीटर गेज स्टार्ट होती होती है और दूसरे पर समाप्त होती है। उसके आगे पीछे कहीं कोई लिंक नहीं है जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसे ब्राड गेज बनाया जाना बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर में ही एक दलसिंह सराय नामक रेलवे स्टेशन पड़ता है। उसके आसपास रेलवे की बहुत जमीन खाली पड़ी है जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है। उसके बाद फिर उस जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता है और रेलवे को कुछ समय बाद उसे फिर हटाना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि रेलवे की ऐसी भूमि जिसकी उसे बहुत समय तक आवश्यकता न हो, उसमें छोटी-छोटी दुकानें बनाकर स्थानीय लोगों को लीज पर दे दें। उनका बंदोबस्त कर दें। इससे रेलवे को भी लाभ होगा और स्थानीय लोगों को रोजी-रोटी का साधन मुहैय्या हो जाएगा।

[illegible]दय, दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण [illegible] बहुत पहले से चल रही है। मैं इस संबंध में रेल मंत्री से मिला भी था और अनुरोध किया था कि उसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर बुकिंग बंद करने की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसके कारण रेलवे को रैवेन्यू का बहुत नुकसान हो रहा है और जो वहां के व्यापारी हैं उनको कठिनाई हो रही है। मंत्री महोदय ने मुझे पुनर्विचार करने का आश्वासन भी दिया है। मेरा आग्रह है कि बुकिंग को पुनः चालू किया जाए।

महोदय, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जिस राजधानी को चलाने की बात कही है मैं उसका समर्थन करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि उसे मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी चलाया जाए। मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने पिछले बजट के समय भी याद दिलाया था कि रेलवे के सामान की खरीद में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यह बात जमालपुर के रेलवे कारखाने की रिपोर्ट से सिद्ध हो गई थी जिसकी प्रतिलिपि मैंने उन्हें इस समय दी थी। अभी हाल में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका भी मुख्य कारण गुणवत्ता न रहना ही है जिसके कारण कपलिंग टूटे हैं और दुर्घटनाएं हुई हैं। अतः मेरी आपसे पुनः मांग है कि घटिया माल खरीदने के लिए जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसके कारण सैकड़ों लोगों की अकारण ही जानें चली जाती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपतनम) : महोदय, जैसा कि श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि रेलवे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है, जो आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण-मध्य रेलवे लाभ के साथ-साथ सुचारू रूप से भी चल रहा है। मुझे यह विदित नहीं है कि इसका श्रेय आपको जायेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को। माननीय मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी है। यह एक जोनल रेलवे है। हमें आप पर बहुत भरोसा है। हमने सोचा कि युवा होने के कारण आप अत्यंत सक्रिय हैं और आप वे कार्य कर देंगे, जिनका कि आपने वायदा किया है।

पिछली बार विजयवाड़ा के दौरे के दौरान, माननीय मंत्री ने यह वायदा किया था कि वहां के रेलवे के कार्य-निष्पादन और वहां की जनता की मांग को देखते हुए, वे तत्काल विजयवाड़ा से सिकन्दराबाद तक एक शताब्दी गाड़ी शुरू कर देंगे। मुझे विश्वास है कि वह यह गाड़ी शुरू कर देंगे, लेकिन मैं केवल यही चाहता हूं कि इस गाड़ी को इसी वर्ष चालू किया जाना चाहिए, न कि अगले वर्ष।

जैसा कि पिछली बार मैंने स्पष्ट किया था कि मछलीपत्तनम एक ऐसा शहर है, जिसका लगभग 1500 वर्षों का इतिहास है और मछलीपत्तनम से मार्मगोआ तक एक गाड़ी चला करती थी। लेकिन, अब यह उपेक्षित जिला मुख्यालय है। केवल यही एक ऐसा जिला मुख्यालय है, जहां से कि राज्य की राजधानी तक कोई सीधी गाड़ी नहीं है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि मछलीपतनम और सिकंदराबाद के बीच यदि सुपरफास्ट गाड़ी नहीं, तो कम-से-कम एक फास्ट पैसेंजर की व्यवस्था कर दें। इसी प्रकार, हमने पिछली बार उनके ध्यान में यह लाया था कि गुंटूर-बीबीनगर लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू किया जाना है।

मेरे विचार से इस समय उन्हें राज्य सरकार से विद्युत आपूर्ति हो रही है। मुझे यह पता नहीं है कि उन्हें विद्युत-आपूर्ति किस दर पर हो रही है, लेकिन अब विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आने और प्रतियोगी माहौल के कारण उपकरण लागत कम होने से विद्युत सस्ती दर पर मिलने का मौका है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वे देखें कि क्या रेलवे स्वतः एक विद्युत परियोजना शुरू करने अथवा निजी उद्यमियों के

साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में सोच सकता है और ऐसा करके वह अपनी विद्युत-उत्पादन लागत को कम कर सकता है।

माननीय मंत्री बार-बार रेलवे की परियोजनाओं के विस्तार में धनराशि की अड़चन महसूस कर रहे हैं। उन्हें मछलीपतनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच और अधिक संख्या में गाड़ियां, चलाकर जिनमें कि लोग यात्रा करने को तैयार हैं अन्यथा वे सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं, अधिक धनराशि अर्जित करने का मौका मिला है। अत:, मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे तत्काल शताब्दी गाड़ी शुरू करने तथा विजयवाड़ा से हैदराबाद तक मछलीपतनम से हैदराबाद तक एक फास्ट पैसेंजर गाड़ी चलाने के संबंध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

जैसा कि श्री राधाकृष्णन जी कह रहे थे कि विगत कुछ समय से एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और विशेषरूप से, विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच चलने वाली नरसापुर एक्सप्रेस हाल ही में अनेक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसी कारण इस गाड़ी में सफर करने वाले लोगों के विश्वास में कमी आई है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इसके कारणों का पता लगाएं। वास्तव में, कुछ समय पूर्व एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 80 प्रतिशत दुर्घटना मानवीय भूल के कारण ही हुई है। जब तक कि माननीय मंत्री जी अपने कर्त्तव्य में लापरवाही करने वाले उन लोगों को कोई निवारक, कठोर और सख्त दण्ड नहीं देते और जो उन्हें सहज रूप से लेते रहेंगे तब तक यह समस्या जारी रहेगी। अत:, यदि वे उन लोगों का जो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहते हैं अथवा समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, को कठोर दण्ड दें, तो मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में कमी की जा सकती है। मैं दुर्घटनाएं होने के अन्य कारणों को समझ सकता हूं, लेकिन मानवीय भूल के कारण ही 80 प्रतिशत दुर्घटनाओं को हमेशा के लिए जारी नहीं रहने दिया जा सकता।

कल ही, सरकार ने विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने के लिए मृत्यु दंड देने संबंधी विधेयक पारित किया है। मेरा यह कहना नहीं है कि उन्हें भी इन मामलों में मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन कोई कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है कि जांच कार्य को कई वर्षों तक लम्बित नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वे थोड़े से समय के भीतर कार्यवाही करते हैं, तो, अन्य लोग सतर्क रहेंगे और इस प्रकार दुर्घटनाओं की संख्या में कमी की जा सकती है।

मैंने हाल ही में समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि सिकन्दराबाद और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार चलाया जाए। हमारे यहां के लोग हमेशा यह निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी के पास जाकर इस रेलगाड़ी को सप्ताह में तीन बार चलाने का अनुरोध किया जाए। मैं यह नहीं जानता कि यह खबर सही है अथवा गलत, किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता को कम नहीं किया जाए क्योंकि हरेक स्थान से नई दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, किंतु हैदराबाद से राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। हैदराबाद से इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए, किंतु मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे सप्ताह में एक बार चलाने की बजाय तीन बार चलाया जाए।

इसी प्रकार, मंत्री जी ने नई दिल्ली से विजयवाड़ा के लिए एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी की सुविधा दी है, किन्तु यह दिल्ली से विजयवाड़ा पहुंचने में 26 या 27 घंटे लेने की बजाय 44 घंटे ले रही है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसे सुपर फास्ट गाड़ी कहने की बजाय एक पैसेंजर या फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ी कहा जाए। किंतु यदि मंत्री जी इसे एक सुपर फास्ट गाड़ी ही कहते हैं तो मैं उनसे इसका समय कम करने और यह देखने कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, का अनुरोध करता हूं। रेलवे इन रेलगाड़ियों में सुपर-फास्ट गाड़ी का किराया वसूल रहा है किंतु गाड़ी एक सुपर-पैसेंजर गाड़ी की गति से चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसके रोज ही देरी से चलने के कारणों का पता लगाएं। यदि यह महीने में एक या दो बार देरी से चल रही होती तो मैं इसका कोई कारण मान सकता हूं किंतु यह प्रतिदिन देरी से चल रही है। हो सकता है कि रेल-प्राधिकारी इसे सहजता से ले रहे हों और सोच रहे हों कि कोई भी संसद-सदस्य इस मुद्दे को नहीं उठाएगा या माननीय मंत्री जी की गर्दन नहीं पकड़ेगा कि यह देरी क्यों हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें। इसी तरह, पिछली बार आपने विजाग से बंगलौर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का वादा किया था। आपने यह सेवा शुरू भी की है, किन्तु यात्रियों ने हमें यह बताया है कि गाड़ी के डिब्बे बेकार हैं और यात्रियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे संसद सदस्यों और विजाग के लोगों से किए गए वायदों और आश्वासनों को पूरा करें।

[श्री के.एस. राव]

अंत में, विजाग एक तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र है और वहां पर हर जगह तेजी से विकास हो रहा है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि विजाग से मुंबई के लिए एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करें क्योंकि यह विजाग और मुंबई दोनों के लिए सहायक सिद्ध होगी।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पूरक मांग है इसलिए वे पूरक मांगें दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कोई पूरक मांग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उन्हें याद दिला रहा हूं। रेलवे बजट में जो मांगें रखी गई थीं, इन्हीं को उनके ध्यान में दुबारा ला रहा हूं क्योंकि उनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां मुश्किल से एक बड़ा देहरादून स्टेशन है और दो छोटे-छोटे स्टेशन हैं। उस क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी [illegible] देते हैं, इसलिए यदि थोड़ा-बहुत खर्चा [illegible] तो आपको कृपा होगी।

मैंने पहले दिल्ली और कोटद्वार के बीच डायरेक्ट ट्रेन की बात की थी। अभी मसूरी एक्सप्रैस में सात डिब्बे लगते हैं और जो यात्रा 5-6 घंटों में पूरी होनी चाहिए, उसके लिए 12 घंटे लगते हैं, नजीमाबाद पर 3-4 घंट खड़े रहना पड़ता है जिससे बहुत असुविधा होती है। उसकी वजह से पचास बस के करीब लोड हर रोज उन दो जगहों के बीच आता है जिससे राष्ट्र के पैट्रोलियम प्रोडक्ट का भी खर्चा होता है। ये सब बातें मैं पिछले सात सालों से कह रहा हूं। यह मानते हुए, कि यह होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि कोटद्वार और दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन सेवा चलाने की व्यवस्था करें। इससे लोगों को सुविधा होगी और राष्ट्र का बड़ा पैट्रोलियम प्रोडक्ट भी बचेगा।

गढ़वाल के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए रेलवे आउट एजैंसी की व्यवस्था हुई थी, कुछ रेलवे आउट एजेंसी शुरू हुई हैं। मैं आपके ध्यान में सिर्फ यह बात लाना चाहता हूं कि रेलवे आउट एजैंसी के माध्यम से बुकिंग और रिजर्वेशन की सुविधा मिलती है। नहीं तो मेरे यहां से रिजर्वेशन के लिए एक आदमी को बीस दिन पहले, दो दिन बस में बैठकर, दो सौ रुपये खर्च करके आना पड़ता है। अभी आपने कम्प्यूटराईजेशन की व्यवस्था की है। मेरे क्षेत्र में एक जगह कम्प्यूटर लगा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन इंटीरियर में, जहां से लोग बुकिंग नहीं कर सकते, वहां यदि आप कम्प्यूटराईजेशन की सुविधा देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे।

ट्रेन लेट की बात हो रही है। मैंने यहां एक ट्रेन के विषय पर चर्चा की थी। हावड़ा से देहरादून जो ट्रेन चलती है, वह लखनऊ में ज्यादातर 6-8 घंटे लेट आती है, कभी-कभी 20 घंटे लेट होती है। मैंने सुझाव दिया था कि वाराणसी से देहरादून एक जनता ट्रेन चलती है, उसमें आप लखनऊ में एक ए.सी.-II कोच लगा दें, बजाए हावड़ा एक्सप्रैस में लगाने के वाराणसी जनता ट्रेन में लगा दें। इसके लिए बहुत सारे सांसदों ने समर्थन किया था। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। नतीजा यह होता है कि हम लखनऊ स्टेशन पर शाम साढ़े छः बजे चले जाते हैं और रात दो बजे तक मैं स्वयं वहां ट्रेन के इंतजार में बैठा हूं।

देहरादून स्टेशन के नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए आपने कुछ पैसा स्वीकृत किया है। मेरा आग्रह है कि उस बारे में आप अपने डिपार्टमैंट को आदेश दें कि उसे जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, मैं केवल 2-3 बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। मैं रेल मंत्री श्री नीतीश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेलवे में कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं लेकिन मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्री पासवान रेल मंत्री थे, तो उन्होंने कुछ एश्योरैंसेस दिए थे कि आगरा में पर्यटन की दृष्टि से तमिलनाडु और राजधानी एक्सप्रैस, जो वहां से साउथ के लिए गुजरती है, को ठहराव दिया जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि उस वायदे के बाद भी तमिलनाडु और राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। उसे करने की कृपा करें। दूसरा, केरल एक्सप्रैस और आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रैस में बोगी बढ़ाई जायें, ताकि साउथ के लोग जो आगरा में या उधर रहते हैं, उनको असुविधा होती है, स्थान नहीं मिलता, उनको सुविधा हो।

तीसरा, मरुधर एक्सप्रैस और अवध एक्सप्रैस में आरक्षित सीटें बढ़ाई जाये। चौथा रूई की मंडी, आगरा में ऊपरीगामी सेतु बनाया जाये। चौथा, टूंडला यमुना ब्रिज सैक्शन पर रेलवे स्टेशन की दोहरीकरण परियोजना स्वीकृत है, उसको तेजी से बढ़ाया जाये। पांचवां सुझाव यह है कि ईदगाह रेलवे स्टेशन को पश्चिम रेलवे का आगरा का केन्द्रीय स्टेशन बनाकर कम्प्यूटर से आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

अन्तिम बात, आगरा-बांदीकुई रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य वैसे तो वे कर रहे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है, मैं कन्विंस भी हूं, फिर भी कहना चाहूंगा कि ज़रा तेजी से इसको पूरा करायें।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मेरे तीन ही सुझाव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से केवल तीन ही बातें कहूंगा। एक तो आगरा वाया फतेहाबाद, बटेश्वर, जो माननीय प्रधान मंत्री जी की जन्मभूमि है, दसवीं लोक सभा से यह प्रकरण चला आ रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसकी क्या प्रोग्रैस है, उसका जरूर उल्लेख करें कि उसकी क्या व्यवस्था की गई है। ...*(व्यवधान)* आप कहने तो दीजिए।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि फिरोजाबाद ऐसी नगरी है, जहां सारे हिन्दुस्तान के व्यापारी उस जगह पर आते हैं। ...*(व्यवधान)* वास्तव में वह नगरी ऐसी है कि सारे हिन्दुस्तान का व्यापारी वहां आता है। दसवीं लोक सभा से यह प्रयास चलता आ रहा है, ऊपरी ब्रिज सुवाबाद फिरोजाबाद में होना चाहिए। वहां व्यवस्था इतनी ढीली है कि वहां इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और सारा फिरोजाबाद वहां पर आ गया था, उसके बाद रेलवे ने फिरोजाबाद की जनता को कुछ नहीं दिया, इसलिए एक तो ओवरब्रिज सुवाबाद में बनाया जाये। दूसरा जो दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे है, उस पर आगरा के निकट सैया ओवरब्रिज जरूर बनना चाहिए। वहां घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए मेरी यह मांग है। रेलवे स्टेशन फिरोजाबाद पर कम्प्यूटरीकरण और सौन्दर्यीकरण की बात कही थी, लेकिन अभी तक न कम्प्यूटरीकरण का काम हुआ, न एक पैसा वहां के विकास के लिए मिला। हम लोग रात के दो-दो बजे तक इन्तजार करके रेलवे बजट पर बोले हैं, इसलिए विशेषकर मेरी जो मांग है, माननीय मंत्री जरूर उल्लेख करेंगे। बटेश्वर की जो रेलवे लाइन है, आगरा से बाराबत्ती और बटेश्वर, फतेहाबाद, जसपुर के लिए जो नई रेलवे लाइन की जो बात है, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर वह प्रोग्रैस में है तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, नहीं तो हमें बड़ी वेदना होगी।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो मंत्री महोदय से मैं विनती करता हूं कि मुम्बई में महिला स्पेशल रेल चलती है। वहां कांदीवली में एक दुर्घटना हुई थी। चर्चगेट से ट्रेन निकली तो कांदीवली से बोरीवली जा रही थी तो उसमें आग लग गई। महाराष्ट्र के हमारे पूर्व मुख्य मंत्री शरद पवार जी को इसका पता है कि वहां आग लग गई। आग लगने से सारी महिलाएं घबरा गईं और अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद पड़ीं। उससे बहुत सी महिलाएं मर गईं। अभी यहां राज्य मंत्री राम नाईक जी नहीं हैं, उन्होंने बार-बार मांग की कि उन्हें कम्पेंसेशन देना चाहिए, लेकिन उन्हें अब तक कम्पेंसेशन नहीं दिया गया। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि जो महिलाएं मर गईं, उनके घरवालों को आप कम्पेंसेशन दे दें।

दूसरी जो हमारी मांग है, मैं जिस परेल एशिया में रहता हूं, परेल में फुटब्रिज है। उस ब्रिज पर अगर ज्यादा भीड़ हो जायेगी तो वह फुटब्रिज टूट सकता है और वहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि परेल स्टेशन पर जो फुटब्रिज है, उसको बनाया जाये।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने, इस सरकार ने चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जो मांग बहुत देर से पैंडिंग थी, मेरी इतनी मांग है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई इधर का होगा तो उनको भी मौका दे देंगे। इस तरफ कोई है?

श्री शरद पवार (बारामती) : ट्रेज़री बैंचेज़ के लोग ही ज्यादा समय ले लेते हैं। फिर हम कोरम का सवाल उठाएंगे।

श्री सत्य पाल जैन : हम तो डैकोरम की बात कर रहे हैं, आप कोरम की बात क्यों करते हो। ...*(व्यवधान)* चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन सरकार ने मंजूर की है और उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मेरा निवेदन है कि चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन पर काम जल्दी शुरू हो जाये। चंडीगढ़ स्टेशन को छः लाइन का बनाने के बारे में कुछ निर्णय हुआ था, उसका काम शुरू करें ताकि यू.पी., बिहार के लिए ट्रेन स्टार्ट करने की जो मांग कर रहे हैं, वे ट्रेन्स जल्दी स्टार्ट की जा सकें।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अगरतला से सबरम तक एक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण का आदेश दें और कुमारघाट-अगरतला बड़ी लाइन परियोजना के जल्दी पूरा होने को सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा) : उपाध्यक्षजी, आरा-सासाराम रेल लाइन जो छोटी लाइन थी, बरसों से बंद पड़ी थी। हमारे रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने उसके लिए 120 करोड़ रुपए तय किए और उसके लिए 12 करोड़ रुपए देकर काम शुरू करवाया है। हम

[श्री एच.पी. सिंह]

इसको एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने रखते हैं कि जब से ये मंत्री बने हैं, तब से जितने भी पहले के लम्बित काम थे, वे शुरू होने लगे हैं। हम इनको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये बधाई के पात्र हैं।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया और कुछ मांगें तथा सुझाव भी यहां रखे। हम उन पर जरूर ध्यान देंगे और जो भी उचित कार्यवाही करनी होगी उसके सम्बन्ध में हम उन्हें सूचित भी करेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : लोग कहते हैं- "जहां चाह है वहां रेलवे है; जहां कोई चाह नहीं है, वहां सिर्फ सर्वेक्षण होता है।" उस पर आपका क्या कहना है?

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहेंगे।

मार : कुछ चीजें एक जमाने से चली आ रही नक चलेंगी, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना कोई जरूरी नहीं है। यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट पर चर्चा हो रही है। इसमें कुल 26 आइटम्स हैं, जिन पर हमने सदन से अनुदान की दरख्वास्त की है। इसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी से सम्बन्धित कार्यों पर जोर है। रोड ओवर-ब्रिज के लिए छः हैं, दूसरे प्रकार के ब्रिजेज के लिए तीन हैं, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के तीन कार्य हैं, ट्रैक रिन्यूल के लिए सात कार्य हैं, इन सबका सम्बन्ध सेफ्टी से है। जो रेलों को चलाने के लिए आपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें तीन तरह के कार्यों के लिए धन की मांग की गई है। दूसरी ओर ऐसे काम हैं, जैसे वर्कशाप रिपेयर का है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का एक है, पैसेंजर्स एमिनिटी से सम्बन्धित भी एक है और एक नए जोन से सम्बन्धित है। कुल मिलाकर 26 आइटम्स हैं, जिनमें समूची कॉस्ट आफ वर्क 191 करोड़ रुपए है। लेकिन हम इसमें सांकेतिक रूप से अनुदान मांग रहे हैं। बाकी जो इस साल खर्च होगा, आपने पहले अनुदान दे दिया है, उसमें से ही एडजस्टमेंट होगा। इसलिए एक तरह से आपकी मंजूरी हम इस मामले में प्राप्त करना चाहते हैं। पिछले बजट में पारित होने के बाद जो बहुत आवश्यक समझा गया और जिन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई, उनके लिए ही हम यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स लेकर आए हैं।

रेलवे का विशाल नैटवर्क है। रेलवे में हर नागरिक की दिलचस्पी है, स्वाभाविक है हर माननीय सदस्य की भी दिलचस्पी होगी। इस सिलसिले में कुछ सवाल उठाए गए हैं। मैं संक्षेप में उन पर कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन दो बातें बुनियादी हैं, कुछ महीनों के बाद नया बजट आपके सामने आएगा, इस दरमियान हम स्पीलमेंटरी डिमांड्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकृष्ट करने की जरूरत है और सदन को कुछ जानकारी देना भी जरूरी है। जितनी मांगे आती हैं, उनके लिए धन की जरूरत होती है। सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम यह बताना चाहेंगे कि जो हमने एस्टीमेट किया था, उसके हिसाब से जो हमारी परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट है, हमारी आमदनी है, वह संतोषजनक नहीं है। उसका कारण मुख्य रूप से यह है चूंकि रेलवे की जो आमदनी होती है, वह पैसेंजर ट्रैफिक से होती है। रेलवे को मुनाफा मालभाड़ा से होता है लेकिन इस बार माल यातायात से हमारा एक प्रोजेक्शन था कि हम इतने माल की ढुलाई कर पाएंगे। उस हिसाब से स्थिति की समीक्षा करते हैं तो यह पाते हैं कि जितने लदान की हमने अपेक्षा की थी, पिछले वर्ष की तुलना में लदान कम हुआ है। इसका मतलब है कि हम इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने महा प्रबंधकों की मीटिंग बुलाई है और कुछ अधिकार उनको दिए हैं तथा लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि किसी भी कीमत पर पिछले साल की तुलना में कम लदान नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत सारे मामलों में रेलवे का कसूर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से रेलवे की लोडिंग की रणनीति बदलती रही है। पहले रेलवे पीस-मील ट्रैफिक लेता था। बाद में यह हुआ कि रेलवे बल्क ट्रैफिक की तरफ भी ध्यान दे और पीस-मील ट्रैफिक को छोड़ दे। धीरे-धीरे रोड यातायात की तरफ रेलवे चला गया। हम बल्क ट्रैफिक मूव करते हैं, उसमें भी खासकर कुछ प्रोग्राम ट्रैफिक, जिसमें कोर सैक्टर की मांगें होती हैं, जैसे कोयले की ढुलाई हो या जैसे स्टील सैक्टर का हो, रॉ मैटिरियल हो, सीमेंट का हो, फर्टिलाइजर्स का हो, फूड-ग्रेन्स का हो, उस तरह की ढुलाई होती है तो कोर सैक्टर का और उसके चलते हुए जो प्रोग्राम ट्रैफिक होता है, उसमें कमी आई है और रेलवे का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा कहा गया कि कोयले की ढुलाई की जरूरत पड़ेगी। एक समय था जब पॉवर प्लान्ट के पास केवल दो-तीन का स्टॉक बचा था। तीन-चार साल पहले यह स्थिति थी और इतने बड़े पैमाने पर वैगन्स लाए गए और नतीजा हुआ कि आज वैगन्स खाली पड़े रहते हैं। जिस प्रकार के ट्रैफिक को हैंडिल करने की जवाबदेही रेलवे पर सौंपी गई, वह ट्रैफिक हमें नहीं मिल रहा है। अब यह कहा जाएगा कि इस साल भाड़ा ज्यादा है, यह कहना उचित नहीं है। हर साल माल भाड़ा बढ़ाया जाता था, इस बार माल भाड़ा नहीं बढ़ाया और कई तरह की रियायतें दे दीं। लेकिन फिर भी वह स्तर हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसका परिणाम है कि इसमें रेलवे का कोई अपना योगदान नहीं है। इस तरह की परफॉर्मेंस जो कोर सैक्टर की तरफ

से हमें मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है। बहरहाल, इसका असर हमारी आमदनी पर पड़ा है, हमारी अरनिंग पर पड़ा है। हमने कई स्टैप्स लिए हैं। सदन के पास वक्त की कमी है लेकिन उसमें से मैं कुछ स्टैप्स की चर्चा करना चाहता हूं। आगे जाकर इनका बड़ा महत्व होता है कि जब कोई बात आएगी तो यह बात सामने रहनी चाहिए और हम सदन के माध्यम से अपनी तरफ से हर बात को सदन के समक्ष साफ तौर से रख देना चाहते हैं। जो कमी आ गई, कई तरह के निर्णय लिये गये और कई तरह की रियायतें दी गई ताकि हम ट्रैफिक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। चूंकि कोर सैक्टर के अलावा अदर ट्रैफिक गुड्स हैं, उसका 8-9 या 10 प्रतिशत होता है बाकी 90 प्रतिशत प्रोग्राम ट्रैफिक है। मुख्य रूप से असर उन्हीं पर पड़ा है। आमतौर पर देश और देश के बाहर जो आर्थिक स्थिति है, उन सब चीजों का असर उस पर पड़ता है लेकिन हम रणनीति अपना रहे हैं। अब उसमें कई प्रकार के निर्णय लिये गये जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी महीनों में लदान में काफी वृद्धि होगी और हम पिछले साल से कुछ आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि सितम्बर माह में पॉवर हाउस में कोयले के लदान को दस दिन की भुगतान की सुविधा दी थी। यह सुविधा स्टील प्लान्ट को भेजे जाने वाले कोयले पर भी प्रदान की गई। सीमेंट, इस्पात, लौह अयस्क और स्पॉजाय के लदान को बढ़ावा देने के लिए हमने एक वॉल्यूम डिस्कॉउन्ट स्कीम शुरू की है जिसके तहत दस प्रतिशत छूट देने की योजना है। एक और प्रोग्राम के तहत आयातित कोयले को सड़क से रेलों की ओर आकर्षित करने के लिए दस प्रतिशत की छूट देने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक स्टेशन से स्टेशन योजना के तहत महा प्रबन्धकों को रेलवे बोर्ड की तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। अब यह निर्णय लिया गया कि स्वीकृति के लिए उन्हें रेलवे बोर्ड में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जनरल मैनेजर्स इस योजना के तहत शीघ्र निर्णय लेंगे और रेलों को इसका लाभ मिल पाएगा। आज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो निर्धारित रेट है, उससे भी यदि अलग रेट तय करना है, तो उसको कम करने का अधिकार दिया गया है, ताकि वे ट्रैफिक को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसके अलावा रेलवेज में पाइंट-टू-पाइंट लोडिंग होती थी, अब लदान को बढ़ाने के उद्देश्य से टू-पाइंट लोडिंग की सुविधा नामित स्टेशनों पर प्रदान कर दी गई है। पहले फुल रेट लोडिंग होती थी, अब दो पाइंट पर होगी, इसमें भी ट्रैफिक को अपनी ओर आकर्षित किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं। जनरल मैनेजर्स की कांफ्रेंस की गई है, रेलवे बोर्ड के साथ भी चर्चा हुई है। यह निर्देश दिया गया है कि रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवेज को इस कदर अपनी नीति को बनाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि ट्रैफिक को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। हाथ पर हाथ रखकर और इस उम्मीद से ट्रैफिक हमारे पास आएगा, तो हम उसका लदान करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को बदलकर के और जो लोग लदान कर सकते हैं, उनके पास जाये ताकि अधिक से अधिक लदान हो और हम टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करें। इससे अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पायेंगे, तो कम से कम पिछले साल की तुलना में कुछ आगे जरूर बढ़ पायेंगे। यह लक्ष्य हमारा होना चाहिए। इस प्रकार मैंने आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बताया।

दूसरी बात खर्च के संबंध में है। जिस समय बजट बन रहा था, उस समय यह एस्टीमेट था कि सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की एज जो बढ़ा दी गई है, उससे पेंशन की मद में खर्च कम होगा। यह स्थिति रेलवे की ही नहीं, पूरे भारत सरकार की थी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पंचम वेतन आयोग ने जो स्केल रिवाइज किए हैं, उनके रिवीजन पैटीशन इस बार बहुत आ रहे हैं। हम लोगों को जो उम्मीद थी, उससे ज्यादा रिवीजन पैटीशन आ रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जितना हमने प्रावधान किया था, उससे 1000-1200 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च होंगे। एक तरफ खर्च बढ़ेगा और दूसरी तरफ आमदनी जितनी होनी चाहिए, उतनी आमदनी नहीं हो रही है। इसलिए कुल मिलाकर जो आर्थिक स्थिति है, वह मैंने आपके सामने रख दी है। यह सही है कि इसका असर सब चीजों पर पड़ेगा। इसका असर हर जगह पर पड़ना है। इसका असर योजनाओं पर भी पड़ सकता है, लेकिन जिन योजनाओं को इस साल में पूरा होना है, उन योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके अलावा सेफ्टी के काम हैं, संरक्षा के काम हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। बल्कि सेफ्टी पर अगर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, तो वह किया जाएगा। संरक्षा को लेकर कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। हमने यह फैसला लिया है कि ड्राइवर और गार्ड के बीच में हर ट्रेन में संवाद स्थापित होना चाहिए। कम से कम पैसेंजर ट्रेन्स में यह सुविधा सबसे पहले होनी चाहिए। अभी तक यह कुछ ही गाड़ियों में सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन अब यह युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और आशा है कि मार्च, 1999 तक हर पैसेन्जर्स ट्रेन्स में ड्राइवर और गार्ड के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए वाकी-टाकी की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह से कई और सेफ्टी रिलेटेड मांगे हैं, उनको किया जाएगा और उनमे धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। खासकर कुछ प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं, जिनको आगे के वर्षों में पूरा होना है, तो शायद कुछ वक्त के लिए ऐसा लग सकता है कि 15 दिन, एक महीना या डेढ़ महीना उन प्रोजैक्ट्स को आगे खींचना पड़े। जो

[श्री नीतीश कुमार]

आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे यह बात कहनी पड़ रही है और उसका उल्लेख करना आवश्यक था।

दूसरी बात, जो सबसे अधिक चिन्ता का विषय है, वह सेफ्टी से संबंधित है। सेफ्टी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। अभी ट्रेन्स के बारे में मांग हो गई और कहा गया कि इन ट्रेन्स की योजनाओं को स्वीकृत किया जाए। इसके साथ ही यह भी मांग आई कि आमान परिवर्तन की योजनाओं को स्वीकृत किया जाए, इसलिए मैंने आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र किया। इसके अलावा जो पैसे हैं, वे सीमित हैं। इन सीमित पैसों में आपको अपने काम को चलाना है, इसलिए तय करना होगा कि अगर सेफ्टी को टाप प्रायोरिटी देनी है, तो दूसरे कामों के ऊपर इसको ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए [illegible] हम सभी लोगों को कुछ दिनों के लिए अपने [illegible]ना पड़ेगा। यह सही है, ये लोकप्रिय मांगे होता है। ट्रेनें जरूर चलना चाहिए, नई रेलवे लाईनों को बिछना चाहिए, ये सब काम होने चाहिए। अभी हमें सेफ्टी को सबसे अधिक प्रायरटी देनी होगी। सेफ्टी के काम पर कुछ असर पड़ा था, नतीजा यह हुआ कि ट्रेक रिन्यूवल ड्यू हो गया। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में आपको जानकारी दी थी कि 10,000 किलोमीटर ट्रेक रिन्यूवल ड्यू है यह पूरा होना चाहिए। वैसे हमारी योजना है कि नवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होते-होते ए और बी रूट में कोई ट्रेक रिन्यूवल ड्यू नहीं रहे, कोई ट्रेक रिन्यूवल का काम न बचे, इन सब चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। हमें सिगनल और टेलीकॉम के आधुनिकीकरण के लिए कुछ अन्य काम करने पड़ेंगे। अभी जो हमने ड्राइवर और गार्ड का कहा उसके अलावा हमें यह भी कहना होगा कि वे स्टेशन और कंट्रोल से सम्पर्क स्थापित कर सकें। फिर उसके आगे जाना होगा कि नजदीक की दूसरी ट्रेनों के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हो सके, इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत होगी।

महोदय, आज खन्ना दुर्घटना की बहुत चर्चा होती है। कोई मेकेनिज़म नहीं था, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए एक चुनौती है लेकिन टैक्नोलॉजी की भी अपनी एक सीमा है। ट्रेन रास्ते से आ रही थी, बाद में कारण पता चला कि रेल फ्रेक्चर था, ट्रेन डिरेल हो गई और डिरेलमेंट होकर उसका एक डिब्बा दूसरी पटरी पर जाकर गिरा। जब डिरेलमेंट हो गया तो उसके साथ-साथ उसका कपलिंग भी फेल हो गया और ट्रेन का आधा हिस्सा आगे बढ़ गया। उसी समय दूसरी तरफ से गाड़ी आ गई और ट्रेन का एक हिस्सा दूसरी पटरी पर चला गया। ड्राइवर को भी नहीं मालूम था कि ट्रेन का एक हिस्सा कट चुका है और वह दूसरी पटरी पर जा चुकी है। उसको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ जब वह प्रेशर डाउन करने लगा। जब ड्राइवर को मालूम ही नहीं है तो सुरक्षा के जो उपाय हैं, फ्लेशर हैं उसे वह ऑन कहां से करता, इसलिए वह ऑन नहीं कर सका। इसी बीच तेज रफ्तार से दूसरी तरफ से गाड़ी आई, ये सब कुछ इतने कम समय में एक या सवा मिनट के अंदर हुआ। आप अपने देश को छोड़िए दुनिया भर में भी कोई टैक्नोलॉजी नहीं है कि दोनों तरफ से सौ किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही हो और ऐसी स्थिति में कुछ किया जा सके। उसके एक सप्ताह या दस दिन के अंदर दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। एक ट्रेन जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हो गया। दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी लेकिन उसके आने में तीन-चार मिनट का फासला था। ड्राइवर ने फ्लेशर ऑन किया और दूसरी गाड़ी को रोक लिया गया इसलिए दुर्घटना नहीं हुई। अगर तीन-चार मिनट का भी वक्त हो तो दूसरा व्यक्ति कुछ कर सकता है, टैक्नालॉजी है लेकिन इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। रेल में फ्रेक्चर होता है, इसमें कई तरह की बातें हैं, इस पर अध्ययन चल रहा है। यह सिर्फ अपने देश की ही समस्या नहीं है बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसलिए इंटरनेशनल रेलवे यूनियन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें इंडियन रेलवे भी पार्टीसिपेट कर रही है, फ्रेंच, रशियन, चाइनिज़ और यूरोपियन रेलवे भी हैं, इसको ये सब मिल कर रहे हैं। यूरोपियन रेल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कोआर्डिनेट कर रहा है। अपने यहां आर.डी.एस.ओ. में काम चल रहा है, उसकी रिपोर्ट सन् 2000 तक आएगी। ये जो फ्रेक्चर्स होते हैं, यह चिन्ता का विषय है। इस पर सब जगह अध्ययन हो रहा है। आपको मालूम नहीं होगा, मुझे भी जानकर आश्चर्य हुआ कि लोहे की पटरी पर लोहे का चक्का चलता है और इन दोनों के बीच में व्हील ट्रेक इंटरेक्शन है, इस पर भी बहुत रिसर्च नहीं हुआ। अभी जब इस बात की जानकारी मिली तो यह फैसला लिया गया कि रुड़की यूनिवर्सिटी में एक सीट क्रियेट की जाए और वहां 50 लाख रुपया रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है ताकि

अध्ययन का एक केन्द्र बन सके और उसके रिसर्च का फायदा रेलवे को भी मिल सके। कई चीजें हैं जिन पर अध्ययन की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उस पर हम अमल करें। हमारे सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं, उन पर हम अमल करें, जो सेफ्टी नार्म्स हैं उनका पालन करें और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटेनेंस पर हर हाल में पूरे तौर पर ध्यान दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अगर सदन को समय होता, सदन समय निकाल पाता और माननीय सदस्य उस पर अपनी राय रखते तो सबको फायदा होता। अभी मैंने संक्षेप में दो-चार बातों का उल्लेख किया है, अगर समय होता तो हम पूरे विस्तार से अपनी बातों को रख पाते। यह कोई व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे सिस्टम की बात है। सिस्टम को सुधारने के लिए जहां एक तरफ कोई गलती करे तो जवाबदेही भी उसकी सुनिश्चित करनी चाहिए और पिछली दुर्घटनाओं से सबक लेकर आगे दुर्घटनाएं न हों, ऐसी योजनाएं बननी चाहिए।

सेफ्टी पर तीन कमेटियां पहले बनी थीं जिनकी रिपोर्टें आई और उन पर कुछ अमल भी हुआ। एक नयी कमेटी सेफ्टी रिव्यू कमेटी जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में बनी थी, उस पर भी काम चल रहा है। अभी खन्ना में जो दुर्घटना हुई, उसके बारे में कमीश्नर रेलवे सेफ्टी ने अपनी आरम्भिक रिपोर्ट दे दी है, उस पर हम कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं तथा उसकी न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया गया है और उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। उसके लिए खत-किताबत हो रही है, जज का नाम मांगा जा रहा है तथा उसके बारे में औपचारिक कार्रवाई में समय लग रहा है, उसकी जुडिशियल इंक्वारी भी होगी। इसके लिए जरूरी कदम उठाने में कोताही नहीं बरती जाएगी। पिछले बजट में जितनी बातें कही गयी, उसमें कुछ पर अमल नहीं हो रहा है। हम आपका ध्यान उन कुछ बातों की ओर आकर्षित करते हैं। पिछले बजट में रेलों के परिचालन के मामले हैं हम लोगों ने ऐलान किया था कि 13 ट्रेनें जल्दी चलाई जाएंगी, जिनमें से 9 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और चार नयी ट्रेनें जल्दी चलाई जाने वाली हैं। कुछ ट्रेनें जनवरी के पहले सप्ताह में ही चला दी जाएंगी। ट्रेनें तैयार हैं, इसलिए जो भी वायदे किए गये हैं उनको पूरा किया गया है।

दूसरा हमने कहा था कि कुछ गाड़ियों का ऑगमेंटैशन करके उनको 24 डिब्बों पर चलाएंगे, जिनमें से तीन पर फैसला हो चुका है। गोदावरी एक्सप्रेस को हैदराबाद से विशाखापत्तम तक; चारमीनार एक्सप्रेस को हैदराबाद से चैन्नई तक; ए.पी. एक्सप्रेस को हैदराबाद से नई दिल्ली तक।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : गोदावरी एक्सप्रेस पहले से ही विजाग और सिकन्दराबाद के बीच चल रही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप बात नहीं सुन रहे हैं। हमने कहा था कि 24 डिब्बों वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में 24 डिब्बे दिए गये हैं। फिर हमने कहा था कि और डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। कुल मिलाकर 378 डिब्बे लगाए गये हैं। इनको जोड़कर आप हिसाब निकाल सकते हैं कि कितनी ट्रेनें हुईं। यानि 20-22 ट्रेनों के बराबर हमने डिब्बे लगा दिए हैं। अब आप हिसाब लगाइये कि इनमें कितने यात्री प्रतिदिन अधिक हो गये तथा 106 कोचेच साधारण क्लॉस, जनरल कैटेगरी के जोड़े हैं। हमने 272 कोचेज रिजर्व्ड कम्पार्टमेंट के जोड़े हैं। इस तरह से अन-रिजर्व्ड में 9500 यात्री बढ़ाकर प्रतिदिन अधिक ढोने की क्षमता पैदा की गयी है। हमने 272 रिजर्व्ड कोचेज के द्वारा 16320 अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता विकसित की है। इस तरह से 25 हजार से ज्यादा और 26 हजार से थोड़ा कम यात्रियों को ढोने की क्षमता बढ़ाने में हमने सफलता पाई है। इसके अलावा 13 नयी ट्रेनों में से 9 चला दी गयी हैं और जो जल्दी चलने वाली हैं और हम उनको जल्दी ही चला देंगे। जो भी ऐलान किए गये हैं उस दिशा में कार्य करने का प्रयास किया गया है। परियोजनाओं पर कार्य करने का जहां तक सवाल है, अभी रघुवंश बाबू बोल रहे थे कि हाजीपुर-सुगौली वाया वैशाली की बात, तो वैशाली तो लोकतंत्र की जननी है। इतिहास की बात छोड़ भी दें तो भी हर व्यक्ति जानता है कि यह सामान्य ज्ञान का विषय है। उन्होंने जो प्रश्न किया था, उन्हें उसका उत्तर भी मिला है। सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ है और इसके बाद बोर्ड में एग्जामिन होकर प्लानिंग कमीशन में जाएगा। लौटकर हमारे पास आएगा तो कैबिनेट में भेजना पड़ेगा। यह तो करना ही पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे ही योजनाओं को बजट

[श्री नीतीश कुमार]

में शामिल कर लें और बाद में 2-3 साल तक आप हमारे पीछे पड़े रहिये, क्योंकि जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं होगी, उस पर खर्च शुरू नहीं होगा। इस बात को आप भी जानते हैं। आप सरकार में बिहार में भी रहे हैं और यहां भी रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : चालू नहीं ....

श्री नीतीश कुमार : अब हम चालू शब्द का प्रयोग तो उसके लिए नहीं करेंगे। पटना के गंगा पुल के बारे में हमने विस्तार से तीन बार आपको बता दिया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उसके सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मॉडल टैस्ट के लिए जितने आंकड़ों को इकट्ठा करना था वे इकट्ठा कर लिए गये हैं। मॉडल टैस्ट जिस संस्थान को जाना जा चुका है। उसके आने पर फिर रिव्यू किया फिर प्रौसेस होगा तथा फिर कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। ऑन-गोइंग जितने प्रोजैक्ट्स हैं, उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

रात्रि 8.00 बजे

अलग-अलग सांसदों से भी हर दिन और हर सप्ताह जब वह उपलब्ध होते हैं और जब समय लेते हैं, हर समय हम उनके काम के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि धैर्य धारण कीजिए। जो श्री योजनाएं लंबित हैं, बजट में शामिल की गई हैं, उनकी आगे की कार्रवाई पर अमल हो रहा है, उनके क्लियरेन्स के लिए कदम उठाए जा चुके हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन योजनाओं पर जैसे ही क्लियरेन्स प्राप्त होगा, आगे उन पर अमल करने का सिलसिला शुरू होगा।

नये प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बात उन्होंने की है, यह तो सप्लीमेंटरी डिमांड्ज बहुत सीमित हैं। इस बीच में कुछ निर्णय आवश्यकता के मुताबिक लेने पड़े इसलिए हम संसद के सामने रख रहे हैं। सारी बातों पर ठीक से चर्चा जब अगले साल का बजट आएगा, उसमें करेंगे तो अच्छा होगा। रेलवे का काम ऐसा है कि रोज-रोज संपर्क भी करना चाहिए। गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मंत्री जी ने कहा था कि सप्लीमेंटरी डिमांड्ज में उसको कर देंगे। उसकी प्रोग्रेस तो बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : बहुत ज्यादा इंटरस्टेड थे तो एक क्वश्चन डाल देते तो क्वश्चन भी आ जाता। आप ठीक पीछे खड़े हैं तो पूछते हुए अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी दूर से पूछते तो अच्छा लगता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उच्च सदन से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : मैं स्पष्टीकरण देने के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। वे रेलवे की स्थिति को सुधारने और दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सब बातों की प्रशंसा करता हूं। उन्हें नई लाइन खोलने और अन्य काम करने के लिए काफी धन की जरूरत है।

महोदय, अब सरकार अनेक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की अनुमति दे रही है। क्या रेल मंत्री जी भी नई और अतिरिक्त लाइनों के निर्माण के लिए विदेशी पूंजी के निवेश की अनुमति देंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जहां तक नये रेलवे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का सवाल है, आप भी जानते हैं कि इसके लिए बोल्ट स्कीम की शुरूआत की गई और उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। आगरा-बांदीकुई रेल लाइन की चर्चा रावत साहब कर रहे थे। वह बोल्ट स्कीम में पड़ा हुआ था। कोई सामने नहीं आया और वह काम शुरू नहीं हुआ तो उसको बोल्ट स्कीम से निकालकर अपने रिसोर्सेस से करने के लिए बजट में प्रावधान किया। उस काम के लिए जो ये पूछ रहे थे कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है, उसके लिए टेण्डर वगैरह इनवाइट किया गया है और वह काम शुरू होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम) : यदि आप उचित योजना बनाते हैं तो रेलवे के मामले में भी यह किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1998-99 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 2 और 16 के सामने दिखाये गये शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की अनुपूरक मांग की राशि
1	2	3
		रुपये
2	विविध व्यय (सामान्य)	1,000
16	परिसंपत्तियां - खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	4,000
	रेलवे निधियां	25,000
	जोड़	30,000

रात्रि 8.05 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक-4 विधेयक*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत, की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.98 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार

[illegible] है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 21 दिसम्बर, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार, 21 दिसम्बर, 1998/ 30 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।